राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 1] पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का 65वां दिवस [संख्या 31

मंगलवार,

दिनांक 23 मई, 1972

विधान सभा की बैठक म॰ पू॰ 11-02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, कृषि, वित्त, उद्योग, पशु-पालन, खनिज, आयोजना, जन-सम्पर्क, स्वायत्त शासन, गृह, सहकारिता, जन-स्वास्थ्य, नगर विकास न्यास, पर्यटन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्रीमती जमुना सोलंकी !

रोस्टर पद्धति

689. **श्रीमती जमुना सोलंकी** (केकड़ी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने रोस्टर सिस्टम कब किन विभागों में लागू किया है ?

(2) रोस्टर पद्धति लागू होने के पश्चात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों को कितने आरक्षित स्थान (श्रेणी-अनुसार) विभिन्न विभागों में उक्त जातियों के उम्मीदवारों को प्राप्त हुए हैं ?

(3) क्या यह सही है कि पुलिस एवं शिक्षा विभाग ने रोस्टर पद्धति को नहीं अपनाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बनाये गये निगमों एवं राजकीय उपक्रमों ने रोस्टर पद्धति लागू नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) राजकीय उपक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के कितने लोग किस-किस श्रेणी में कार्य कर रहे हैं ?

(6) क्या यह सही है कि स्वायत्त संस्थाओं में रोस्टर पद्धति तो दूर रही परन्तु आरक्षण के कोटे का भी अनुपालन नहीं किया जाता है ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) राज्य सरकार द्वारा रोस्टर सिस्टम समस्त विभागों में 1-4-71 से लागू किया गया।

(2) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के आधार पर अर्द्ध वार्षिक खण्डों में विभागों से सूचना प्राप्त की जाती है।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

1-4-71 से 30-9-71 तक विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न प्रकार श्रेणी अनुसार आरक्षित स्थान प्राप्त हुए: –

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
राजपत्रित	46	25
अधीनस्थ	45	39
मंत्रालय	6	—
चतुर्थ श्रेणी	23	11

1-10-71 से 31-3-72 तक की सूचना प्राप्त होना बाकी है।

(3) जी नहीं।

(4) यह सही नहीं है। सरकार द्वारा बनाये गये निगमों एवं राजकीय उपक्रमों में रोस्टर पद्धति लागू है।

(5) सम्बन्धित राजकीय उपक्रमों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

(6) इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है कि स्वायत्त शासन संस्थाओं में आरक्षण के कोटे का अनुपालन नहीं किया जाता। राज्य सरकार द्वारा स्वायत्त शासन संस्थाओं में उक्त आरक्षण के लिये दिनांक 7-4-70 से आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्रीमती जमुना सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं बताया गया है कि किन-किन विभागों में यह रोस्टर सिस्टम चालू किया गया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सब विभागों में चालू किया गया है।

श्रीमती जमुना सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने हरएक विभाग में और मंत्रालय में एक उच्चाधिकारी को मनोनीत किया है जिसका उत्तरदायित्व है कि रोस्टर पद्धति को सुचारु रूप से लागू करे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की उचित और न्यायपूर्ण मांगों पर विचार होकर उनको हैरासमेंट से बचाया जाता है। मैं मंत्री महोदया से यह आश्वासन चाहूंगी कि राजस्थान राज्य में भी हरएक विभाग और मंत्रालय में एक अफसर नियुक्त किया जाय ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को उनकी न्यायपूर्ण मांगों पर न्याय मिल सके और विचार हो सके।

श्रीमती कमला बेनीवाल : फाइनेन्स डिपार्टमेंट से बराबर आदेश किये जाते रहे हैं। आपका दिया हुआ कोई सुझाव हो तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : राज्य सरकार की आज्ञा प्रसारित की गयी थी जो कि समान रूप से निगम, कॉर्पोरेशन्स और स्वायत्त शासन संस्थाओं पर लागू होते हैं, उनसे आंकड़े नहीं मंगाये गये हैं, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : प्रश्न आने और उसका उत्तर देने के बीच में इतना समय नहीं था कि तमाम स्वायत्त शासन संस्थाओं और निगमों से सूचना उपलब्ध हो जाती।

श्री मीठालाल (लालसोट) : अनुसूचित जाति और जन-जाति के आरक्षण के लिये यदि उम्मीदवार न मिले तो खाली रखी जावेगी और उन जातियों के

(श्री मीठालाल)

उम्मीदवार मिलने पर ही भरी जावेगी। दूसरा जिन विभागों में आरक्षण नहीं किया गया हो तो क्या अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? सरकार को इसकी जानकारी है या नहीं और नहीं है तो क्यों ? क्या कार्यवाही की गई है यह बताने की कृपा करें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : किस-किस विभाग में कितना-कितना रिजर्वेशन कायदे से होना चाहिये और उसमें कितना किया गया है और नहीं किया गया है। यह सब विवरण उनसे मांगा गया है। जो भी अधिकारी दोषी पाये जावेंगे, उनके विरुद्ध सरकार की ओर से कार्यवाही की जावेगी। अभी मैं इसकी सूचना नहीं दे सकती। रिजर्वेशन के उम्मीदवार न आवें तो खाली रखी जाय।

श्री मीठालाल : उचित उम्मीदवार न मिले तो खाली रखी जावेगी। उचित उम्मीदवार मिलने पर भी खानापूर्ति न करे तो क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ऐसे अधिकारी गलती करेंगे तो जरूर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। विभागों में एप्लीकेशन्स इनवाइट करने का एक रजिस्टर रखा जाय जिससे मालूम हो सके कि कितने योग्य एप्लीकेन्ट्स आये हैं।

श्री मीठालाल : उचित उम्मीदवार नहीं मिलने पर ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उचित उम्मीदवार नहीं मिलने पर जगह खाली रखी जावेगी जितना रिजर्वेशन का कोटा है।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : खण्ड 6 में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है' क्या यह सही है कि स्वायत्त संस्थाओं में रोस्टर पद्धति तो दूर रही परन्तु आरक्षण के कोटे का भी अनुपालन नहीं किया जाता है।" स्पष्टतया मंत्री महोदया ने उत्तर नहीं दिया है। इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगी ? सेकिन्ड पार्ट को ही पूछना चाहता हूँ आरक्षण के कोटे की भी अनुपालना नहीं की गयी है बल्कि रिजर्वेशन भी कम्पलाइड विथ नहीं किया गया है तो क्यों नहीं ? किया गया या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : स्वायत्त संस्थाओं और राजकीय उपक्रमों में आरक्षण पद्धति लागू होगी, राज्य सरकार ने आदेश जारी किये हुए हैं। किन-किन विभागों में पूर्णतया आदेश की पालना हुई है और नहीं हुई है, इस समय मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह : प्रश्न के लिये तो तैयार होकर प्रश्न का जवाब तो कुछ देना चाहिये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : स्वायत्त शासन संस्थाएं कितनी हैं। प्रश्न के आने और उत्तर देने के बीच में इतना समय नहीं था। सूचना उपलब्ध न होने की सूरत में आधी सूचना दी जाय तो उपयुक्त नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है ?

श्री दिनेशराय डांगी (देपुरी) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इससे पूर्व राज्य सरकार

(श्री दिनेशराय डांगी)
की तरफ से राजकीय उपक्रम या जो भी सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थायें हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन की हिदायत है तो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है और प्रश्नकर्ता के फिर से पूछने के बाद इनके पास जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कितना कोटा पूरा हुआ है। यह बहुत आवश्यक है और कब तक पूरा कर देंगे इनके पास तो जानकारी ही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जब तक खण्ड 6 का उत्तर नहीं आये तब तक प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये और मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसका जवाब अगली बार दे दें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : प्रश्न को स्थगित भी रख सकते हैं और भाग 6 की जानकारी मैं बाद में भी दे सकती हूं लेकिन स्वायत्त संस्थायें राजस्थान में हैं और कितनों ने पूरा कोटा पूरा किया और कितना नहीं किया यह सूचना काफी समय से मांगी है। अभी तक पहुंची नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा और श्री हाजी जान मोहम्मद !

ग्राम सलोतिया में हाई स्कूल का भवन

690. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) **श्री हाजी जान मोहम्मद** (पिड़ावा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सलोतिया, पंचायत समिति पिड़ावा, जिला झालावाड़ में हाई स्कूल के लिये भवन बनाया गया है ? यदि हां, तो इसका कार्य पूरा हुआ या नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि इसमें काफी रुपया लगने पर भी कार्य अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों तथा रकम कितनी खर्च हो चुकी और यह रकम कहां-कहां से लगाई गई ?

(3) क्या यह सही है कि यह भवन ग्राम के पास न होकर जंगल में है जहां छात्र नहीं पहुंच सकते ? यदि हां, तो इस साइट का सलेक्शन कैसे किया गया था और इतना रुपया बरबाद करने का उद्देश्य क्या है ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) :
(1) जी हां, निर्माण कार्य अधूरा है।

(2) भवन अभी अधूरा है। खाद्य विभाग द्वारा चेरिटी फण्ड में से 12,000 रु० की राशि 29-7-69 को स्वीकृत की गई।

(3) भवन ग्राम से कुछ दूरी पर है। साइट का चयन निर्माण कमेटी, सलोतिया द्वारा किया गया। साइट चयन करने में इस बात का ध्यान रखा गया कि एक-दो मील दूरी पर स्थित ग्रामों के छात्र इस शाला का लाभ उठा सकें।

श्री हाजी जान मोहम्मद : सदरे मोअज़्ज़म, मैं आपकी मार्फत मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि गांव से 1½ मील की दूरी पर स्कूल का भवन बनाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस वजह से बनाया गया है जब कि लड़के वहां मुश्किल से जाना चाहते हैं ?

श्री जुझारसिंह : इसका उत्तर में आपको निवेदन कर चुका हूं कि वहां स्कूल को बनाने के लिए पंचायत की तरफ से निर्माण कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने इसका निर्णय लिया था कि इस मकान को ऐसी जगह पर बनाया जाये जहां से दूसरी जगह के लड़के भी पहुंच सकें इसलिए उस साइट का चयन निर्माण कमेटी ने किया।

श्री हाजी जान मोहम्मद : मैं जानना चाहता हूं कि इस निर्माण कमेटी के कौन-कौन मेम्बर थे ?

श्री जुझारसिंह : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच और वहां के मेम्बर्स हैं वहीं हैं।

श्री हाजी जान मोहम्मद : पटेल साहब के कहने से ऐसा हुआ क्या ?

श्री जुझारसिंह : उस समय में जैसा मैंने निवेदन किया है उस समय पटेल साहब इसके सरपंच नहीं थे और दूसरे सरपंच थे उन्होंने और वहां की कमेटी है, इसका फैसला किया था।

श्री हाजी जान मोहम्मद : मैं यह चाहता हूं कि जनता को कोई लाभ नहीं है और बच्चे जा नहीं सकते क्योंकि जंगल है और यह तो व्यक्तिगत फायदा पहुँचाने के लिए बिल्डिंग बनायी गयी है।

श्री जुझारसिंह : इस बिल्डिंग की साइट का चयन निर्माण कमेटी ने किया था।

श्री हाजी जान मोहम्मद : वहां उनकी जमीन है और जनता को कोई राहत नहीं है। यह तो जंगल है और जंगल में बिल्डिंग बनाना सिर्फ व्यक्तिगत फायदा पहुँचाना था लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं है और मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों ऐसा फायदा व्यक्तिगत पहुँचाया जा रहा है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि नाजायज बिल्डिग बनाई गई है और जनता को कोई लाभ नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री विश्वम्भरनाथ जोशी !

श्री हाजी जान मोहम्मद : मेरी बात का जवाब नहीं दिया गया। सरकार का पैसा खराब किया गया है, क्या इसकी जांच होगी ?

श्री जुझारसिंह : मेरी यह बिल्डिंग देखी हुई है और इसमें लड़के आयेंगे या नहीं यह तो मकान बन जाने के बाद तय होगा। अभी तो स्कूल गांव के दूसरे मकान में चल रही है और वह भवन इसलिए बनाया गया है कि दूसरे गांवों के लड़के वहां पहुँच सकें। अब उसमें कितने लड़के आयेंगे यह तो बाद में मालूम होगा। अभी इसके बारे में क्या कहा जा सकता है।

श्री हाजी नजा मोहम्मद : तो मिनिस्टर साहब को जानकारी बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी जांच कराई जाये और गवर्नमेन्ट का पैसा बरबाद कराया गया है और पैसा वापस होना चाहिए। क्यों जंगल में बनाया गया है ?

श्री जुझारसिंह : जैसा पहले पूछा है, इस गांव में सरपंच और दूसरे व्यक्ति थे उनकी मन्शा थी कि इसको आगे-पीछे हाई स्कूल बनाई जाये और हाई स्कूल

Page No 6

(श्री जुझारसिंह)
बनाने की गरज से इन्होंने बड़े मकान का कार्य शुरू किया था और दूसरे गांव जो आसपास लगे हुए थे वे इस मकान से नजदीक पड़ जायेंगे इस आशय से इस मकान को बनाया था। यह अभी अधूरा है और अभी तक स्कूल चल रहा है वह मिडिल स्कूल गांव में हैं और वहीं पढ़ा रहे हैं। जिस मन्शा से मकान बनाया है वह मकान पूरा होने के बाद दूसरे गांवों के लड़के वहां पर आ सकते हैं क्योंकि दूसरे गांवों से यह भवन नजदीक पड़ेगा।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : जहां मिडिल स्कूल चल रही है उससे यह भवन कितनी दूरी पर है ?

श्री हाजी जान मोहम्मद : मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों यह बिल्डिंग बनाई ?

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : यह जंगल में क्यों बनायी ? क्या इस प्रकार की सरकार परम्परा डालना चाहती है ?

श्री जुझारसिंह : जंगल में तो नहीं है। गांव से आधा मील दूर है।

श्री हाजी जान मोहम्मद : 1 मील से कम नहीं है।

श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : मंत्री महोदय झूठ बोल रहे हैं या माननीय सदस्य ?

श्री अध्यक्ष : श्री विश्वम्भरनाथ जोशी !

श्री हाजी जान मोहम्मद : मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इसकी इन्क्वायरी होगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री हाजी जान मोहम्मद : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बैठने में मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इसकी होगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी !

श्री हाजी जान मोहम्मद : मेरी बात का जवाब आयेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री विश्वम्भरनाथ जोशी !

भूमि-क्षरण की समस्या

691. **श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** (बांदीकुई) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की बांदीकुई पंचायत समिति क्षेत्र की भूमि, भूमि-क्षरण की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है तथा इस क्षेत्र की हजारों एकड़ भूमि जो सांघा, बाणगंगा तथा पलासन नदियों के किनारों पर व अन्य नालों के किनारों पर स्थित हैं वहां गहरे नले पड़ कर नाकाबिल काश्त हो चुकी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में पंचायत समिति, बांदीकुई के

Page No 7

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)
अधिकारियों व स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के बार-बार ध्यान दिलाने के बावजूद भी विभाग ने आज तक कोई व्यापक योजना इस क्षेत्र में भूमि-क्षरण को रोकने के लिये अब तक नहीं बनाई है और न अन्य कोई कार्य ही इस दिशा में आरम्भ किया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्त्तमान नाले निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं व प्रति वर्ष अधिकाधिक भूमि भूमि-क्षरण की शिकार होती जा रही है तथा प्रभावित किसानों को भारी नुकसान हो रहा है ?

(4) क्या उपरोक्त परिस्थितियों में राज्य सरकार शीघ्र ही इस क्षेत्र के लिये एक व्यापक योजना बनवा कर चालू वर्ष में ही कार्य प्रारम्भ करेगी ?

कृषि मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) :

(1) जी हां !

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है ।

(3) यह सही है कि नालों के आस-पास भूमि कटाव बढ़ता जा-रहा है ।

(4) बांदीकुई पंचायत समिति में भू-संरक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

श्री भानु कुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और मंत्री महोदय उत्तर दे रहे थे इसलिए सुनने में नहीं आया । फिर से सुनाया जाये ।

श्री अध्यक्ष : दुबारा सुना दीजिए ।

श्री परसराम मदेरणा : (1) जी हां ।

(2) जी नहीं ! यह सही नहीं है ।

(3) यह सही है कि नालों के आस-पास भूमि कटाव बढ़ता जा रहा है ।

(4) बांदीकुई पंचायत समिति में भू-संरक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : कब से आरम्भ किया गया है और कितनी लागत की योजना बनाई है इसके लिए ?

श्री परसराम मदेरणा : क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत भूमि संरक्षण का कार्य साबा में 27-4-72 को आरम्भ कर दिया गया है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह एक ग्राम है जिसका आपने जिक्र किया है जब कि यह समस्या बांदीकुई क्षेत्र के 95 गांवों में है । क्रेश प्रोग्राम शुरू किया इसका तो एक साल पहले निर्णय हो चुका था । यह प्रश्न पूछा गया है उसके संबंध में राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लिया । माननीय मन्त्रीजी की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास करके आपके पास भेजा है कि इस तहसील में भूमि-क्षरण की समस्या है और इसके लिए विशेष योजना बना कर इस कार्य को किया जाये ।

श्री परसराम मदेरणा : उस गांव के अलावा दूसरे एक हजार एकड़ का बीछीपुरा गांव में संरक्षण हो चुका है और प्लान एस्टीमेट्स बनाये जा रहे हैं और ज्योंही काम शुरू हो जायेगा भूमि-संरक्षण का

(श्री परसराम मदेरणा)
काम शुरू करा दिया जायेगा। दोनों ही ग्राम क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत हैं। इसके अलावा राज्य सरकार को जानकारी है कि जयपुर जिले की कुछ तहसीलों में और खासकर बांदीकुई तहसील में अकेले जमवारामगढ़, बैराठ, लालसोट और बस्सी के अन्दर भूमि का कटाव नदियों और नालों से होता हुआ जा रहा है। यद्यपि बड़ी योजना जिसके लिए मैं कह रहा हूँ अर्थाभाव के कारण इस तरह की बड़ी योजना हाथ में नहीं ली जा सकती लेकिन ज्यों-ज्यों राज्य सरकार के पास पैसा आयेगा क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत दोनों काम लिये गये हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : क्या इन परिस्थितियों में राज्य सरकार एग्रीकल्चर रीफाइनेन्स कॉर्पोरेशन के तहत साइल कन्जर्वेशन ओरियन्टेड स्कीम इन तहसीलों के लिए है उनको शीघ्र लागू कराने का विचार सरकार रखती है ?

श्री परसराम मदेरणा : एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट है उसको मैं हिदायत दे रहा हूँ कि कोई इस प्रकार की स्कीम फिजिबल है या नहीं। फिजिबल है तो स्कीम तैयार की जाये और उसके बाद में री-फाइनेन्स कार्पोरेशन को भेजेंगे और विचार करेंगे। पूरे देश में री-फाइनेन्स कार्पोरेशन को कितनी स्कीम उनको लेनी होती है और कितनी हाथ में है और यह बहुत बड़ा मामला है और स्कीम की वजह से भूमि का कटाव नहीं रोका जा सकता इसलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट का स्पेशल सैल जो कि स्कीम तैयार करता है उसको एक स्पेशल स्कीम तैयार करने के लिए मैं हिदायत दे रहा हूँ।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इरोजन का प्रश्न है जयपुर क्षेत्र के अन्दर और खासकर बांदीकुई क्षेत्र में बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न होती जा रही है। मुझे इस बात का सन्तोष है कि मन्त्री महोदय को इसका पता तो है किन्तु मैं यह जानना चाहूँगा कि मन्त्री महोदय यह तो एक साधारण प्रश्न है कि घास की जड़ें नदियों के दोनों किनारों के ऊपर बिल्कुल साफ खत्म हो गयी हैं और यह मिट्टी बहती हुई चली जाती है। हर मानसून में यह समस्या उत्पन्न होती जा रही है। इसमें विशेष खर्चे का प्रश्न भी नहीं है। यह तो बन्दोबस्त का, इन्तजाम का प्रश्न है मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि खास तौर पर घास की जड़ों को नालों के दोनों तरफ लगाइए। सोयल इरोजन को अरेस्ट करें और नहीं तो पेपर प्रपोजल से कागजी स्कीमों से कुछ नहीं होने वाला है। यह तो सिम्पल क्वेश्चन है। यह जो सिम्पल क्वेश्चन है, जो लोकल समस्या है जो हमेशा के लिए हल होती आ रही है, उस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ सोचिए।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य की राय से इत्तफाक करता हूँ लेकिन यह कह देना कि केवल कुछ दरख्त लगाने से और प्लान्टेशन करने से यह समस्या हल हो जाएगी तो यह इतनी आसान समस्या नहीं है। राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ी स्कीम जो भारत सरकार की सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम रेवाइन एरिया की है, कोटा में डेढ़ लाख रुपये की लागत से लागू की है। उसी तरह

Page No 9

(श्री परसराम मदेरणा)
से अगर आप जमीनों का कटाव रोकना चाहते हैं तो उसमें नालाबन्दी करना, कण्टूरबांधना और कई जगह भूमि समतल करने की, प्लाण्टेशन की स्कीम भी लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो भूमि का कटाव, पानी को डायवर्ट करना खेतों में, नालियां बनाना और प्लाण्टेशन करना। इस प्रकार की चार स्कीमें हैं। इन स्कीमों को हाथ में लेने के लिए राज्य सरकार के पास में केवल नालियां बनाने के लिए 20 प्रतिशत अनुदान का प्रोविजन है, भूमि समतल करने के लिए 10 परसेंट का, कण्टूर बनाने के लिए 15 परसेंट का अनुदान देने का प्रोविजन है। लेकिन यह प्रावधान बजट में होते हुए भी जो इसका लोन कम्पोनेंट है यह स्कीम नेशनेलाइज्ड बैंक से लिया जाय और नेशनेलाइज्ड बैंक से हर आदमी को जब तक उसकी एप्लीकेशन मंजूर नहीं होती उस समय तक अनुदान का फायदा नहीं मिल सकता है। इसलिए यह स्कीम नेशनेलाइज्ड बैंक से लोन लेने की है। बाकी रही बहुत बड़ी स्कीम लेने की बात तो इसमें बहुत बड़ा खर्चा भी करना पड़ेगा। नाले और नदियों से भूमि के कटाव को रोकने के लिए और भूमि को बचाने के लिए बहुत बड़ी स्कीम हाथ में लेनी पड़ेगी। उसमें लाखों रुपयों का खर्चा होगा। इसलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो स्पेशल सेल है और री-फाइनेंस कार्पोरेशन जो भूमि समतल के लिए धन-राशि देती है, इसके तहत स्पेशल स्कीम हाथ में लेने की इजाजत मैंने दे दी है।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि आप माने या न माने यह आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस सम्बन्ध में काश्तकारों का सहयोग प्राप्त करना परमावश्यक है। काश्तकार जानता है कि भूमि के कटाव का क्या कारण है। काश्तकार अपने खेतों को बचाने के लिए घास लगाता है, घास वहां पर चरने नहीं देता। अगर काश्तकार का आप सहयोग प्राप्त करेंगे आजमाइशी तौर पर, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, दो मील लम्बा और दो मील चौड़ा टुकड़े के अन्दर एक्सपेरीमेंटेशन करेंगे तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा। वरना तो सरकार की यह कागजी स्कीमें जो हैं उसका तो बहुत अनुभव है, कटु अनुभव है मुझे। ये सब कागजों पर पड़ी रह जाती हैं, लाखों रुपया खर्च होता है और जो कुछ खर्चा भी होता है उसमें भी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आधा तो खर्च होता है और आधा आपाधापी में खर्च होता है। क्या मंत्री महोदय सरल तरीके को अपना कर काश्तकार का सहयोग प्राप्त करना उचित नहीं समझते ? नहीं मानते तो आपकी मर्जी, मत मानो।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल भदादा !

श्री परसराम मदेरणा : काश्तकार को टेक्निकल सलाह देने को हम हमेशा तैयार हैं। माननीय सदस्य चाहें तो मैं इस बात के लिए कि टैक्निकल एडवाइज की किसी काश्तकार को जरूरत हो तो वह तुरन्त दी जाय, मैं विभाग को आदेश देने को तैयार हूँ कि वह काश्तकारों के खेतों में जावे और टैक्निकल सलाह दे।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई टैक्निकल एडवाइज की जरूरत नहीं है.......

Page No 10

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : माननीय सदस्य का तात्पर्य है कि जो प्रेक्टिकल एडवाइज काश्तकार को दी जा सकती है उसका आप कोई सर्वेक्षण करवा लें ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो यह चाहता हूं कि कोई भी बात हो टैक्निकल और कॉमन विजडम के साथ सम्बद्ध हो । कॉमन विजडम एक्वायर करने के लिए····

श्री लक्ष्मणसिंह : टेस्ट ऑफ टाइम है, अनादिकाल से बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है यह चीज । सरल रूप से यह सायल इरोजन को अरेस्ट कर सकते हैं । आप न मानें तो आपकी मर्जी है, आपके कर्मचारी न मालूम क्या एडवाइज देते हैं मेरी तो समझ की बाहर की बात है ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो ज्यादा काम कॉमन सेंस से लेता हूं ।

श्री लक्ष्मणसिंह : आपके पास कॉमन सेंस है लेकिन आप मुझे क्षमा करेंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, मैं किसी पर एक्सपर्शन नहीं करना चाहता लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मेरे खयाल से आप मेरी सर्किल में बंधे हुए हैं और कुर्सी पर बैठ कर आप टेबल वर्क जानते हैं, फील्ड वर्क कोई मंत्री जानता नहीं है आप मौके पर जाकर देखें । सैकड़ों बीघा जमीन इस तरह से बह कर हर साल नदी के भीतर शरबत की तरह से घुलती जा रही है, अच्छी से अच्छी जमीन । इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए वरना यह कैसी सोशलिस्टिक सरकार है और जनतांत्रिक सरकार

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल भदादा !

श्री दिनेशराय डांगी : यह आपाधापी का क्या मतलब है हमारी समझ में नहीं आया ।

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे से स्पष्टीकरण क्या कराते हैं····

एक माननीय सदस्य : अपने जमाने में आप काफी कर चुके हैं ।

प्र० सं० 692

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल भदादा !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री केसरीमल !

दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के एनफोर्समेंट का कार्य

693. **श्री केसरीमल** (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के एनफोर्समेंट करने का कार्य श्रम विभाग को दिए जाने का निर्णय श्रम सलाहकार मंडल की बैठक में लिया गया था ? यदि हां, तो यह कार्य कब से इस विभाग को सौंपा जा रहा है ?

(2) अभी तक इस कार्य को श्रम विभाग को उद्योग विभाग ने क्यों नहीं सौंपा ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) :

(1) जी हां । यह प्रश्न अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

Page No 11

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(2) मितव्ययिता की दृष्टि से यह कार्य उद्योग विभाग को सौंपा गया था। इस कार्य को वापस श्रम विभाग को देने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री केसरीमल : मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करें कि यह जो मामला है, वह श्रम विभाग से सम्बन्धित है क्योंकि यह श्रमिकों से सम्बन्धित है और श्रम विभाग के पास होने से श्रमिकों के हित में ज्यादा अच्छी तरह से काम हो सकता है। आप भी मानते हैं कि यह श्रम विभाग से सम्बन्धित है तो फिर इसे उद्योग विभाग को क्यों दिया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया कि जिस वक्त यह कार्य उद्योग विभाग को दिया गया उस समय मितव्ययिता की दृष्टि से ही दिया गया कि यह विभाग दोनों काम कर सकेगा, लेकिन उसके बाद में श्रम सलाहकार मण्डल के सुझाव पर राज्य सरकार विचार कर रही है कि इसे वापिस श्रम विभाग को दे दिया जाय।

श्री केसरीमल : यह कब का सुझाव है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : श्रम सलाहकार मण्डल ने अपने छठे प्रतिवेदन में इस प्रकार की सिफारिश की है....

श्री केसरीमल : यह सुझाव कब आया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उनकी जो 6, 7 और 8 अक्टूबर, 1968 की बैठक हुई थी उसमें यह सुझाव दिया गया था।

श्री केसरीमल : अब तक श्रम विभाग के पास यह कार्य क्यों नहीं भेजा गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अब तक निर्णय नहीं हुआ इसलिए नहीं भेजा गया।

श्री केसरीमल : 68 से अभी तक निर्णय नहीं हुआ तो कब तक निर्णय हो जाएगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं निश्चित तिथि तो नहीं बतला सकती लेकिन राज्य-सरकार का निर्णय होने पर जल्दी ही भेज देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 7 वर्ष तो हो गए निर्णय नहीं हुआ। सोरी, चार वर्ष हो गये, चार वर्ष और लग जायेंगे क्या इसमें।

श्री अध्यक्ष : श्री नानालाल !

ऊन का उत्पादन

694. **श्री नानालाल** (राजसमन्द) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भारत में जितनी ऊन उत्पन्न होती है उसकी आधी ऊन केवल राजस्थान में ही उत्पन्न होती है ? यदि हां, तो राज्य में प्रति वर्ष कितनी ऊन उत्पन्न होती है ?

(2) क्या यह सही है कि ऊन उत्पादकों को अपनी ऊन राज्य के बाहर बेचनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या राज्य में उसकी कोई उचित व्यवस्था नहीं है ?

Page No 12

(श्री नानालाल)

(3) क्या यह भी सही है कि ऊन के द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ? यदि हां, तः उससे राज्य सरकार कितनी प्राप्त करती है ?

(4) क्या यह सही है कि उदयपुर डिविजन में जो ऊन उत्पन्न होती है उसका उपयोग राजस्थान में नहीं होता है ? यदि हां, तो ऊन उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान की अधिक ऊन कालीन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जाती है और वहां बहुत बड़ी मात्रा में कालीन बना कर उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । यदि हां, तो क्या राज्य सरकार यहां भी कालीन उद्योग स्थापित करने की कोई योजना बना रही है ?

(6) क्या यह सही है कि ऊन उत्पादकों को मंडियों में उसका उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है ? यदि, हां तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई व्यवस्था की है ?

(7) क्या यह सही है कि ऊन उत्पादकों की ऊन जो क्रय-विक्रय समिति द्वारा मंडियों में बेची जाती है तथा जो धनराशि समिति तय करती है वह राशि क्या आड़तियों द्वारा उत्पादकों को पूरी मिल जाती है ? यदि हां, तो उत्पादकों को समिति द्वारा निर्धारित राशि क्यों नहीं मिलती ?

पशुपालन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) :

(1) जी हां, यह सही है कि राज्य में लगभग 140 लाख किलोग्राम ऊन पैदा होती है जो देश की पैदावार का 40-45 प्रतिशत है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां, राज्य सरकार को कोई विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं होती ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी हां, राजस्थान की ऊन देश के अनेक स्थानों पर कालीन बनाने के काम आती है जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है । कालीन उद्योग की स्थापना का विभाग से सम्बन्ध नहीं है ।

(6) ऊन उत्पादकों को उचित मूल्य मिले इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने ऊन की खरीद की योजना सन् 1964 से प्रचलित की है ।

(7) ऊन उत्पादकों की ऊन बेचने हेतु कोई क्रय-विक्रय समिति नहीं है । अतः उत्पादकों को निर्धारित राशि मिलने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नानालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रश्न है, इसमें ऊन के उत्पादनकर्ता का तो एक वर्ग है किन्तु रोजगार सभी वर्ग को मिल सकता है। राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे तो कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। ऊन की छटाई करने वाले को रोजगार मिल सकता है, ऊन की धुलाई करने वाले को रोजगार मिल सकता है, इसके बाद ऊन की धुनाई करने वाले को रोजगार मिल सकता है, इसके बाद ऊन की सफाई करने वाले को रोज-

(श्री नानालाल)
गॉर मिल सकता है। इसके बाद कालीन बनाते हैं तो ऊन की रंगाई करने वालों को रोजगार मिल सकता है, इस प्रकार अनेक लोगों को रोजगार मिल सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार को पता है कि किससे किसको रोजगार मिल सकता है। राजस्थान में जो ऊन पैदा होती है उसको यूटिलाइज करने के लिए स्टेट सेक्टर के अन्दर बीकानेर में ऊन की मिल की स्थापना की गई है ताकि काश्तकारों को और भेड़ पालकों को उचित दाम मिले। राज्य सरकार प्रति वर्ष 55 लाख से 60 लाख रुपयों की ऊन भेड़ पालकों के पास से खरीदती है। 1971-72 के साल में 58,39,407 रुपयों की ऊन भेड़ पालकों से खरीदी गई बाकी ऊन के कम्पीटिशन में छोटे व्यापारी हैं। राज्य सरकार बड़े पैमाने पर ऊन खरीद करने के लिये पूरा का पूरा व्यापार अपने हाथ में लेने में अर्थाभाव के कारण असमर्थ है।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो 140 लाख किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है तो राजस्थान की कौनसी मण्डी में सब से अधिक मात्रा में इसकी उपलब्धि होती है।

श्री परसराम मदेरणा : बीकानेर, केकड़ी और ब्यावर ये तीन प्रमुख मण्डियां हैं। इसके अलावा और भी कई छोटी-छोटी मण्डियां हैं और छोटे-छोटे व्यापारी तहसील हैडक्वार्टर पर ऊन की खरीद करते हैं।

श्री नानालाल : जहां पर एक करोड़ और 44 लाख की ऊन पैदा होती है, वहां पर सरकार केवल 60 लाख की ऊन खरीदती है, यह कैसी बात है। क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्र. सं. 695 श्री ज्ञानसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री मोहनलाल छंगानी !

आयोजना (जनशक्ति) विभाग

696. श्री **मोहनलाल छंगानी** (फलौदी): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा आयोजना (जनशक्ति) विभाग की स्थापना कब की गई ?

(2) आयोजना (जनशक्ति) विभाग की स्थापना से लेकर मार्च, 1972 तक कितनी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी इन्जीनियर पंजीबद्ध किये गये ? वर्षवार आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) आयोजना (जनशक्ति) विभाग की स्थापना से लेकर मार्च, 1972 तक कितने डिग्री एवं डिप्लोमाधारी इन्जीनियरों को रोजगार दिलाया गया ? वर्षवार आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि 1970 में राज्य सरकार ने बेरोजगार इन्जीनियरों

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
को वजीफा देने को घोषणा की थी ? यदि हां तो, अब तक कितने डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी इन्जीनियरों को कितनी-कितनी राशि दी जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

आयोजना मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : (1) आयोजना (जनशक्ति) विभाग की स्थापना 23 मार्च, 1967 में की गई।

(2) पंजीकरण का कार्य 1968 से आरम्भ हुआ। इसलिये सन् 1968 से किये गये पंजीबद्ध डिग्री एवं डिप्लोमाधारियों का वर्षवार ब्योरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	डिग्री	डिप्लोमा
1968	177	426
1969	698	1784
1970	501	1182
1971	519	729
1972	71	136
कुल	1966	4257

(3) पंजीकरण के आरम्भ होने से 1972 तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मुख्यतः निम्न डिग्री एवं डिप्लोमाधारियों की नियुक्ति हुई:—

वर्ष	डिग्री	डिप्लोमा
1968	177	426
1969	506	837
1970	115	128
1971	61	59
1972	—	—
कुल	859	1,450

(4) राज्य सरकार ने बेरोजगार डिग्री एवं डिप्लोमाधारी लोगों को सरकार के सक्रिय सहयोग से सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों में प्रेक्टिकल ट्रेनिंग दिलाने हेतु वृत्तिका देने की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 1972 तक 31 डिग्री, 170 डिप्लोमाधारियों को क्रमशः 16,150 रुपये, 2,01,443 रुपये वृत्तिका के रूप में दिये जा चुके हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो पंजीकरण होता है, उसमें कॉलेज से जो स्नातक निकल कर आते हैं उनकी बराबर संख्या का पंजीकरण होता है या जो अपने नाम लिखाते हैं उनका ही पंजीकरण किया जाता है। जो डिग्री और डिप्लोमाधारी की पंजीकरण की संख्या बताई गई है, वह कम है।

श्री **चन्दनमल वैद** : जो बेरोजगार होते हैं वे ही अपना पंजीकरण कराते हैं। जो नौकरी पर लग जाते हैं वे अपना पंजीकरण नहीं कराते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो कि नौकरी पर लग जाते हैं और फिर ऊंची नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिये वे भी पंजीकरण करा लेते हैं। जो राजस्थान से बाहर डिग्री प्राप्त करते हैं उनका पंजीकरण नहीं होता है। उन्हीं का होता है जो कि राजस्थान के रहने वाले होते हैं। इसलिये इनकी संख्या में फर्क होता है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो पंजीकरण के आंकड़े है, उससे कहीं अधिक बेरोजगार हैं।

श्री चन्दनमल वैद : आंकड़े ज्यादा हैं, बेरोजगार कम है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : बेरोजगार अधिक हैं और आंकड़े कम हैं। दूसरा प्रश्न यह था कि यह जो योजना लागू की गई थी कि उनको वजीफा देकर काम पर लगाया जायेगा, यह योजना असफल रही है। सिर्फ 31 मार्च, 72, तक 31 डिग्री और 170 डिप्लोमाधारियों को योजना में लगाया गया है। अभी तक जिनको आपने नौकरी पर लगाया है, उनकी संख्या 859 डिग्रीधारी और 1457 डिप्लोमाधारी है जब कि पंजीकरण किये हुए बेरोजगारों की संख्या 1966 और 4257 क्रमश: डिग्री और डिप्लोमाधारी हैं। क्या राज्य सरकार इनको काम पर लगाने के लिये कोई योजना बना रही है? वरना इनकी स्थिति बड़ी बदतर होती जा रही है और यह चिन्ताजनक है। इसलिये इनकी बेरोजगारी को मिटाने के लिये, इनको काम पर लगाने की व्यवस्था क्या राज्य सरकार सोच रही है ताकि यह स्थिति कायम नहीं रहे।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार इन्जीनियरों को काम देने के लिये मैंने अपनी बजट स्पीच में कई बातों का जिक्र किया था और उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, इनकी जो स्थिति है वह शोचनीय है, इससे मैं इन्कार नहीं करता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 72 में एक को भी नौकरी नहीं मिली है। अभी तक जितनी भी सरकार द्वारा योजनाएं बनाई गई है धन्धों की वे असफल रही है। इन्डस्ट्रीयल मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन और इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट की योजनाएं असफल रही हैं, इसका क्या कारण है? क्या राज्य सरकार इनको काम धन्धे पर लगाने की कोई व्यवस्था कर रही है?

श्री अध्यक्ष : बहुत प्रश्न बाकी है। श्री अमृतलाल गहलोत!

प्रश्न संख्या 697

फिदूसर की खान

697. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर नगर में स्थिति फिदुसर पत्थर की खानों के लीज होल्डर्स ने कितनी धनराशि राज्य सरकार के पास डम्प रिमूवल फन्ड के रूप में आज तक जमा कर रखी है?

(2) किस-किस वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि और किस दर से जमा कराई गई?

(3) भविष्य में इस राशि का उपयोग करने का राज्य सरकार का क्या कार्यक्रम है?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) :

(1) वर्तमान में डम्प रिमूवल फण्ड में जमा राशि का योग 3 लाख 17 हजार है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री जुझारसिंह)

(3) इस राशि के अन्तर्गत विभाग द्वारा दो डम्पर ट्रक खरीदे गये थे। वे काफी अवधि तक काम में लाये गये। भविष्य के लिये विस्तृत योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आठ वर्षों से राज्य सरकार के पास में यह 3 लाख रुपया पड़ा हुआ है और इस पर कम से कम ब्याज की दर लगाई जाये तो वह करीब चार लाख हो जाता है। कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि जनता ने जो पैसा उसके विकास के लिये आपके पास जमा कराया गया है उसके लिये आपकी क्या योजना है ?

श्री जुझारसिंह : यह फण्ड इसलिये इकट्ठा किया गया था और उसके तहत वहां पर सहूलियतें देने का कार्यक्रम बनाया गया था। दो ट्रक खरीदे गये थे और आगे भी डिपार्टमेन्ट की योजना है उसके तहत तीन कम्प्रेशर, चार डम्पर और दो ट्रैक्टर खरीदने का है। इस फण्ड से यह योजना है कि इन मशीनों से काम को मेकेनाइज्ड वे में करने में सहूलियत होगी। जो छोटे-छोटे लीज होल्डर्स हैं वे इन चीजों को उपलब्ध नहीं कर सकते हैं और इसीलिये यह फण्ड तैयार किया गया था।

प्रश्न संख्या 698

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री पी० के० चौधरी !

राजस्थान इन्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन को प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये लेटर ऑफ इन्टेन्ट

699. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान इण्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन को जौइन्ट सेक्टर में जो 6 प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये लेटर ऑफ इन्टेन्ट मिला है, उनमें से प्रत्येक प्रोजेक्ट में इक्वीटी केपीटल का रेश्यो गवर्नमेन्ट फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन एवं प्राइवेट पार्टनर के अन्दर किस प्रकार रहेगा ?

(2) क्या सरकार ने इस प्रकार जौइन्ट सेक्टर में स्थापित किये जाने वाले उद्योग में प्राइवेट सेक्टर को इक्विटी केपीटल में क्या हिस्सा होगा ? इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की है या नहीं ? यदि हां तो वह क्या है ?

(३) जौइन्ट सेक्टर में स्थापित किये जाने वाले प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिये उसका लोकेशन यानि उसकी स्थापना कहां हो, इसमें ओवर राईडिंग से सरकार की होगी या प्राइवट पार्टनर्स की होगी ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि० को जिन उद्योगों के लिये आशय-पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) प्राप्त हुए हैं उनको संयुक्त क्षेत्र में (ज्वाइन्ट सेक्टर) स्थापित

Page No 17

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
करने पर इक्वीटी पार्टीसीपेशन निम्न प्रकार से होगा :—

(क)	राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	—26 प्रतिशत से कम नहीं
(ख)	संयुक्त क्षेत्र का निजी साझीदार	—25 प्रतिशत से अधिक नहीं
(ग)	वित्तीय संस्थायें तथा पब्लिक सब्संक्रिप्शन	—शेष

(2) राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है वरन् भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति के अनुसार प्राइवेट सेक्टर को इक्विटी केपीटल में हिस्सा 25 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जायेगा।

(3) संयुक्त क्षेत्र के प्रोजैक्ट्स के स्थान का चयन तकनीकी तथा आर्थिक फीजिबिलिटी, कन्सल्टिंग इन्जीनियर्स की सलाह तथा निगम व साझीदार के आपसी विचार विमर्श से होगा।

श्री पी० के० चौधरी : कौनसे साझीदार या पब्लिक इन्स्टीट्यूशन के साझीदार ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : दोनों के।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि सरकार पब्लिक सेक्टर के बजाय ज्वाइन्ट सेक्टर की बात पसन्द करती है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह आप किस बात पर बता रहे हैं ?

श्री पी० के० चौधरी : यह इस बात पर बता रहा हूँ कि अभी आपने ज्वाइन्ट सेक्टर में कुछ कारखाने लगाने की कोशिश की है। हिन्दुस्तान साल्ट्स ने लाइसेन्स मांगा है तो हिन्दुस्तान साल्ट्स तो पब्लिक सेक्टर का इन्स्टीट्यूशन है उसके साथ में साझेदारी क्यों पसन्द नहीं करते ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह प्रश्न दूसरे प्रश्न के दौरान भी उपस्थित हुआ था डेवलपमेंट कार्पोरेशन के सम्बन्ध में तो उसके जवाब में इसकी चर्चा की है और इसका जवाब यह था कि जहां तक हो सके पब्लिक सेक्टर को ही पार्टनर बनाया जाय बजाय प्राइवेट पार्टी के। इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होना चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी : तो फिर क्या दिक्कत है जब कि हिन्दुस्तान साल्ट्स ने भी लाइसेन्स के लिए एप्लाई किया है जब कि किसी कार्पोरेशन को अकेले चलाने के लिए लाइसेन्स दिया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : हिन्दुस्तान साल्ट्स उसको अकेले ही चलाना चाहता है। आपकी बात कोई स्पेसिफिक सामने आयेगी तब ही कुछ कह सकती हूं कि प्राइवेट पार्टी से क्यों किया है और पब्लिक सेक्टर से क्यों नहीं की।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपकी नीति तो यह है ना कि ज्वाइन्ट सेक्टर के बजाय पब्लिक सेक्टर को प्राथमिकता दी जाय। यह तो नीति निश्चित है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह मामले भारत सरकार से तय किये जाते हैं । इसमें राज्य सरकार कोई नीति तय नहीं करती है । राजस्थान सरकार की जो औद्योगिक नीति है उसके मुताबिक यह निश्चित है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : क्या यह समाजवादी व्यवस्था के बिल्कुल प्रतिकूल नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसका रिप्लाई चाहिए ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने यह कहा कि किस कारण से प्राइवेट कम्पनी में साझेदार बनना पड़ा यह अभी नहीं कह सकती, लेकिन यह बात सही है कि समाजवाद के मुताबिक प्राइवेट कम्पनी के बजाय पब्लिक सेक्टर की जो पार्टीज हैं उनको लेना ज्यादा उपयुक्त है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपके एक्शन में और आपकी नीतियों में तालमेल तो होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रश्न संख्या 700 ।

श्री पी० के० चौधरी : एक क्वेश्चन और रह गया है, अध्यक्ष महोदय । एक सप्लीमेंट्री और रह गया है ।

श्री अध्यक्ष : आप पूछते तो हैं नहीं ।

श्री पी० के० चौधरी : आपने बतलाया कि इस कम्पनी में 20 पर्सेन्ट तो आपके और प्राइवेट कम्पनी के 25 पर्सेन्ट इक्विटी केपीटल रहेगी ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : कार्पोरेशन के 26 पर्सेन्ट हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : कार्पोरेशन के 26 पर्सेन्ट हैं और प्राइवेट कम्पनी के 25 पर्सेन्ट और बाकी 49 पर्सेन्ट हैं तो यह इन्डीकेट नहीं किया कि इनमें पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स के कितने होंगे और प्राइवेट इन्डिविजुअल्स के कितने होंगे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : यह मूल नीति का प्रश्न है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इन्डस्ट्रियल और मिनरल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम राजस्थान में इसके मारफत लिया जा रहा है तो उसके बारे में नीति साफ होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : इसको हॉफ आवर डिसकशन के लिए रख दिया जाय ।

श्री पी० के० चौधरी : 25 पर्सेन्ट आपने बताया है । बाकी जो 49 पर्सेन्ट है उनमें से पब्लिक सेक्टर की इन्स्टीट्यूशन्स का क्या शेयर रहेगा और मार्केट में प्राइवेट इन्डिविजुअल्स का क्या शेयर रहेगा यह बताइये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया कि डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं कि यह जो भी पार्टनर्स हैं इनमें कौन-कौन इन्डिविजुअल्स होंगे और कितने पब्लिक सेक्टर के होंगे ।

Page No 19

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। यह जो रखा है 26 पर्सेन्ट तो अपना रखा है और 25 पर्सेन्ट प्राइवेट कम्पनी का रखा है और बाकी जो शेयर्स हैं उनको स्टेट बैंक्स खरीद सकती है, इन्डिविजुअल्स भी खरीद सकते हैं और दूसरी इन्स्टीट्यूशन्स भी खरीद सकती हैं। इसके अन्दर कोई बांध नहीं लगाना चाहते हैं। जहां तक समाजवादी नीति का सवाल है हम इन्डिस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉलो करते हैं। इस पॉलिसी के अन्दर सब चीजों के लिए जगह है। पब्लिक सेक्टर के लिए भी जगह है और ज्वाइन्ट सेक्टर के लिए भी जगह है और स्टेट एन्टरप्राइजेज के लिए भी जगह है इसलिए हम समाजवाद से अलग नहीं हो रहे हैं और न गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो पॉलिसी है और रूल्स एण्ड रेग्युलेशन्स हैं, उनसे हम डेवियेट हो रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : 49 पर्सेन्ट जो बाकी के हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि आपने कोई लिमिट नहीं रखी तो हो सकता है कि एन्टायर 49 पर्सेन्ट शेयर्स में से फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स मान लें कि 15 पर्सेन्ट शेयर्स लेती हैं और बाकी 30 पर्सेन्ट शेयर्स प्राइवेट इन्डिविजुअल्स लेते हैं तो 30 पर्सेन्ट और 25 पर्सेन्ट प्राइवेट पार्टनर के मिला कर 55 पर्सेन्ट हो सकते हैं हम चाहते हैं कि कम से कम प्राइवेट इन्डिविजुअल्स और आज जो आपके यह प्राइवेट पार्टनर्स हैं दोनों मिला कर उनका जो कन्ट्रीब्यूशन्स हैं दैट मस्ट नॉट एक्सीड 49 पर्सेन्ट।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरा भी एक प्रश्न है मुख्य मंत्रीजी से। वह प्रश्न यह है कि आप प्रायोरिटी किस को देंगे? आपका भारत सरकार से तालमेल है और उनकी नीति को आप फॉलो करते हैं तो यह दो चीजें आपके सामने हैं कि हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड जो पब्लिक सेक्टर में फंक्शन कर रहा है वह भी क्लेमेन्ट है और आपका ज्वाइन्ट सिस्टम भी मौजूद है तो हमें तो आपकी पॉलिसी तब टेस्ट में खरी उतरेगी जब आप पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी देंगे कि आप समाजवाद की पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय जहां तक वह हमारे इन्ट्रेस्ट में होता है सब के लिए ओपन है और जिस वक्त में लाइसेन्स मिलता है या लेटर ऑफ इण्डेन्ट मिलता है उस वक्त में हम इसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद में जो बेस्ट टर्म्स ऑफर करता है उससे हम नेगोसियेशन्स करते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान साल्ट्स के साथ आना चाहिये तो दूसरे को भी आना चाहिये बट नाट एट दी कास्ट ऑफ राजस्थान। इसलिए जो हमको बेस्ट पॉसिबल टर्म्स देता है उसको प्रायोरिटी देते हैं। अदर थिंग्स बींग इक्वल स्टेट के जो भी पार्टनर्स आना चाहते हैं और जो भी कॉर्पोरेशन आने चाहते हैं तो उनको डेफिनेटली प्रॉयोरिटी देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न है।

Page No 20

श्री अध्यक्ष : you have taken ample time. There are so many questions. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा ।

नगरपालिका प्रशासक सूरतगढ़ द्वारा ट्रान्सफर किये गये प्लाट

700. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (सूरतगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सूरतगढ़ नगरपालिका प्रशासक, श्री गुमानसिंह ने अपने कार्यकाल में कितने प्लॉट एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफर करके दिये ? इन ट्रान्सफर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी ? और ये ट्रान्सफर किन-किन व्यक्तियों को दिये गये हैं ?

(2) मूल प्लाटों व ट्रान्सफर में दिये गये प्लाटों की कीमत अलग-अलग क्यों आंकी गई ?

(3) क्या नगरपालिका को एक जगह से दूसरी जगह प्लाटों का ट्रान्सफर कर देने का अधिकार है ?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मूलचन्द) (1), (2) व (3) संबंधित रेकार्ड जांच में होने से चाही गई सूचनाएं दिया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तो यह कब तक सूचना दे देंगे ?

श्री मूलचन्द : यह एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट में कागजात भेजे गये हैं और वहा से जांच होकर आयेंगे तब ही देंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जांच तो चल रही है और एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में जांच लम्बी हो सकती है तो आप जानकारी देने के लिए एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट से सूचना मंगा सकते थे ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, यह मामला जांच में है वह जो संबंधित कागजात हैं वह एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में गये हुए हैं। यह जो सूचनाएं मांगी गई हैं सवाल में इसके मुताल्लिक कोई कागजात नहीं हैं इसलिए चाही गई सूचना नहीं दी जा सकती है, और माननीय सदस्य यह चाहें कि रेकार्ड मंगाया जाय तो फिर जांच को खत्म करने में देरी होगी तो मैं जांच का नतीजा आने के बाद उनको सूचित कर दूंगा । अभी अगर गिरदावरी मंगा ली जायगी एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट से तो उसमें देरी होगी तो जांच का जो नतीजा आयेगा उससे मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, तो इसको स्थगित किया जाय प्रश्न को ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर दें ?

श्री परसराम मदेरणा : जांच होने के बाद में मैं सूचित कर दूंगा । इसमें स्थगन का क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आप दुबारा पूछ लें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस सवाल के अन्दर जिन एडमिनिस्ट्रेटर का नाम आया है तो उन्होंने काफी गड़बड़ियां की थीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

तो उनके खिलाफ शिकायतें हुईं तो उसके बारे में एन्टी करप्शन से जांच हो रही है जो कि अब पूरी होने में है तो इस प्रश्न को स्थगित करदें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री हनुमानसहाय !

कोतटपूली में सीमेन्ट फैक्ट्री

701. **श्री हनुमानसहाय** (बैराठ) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि कोटपूतली (जयपुर) में सीमेंट फैक्ट्री लगाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा सर्वे कराया गया है, यदि हां, तो फैक्ट्री लगाये जाने की कब तक सम्भावना है ?

(2) क्या यह सच है कि कोटपूतली के 40 मील के क्षेत्र में अनेकों लाइम स्टोन एवं सीमेंट से संबंधित मेटेरियल काफी मात्रा में मौजूद है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री लगाये जाने का कब तक विचार है ?

(3) क्या यह सच है कि उक्त क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री लगाये जाने हेतु औद्योगिक संस्थान इच्छुक हैं ? यदि हां, तो लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु किस-किस के प्रार्थना-पत्र पैंडिग हैं ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बैनीवाल): (1) जी हां। एक कम्पनी ने सीमेंट फैक्ट्री लगाने के विचार से एक खनन पट्टे के लिए आवेदन-पत्र दिया है। कम्पनी को औद्योगिक लाइसेन्स लेना अनिवार्य है उन्होंने अभी तक कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया है।

(2) जी हां। सीमेंट बनाने लायक पत्थर की प्रचूर मात्रा में उपलब्धि है लेकिन पार्टी कितनी शीघ्रता से प्लान्ट लगायेगी, यह नहीं कहा जा सकता।

(3) जी हां, एक प्रार्थना-पत्र माइनिंग लीज के लिए श्री मुरलीधर झुन्झुनूवाला का राज्य सरकार के स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। कम्पनी ने औद्योगिक लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र नहीं दिये हैं। अतः विचाराधीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

नगरपालिकाओं को आर्थिक स्थिति

702. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अधिकांश नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति खराब है ?

(2) क्या राज्य सरकार नगरपालिकाओं को आर्थिक साधन व अधिक सुविधाएं जुटाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार मनोरंजन कर को नगरपालिकाओं को देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

(4) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय हो जावेगा ?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मूलचन्द) : (1) सामान्यतः नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक है।

(श्री मूलचन्द)

(2) निर्वाचित नगरपालिकाएं अपने आर्थिक साधन व सुविधाएं जुटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिये जाते रहे हैं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है।

श्री **मूलचन्द सामरिया** : अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कब-कब क्या प्रयास किये गये और उससे कितनी नगरपालिकाओं को रिलीफ मिला ?

श्री **मूलचन्द** : 5-1-72 के पत्र में यह स्पष्ट होता है कि इस संबंध में भीखाभाई ने कुछ निर्देश दिये थे और उस हेतु उन्होंने कुछ मार्ग-दर्शन जो दिया था उसका पालन किया जा रहा है।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : वे निर्देश क्या थे ?

श्री **मूलचन्द सामरिया** : क्या उनको अमल में लाकर सरकार ने जो कुछ किया है, उससे आर्थिक स्थिति सुधरी है ?

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : माननीय मंत्री महोदय यह उत्तर दे रहे हैं कि श्रीमान् भीखाभाई ने कुछ निर्देश दिये तो उसका कुछ हुआ है, क्या हुआ है, यह स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, वह बता दें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : माननीय अध्यक्ष, समय-समय पर राज्य सरकार ने इस बात के आदेश दिये हैं कि राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट की धारा 104 के अन्दर जितने भी ओब्लीगेट्री टैक्सेज हैं उनको लगायें। सदन स्वयं इस बात को जानता है कि हाउस टैक्स ओब्लीगेट्री टैक्स है लेकिन म्युनिसिपैलिटीज कई हाउस टैक्स नहीं लगाती हैं और अभि तक नहीं लगा रहीं है। जो म्युनिसिपैलिटीज हाउस टैक्स नहीं लगा रही है तो राज्य सरकार ने इस बात के लिए पाबन्दी लगाई है कि जिन म्युनिसिपैलिटीज को पर केपिटा ग्रान्ट दी जाती है वह ग्रान्ट हम उनको नहीं दे रहे हैं ताकि उनको प्रेशराइज किया जाय कि हाउस टैक्स लगायें। ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, ये अपने रिसोर्सेज को बढ़ायें, इस प्रकार के आदेश दिये गये हैं। जो भी स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने परिपत्र का जिक्र किया है यहां पर उसमें उन्होंने बड़े डिटेल में म्युनिसिपैलिटीज को इस बात का परामर्श दिया है कि आपके जो फन्क्शन्स हैं, आपकी जो ड्यूटीज हैं इनको परफार्म करने में अर्थाभाव की अड़चनों के कारण उन योजनाओं को हाथ में नहीं ले सकती हैं और सर्विसेज भी उपलब्ध नहीं करा सकती हैं, शहर की सफाई ठीक तरह से नहीं करा सकती हैं। इसलिए यह परामर्श दिया था भीखाभाई ने कि जो टैक्सेज हैं आक्ट्राय वगैरह के उनको रिवाइज करके अपने साधन बढ़ायें ताकि जिन शहरों की जनता के वे जन-प्रतिनिधि हैं, उस जनता को सेवाएं ज्यादा उपलब्ध करा सकें। इस प्रकार का परिपत्र था मंत्रीजी की तरफ से दिया गया था और विभाग ने भी समय-समय पर इस बात का परामर्श दिया है कि अपने रिसोर्सेज को बढ़ायें। ओक्ट्राय रिवाइज

(श्री परसराम मदेरणा)
हुई हैं। उदयपुर, जयपुर में भी हुई हैं। रिपरक्शन्स भी आते हैं। हड़तालें भी होती हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो लोकल बोडीज हैं, वह अपने साधन बढ़ायें। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपने साधन बढ़ायें। राज्य सरकार ने जो आपको पॉवर्स दिये हैं, उनको आप काम में लें। राज्य सरकार भी आपको परामर्श देती रहेगी। (व्यवधान)

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह स्वायत्त शासन संस्थाओं पर ऑब्लीगेटरी टैक्स है। वह स्वयं लगाये या नहीं यह म्युनिसिपैलिटी का विषय होना चाहिए। म्युनिसिपल एक्ट का नियम 104 जो आपने बताया है, यह तो ऑब्लीगेटरी टैक्स हो गया है। फिर यह स्वायत्त शासन संस्था कैसे रही ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, यह सदन ने ही आदेश दिया है। यह सदन की ही आज्ञा है कि म्युनिसिपैलिटीज के जरिये से हाउस टैक्स लगना चाहिए। उस निर्णय का पालन करना चाहिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : तब तो अच्छा यही हो कि ये नगर पालिकायें भंग करके राज्य सरकार ही चलाये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह नगर पालिका भंग करने का सवाल नहीं है। यह तो नीति है। जो भी संस्थाएं हैं, वह सेल्फ सफीसिएन्ट रहें, इसलिए ऐसा है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : प्रश्न यह है कि स्टेट और लोकल बॉडीज के आपसी रिलेशन्स के लिए सरकार एक ऐसा कमीशन बनाये जो कि यह तय करें कि स्टेट और लोकल बॉडीज के रिलेशन्स और फाइनेन्शियल पैटर्न क्या हों। सरकार को ऐसा कमीशन क्यों नहीं नियुक्त करना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : अभी यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : म्युनिसिपैलिटी के लोगों को परेशानी है। राज्य सरकार क्या मदद कर सकती है। राज्य सरकार कोई कमीशन नियुक्त करे जिससे कि राज्य सरकार से मदद भी मिलती रहे।

श्री परसराम मदेरणा : स्टेट और लोकल बॉडीज के सम्बन्ध मधुर रहने चाहिए। यही हमारी धारणा है। सैन्ट्रल और स्टेट के बीच में यह बात चल रही है। प्रधान मन्त्री ने मदुराई में ऐसा भाषण भी दिया था। जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया, राज्य सरकार इससे परिचित है। समय-समय पर मुख्य मन्त्री महोदय, इस मुद्दे पर प्रकाश डालते रहे हैं। इसलिए मुझे इस पर कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : सिनेमाओं की आय आपने अपने हाथ में ले ली है। पहले रुपये में 5 पैसा था। आज एक रुपये में 65 पैसा है। 1953 में म्युनिसिपैलिटी को मनोरंजन कर देने से रोका था। आज उसको रिवाइज करने का विचार रखा है। (व्यवधान)

Page No 24

श्री अध्यक्ष : सबको सुनना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो मेरा यह सुझाव है, कल भी मैंने यह कहा था कि म्युनिसिपैलिटी को इस आय में से पैसा मिलना चाहिये। इसको आगे स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन है कि मैं उनके सप्लीमेन्ट्री का जवाब दे चुका हूँ। प्रश्न में पूछा गया है कि क्या राज्य सरकार मनोरंजन कर को नगरपालिकाओं को देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? मैंने उत्तर में कहा है जी नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को यह ध्यान दिला दूं कि यह सन् 57 में दुबारा पेश किया गया था। मैं उस समय स्वायत्त शासन मन्त्री था। उस समय इनके जो नेताजी थे, उनके कहने से और उनके परामर्श से इसको यूनेनीमस पास कराया है। माननीय भैरोंसिहजी जो जनसंघ के नेता थे। वह उस कमेटी के सदस्य थे। उस समय म्युनिसिपल संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित किया था। इसलिये जानबूझ कर सदन की राय से यह पास किया गया था।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप किस के बारे में कह रहे हैं। राजस्थान के भू० पू० मुख्य मन्त्री ने मैनीफेस्टो निकाला है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो सदन ने कानून बना दिया है, उसको म्युनिसिपैलिटी को पालन करना है। जब जनसंघ की नगर परिषद् थी, तभी तक यह व्यवस्था थी। अब कांग्रेस की है तो कोई प्रश्न नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कानून का सवाल है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : कानून का सवाल जनसंघ के लिये है। जनसंघ की परिषद् हो तभी तक यह कानून है। आज कांग्रेस की परिषद् है जो कि हाउस टैक्स वसूल नहीं कर रही है, अब आप कार्यवाही कीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून तो बनाया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : गुप्ता साहब, पहले आप आगे बैठते थे, अब आप पीछे बैठते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो जनसंघ की फाइल में देख लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था के तत्वाधान नगर परिषद् के अध्यक्षों का जो सम्मेलन हुआ, उसमें भीखाभाई ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये यह सुझाव दिया है कि मनोरंजन कर वापिस नगरपालिकाओं को दे दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन करूंगा कि यह तो सदन का निर्णय है। राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेना दूसरी बात है। यह सदन का निर्णय है। जैसा कि मैंने निवेदन किया है। आप मुझ से डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। तो आप जो मुद्दा उठा रहे हैं विचार के लिये फाइनेन्स

(श्री परसराम मदेरणा)
मिनिस्टर को भेज दूं तो फाइनेन्स मिनिस्टर की वेज एण्ड मीन्स की पोजिशन भी टाइट है, इसलिये वह भी नहीं कर सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, अब आप एक कम्बल वाले को भी सवाल पूछ लेने दीजिये, गोटेवाला में मीठा ज्यादा है क्या ?

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि सारे राजस्थान में जो नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति की दुर्दशा है, जिसकी वजह से जगह-जगह हड़ताल हो रही है, तनख्वाह पे अप नहीं हो रही है, राणावत पे कमीशन के अनुसार यहां तक कि मैला सिर पर ढोने वाले को भी नहीं दे पा रही है, सब जगह म्युनिसिपैलिटीज हैं, सबसे बड़ी जयपुर म्युनिसिपैलिटी है, उसकी स्थिति दुर्लक्ष्यपूर्ण है। ऐसी हालत में म्युनिसिपैलिटी की ओर ध्यान देना पड़ेगा। माननीय सदस्य का प्रश्न बड़ा गम्भीर है और इस मनोरंजन कर के सम्बन्ध में जब से विधान सभा बनी है तब से म्युनिसिपैलिटी की मांग रही है कि आप उसमें से उनका हिस्सा नगरपालिकाओं को दें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बिल्ड अप हो। यह प्रश्न गम्भीर है, मैं मुख्य मन्त्री से कहूंगा, आप इस प्रश्न के सम्बन्ध में आश्वासन सदन को दें ताकि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधर सकें।

एक माननीय सदस्य : पचीस पर्सेन्ट दे दीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, प्रोफेसर केदारजी ने जो सुझाव दिये है उसके साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति है....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : हाण्डाजी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : केदारजी ने दिया था पहले।

श्री लक्ष्मणसिंह : उन्होंने सुझाव दिया। म्युनिसिपैलिटी और स्टेट के ताल्लुकात, रिलेशनशिप है, वह ओवर लेपिंग है, इसलिये ईअर्ली डिफाइण्ड हों फंक्शन और रेस्पान्सिबिलिटी और जो कुछ आमदनी का शेअर, हिस्सा देने की व्यवस्था है उस बारे में सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार अवश्य करना चाहिये। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं यह नहीं कह सकता कि सरकार ओवर राइडिंग ऑथोरिटी नही रखे। सरकार को ओवर राइडिंग ऑथोरिटी अवश्य रखनी चाहिये, किन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा, किसी न किसी तरह से जो नॉन-कांग्रेस काम्प्लेक्शन की म्युनिसिपैलिटी हैं उनको प्रेसराइज करना है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नॉन कांग्रेस की हैं उनको प्रेसराइज करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा प्रश्न तो सुन लीजिये, बाद में जो कुछ करना हो कान्ट्रेडिक्शन वह आप सहर्ष कर सकते हैं, माननीय सदस्य ! मेरा तो यह निवेदन है, यह अस्वस्थ परम्परा है, यह अनहैल्दी स्टेप है, नॉन कांग्रेस म्युनिसिपैलिटी को प्रेसराइज करना, और यह भी मैंने अकसर देखा है, जब कांग्रेस की म्युनिसिपैलिटी हो

(श्री लक्ष्मणसिंह)

जाती है, बरिऊल जुमा होकर हाउस टैक्स नहीं लेने के लिए भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो जाता है। मेरा ख्याल है, होट एण्ड कोल्ड एक ब्रेथ में आप ब्रेद करते हैं, एक नीति के सम्बन्ध में, एक बात के सम्बन्ध में दो नीति निर्धारित करना मेरे ख्याल में अस्वस्थ परम्परा है, इस प्रकार प्रेसराइज करना स्वायत्त शासन सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए यह परमावश्यक है कि रिलेशनशिप डिफाइन्ड होनी चाहिए और अन्ततोगत्वा यह निवेदन करना चाहूंगा, एन्टरटेनमेंट टैक्स का फिफ्टी पर्सेन्ट भी इन स्वायत्त शासन संस्थाओं को अनुदान के रूप में देंगे तो मेरे ख्याल में जो राजस्थान के अन्दर सिर पर मेला ढोने की जो व्यवस्था है, शर्मनाक व्यवस्था है, आज बाइस साल स्वतंत्रता के पश्चात् भी आप यह व्यवस्था चलाये जा रहे हैं, उसके अन्दर भी कुछ कमी हो सकती है। इसलिए मैं सरकार को पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि आपके और केन्द्र की रिलेशनशिप जिस तरह डिफाइन्ड है, उसी तरह से स्टेट और म्युनिसिपैलिटी की रिलेशनशिप डिफाइन कीजिये, आप ओवर राइडिंग ऑथोरिटी रखिये उसमें मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन कुछ न कुछ जब तक नहीं देते हैं तब तक स्वायत्त शासन स्थाओं को सेल्फ सफिसियेन्ट नहीं बना सकते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष (स्वायत्त शासन मंत्री से), आप जवाब दे रहे हैं क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय स्टेट सेन्टर के रिलेशनशिप के सम्बन्ध में जो सबसे बड़ी बात है, वह गवर्नमेंट की ऑटोनामी है। ऑटोनामी का जहां तक प्रश्न है, स्टेट और म्युनिसिपैलिटी के रिलेशनशिप का प्रश्न है, उसमें वह मैक्जिमम ऑटोनोमी एन्जॉय कर रही है, उसमें स्टेट इन्टरवीन नहीं करना चाहता।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं म्युनिसिपैलिटी का नहीं चाहता हूं, मैं म्युनिसिपैलिटी को डिबेटिंग सोसाइटी में रिड्यूस नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष : सुनिये बाद में फर्मा दीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : छोटी-छोटी पंचायतों के माफिक म्युनिसिपल कौंसिल को एक हास्यास्पद स्थिति, बिग जोक में रिड्यूस नहीं करना चाहता, लेकिन यह क्या व्यवस्था है।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी बात उठाई गई, सिर पर मेला ढोते हैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कुछ करना चाहिए। राज्य सरकार भारत सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत कर रही है और राज्य सरकार को इस बात की आशा है कि निकट भविष्य में ही भारत सरकार से हमको धनराशि उपलब्ध होगी ताकि सिर पर मेला ढोने की, नाइट सोइल ढोने की बात है, उसे इस धनराशि से पन्द्रह अगस्त के आसपास खत्म कर सकें।

जहां तक टैक्सेशन के जुरिस्डिक्शन का मामला है, माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये थे बजट के वक्त, बजट पर आम चर्चा हुई उस वक्त, टैक्सेशन बिल पर चर्चा हुई

Page No 27

(श्री परसराम मदेरणा)

उस वक्त और वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है, जहां तक टैक्स लगाने का प्रश्न है म्युनिसिपैलिटी भी सभी प्रकार के टैक्स नहीं लगा सकती, आज राज्य सरकार भी आप देखते हैं, बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया, लेकिन जो सेल्स टैक्स लगा हुआ है कुछ आर्टिकल्स पर, वह हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है, बारह पर्सेन्ट। तो टैक्सेशन के पाइन्ट पर, मैं निवेदन करता हूं, राज्य सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए, म्युनिसिपैलिटी की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव है, म्युनिसिपैलिटी को इस प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए कि वह अपने रिसोर्सेज को अपग्रेड कर सके। बहुत सी म्युनिसिपैलिटी से एन्टरटेनमेंट टैक्स वापस लेने के बाद भी उनके द्वारा जो ऑक्ट्राय लगाई जा रही है, वह काफी साल पहले की ऑक्ट्राई है, उसमें उन्होंने तरमीम नहीं किया। हमने उनसे परामर्श किया उसके बाद भी जनता के डिस्प्लेजर को इन्वाइट नहीं करना चाहती है। सही मायने में जनता की सेवायें करनी हैं और दूसरी बातें जो हैं उनमें निश्चित रूप से सुधार आना चाहिए जैसे मेला ढोने की बात है वह समाप्त होनी चाहिए-इसके लिए म्युनिसिपैलिटी को अपने रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत जरूरी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये परीशिष्ट-2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

काश्तकारों को ऋण

692. **श्री भंवरलाल भदादा** (भीलवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में राष्ट्रीयकृत शिड्यूल बैंक कौन-कौन से हैं और किस-किस ने सन् 1971-72 में किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना ऋण कितने काश्तकारों को दिया ?

(2) इस समय किस किस बैंक में कितने लोगों की किस किस काम की कितनी ऋण लेने के लिये अर्जियां पेंडिंग हैं ?

(3) इन विचाराधीन पत्रावलियों का ऋण कब तक दे दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा स्थित राष्ट्रीयकृत शिड्यूल बैंकों ने 10 मील की परिधि के दो ही गांवों में ऋण राशि देने का नियम बना रखा है ? यदि हां, तो फिर दूरस्थ गांवों के काश्तकारों को ऋण कहां से मिलेगा ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 31-12-1971 को राष्ट्रीयकृत बैंकों को शाखाएं निम्न प्रकार थीं :—

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर व जयपुर	11
सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	1

(कृषि मंत्री)

पंजाब नेशनल बैंक	1
बैंक ग्राफ् बड़ौदा	1

इसके अतिरिक्त बैंक ग्राफ् राजस्थान की भी, जो राष्ट्रीयकृत नहीं हुआ, 5 शाखाएं हैं। किस किस बैंक ने किस कार्य के लिए कितना-कितना ऋण दिया, इसकी सूचना रिजर्व बैंक से प्राप्त नहीं हो सकी। राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामलों का सम्बन्ध राज्य सरकार से न हो कर भारत सरकार से है।

(2) रिजर्व बैंक के पास यह सूचना उपलब्ध नहीं कि इन बैंकों से कितनी अर्जियां पैण्डिग हैं।

(3) इस प्रश्न का सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है।

(4) यद्यपि इस प्रश्न का सम्बन्ध भी राज्य सरकार से नहीं है, सरकार इस समस्या को रिजर्व बैंक के ध्यान में ले आयेगी।

राज्य से प्रकाशित होने वाले पत्रों को विज्ञापन

695. **श्री ज्ञानसिंह** (भादरा) : क्या जन-सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के पत्रों को प्रान्त के बाहर से प्रकाशित होने वाले पत्रों की तुलना में कितने विज्ञापन दिए जाते हैं ?

उत्तर

विज्ञापन प्रसारित करते समय प्रायः विज्ञापन का प्रकार, क्षेत्र की उपयोगिता, पत्र के प्रसारण, विज्ञापन की व्ययता, संबंद्धता एवम सफलता को दृष्टिगत कर राज्य सरकार विज्ञापन प्रसारित करती है। प्रान्तीय व प्रान्त के बाहर से प्रकाशित होने वाले पत्रों का तुलनात्मक नियंत्रण न तो संभव है और न ही आवश्यक, क्योंकि केवल बजट के संतुलन को ध्यान में रख कर विज्ञापन दिये जाने से विज्ञापन लक्ष्य की प्राप्ति करना संभव नहीं है। फिर भी राज्य-सरकार द्वारा अधिकतर प्रान्त से निकलने वाले पत्रों को ही प्राथमिकता दी जाती है। प्रचार एवं विज्ञापन के महत्व को ध्यान में रख कर ही बाहर के पत्रों को विज्ञापन दिये जाते हैं।

ग्राम मूंदड़ा की जल प्रदाय योजना

698. **श्री रावतराम** (छापर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मुन्दड़ा, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू के लिये जल प्रदाय योजना विभाग द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो इस योजना में कितने और कौन कौन से गांव शामिल किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना का सर्वे कब हुआ ? सर्वे रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें तथा इसकी स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम तेलाप जिसमें पानी खारा है, को इस योजना में शामिल कर लिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां, इस योजना में सम्मिलित ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त योजना का सर्वे माह फरवरी, मार्च 72 में किया गया था तथा योजना बनाई जा चुकी है। अभी इस योजना की तकनीकी जांच की जा रही है अतः प्रतिलिपि सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकती।

(3) यह ग्राम इस योजना में सम्मिलित नहीं है इस ग्राम के पानी की जांच हेतु सैंपल एकत्रित किया जाकर पानी की जांच की जा रही है।

(परिशिष्ट 3 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका डीडवाना द्वारा भूमि का बेचान

271. **श्री भीमाराम** (डीडवाना) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला नागौर के कस्बा डीडवाना की नगरपालिका ने इस कार्यकाल में कार्यभार संभालने की तिथि के बाद किस-किस व्यक्ति को नीलामी से व किस-किस व्यक्ति को सीधी कीमत से कितनी-कितनी भूमि कितने कितने रुपयों में किस-किस तारीख को विक्रय की एवं उनकी बेचान की रजिस्ट्रियां किस-किस तारीख को कराई गई ?

उत्तर

दो सूचियां पूर्ण सूचनाओं सहित संलग्न हैं।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

सघन पशु विकास योजना के अन्तर्गत व्यय की गई राशि

272. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सघन पशु विकास योजना बीकानेर में कब शुरू हुई ?

(2) उक्त योजना के बजट से अब तक कहां-कहां कितनी-कितनी कीमत की बिल्डिंग्स बनाई जा चुकी हैं ?

(3) उक्त योजना के बजट से पेय जल के लिये किन-किन गांवों में किस-किस कार्य के लिये कितना-कितना खर्च हुआ है ?

(4) अब तक किन-किन गांवों में सब सेण्टर्स की बिल्डिंग्स नहीं बनी हैं ?

(5) प्रत्येक वर्ष में बिल्डिंग्स मद में कितनी-कितनी राशि का उपयोग किन कारणों से नहीं किया जा सका ?

उत्तर

(1) 17 सितम्बर, 1967

(2) सूची संलग्न है (एनेक्सचर 'ए')।

(3) सूची संलग्न है (एनेक्सचर 'बी')।

(4) 1. कपूरीसर 2. बालादेसर
3. दूदेर 4. जागोर
5. कुम्भाणा 6. पीपेरा
7. मिठड़ियां 8. कैला
9. उदासर

Page No 30

[redacted]

(श्री पशुपालन मंत्री)

(5) सूची संलग्न है (एनेक्सचर 'सी')

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

कृषि योग्य भूमि

273. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान की किस-किस तहसील में 1961 से लेकर अब तक प्रति वर्ष के आरम्भ में कितनी-कितनी कृषि योग्य सरकारी भूमि पड़त रही है ? इसमें सिंचित भूमि कितनी है ?

(ख) इसी प्रकार प्रत्येक तहसील में अकृषि योग्य भूमि की क्या स्थिति है ?

(स्थगित किया गया)

दौलतपुरा क्षेत्रीय ग्रामीण जल प्रदाय योजना

274. **श्री भीमाराम** (डीडवाना) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर की डीडवाना तहसील के अन्तर्गत दौलतपुरा क्षेत्रीय ग्रामीण जल-प्रदाम योजना का पानी दौलतपुरा से बीच के गांव बीमियां, बासनी, मल्ला वासनी व कायता बासनी गांवों को छोड़ कर आगे जाकर गांव सूपका को पानी देना शुरू किया है ? यदि हां, तो इन गांवों के बीच में छोड़ देने के क्या कारण हैं ?

(2) नागौर जिले की डीडवाना तहसील के गांव प्यावां, रामसिहपुर, जानकीपुरा, धोबियों की ढाणी, गांवड़ों की ढाणी व साधों की ढाणी को किस क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना में शामिल किया गया है ? एवं इन गांवों को पानी कब तक दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय जल योजना दौलतपुरा के अन्तर्गत 13 गांवों में पानी देने का प्रावधान है जो निम्न प्रकार है:—

1. कायथा वासनी, 2. पालावासनी, 3. सेवा, 4. सूपका, 5. देवरासठी, 6. धानु 7. गिरधारीपुरा 8. मडाम 9. पाटन, 10. कलवानी, 11. चांद, वासनी [12] आसमी की ढाणी 13. खीचिया वासनी।

उपरोक्त लिखित सारे ही गांवों में पानी दिया जावेगा। फिलहाल पाइप लाइन बिछाने व टंकियां बनाने के लिये निविदायें आमन्त्रित की जा रही हैं। गांव सूपका व अन्य किसी भी गांव को इस योजना के अन्तर्गत पानी देना शुरू नहीं किया गया है।

(2) गांव प्यावो की क्षेत्रीय योजना सुडी गांव के नलकूप को स्रोत मान कर योजना बना ली गई है और योजना विचाराधीन है इसके अन्तर्गत 1. सुडी, 2. जेवलियावास, 3. खरेश, 4. बकंवास, 5. सोमास, 6. मतर्गना, 7. इसाना खुर्द, 8. सिंघरायट छोटी, 9. सिंघरायट बड़ी, तथा 10. प्यावां गांव को शामिल किया गया है। गांव रायसिंहपुर के लिये एक योजना बना ली गई है व उपरोक्त गांव को सुनसुना से पानी देने का प्रस्ताव है जो कि विभाग के विचाराधीन है। गांव

(श्री जन-स्वास्थ्य मंत्री)

जानकीपुर, धोबियों की ढाणी, गांवड़ी की ढाणी व साधों की ढाणी किसी भी योजना के अन्तर्गत अभी शामिल नहीं किये गए हैं।

रिवाइज्ड पे स्केल, 1961 के अन्तर्गत इन्क्रीमेन्ट रोकने की प्रक्रिया

275. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** :- क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सन् 1961 की रिवाइज्ड पे स्केल के अन्तर्गत यू. डी. सी. के पद की बैसिक पे 150 रुपये पर इन्क्रीमेंट एक साल तक किन किन कारणों से रुका रहा ?

(2) क्या यह सही है कि इसके कारण बहुत से जूनियर अपने सीनियर कर्मचारियों से ज्यादा वेतन पाने लगे हैं ?

(3) इन्क्रीमेंट रोकने की यह प्रक्रिया कब बन्द की गई और क्यों ?

(4) क्या इन्क्रीमेंट रोकने की यह प्रक्रिया राजस्थान सर्विस रूल्स का स्पष्ट उल्लघंन नहीं है जिनमें यह प्रावधान है कि एक वर्ष की सर्विस के बाद वेतन वृद्धि अवश्य की जाती है ?

(5) क्या राज्य सरकार के वित्त विभाग में इससे हुई ऐनोमली के सम्बन्ध में प्रतिवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उन पर कब कब क्या क्या कार्यवाही की गई ? एनोमली को मिटाने हेतु क्या क्या आधार या शर्तें रखी गई ?

(6) क्या यह सही है कि इनमें से कईयों पर सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करके स्वीकार किया गया, जब कि कुछ मामलों पर विचार नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(7) क्या इन आधारों में एक आधार यह भी रखा गया है कि एक ही विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बीच ही एनोमली की तुलना हो सकती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(8) क्या यह सही है कि जिन विभागों में पदोन्नति के अवसर बहुत कम होते हैं उनमें उपरोक्त एक आधार के फलस्वरूप एनोमली के बहुत कम अवसर रह जाते हैं ?

(9) यदि हां तो सरकार इस बात पर सहमत है कि एक ही केडर के भिन्न भिन्न विभागों में एक वेतन श्रृंखला में कार्य कर रहे कर्मचारियों की एनोमली पर भी विचार किया जाय ? और क्या सरकार इस प्रकार के आदेश प्रसारित करेगी ?

(10) क्या इस एनोमली के कारण रेगुलर केडर के ऊंचे केडर (सहायक) में कार्य करने वाले कर्मचारी का वेतन नीचे केडर (यू. डी. सी.) से कम होने पर सहायक का वेतन वृद्धि करने के आदेश राज्य सरकार देगी ? यदि हां, तो किन आधारों पर और यदि नहीं, तो क्यों ?

(11) क्या यह सही है कि इस एनोमली को स्वीकार कर वित्त विभाग ने उन्हें अपने जूनियर कर्मचारी से ज्यादा पे दिलाने के आदेश दिये ?

(12) क्या यह भी सही है कि वित्त विभाग के पुनः दूसरे आदेश के तहत उनसे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
उन्हें दी गई राशि को वापस वसूल करने के आदेश दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(13) क्या सरकार सचिवालय स्तर के उन कर्मचारियों को जिनका सन् 1961 के रिवाइज्ड पे स्केल के फिक्सेशन के तहत एक इन्क्रीमेंट एक वर्ष तक रुका रहा, उनको इन्क्रीमेंट वापिस दिलाने का आदेश प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

(14) क्या यह सही है कि इससे सीनियर कर्मचारियों में असन्तोष फैला हुआ है ?

उत्तर

(1) जिन वरिष्ठ लिपिकों (U.D.Cs.) का वेतन Revised Pay Sceles, 1961 में रु० 150 अथवा इससे कम निर्धारित हुआ उन्हें रु० 150 की स्टेज पर पहुँचने पर आगामी वेतन वृद्धि दो वर्ष बाद दी गई । इसका मूल कारण यह है, कि Revised Pay Scales 1961 में मंहगाई भत्ते का कुछ अंश वेतन में जोड़-कर Revised वेतन शृंखला में वेतन निर्धारित किया गया और बकाया अंश को महंगाई के रूप में निम्न दरों से रखा गया:—

वेतन	महंगाई भत्ता
150 रु० से कम	10 रु०
150 रु० और इससे अधिक लेकिन 300 रु० तक	20 रु०

Revised Pay Scales 1961 के अन्तर्गत कर्मचारियों का वेतन निर्धारण उसी Stage पर किया गया जिस पर वह वेतन + मंहगाई भत्ता पा रहे थे। इसके फलस्वरूप कर्मचारियों को आर्थिक लाभ नहीं मिला किन्तु महंगाई भत्ते का कुछ अंश वेतन में मिला दिया गया। इस सिद्धान्त के अनुसार जो कर्मचारी Revised Pay Scales, 1961 के पहिले रु० 120 वेतन व रु० 40 महंगाई पा रहा था उसका वेतन रु० 150 एवं महंगाई भत्ता रु० 20 उपरोक्त नियमों में निर्धारित किया गया। ऐसा करने से कर्मचारियों को रु० 10 का लाभ मिल गया जो Revised Pay Scales 1961 के सिद्धान्तों के प्रतिकूल था और इसीलिए इन मामलों में रु० 150 की Stage के बाद वार्षिक वेतन वृद्धि 2 वर्ष बाद रखी गई। रु० 150 की Stage के नीचे वेतन निर्धारण करने से कर्मचारी को हानि होती थी अत: रु० 150 की Stage पर ही वेतन निर्धारण करना आवश्यक था।

(2) जी नहीं।

(3) 1-4-66 से संशोधित वेतन शृंखलाएं व नियम प्रभाव में आये, जिसके अन्तर्गत रु० 150 वेतन की Stage पर आगामी वेतन वृद्धि 2 वर्ष बाद किये जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।

(4) जी नहीं। Revised Pay Scales Rules 1961 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत जारी किये गये हैं। राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधान इन पर केवल उन्हीं विषयों में लागू होते हैं जिनका इन नियमों में प्रावधान नहीं है।

(5) जी हां। कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में असंगति को दूर

(श्री वित्तमंत्री)

करने के सम्बन्ध में समय समय पर प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात् उन्हें सम्बन्धित विभागों को लौटा दिया गया है। प्रतिवेदन कब कब प्राप्त हुए और उन पर क्या क्या कार्यवाही की यह बताया जाना संभव नहीं है। जिन आधारों या शर्तों पर वेतन असंगति दूर की जाती है उनका उल्लेख वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या प० 1 (8) वित्त नियम (69) दिनांक 28-4-69 (प्रतिलिपि संलग्न) में दिया गया है।

(6) जी, नहीं। ऐसा नहीं है। समस्त प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा विचार किया गया, किन्तु वे ही प्रतिवेदन स्वीकार किये गये जिनमें वेतन असंगति का आधार वित्त विभाग ज्ञापन सं० प० 1 (8) वित्त (नियम), 69 दिनांक 28-4-69 के अनुसार था।

(7) जी हां। ऐसा होने पर ही यह जाना जा सकता है कि वेतन असंगति वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कर्मचारी के बीच में हुई है। वरिष्ठता प्रत्येक विभाग की अलग अलग होती है।

(8) जी नहीं। पदोन्नत्ति के अवसरों से वेतन असंगति का कोई संबंध नहीं है।

(9) प्रश्न 8 के उत्तर से यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(10) वेतन असंगति को दूर किये जाने के आधार वित्त (विभाग) ज्ञापन संख्या प० 1 (8) वित्त (नियम) 69 दिनांक 28-4-69 में उल्लखित हैं। जो मामले इस आज्ञा के क्षेत्र में आते हैं उन्हीं में वेतन असंगति दूर करने का प्रश्न उठता है, अन्य में नहीं।

(11) जी नहीं। अगर वरिष्ठ कर्मचारी उसके कनिष्ठ कर्मचारी से अधिक तथा समान वेतन प्राप्त कर रहा है किन्तु नियमों में संशोधन होने के फलस्वरूप कनिष्ठ कर्मचारी वरिष्ठ के मुकाबले में अधिक वेतन प्राप्त कर जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन भी कनिष्ठ के बराबर निर्धारित कर दिया जाता है।

(12) यह सही नहीं है, किन्तु अगर पूर्वादेशों में कोई त्रुटि हो गई है तो उसे ठीक करने के लिए पुन: आदेश दिये जाते हैं।

(13) जी नहीं। 1-9-68 से नवीन वेतन शृंखला के लागू होने के पश्चात् यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

(14) राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट—5 देखिये)

हाउसिंग बोर्ड द्वारा दिये गये विज्ञापन

276. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या हाउसिंग बोर्ड मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) सन् 1971-72 व 1972-73 में पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि कार्यों के लिए कितना और कब कब और किस किस मूल्य का विज्ञापन किन किन को दिया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

(2) यह विज्ञापन किस किस पत्र-पत्रिका एवं स्मारिका आदि में किस किस तारीखों पर प्रकाशित हुए हैं ?

(3) इन विज्ञापनों के लिए कब और कितना कितना किस किस को भुगतान किया गया है और कितना कितना शेष है ?

(4) उपरोक्त विज्ञापनों के संबंध में उक्त पत्र-पत्रिका व स्मारिका के व्यवस्थापकों व अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा किस किस को और कब कब आवेदन पत्र दिए गए थे और उन पर कि अधिकारी और मंत्री द्वारा कितने कितने रुपयों का विज्ञापन देने का निर्देश एवं आदेश दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि विज्ञापन का भुगतान करने से पूर्व न तो कोई पत्र-पत्रिका एवं स्मारिकाओं का प्रकाशन ही हुआ और न ही ऐसे विज्ञापन सहित प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं एवं स्मारिकाओं की प्रतियां विभागों के पास पहुंची ? यदि हां, तो इस प्रकार का भुगतान किन किन को और कब कब किया और किन अधिकारों के अन्तर्गत ?

(स्थगित किया गया)

पाकिस्तान की भूमि पर भारत का कब्जा और प्रशासन का कार्य

277. श्री **केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या गत भारत-पाक युद्ध में राजस्थान के किसी भू-खण्ड पर पाकिस्तान का कब्जा है ? यदि हां, तो कहां और कितनी भूमि पर ? जिला सहित सूचना सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या पाकिस्तान की भूमि पर भारत का कब्जा इस युद्ध में हुआ है ? यदि हां, तो किस भूमि पर और क्या उन क्षेत्रों में राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने नागरिक प्रशासन संभाला है ? यदि हां, तो कहां और वहां कौन प्रशासनिक अधिकारी किस पद पर काम कर रहे हैं ?

(4) क्या उक्त युद्ध के दौरान पाकिस्तान के कुछ अल्प संख्यक परिवार भारत में आये हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उनके निवास स्थान आदि की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो वे कितने परिवार हैं ? उनकी कुल जनसंख्या कितनी है ? उन्हें कहां निवास दिया हुआ है तथा उनके रहन सहन की क्या व्यवस्था है ?

(स्थगित किया गया)

अलवर में स्कूटर का कारखाना

278. श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में की गई घोषणा के अनुसार अलवर में स्कूटर कारखाना चालू करने के लिये लाईसेन्स दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब दिया गया व अब तक इसका कार्य आरम्भ न होने के क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई बहस के दौरान राजस्थान में खाद का कारखाना खोलने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो वह कारखाना किस जिले में चालू किया जा रहा है तथा कब तक चालू हो जायेगा ?

(उद्योग मन्त्री)

उत्तर

भारत सरकार द्वारा अलवर में स्कूटर का कारखाना लगाने के लिये लेटर ऑफ इन्डेन्ट दिनांक 7-10-1970 को दिया गया था। उद्योग के लिये विदेशी कोलोबरेशन टेक्नीकल नोहाऊ तथा विदेशी टेक्नीसियन्स की नियुक्ति की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई थी। विदेशी टेक्नीशियन अपना स्वयं डिजाइन, ड्राईंग आदि बनाकर प्रोटोटाईप तैयार करता है उसके बाद में अनुमोदन किया जाता है।

कारखाने की बिल्डिंग का कार्य जुलाई में शुरू होगा। मशीनरी का ऑर्डर दे दिया गया है तथा प्रोटोटाईप तैयार हो रहा है।

जी हां। निश्चित स्थान का तय नहीं हुआ है। अतः निश्चित स्थान भी बताना सम्भव नहीं है।

जालोर जिले में सहकारी विभाग द्वारा दर्ज कराये गये गबन के मामले

279. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालोर जिले के सहकारी विभाग ने सन् 1970 से आज तक किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध गबन का मुकदमा पुलिस में दर्ज कराया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त मामलों में से कितनों के चालान अदालत में पेश कर दिये हैं और कितनों के मामले विचाराधीन है और बाकी के मामलों का कब तक चालान होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जालोर जिले के सहकारी विभाग ने सन् 1970 से तारीख 30-4-72 तक कुल 13 व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 9 मुकदमें गबन के पुलिस में दर्ज करवाये। सूची संलग्न की गई।

(2) 1 मुकदमें का चालान किया गया जो अदालत में विचाराधीन है। 1 मुकदमें में तफतीश जारी है जिसका चालान शीघ्र पेश किया जायेगा। 6 मुकदमें झुठे पाये जाने पर अदम वकुवा में खारिज किये व 1 मुकदमें में अन्तिम प्रतिवेदन अदम सबूत में दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

जायल व नागौर तहसील में क्रमोन्नत स्कूल

280. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नागौर जिले की जायल व नागौर तहसीलों में 1971-72 में कौन कौनसी पाठशालाएं प्राथमिक पाठशालों से उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में क्रमोन्नत किस किस तारीख से की गई एवं उन पाठशालाओं में से किस किस पाठशाला में कौन कौन विभागीय अध्यापक किस किस तारीख से लगाये गये एवं दिनांक 1-5-72 तक इन पाठशालाओं में लगे सरकारी विभागीय अध्यापकों की पाठशाला-वार

(श्री रामसिंह कुड़ी)
सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची संलग्न हैं। सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

समितियों के व्यवस्थापकों द्वारा जमा कराई गई राशि

281. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1969 में अजमेर जिले में जिले की समितियों के व्यवस्थापकों की नियुक्ति के समय 500 रु० सिक्योरिटी के रूप में नकद जमा कराने का निर्णय लिया गया था ?

(2) यह सिक्योरिटी व्यवस्थापकों द्वारा वेतन में से प्रति माह 25 रु० कटवा कर जमा कराने का तय किया गया था तथा उसी के अनुसार 20 माह तक व्यवस्थापकों के वेतन में से 25 रु० प्रति माह काट लिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि अजमेर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक द्वारा उक्त काटी हुई राशि की रसीद अथवा प्रमाण-पत्र आज तक व्यवस्थापकों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) व्यवस्थापकों के नियुक्ति सम्बन्धी पैरा 2 के अनुसार व्यवस्थापकों से 25) रु० माहवार काटे गये हैं जो 500 रु० जमा होने पर बन्द कर दी गई।

(3) जी नहीं।

ट्रैक्टर की खरीद के लिये ऋण

282. श्री **सुरेशचन्द्र** (कोटपुतली) क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पन्नाराम रामेश्वर, हनुमान, भैरू पुत्र पुवान, पनजी तुलछाराम निवासी ढूकिया दांतारामगढ़ को सीकर सहकारी भूमी विकास बैंक व सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा ट्रैक्टर की खरीद हेतु व अन्य कार्य हेतु कोई लोन दिया गया ? अगर हां, तो कब कितना दिया गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जो लोन दिया गया है उसमें से कितनी किश्तें जमा हुई व कितनी बकाया हैं ? क्या इन्हें पहले भी कोई लोन दिया गया है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. श्री पन्नाराम को सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक से केवल ट्रैक्टर खरीदने हेतु दिनांक 29-3-67 को 9000 का ऋण दिया गया था—श्री रामेश्वर, हनुमान व भैरू को उक्त बैंक द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया है। क्योंकि जो वंशावली प्राप्त हुई है उसके अनुसार उक्त तीनों व्यक्ति पन्नाराम के पुत्र हैं और श्री पन्ना-

(श्री सहकारिता मंत्री)

राम को ही पनजी कहते है । सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा उक्त व्यक्तियों को कोई ऋण इकिया ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा नहीं दिया गया है ।

2. उक्त ऋण के पेटे दो किश्त व तृतीय किश्त के अंश ब्याज जमा हो चुका है-शेष तीन किश्त बकाया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

	असल	ब्याज	योग
तृतीय किश्त	600)	448-14	1048-14
चतुर्थ किश्त	600)	648-00	1248,00
पंचम् किश्त	600)	594-00	1194-00

इस ऋण से पूर्व श्री पन्नाराम को भूमि विकास बैंक सीकर से कोई ऋण नहीं दिया गया है ।

सामान्य शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा के कालेज

283. श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) राज्य में गत 5 वर्षों में सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा के कितने कितने कालेज खोले गये ?

(2) दौसा संस्कृत कालेज में इस समय कितने छात्र व छात्राएं पढ़ रहे हैं कृपया अलग अलग संख्या बतावें ?

(3) उक्त कालेज भवन में कितने कमरे हैं और उनमें से कितने प्रिन्सिपल व कार्यालय आदि के काम आ रहे हैं ?

(4) उक्त कालेज में कितने कमरे विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिये हैं तथा इस समय कितनी कक्षायें चल रही हैं ? प्रत्येक कक्षा व सेक्शन में कितने कितने छात्र हैं ?

(5) क्या उक्त कालेज का भवन वर्त्तमान में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में कदम कब तक उठायेगी ?

उत्तर

1. गत 5 वर्षों में राज्य में खोले गये महाविद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार है:–

(1) सामान्य शिक्षा–11

(2) संस्कृत शिक्षा–3

2. दौसा संस्कृत कालेज में वर्त्तमान में 530 छात्र व 72 छात्रायें अध्ययन कर रहे हैं ।

(3) कालेज भवन में 9 (नो) कमरे हैं इनमें से एक कमरा प्राचार्य के व एक कार्यालय के काम आ रहा है ।

(4) विद्यार्थियों के अध्ययन के लिये सात कमरे काम आ रहे हैं । कक्षायें, सैक्शन व छात्र संख्या की सूची संलग्न है ।

(5) जी नहीं । अन्य प्रस्तावों के साथ वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर इस पर भी विचार किया जायेगा ।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2-5-72)

कोटा डिविजन में चोरी, डकेती आदि की घटनाएं

69. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा डिवीजन में 1970 से 1972 तक कितनी डकैतियां, चोरियां व कत्लें कहां कहां किस जिले में किस किस तारीखों को हुई ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह भी सत्य है कि जहां जहां डकैतियां अथवा चोरियां हुई उसका पुलिस द्वारा नकद व माल आदि बरामद कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. सूची सलंग्न है

2. चाही गई सूचना संलग्न सूची में अंकित है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-5-72)

पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्ति

172. **श्री मूलचन्द्र सामरिया** (दौसा) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) पुलिस विभाग में श्रेणीवार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति जिलेवार कितने कितने हैं ?

(ख) कितने पुलिस वालों को 1967 से 1972 तक बीमारी के कारण कम्पलसरी रिटायरमेन्ट दिया गया ?

स्थगित किया गया

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना हैं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है ।

(1) श्री केदारनाथ, श्री केसरीमल, श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा व श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा ने गंगानगर नगर परिषद् के हरिजन कर्मचारियों की दिनांक 15 मई, 1972 से चल रही हड़ताल तथा दिनांक 18 मई, 1972 को कुछ कर्मचारियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । इस विषय पर सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

(2) श्री मोहम्मद गफ्फारअली, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 19 मई 1972 को जयपुर में घाटगेट से रामगढ़ चौपड़ की तरफ जाने वाली सड़क पर ट्रक के द्वारा इकरामुद्दीन पुत्र मोहम्मद उस्मान नामक लड़के को गिरा देने तथा उसकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । मैं समझता हूं कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला नहीं है । अत: मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय,

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
एक मिनिट गुजारिश कर दूं, यह बहुत इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन इसलिए हो गया है कि वहां की जनता है, उसमें बहुत उत्तेजना है और आप अगर पुलिस अधिकारियों से दरयाफ्त फर्माते....

श्री अध्यक्ष : Adjournment motion is no remedy.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वहां पर ब्लोकेड कर दिया गया है, हर वक्त नक्शे-अमन अन्देशा है । मेरी गुजारिश है कि इस मामले को तय करवाइये । मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि आ तमाम अधिकारियों को बुलाकर बात करें और इस मामले को तय करें । ट्रक्स का स्टेण्ड तय हो गया, सारी बातें हो गई, यू. आई. टी. ने नीलाम किया लैंड, वह स्थगित कर दिया । इस मामले पर सोचें और स्टेण्ड बन कर तैयार हो जाय तो बाहर से जो बस आती है और शहर में घुसती है, वह बन्द हो जाय । मैं आई. जी. से मिला, उन्होंने फर्माया, ट्रान्सपोर्ट्स के लिए यू. आई. टी. और म्यूनीसिपैलिटी के कोर्डिनेशन से मामला तय हो सकता है । मैं निवेदन करूंगा, अभी जो घटना घट गई है, उससे एक-आध रोज में परेशानी खड़ी हो सकती है । पहले एक ट्रक को जला दिया गया, एक आदमी मर गया था लास्ट ईअर, उसका मामला चल रहा है । यह छोटे-छोटे सवाल है, यह लोक महत्व के लिए नहीं हैं, यह आप फर्मा देते हैं, लेकिन यह छोटे-छोटे सवाल ही महत्व के हो जाते हैं । क्योंकि वहां पर बड़े-बड़े पत्थरों से रुकावट सड़क पर लगा दी गई है क्योंकि बच्चे इधर-उधर डोलते हैं । इसलिए यह प्रश्न महत्व का हो गया है, आप मंत्री महोदय को कहें कि वह इस मुद्दे को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करें । शहर में ट्रकों का आना-जाना बन्द होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय गंगानगर की हड़ताल के सम्बन्ध में····

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जानकारी नहीं मेरे पास अभी-अभी तार आया है, अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : और रास्ता बता दें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिसमें है कि 60 बच्चे, औरतें और वाल्मिकी कर्मचारी गिरफ्तार कर लिये गये हैं । यह बहुत बड़ी बात है । आज एसेन्शल सर्विस एक्ट के तहत जिस तरह से विक्टीमाइजेशन गंगानगर में हो रहा है, यह मामूली बात नहीं है । 60 बच्चे, औरतें वाल्मिकी कर्मचारी गिरफ्तार किये जायं । इन पिछले 7 दिनों को हड़ताल में गंगानगर नरक बन चुका है, गंगानगर में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, गंगानगर का पानी अपने आप बाहर नहीं जा सकता । ये म्यूनिसपल कर्मचारी हैं जो उस पानी को पम्प करके शहर से बाहर ले जाते हैं । आज स्थिति यह है कि कोई भी महामारी गंगानगर में फैल सकती है और प्रश्न बड़ा साफ है । राणावत कमीशन का लाभ वाल्मिकी कर्मचारी चाहते हैं । आपने इसका लाभ बड़े बड़े अधिकारियों को दे दिया, हर इन्स्टीट्यूशन को दे दिया ।

Page No 40

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रोडवेज कर्मचारियों को आपने 30 दिन की हड़ताल के बाद यह लाभ दे दिया फिर अपने सर पर मैला ढोने वाले कर्मचारियों को राणावत आयोग के लाभ से महरूम क्यों रखा जाए, कोई कारण नहीं। इस राणावत आयोग के लाभ का सबसे पहले हकदार था तो वह वाल्मिकी कर्मचारी थे लेकिन जो ऊंची तनख्वाह लेते हैं वे तो इसका लाभ उठा लें, जो संस्थायें संघर्ष कर लें वे भी इसको प्राप्त कर लें और मैला उठाने वाला वाल्मिकी कर्मचारी इस आयोग के लाभ की बात करे तो उसको पकड़ कर जैल में रख दिया जाए, उनके बच्चों व स्त्रियों को पकड़कर जेल में रख दिया जाए। मैं प्रार्थना करूंगा कि यह प्रश्न देश का बहुत बड़ा प्रश्न है और नीति से संबंध रखने वाला प्रश्न है। आपने कहा कि मैला ढोना उनसे छुड़वायेंगे फलां तारीख तक····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अर्ज करूंगा मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में बयान देने के लिए कहा जाए चूंकि स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है और सारा राजस्थान इस संबंध में चिंतित है।

श्री केदारनाथ : 10 मार्च को समझौता हुआ कलेक्टर की मेडियेशन से। जब समझौते का पालन नहीं हुआ तो वे हड़ताल पर गये। हड़ताल को इल्लीगल डिक्लेयर करना, एसेन्शियल सर्विसज डिक्लेयर करना और फिर गिरफ्तारियां करना। उसके बाद महामारी फैली हुई है। समझौता हो जाए, रास्ता निकल जाए, कर्मचारी रिलीज हो जायं ताकि टेबल पर बैठकर बातचीत शुरू हो।

श्री जगमोहन : 19 तारीख को मैंने स्थगन प्रस्ताव पेश किया था जिसमें निवेदन किया था कि देवलाल की हत्या के बारे में जो 23-4-1972 को····

श्री अध्यक्ष : आप चेम्बर में मिलें और मालूम करें कि क्या हुआ। मुझे याद नहीं कि उसमें क्या हो रहा है, सरकार से जवाब आया या नहीं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र, वित्त मंत्री

श्री चंदनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए) की उप-धारा (3) (1) के अंतर्गत गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का 30 जून, 1971 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित लेखे एवं संचालकों का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयकों का पुरःस्थापन।

विधेयक पुरःस्थापन

श्री नारायणसिंह मसूदा (शिक्षा मंत्री) : मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक (1972 का पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(**स्वीकृत**)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

स्वीकृत

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

स्वीकृत

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

विधेयकों के विचारार्थ समयाभाव सम्बन्धी व्यवस्था-प्रश्न

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, ये तीनों विश्वविद्यालय से सम्बन्धित जो विधेयक पुरःस्थापित किए गये हैं, इनको डिस्कशन के लिए, कन्सीडरेशन के लिए, कल की तारीख में रखा गया था। इस सदन में 12.15 बजे तीनों विधेयक पुरः-स्थापित हुए हैं। यदि कल ही उनके पारण की बात हो तो यह असंभव है माननीय सदस्यों के लिए कि इन तमाम बिल्स को पूरी तरह से देखकर इसके क्लाज टु क्लॉज जो संशोधन प्रोपोज करने हैं, यह संभव नहीं है। इसके अलावा तीन बिलों को एक साथ लेना जो इतने महत्वपूर्ण बिल्स हैं, अलग-अलग विश्वविद्यालय हैं, उनके अलग-अलग कान्स्टीट्यूशन्स हैं, अलग-अलग उनकी महत्तायें हैं इसलिए उन पर अलग-अलग डिस्कशन्स होना आवश्यक है इसलिए यह असंभव बात होगी हमारे लिए कि उन तीनों पर डिस्कशन कर सकें। फिर क्लॉज बाइ क्लॉज डिस्कशन के लिए संशोधनों के लिए समय मिलना आवश्यक होता है और उनको अभी जो आज बिल्स सक्यूंलेट हुए, सुबह हमको मिले लेकिन कायदे से इन्ट्रोड्यूस होने के बाद संशोधन दिए जा सकते हैं। सुबह हमने प्रयत्न किया लेकिन उसके साथ पुराने बिल्स को स्टडी करना जरूरी है। जिन कमीशन्स की सिफारिशों पर ये विधेयक लाये गए हैं, उनको स्टडी करना जरूरी है और उसके अलावा टीचर्स और विद्यार्थियों के संगठनों से बातचीत करना और सलाह-

Page No 42

(श्री रामानंद अग्रवाल)

मशवरा करना जरूरी है। इसलिए यह बिल्कुल संभव नहीं है कि कल ही इन तीनों बिलों पर विचार किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा यह संभव हो सकता है कि उन पर जनरल डिबेट हो सकेगी। इन तीनों बिलों के अलावा दो एजेंडा और हैं एक 25वां कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल कल रखा हुआ है वह भी केवल रस्मी बात नहीं है। यदि हमें उस पर डिस्कशन करना है तो प्रांस एण्ड कान्स को देखना पड़ेगा, क्यों लाये गए, क्या महत्व है। उस पर हमें अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। और एक संकल्प रखा हुआ है जन-जंतुओं के सम्बन्ध में। इसलिए इस सारे महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव वर्क को करना बिल्कुल संभव नहीं है और हमारे लिए इस प्रकार करना बिल्कुल असंभव है। इसलिए आप कार्य सलाहकार समिति को बुलाकर इस प्रोग्राम को दुबारा इसके अंदर एडजैस्ट करें। हमारा जो प्रोग्राम है उसमें नॉन-ऑफिशियल डे नहीं रखा गया है। जैसा समाचार सुनते हैं 26 मई को ही सदन साइनेडाइ स्थगित करने की चर्चा चल रही है जबकि तीन महीने हो गए हैं। दो दिन प्रति माह हमें नॉन-आफिशियल डेज मिलने का अधिकार है वह भी नहीं मिला। मार्च में नहीं मिला, अप्रेल में नहीं मिला और मई में भी कोई दिन नहीं मिला। मुख्यमंत्री और आपने आश्वासन दिया था कि नॉन-ऑफिशियल डे अवश्य दिया जाएगा लेकिन 6 दिन के बजाए 1 दिन भी नहीं मिला तो मेरा निवेदन है कि इन विधेयकों को यदि हमसे पास कराना चाहते हैं तो इसके लिए समय देना होगा, नॉन-आफिशियल डे भी रखना होगा। इसलिए आज ही आप कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग बुलाकर सारे के सारे कार्यक्रम को दुबारा एडजैस्ट करें।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय रामानन्दजी ने आपत्ति उठाई है उसके साथ तो एक हद तक मेरी सहानुभूति है। विश्वविद्यालयों के संबंध में बहुत सारी बातें यहां पर माननीय सदस्य कहना चाहेंगे। यह एक रोचक विषय है और खेद का विषय है कि इस पर पर्याप्त समय नहीं दिया जाए स्टडी करने के लिए तो फिर उस पर कोई कारगर बहस नहीं हो सकती। इसके साथ-साथ 25 वें संशोधन के संबंध में केवल अनुसमर्थन करना है औपचारिक रूप से कराना चाहते हैं तो दूसरी बात है लेकिन अगर यह विषय सदन में आता है तो सदन मतमतांतर का सदन है। इसमें माननीय सदस्यों को अधिकार होना चाहिए विचार व्यक्त करने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो माननीय रामानंदजी ने उठाया नान-ऑफिशियल रेजोल्यूशन के संबंध में कम से कम यह तो सदन का अधिकार है। इतने लंबे समय सदन चले, बजट सेशन हो और एक भी नान ऑफिशियल डे एलॉट न हो, तो यह भी एक विचारणीय व गंभीर विषय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई जाए और इस सदन की कार्यवाही को दो-तीन जून तक और अगर बढ़ा दिया जाए तो मेरे खयाल से सब विषय समाविष्ट हो सकेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कल के लिए जो कार्यवाही रखी गई थी उसमें मोटर करारोपण वाला विधेयक अलग और कर

(श्री लक्ष्मणसिंह)

वाले जो प्रावधान हैं वह अलग जबकि कार्य सूची में था कि 22 को एक विधेयक और 23 को दूसरा विधेयक पास होगा लेकिन दोनों विधेयक कल ही पारित कर दिए गए और टेनेन्सी का एक बिल आज रखा गया है और एक शायद 25 को होगा। उसके बाद जैसा भाई रामानंदजी ने कहा है कि विश्वविद्यालय का बिल है जो कि महत्वपूर्ण है उन तीनों विश्वविद्यालयों के लिये है। आप समय भी कम दे रहे हैं जो बिल में संशोधन करने के लिये एमेन्डमेन्ट देना चाहें उनके पास समय ही नहीं है क्योंकि अभी तक बिल सरक्यूलेट ही नहीं हुआ है। इस तरह से एक दिन में आप दो-दो बिल पास कर रहे हैं जिसमें न तो माननीय सदस्यों को समय ही मिलता है उस बिल को पढ़ कर एमेन्डमेन्ट देने का और नहीं वह बिल सदन में अच्छी तरह डिस्कस ही हो पाता है और आप एक-एक दिन में पांच पांच बिल तक पास कर देते हैं। यों तो आपकी मेजोरिटी है आप चाहें तो दिन में 10 बिल भी पास कर सकते हैं। इस सदन की परम्परा प्रजातन्त्र में होनी चाहिये कि जब किसी बिल को पास करते हैं तो उसमें पूरा समय मिलना चाहिए, एक दिन जनरल डिस्कशन के लिये और दूसरे दिन क्लाज वाइज क्लाज अध्ययन के लिये समय दिया जाना चाहिये। आखिर कुछ समय तो मिलना चाहिये मेम्बर्स को। समय पर आप बिल सरक्यूलेट नहीं कराते हैं और जब हम इन पर एमेन्डमेन्ट लेकर आते हैं तो फिर यह कहा जाता है कि साढ़े ग्यारह बजे बाद में नहीं लिये जायेंगे। वैसे भी आपको नियमानुसार संशोधन के लिये 12 बजे तक समय रखना चाहिये। इसमें संशोधन होना चाहिये। कल भी इस प्रकार की परेशानी खड़ी हो गयी थी। यह इस बारे में प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि 5 बजे तक संशोधन दे सकते हैं तो इस प्रकार मेरा निवेदन है कि आप कोई बिल पास करें, कोई बात नहीं। पर ऐसी गलत परम्परा नहीं डाली जानी चाहिये। तो मेरा निवेदन है कि आज विधिवत् बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलायी जाय और फिर उसमें विचार करके वापिस समय का निर्धारण ऐसा किया जाय कि विधिवत् कार्यवाही हो सके।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि बिल का सरक्यूलेशन नहीं हो सका। उसके लिये मैं सदन से माफी चाहूंगा। जहां तक इस सदन में कार्यवाही का सवाल है मैं समझता हूं कि इस संबंध में पहले ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस हो चुका है और बाद में कार्यवाही इश्यू की जाती है। दूसरे जो राजस्थान विश्वविद्यालय बिल के बारे में बात है तो उसके अन्दर कोई बड़ी चीज नहीं है। एक मामूली सा संशोधन करना है। जिसके अनुसार स्टुडेन्ट्स को और टीचर्स को रिप्रेजेन्टेशन देने के बारे में है। चूंकि ये तीनों यूनिवर्सिटीज के बारे में बिल में संशोधन करना है और संशोधन भी एक ही करना है कि स्टुडेन्ट्स और टीचर्स को रिप्रजेन्टेशन दिया जाय। इसके अलावा जो रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टीट्यूशन एमेन्डमेन्ट बिल का

(श्री बरकतुल्ला खां)

सवाल है उसके लिये तो मैं समझता हूँ कि वह तो भारत सरकार द्वारा पास हो चुका है और हम यहां पर एक फोरमेलिटी ओवजर्व कर रहे हैं। और हम यह बताना चाहते हैं भारत सरकार को कि हम होल हार्टेडली केन्द्रीय सरकार को सपोर्ट करते हैं। चूंकि यह भारत सरकार द्वारा पास हो चुका है और राजस्थान में भी लागू हो चुका है इसलिये हम चाहते हैं कि यह यहां भी पास हो जाय। वैसे यह हमारे इलेक्शन मेनीफेस्टो में भी था। तो इसमें कोई नयी बात नहीं है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के बारे में जो बिल है वह भी इम्पोर्टेन्ट बिल है। भारत सरकार इस बारे में समय-समय पर राज्य सरकारों को इस बारे में आदेश देती रहती है और वह इन बन्य पशुओं के संरक्षण के बारे में काफी परेशान है। आज हमारे यहां की वाइल्ड लाइफ इस तेजी से खतम हो रही है कि अगर इसे संरक्षण नहीं दिया गया तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि यहां पर वाइल्ड लाइफ देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूं जब मैं विदेशों में गया तो मुझे मालूम हुआ कि किस तरह अफ्रिका में वाइल्ड लाइफ को मैनटेन करके वहां की गवर्नमेन्ट करोड़ों रुपये की आमदनी करती है। तो अगर जब भारत सरकार इसको चाहती है, मैं नहीं समझता हूं कि हमारी सरकार को इससे कोई नुकसान होगा इसे जल्दी पास करवाने में। इसके अलावा भी माननीय सदस्य चाहें तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं। लेकिन आज तक जो भी सदन की कार्यवाही हुई है वह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो प्रोग्राम एप्रूव किया है उसी के अनुसार कार्यवाही इस सदन में हुई है।

श्री केदारनाथ : मेरा निवेदन यह था अध्यक्ष महोदय कि जो कोई भी बिल इस सदन में लाये जायं उनका पहले सरक्युलेशन हो जाना चाहिये ताकि पहले माननीय सदस्य उस बिल को स्टडी करलें और बाद में उस पर एमेन्डमेन्ट देना चाहें तो अपने एमेन्डमेन्ट दे दें। पर जिस प्रकार यह तीनों विश्वविद्यालयों के बारे में जो बिल हैं हमारे पास ओरिजीनल एक्ट्स भी नहीं है जब तक हम उन एक्ट्स की स्टडी नहीं करलें तब तक उन पर एमेण्डमेन्ट किस प्रकार दे सकते हैं। आखिर आपको वह बिल जो आप इस सदन में पेश कर रहे हैं वह मेम्बर्स में पहले सरक्यूलेट कराना चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने उसके लिये सदन के माननीय सदस्यों से माफी मांग ली है।

श्री केदारनाथ : अब क्या है।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय मेरा एक सुझाव है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो अब एमेन्डमेन्ट जब तक ले लिये जायं तब तक कि बिल हाउस में डिस्कस नहीं हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, केवल एमेण्डमेन्ट देने के लिये आप समय बढादें तो भी क्या, क्योंकि जनरल डिबेट के पहले माननीय सदस्यों को समय भी तो मिलना चाहिये उस बिल को पढ़ने व एमेन्डमेन्ट के लिये। और कोई बिल अगर जल्दी ही पास करना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है तो फिर उस पर अच्छी तरह से डिबेट भी नहीं हो सकती है । आप तीनों यूनिवर-सिटी पर बिल पास करवाना चाहते हैं उसमें आपको अच्छी तरह से डिबेट रखना चाहिये । स्टुडेन्ट्स के और टीचर्स के जो रिप्रजैन्टेटिव थे, जो आपसे मिलने के लिये आये और आपने उनसे कोन्टेक्ट नहीं किया । मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे काफी बातें बतायीं । तो कम से कम जब आप बिल कोई पास करने जा रहे हैं तो कुछ न कुछ जस्टिस तो उन लोगों के साथ होनी चाहिये । तो मैं चाहूंगा कि जब आप कोई बिल लावें तो पहले मेम्बर्स में सरक्यू-लेट होना चाहिये ताकि मेम्बर्स उसे अच्छी तरह स्टडी करलें और उस पर अपने एमेन्डमेन्ट दे सकें । इसके अलावा मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलायी जाय और फिर वापस अच्छी तरह से इस कार्यवाही में संशोधन किया जाय । इसी प्रकार आप अरबन सीलिंग बिल को पास कराने जा रहे हैं उसमें अगर कोई माननीय सदस्य अपने एमेण्डमेन्ट देना चाहें तो पहले कम से कम बिल को सरक्यूलेट तो किया जाय । वो अभी तक सरक्यूलेट नहीं हुआ है । इस प्रकार जो संविधान में 25 वां संशोधन बिल है उसके बारे में भी यही है । तो जब बिल को हाउस में रख-कर पास कराना है जल्दी-जल्दी में तब तो कोई बात नहीं है आपका बहुमत है । बाकी बिल के बारे में जो डिबेट होनी चाहिये उसमें समय तो मिले । वरना आप चाहें तो ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर बिल पास करलें ।

श्री बरकतुल्ला खां : अगर ब्रूट-मेजो-रिटी के आधार पर ही बिल पास कराना होता तो कभी के पास कर लेते ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो यही कर रहे है । क्योंकि बिल्स, जो लिये जाने वाले हैं, उनकी कापियां ही सरक्यूलेट नहीं हुई हैं ।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं आपसे निवे-दन कर देना चाहता हूँ कि जो तीनों विश्वविद्यालयों के बारे में बिल हैं उसमें तो एक मामूली सा संशोधन करना है इसमें तो थोड़ा सा संशोधन है । सीनेट और सिन्डीकेट में रिप्रजैन्टेशन स्टुडेन्ट्स को और टीचर्स को मिल जाय ताकि उनके साथ जस्टिस हो जाय । आज हम इस बिल से सिर्फ मामूली एमेन्डमेन्ट ला रहे हैं कि 10 परसेन्ट तो स्टुडेन्ट्स को और 15 परसेन्ट टीचर्स का रिप्रजैन्टेशन सिन्डीकेट में होना चाहिये । यह कहना कि मैंने उनके रिप्रजैन्टेटिव से बात नहीं की, गलत है, मेरी उनसे बातचीत हुई है । इस प्रकार का पूरे भारतवर्ष में सिवाय केरला के कहीं भी स्टुडेन्ट्स और टीचर्स का रिप्रजैन्टेटिव नहीं है । केरला में सिर्फ तीन परसेन्ट रिप्रजैन्टेशन सिन्डीकेट में है पर हम तो उनके लिये ज्यादा रिप्रजैन्टेशन कर रहे हैं । दस परसेन्ट तो स्टुडेन्ट्स के लिये और 15 परसेन्ट टीचर्स के लिये । दूसरे जहां तक बिल के सरक्यूलेट का सवाल है आज सरक्यूलेट हो जायेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय हम तो समय चाहते हैं कि जिससे बिल अच्छी तरह से स्टडी कर लें और एमेण्डमेन्ट दे दें । एक दिन जनरल डिबेट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
हो जाये और दूसरे दिन क्लाज बाइ क्लाज डिस्कस होकर बिल पास कर लिया जाय।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, इस प्रकार तो जल्दी ही बिल पास करवाये जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : ये कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, कल ही मोटर व्हिकल्स वाला बिल पास हुआ है। दूसरे सेल्स टैक्स के बारे में जो बिल था वह भी पास हो गया है। इस प्रकार माननीय सदस्यों के पास बहुत ही समय कम रहता है कि वो बिल अच्छी तरह से स्टडी करे और एमेन्डमेन्ट दे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलायी जाय। और फिर से प्रोग्राम बनाया जाय। कोई सदस्य और अपने एमेण्डमेन्ट देना चाहे तो उसमें दे दे। यह जरूरी नहीं है कि जो दो एमेन्डमेन्ट आप कर रहे हैं उन्हीं के बारे में आये। माननीय सदस्य चाहें तो और उस बिल को स्टडी करके दूसरे सेक्शन्स के बारे में भी एमेन्डमेन्ट देना चाहे तो दें। इसके अलावा जो कॉन्स्टीट्यूशन्स एमेन्डमेन्ट बिल, जो आप ला रहे हैं, उसमें कॉन्स्टी-ट्यूशन को पढ़कर एमेन्डमेन्ट दे सकें। इतना जल्दबाजी में लेना और समय न देना उपयुक्त नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : सदन के सामने पांच प्रश्न आये हैं। एक तो यह है कि जो इस वक्त सदन की कार्यवाही हो रही है और होने वाली है कल और परसों, वह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है। दूसरा सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी बिल जो पेश हुआ है वह आज इन्ट्रोड्यूस हुआ है। समय कम रह गया और एमेन्डमेन्ट देने और विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है इसलिए इसको पारित न किया जाय। तीसरी बात यह है कि कल के एजेन्डे में पांच बिल रखे गये हैं। चौथी बात यह है कि अरबन सीलिंग बिल पेश नहीं किया गया है। पांचवी बात यह है कि नोन ऑफिशियल डे के लिए समय नहीं दिया गया।

इन पर मैं अपनी राय देना चाहूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि अब तक जो कार्य हो रहा है बिजनिस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही हो रहा है। कल कॉंस्टिट्यूशन एप्लीकेशन वाला बिल है, यह एप्रूव्ड है। यूनिवर्सिटी बिल यह भी एप्रूव्ड था। 25, 26 को अरबन सीलिंग के लिए बिजनिस एडवाइजरी कमेटी द्वारा एप्रूव्ड बिजनिस के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। दूसरा पोइन्ट यह है कि यूनिवर्सिटी बिल आज पेश हुआ है उसमें अमेन्डमेन्ट भेजने में समय कम है। उनकी बात कानूनन सही है। समय कम पड़ता है। यूनिवर्सिटी बिल पहले सरकुलेट कर दिया गया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आज सुबह 10 बजे मिला है।

श्री अध्यक्ष : मैं मानता हूं कि माननीय सदस्यों को अध्ययन करने के लिए और अमेन्डमेन्ट भेजने के लिये अधिक समय

(श्री अध्यक्ष)

नहीं मिला। 11.30 बजे अमेन्डमेन्ट भेज देने चाहिये थे। इन्ट्रोड्यूस भी आज हुआ हैं। लास्ट मिनिट पर सरकुलेट हुआ। इन सब बातों को देखते हुए यदि 7 बजे तक भी आज एमेन्डमेन्ट भेज दिये जावेंगे तो उनको एडमिट कर लिया जावेगा। कल पांच बिल हैं, एक ही है। फार्म चेन्ज की है। स्टुडेन्ट्स का रिप्रेजेन्टेशन हो। तीन बिल हैं यूनिवर्सिटीज के। स्कोप भी अमेन्डमेंट का लिमिटेड है। सारी यूनिवर्सिटी के लिये तो आ नहीं सकेंगे। जिन पोइन्ट्स पर अमेन्डमेन्ट करना चाहते हैं, इन्ट्रोड्यूस किया है, उस पर ही लिये जावेंगे। वह दो-तीन सेक्शन पढ़कर दे सकते हैं। और माननीय सदस्य चाहें तो समय दे सकते हैं अमेन्डमेन्ट देने के लिए। लिबरली जितना समय चाहे दे सकते हैं।

नॉन ऑफिशियल डे, अरबन सीलिंग और लैंड सीलिंग के बारे में, लैंड सीलिंग तो कल इन्ट्रोड्यूस हो चुका है, अरबन सीलिंग वाला कल हो जावेगा। पहले लैंड सीलिंग का ले जिया जावेगा और फिर अरबन सीलिंग का ले लिया जावेगा। नॉन ऑफिशियल डे कब रखा जाय या नहीं यह बात रहती है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो बिजनिस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट मंजूर हुई है उसके अनुसार बिल रखे गये, विश्वविद्यालय विधेयक पर विचार। तीन कन्सोलिडेटड बिल हैं, हम तीनों यूनिवर्सिटीज का ले रहे हैं, भाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकुलेट हुए हैं तीन अलग-अलग तरह के सेपरेट लवि हैं और अलग-अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूशन हैं तीनों यूनिवर्सिटीज के, मेरा ऐसा खयाल था कि कन्सोलिडेटेड बिल ला रहे हैं इसलिए तीन हैं। मान लीजिए कम नहीं हैं दिक्कत महसूस करते हैं तो दुबारा बिजनिस एडवाइजरी कमेटी को पुनर्विचार के लिए कहे तो अपोजिशन को इतना तो मौका दीजिए कि वे कह सके। आज इस सम्बन्ध में मीटिंग बुला लीजिये। उसमें एडजस्टमेन्ट इन बातों का कर लेंगे। नॉन ऑफिशियल बिजनिस डे का भी उसमें विचार कर लेंगे।

श्री **अध्यक्ष** : बुला लेंगे आज ही। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

खेतड़ी स्थित हिन्दुतान कॉपर प्रोजेक्ट के मुख्यालय के कलकत्ता स्थानान्तरण संबंधी

श्री **शीशराम ओला** (चिड़ावा) : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा खेतड़ी के कॉपर प्रोजैक्ट का हैड ऑफिस कलकत्ता ले जाने के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

खेतड़ी में हिन्दुस्तान कॉपर प्रोजैक्ट का हैड ऑफिस न किसी की मेहरबानी पर वहां आया है, न किसी की दया पर वहां आया है और न किसी की रिकमन्डेशन पर वहां आया है। लेकिन वहां की भूमि में अपार ताम्बा है और चूंकि आज हमारे राष्ट्र को ताम्बे की बहुत जरूरत है उसको मद्दे नजर रखते हुए वहां पर छोटे-छोटे तम्बुओं में रह कर सर्वे करने वालों ने ताम्बे की सर्वे की और ताम्बा मिला। इसलिये उसके फलस्वरूप हैड ऑफिस भी वहां

Page No 48

(श्री शीशराम ओला)

आया। उसके आने से कितनी बिल्डिंग्स बनी, कितने टेलीफोन लगे, जो भी एक हैड ऑफिस के लिये व्यवस्था होती है वह सब, भवन वगैरा सब सरकारी खर्चे से बने। हैड ऑफिस के कलकत्ता लेजाने की वजह से खेतड़ी और झुंझुनू की जनता में न केवल असंतोष है किन्तु घोर असंतोष है। अगर उनकी यह वाजिब बात नहीं सुनी गयी तो वे संघर्ष के लिये भी तैयार हैं, वे किसी कीमत पर भी खेतड़ी से हैड ऑफिस नहीं लेजाने देंगे, यह उनका संकल्प है। क्या हिन्दुस्तान में किसी दूसरी जगह पर इतना ताम्बे का डिपोजिट है और वहां से क्या कभी हैड ऑफिस दूसरी जगह ले गये हो? नहीं, ताम्बे का इतना विशाल भण्डार कहीं नहीं है। क्या राजस्थान इतना कमजोर है कि ताम्बा हमारी भूमि में पैदा हो, हमारी भूमि में निकले, वहां के लोगों को बे घर कर दिया जाय, उनको रिफ्युजी बना दिया गया, मुआवजा उनको पूरा मिला नहीं, सस्ती कीमत पर उनसे जमीन ले ली गयीं, पूरी कीमत मिली नहीं। लोगों को समझा था कि एक बहुत बड़ा कारखाना हमारी स्टेट और ज़िले में आ रहा है और इस कारण उनको रोजगार मिलेगा। राष्ट्र के सामने ताम्बे की बड़ी भारी समस्या है, कभी पाकिस्तान हमला करता है और कभी चीन हमला करता है, लड़ाई के वक्त में ताम्बे की बहुत जरूरत पड़ती है। ऐसे महत्व के काम के लिये जमीन जाम, गांव जांय, उनके खेत खोदे जांय तो बरदाश्त करना चाहिये और कारखाने को कायम होने देना चाहिये। इस बात को वहां के लोगों ने गौर से सुना और इसके लिये राजी हुए। आज हेड ऑफिस कलकत्ता भेजने का मतलब क्या है? क्या इसी लिये वहां के काश्तकारों को बेघरबार किया गया? फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स भी वहां पर बाहर की दूसरी स्टेट से आये हैं, इस पर तो मुझे आज ज्यादा नहीं कहना है किन्तु जिन लोगों के मकान हटाये, गये गांव लिये गये, जमीन और खेत लिये गये, आज उनको वहां पर मजदूर भी नहीं रखा जाता है क्या यह न्यायसंगत है।

दूसरी बात जो कहनी है वह यह है कि कलकत्ता हैड ऑफिस लेजाया जा रहा है। कलकत्ता सेन्टर में नहीं पड़ता है और एक कौने में पड़ता है। जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे उद्योग हैं। सारा औद्योगिक क्षेत्र डिस्टर्ब्ड और भयभीत हैं। राजस्थान की जनता बड़ी शान्ति से कदम बढ़ा रही है, औद्योगिक क्षेत्र बड़ी शान्ति से कार्य कर रहे हैं और यहां से उसको उठाकर कलकत्ता ले जाने का अर्थ यह होगा कि यहां तो मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती और वहां उद्योगों में में मजदूर नहीं मिलते और फिर यहां ताम्बे के जो देश की जरूरत है और जिस तत्परता से ताम्बे का प्रोडक्शन देश के सामने आना चाहिए था उसमें और ढिलाई आई है और वह प्रोडक्शन बाहर से आयेगा और यहां कुछ ऑफिसर्स आये वे मजदूरों की समस्याओं को हल नहीं कर सके और केवल एयर कन्डीशण्ड कमरों में जाकर बैठना चाहें, अलबत्ता एयर कन्डीशन्ड कमरे यहां भी बनाये हैं लेकिन उससे हमें एतराज नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि यहां ताम्बा निकले मजदूरों को मजदूरी मिले और स्टेट को एक्साइज और दूसरे तरीके से लाभ मिले, हम तो इसमें इन्टरेस्टेड हैं। इसलिये कलकत्ता जहां इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और जहां एक के बाद एक इन्डस्ट्री है

(श्री शीशराम श्रोला)

श्रौर जो स्टेट इन्डस्ट्रिली सबसे ज्यादा बैकवर्ड हैं उस स्टेट में ताम्बे का सबसे बड़ा क्षेत्र है, भण्डार है श्रौर 40-45 कि० मी० की बेल्टी है, जिसमें ताम्बा ही ताम्बा है इससे बड़ी बेल्ट ताम्बे की श्रौर इससे बड़ा भण्डार ताम्बे का हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं है श्रौर फिर कलकत्ता तो एक कोने में पड़ता है इसलिए ऐसी सूरत में ताम्बे के प्रोजैक्ट का हैड ऑफिस कलकत्ता ले जाना यह न्याय नहीं है, अन्याय है श्रौर झुंझुनूं जिले की जनता में इसके प्रति घोर असन्तोष है—इसके लिए अध्यक्ष महोदय, श्रापके द्वारा मैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय मुख्य मन्त्री का श्रौर सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा श्रौर उनसे निवेदन करूंगा कि इस घोर अन्याय का हम डट कर मुकाबला करेंगे श्रौर इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कापर प्रोजैक्ट के हैड ऑफिस को किसी कीमत पर कलकत्ता नहीं जाने देंगे श्रौर इसके लिए मैं सदन के सारे माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसमें हमारा साथ दें ताकि राजस्थान का जो बेकवर्ड एरिया है, इसमें कुछ उद्योग पनप सकें, यहां के मजदूरों को मजदूरी मिल सके श्रौर स्टेट को फाइनेन्शियल लाभ हो सके। हम बारबार यही कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, देश में आर्थिक संकट है तो वह भी हल हो सकेगा श्रौर हमारे दूसरे पड़ोसी क्षेत्र हैं, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है जहां उद्योगों ने काफी प्रगति की है श्रौर वहां फाइनेन्शियल रिसोर्सेस भी इसके कारण से बढ़े हैं। हम टैक्स बढ़ा दें, खाद पर, मोटर पर, सवारियों पर टैक्स बढ़ा दें इससे फाइनेन्शियल प्रॉब्लम हल नहीं होगी। इसके जो तरीके श्रौर जरिये हैं उनके ऊपर हम गौर नहीं करेंगे तो इसी का नतीजा यह होगा कि हमारी स्टेट की दिन प्रति दिन आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होती जा रही है श्रौर इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य-मन्त्रीजी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि खेतड़ी से कापर प्रोजैक्ट का हैड ऑफिस कलकत्ता जा रहा है यह नहीं जाना चाहिए ताकि यहां के मजदूरों के साथ न्याय हो सके श्रौर मजदूरों को मजदूरी मिल सके श्रौर यही नहीं अगर यह हैड ऑफिस खेतड़ी से कलकत्ता गया तो यह कापर प्रोजैक्ट जिस प्रगति से चल रहा है उसमें दस-पन्द्रह वर्षों की ढिलाई आ जायेगी श्रौर हर छोटे-छोटे निर्णयों के लिए भी कलकत्ता जाना पड़ेगा श्रौर जब वे निर्णय कलकत्ता से आयेंगे तो इसमें देरी होगी श्रौर स्टेट को, राष्ट्र को श्रौर मजदूरों को श्रौर हम सब को इससे नुकसान होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी ऐसा एरिया नहीं मिलेगा कि प्रोडक्शन तो कहीं होता हो श्रौर उसका कन्ट्रोल कहीं बैठ कर किया जाता हो जब कि वहां साइट पर चेयरमेन को श्रौर चीफ इन्जिनीयर को श्रौर दूसरे सीनियर ऑफिसर्स को जाना पड़ता है। इसलिए हैड ऑफिस जहां तांबा निकलता है वहां रहे ताकि जो निर्णय लिये जाते हैं वह ऑन दी स्पॉट लिये जा-सके श्रौर कार्यों में तत्परता से प्रगति हो सके। अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी में यह सही है कि एक-दो बार मजदूरों ने हड़ताल की लेकिन उन्होंने वह अपनी वाजिब मांगों को लेकर की श्रौर वह हड़ताल शांतिपूर्वक

(श्री शीशराम ग्रोला)

उन्होंने की थी। उनकी मांगें वाजिब थी और उन्हें माना गया। मजदूरों की जीत हुई। इससे घबरा कर वहां का चेयरमैन और ऑफिशियल मैनेजमेन्ट कलकत्ता भागना चाहता है तो मैं नहीं समझता कि ऐसा उसको क्यों करने दिया जा रहा है। यदि इस सम्बन्ध में केन्द्र के मिनिस्टर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो वह अपने अयोग्य स्टाफ पर लें और मजदूरों को इससे क्यों प्रभावित करना चाहते हैं। वहां की पंचायत, पंचायत समिति, म्युनिसिपैलिटी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन्स जितनी भी हैं उन सबने निर्णय किया है और सबने मेरे पास लिख कर भेजा है कि हमारी न्यायोचित मांगें पूरी नहीं हुई तो हम संघर्ष करेंगे और किसी भी कीमत पर खेतड़ी प्रोजैक्ट के हैड ऑफिस को कलकत्ता नहीं जाने देंगे। इसलिए मेरा ग्राखिर में माननीय ग्रध्यक्ष महोदय ग्रापके द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी और सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इस मामले में मेरा साथ दे और मुख्य मन्त्रीजी भारत सरकार को मनायें, प्राइम मिनिस्टर को मनाये जो कुछ करना है करें लेकिन खेतड़ी कॉपर प्रोजैक्ट के हैड ऑफिस को कलकत्ता नहीं जाने दें। यह मैं निवेदन करूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय शीशरामजी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है मैं भी उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह बड़ी चिंता का विषय है कि मजदूरों ने वहां पर हड़ताल अपने अधिकारों की रक्षा के लिए की और खेतड़ी कॉपर प्रोजैक्ट का हैड ऑफिस कलकत्ता ले जाया जाये यह बड़ी अनुचित बात है। दूसरी बात यह है कि इसके बड़े दूरगामी परिणाम निकलने वाले हैं। आज मद्रास में यह बात शुरू हो गयी है कि वे अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि भारत सरकार का रुख प्रान्तों के प्रति अधिक अच्छा नहीं है। अगर यही व्यवहार रहा तो राजस्थान में भी इसके गम्भीर परिणाम निकलेंगे।

श्री अध्यक्ष : No debate.

श्री प्रद्युम्नसिंह : डिबेट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, इसमें राजस्थान के हितों का सवाल है इसलिए चर्चा किया जाना आवश्यक है और जितनी जोरों से हम मांग को सदन के अन्दर उठायेंगे तो भारत सरकार के ऊपर उतना ही असर पड़ने वाला है और वह इस पर पुनर्विचार करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि खेतड़ी कॉपर प्रोजैक्ट के अन्दर हालत यह है कि वहां पर बाहर के लोग आये हैं और यहां राजस्थान के लोगों को उम्मीद थी कि उनको अधिक रोजगार मिलेगा। आपको ताज्जुब होगा कि यहां पर 90 प्रतिशत बाहर के लोग काम कर रहे हैं और यदि इसका हैड ऑफिस कलकत्ता चला गया तो वैसे भी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि फिर सारे अपाइन्टमेंट्स कलकत्ता से ही होंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज राजस्थान में जहां 1 लाख 33 हजार से ज्यादा पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं वहां अगर खेतड़ी कॉपर प्रोजैक्ट के हैड ऑफिस को कलकत्ता शिफ्ट किया गया तो इस बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

की ओर कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि जो पुलिस ट्रेनिंग का सेन्टर है उसको माउन्ट आबू से शिफ्ट करने की बात चली, इसी तरह से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया का ऑफिस था उसको भी माउन्ट आबू से हटाने की बात चली तो जो इस प्रकार की नीति भारत सरकार की प्रान्तों के प्रति चल रही है इसके बारे में हमें सोचना बहुत आवश्यक है । तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऑफिसर्स जो वहां बैठे हैं वह अपने ऐशो-आराम के लिए कलकता जाना चाहते हैं । कलकत्ता बड़ा शहर है और वहां पर तरह-तरह के आराम हैं और वहां पर मौज, शौक के तरह-तरह के जरिये हैं, चार-चार और पांच-पांच हजार उनको तनख्वाह मिलती है और खेतड़ी छोटी जगह है, कलकत्ता के मुकाबले में इसलिए वे खेतड़ी को छोड़ कर कलकत्ता भागना चाहते हैं । आखिर इतने दिनों से भी तो वहां पर दफ्तर बना हुआ था और अब तक कोई तकलीफ नहीं थी । सिर्फ बहाना बना कर उनकी मन्शा है कि वे इस लाइफ़ को लीड करना नहीं चाहते हैं इसलिए राजस्थान छोड़कर कलकत्ता जाना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि अगर उनको खेतड़ी में, तकलीफ है तो राजस्थान में खेतड़ी के पास ही जयपुर है और यह माना जा सकता था कि वह जयपुर में आ जाते खेतड़ी से । लेकिन वह खेतड़ी से 1500 मील दूर कलकत्ता में जा कर बैठे यह तुकबन्दी समझ में नहीं आती है । तो मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि भारत सरकार के ऊपर इस बात का जोर डालें कि खेतड़ी प्रोजैक्ट का हैड ऑफिस खेतड़ी से कलकत्ता किसी हालत में नहीं जाना चाहिए ।

एक प्रश्न और महत्त्वपूर्ण है । अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ समय पहले एक प्रश्न पूछा था कि राजस्थान के अन्दर क्या भारत सरकार कोई नये उद्योग खोलने जा रही है तो उत्तर मिला कि 'जी नहीं' । फिर मैंने यह पूछा कि भारत सरकार ने क्या राजस्थान में और प्रान्तों के मुकाबले में कम उद्योग खोले हैं तो उसमें उत्तर मिला है 'जी हां'....तो अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का जो व्यवहार राजस्थान के साथ है, वह बड़े सोचने का विषय है कि इस तरह का व्यवहार हो । हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने इस सदन में कहा था कि वे यहां के औद्योगीकरण के विषय में प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन अखबारों के अन्दर यह बात आई है कि आगरा और मथुरा के बीच में ऑयल रिफ़ाईनरीज की स्थापना की जा रही है और इस प्रकार से राजस्थान का हक मारा जा रहा है । आज जो ऑफिसेज यहां खुले हुए हैं उससे पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है क्योंकि इसका एक्सपांशन आगे होने वाला है । कलकत्ता में हैड ऑफिस ले जाते हैं तो वहीं के तमाम लोगों का रिक्रूटमेंट होगा । यह भी होता है अध्यक्ष महोदय, कि जिस प्रांत के जो अफसर आते हैं, बंगाल के आये, पंजाब के आये तो जहां के अफसर आते हैं वे अपने प्रांत के लोगों को भर्ती करते हैं, राजस्थान की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

इसलिए इस सदन के सदस्यों की आम राय है और राजस्थान के भी हित में है कि खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट का ऑफिस वहीं पर कायम रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्रीजी !

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी दो शब्द इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : जरूर फरमाइए।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य श्री शीशरामजी ओला ने इस खेतड़ी प्रोजेक्ट के हैड ऑफिस को कलकत्ता में हटाने के सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर जो प्रकाश डाला है उसके साथ मेरी एक हद तक सहानुभूति है। मैं कोई संकीर्ण मनोवृत्ति लेकर यह नहीं कहना चाहता कि राजस्थान में है तो राजस्थान को ही प्राथमिकता दी जाय लेकिन यह सामान्य बौद्धिक बात है कि अगर कोई इन्डस्ट्री राजस्थान में है तो राजस्थान को प्राथमिकता स्वाभाविक तौर से मिलनी चाहिए। उसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र की जो उपेक्षावृत्ति राजस्थान के प्रति इन्डस्ट्रियलाईजेशन के सम्बन्ध में है, मैंने अपने बजट भाषण के समय भी उसके सम्बन्ध में प्रकाश डाला था और यह कौनसी बात कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। कहां कलकत्ता जाकर हैड ऑफिस बैठे और जयपुर के हक को मारा जाय। मजदूरों के सम्बन्ध में भी सौतेला व्यवहार किया जाय। तो यह कोई संकीर्णता नहीं है, यह तो अन्याय, घोर अन्याय है जो हो रहा है। उसको ठीक करने के लिए जो माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कहा है उसका पूर्ण तौर पर मैं समर्थन करता हूं और चैरिटी बिगेन एट होम के सिद्धान्त से वह कॉपर प्रोजेक्ट का हैड ऑफिस यहां राजस्थान के अन्दर रहना चाहिए अव्वल तो खेतड़ी के अन्दर रहना चाहिए और यदि खेतड़ी में नहीं रहना चाहें तो जयपुर में रहना चाहिए। अगर जयपुर में भी न रहे तो क्यों नहीं रहे। ऐसा क्या है कलकत्ता में, यह मेरी बिलकुल समझ के बाहर की बात है। इसलिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार को पुरजोर शब्दों में इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहिए कि राजस्थान के साथ जो घोर अन्याय और सौतेला व्यवहार हो रहा है, वह न किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इससे सहमत हूं कि खेतडी में कॉपर प्रोजेक्ट का जो हैड ऑफिस है वह यहीं पर रहना चाहिए। अभी जो प्रोजेक्ट है उसका और भी प्रसार होना है और जितना कॉपर यहां बताया जाता है उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में राजस्थान कॉपर के मामले में एक बहुत ही ऐसा भण्डार है जिसकी कि मिसाल दूसरी जगह नहीं है। आगे जाकर यहां पर कॉपर का स्मेल्टर लगने वाला है। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि राजस्थान को यह अधिकार नेचुरल कारणों से यह हांसिल है कि यहां पर कोपर का प्रोजेक्ट लगे, स्मेल्टर यहां पर लगे। जो अभी निर्णय लिया गया है क्यों लिया जा रहा है, इसका हमें पता नहीं है, सरकार का उत्तर आएगा तब मालूम होगा। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से बातचीत की होगी, उसका मुख्य मन्त्री जी स्पष्टीकरण देंगे तो पता लगेगा लेकिन मैं समझता हूं कि राजस्थान बिल्कुल जस्टीफाइड है इस हैड ऑफिस को रखने के लिए और इसके लिए हमें पूरी तरह से प्रयत्न करना चाहिए और हमारी तरफ से जो भी सरकार इस सम्बन्ध में सहयोग चाहेगी, उस सहयोग को देने को तैयार हैं लेकिन हर हालत में हैड ऑफिस यहीं पर रहना चाहिए।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : राजस्थान में जो कॉपर प्रोजेक्ट का यंत्र चल रहा है, इस समय निर्धारित समय से पांच वर्ष पूर्व ही प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए था। यह योजना पहले ही पांच साल देर कर चुकी है और अब इस दफ्तर को कलकत्ता ले जाने से इस कार्य में और भी देरी होगी। इससे यह पता चलता है कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार राजस्थान के औद्योगीकरण के प्रति कितनी उदासीन है, कितनी उपेक्षा रखती है और किस प्रकार का इस काम में इण्टरेस्ट लेती है। जो संचालक मण्डल है वह इस काम को चलाने के प्रति कितनी रुचि रखती है यह भी स्पष्ट है। इस प्रकार के संचालक मण्डल को काम करने का अधिकार नहीं है और मैं मांग करता हूं कि इस संचालक मण्डल को तुरन्त भंग कर दिया जाय। राजस्थान से जो ऑफिस

(12.55 म. प.)

(श्री रामसिंह, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

हटाया जारहा है उसका कोई कारण सामने है भी नहीं। खान खेतड़ी में रहेगी और कार्यालय कलकत्ता में रहेगा। कार्यालय बनाने के लिए इतना सारा खर्चा कर दिया गया है और बिना किसी कारण के एक व्यक्ति विशेष के कारण इसे हटाया जा रहा है क्योंकि वे राजस्थान की गर्मी बरदाश्त नहीं कर सकते, राजस्थान की सर्दी बरदाश्त नहीं कर सकते हैं इसलिए केवल उनके आराम के लिए इसके कार्यालय को कलकत्ता ले जाया जा रहा है। आज हालत यह है कि आज जो छोटे-छोटे कार्यालय कलकत्ता में हैं वे भी राजस्थान में आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं और यहां पर जो कार्यालय अनापशनाप खर्चा करके बनाए हैं उनको छोड़ कर कलकत्ता में इसका हैड ऑफिस ले जा रहे हैं। लोग अपने कार्यालय कलकत्ता से हटा रहे हैं और ये वहां जा रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि कलकत्ता में साल में 200 दिन काम नहीं होता। इस कार्यालय को हटाने का कारण यह बताया जाता है कि हड़तालें होंगी तो यहां तो छोटी-मोटी हड़ताल ही होगी लेकिन वहां बड़ी हड़तालें होंगी। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी हड़तालों में फंसना चाहता है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बढ़ जाएगा, जो सार सम्भाल यहां होती है, वह भी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार के प्रतिगामी कदम की जितनी भर्त्सना और निन्दा की जाय, उतनी उचित है। मैं नहीं समझ पा रहा कि राजस्थान के प्रतिनिधि वहां पर क्या करते हैं। मैंने पहले भी यह सवाल उठाया था लेकिन राज्य सरकार इस विषय में मौन रही। क्या कारण है, हम जानना चाहते हैं, सदन जानना चाहेगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार की बातें क्यों हुई? राजस्थान पहले भी एकदम उपेक्षित है उद्योग धन्धों के मामले में,

(श्री उपाध्यक्ष)

नये उद्योग खोले नहीं जा रहे हैं और जन संख्या के हिसाब से सबसे कम उद्योग राजस्थान में लगे हैं। केन्द्रीय सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई है। चाहे उसके कारण कुछ भी रहे हों लेकिन अब भी सरकार को इसकी मांग करनी चाहिए और योजनाएं बना कर उद्योग लगाने चाहिएं। रॉ-मेटेरियल जो यहां पर पैदा होता है, वह दूसरी जगह जाता है। एक सिन्दरी का कारखाना है उसको रॉ-मेटेरियल राजस्थान से जाता है। इसी प्रकार मुख्य कार्यालय हटाया जाता है तो यहां का रॉ-मेटेरियल भी बाहर चला जायेगा। कलकत्ता कार्यालय ले जाने का कोई तुक नहीं है। कोई युक्तियुक्त कारण हो तो समझ में आ सकता है। लेकिन कलकत्ता कार्यालय हटाया जाता है और राजस्थान को उससे वंचित रखा जाता है तो उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने इस प्रकार की सनसनी पैदा की है, जिन लोगों ने यह बात की है उसमें हमारी राजस्थान सरकार की उपेक्षा वृत्ति से ही ऐसा हो रहा है तो मैं जानना चाहूंगा कि यह सरकार इस मामले पर क्या कर रही है। इस मामले पर सरकार प्रकाश डाले और कारण बताए। कारण नहीं बताए तो इसके परिणाम बहुत गम्भीर होंगे।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने को खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना है कि श्री शीशराम-जी ने जो प्रश्न उठाया है वह अत्यन्त महत्व का प्रश्न है। पार्लियामेंट के अन्दर भी इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है और मैं निवेदन करता हूं कि आज करोड़ों रुपयों की मशीनरी लगा कर तथा वहां पर और सारे सामान जुटा कर जो खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में काम चालू होने वाला था, प्रोडक्शन जो दो वर्ष बाद प्रारम्भ होगा, उस सारे काम को यहां से हटा कर और कलकत्ता हैड ऑफिस ले जाना, मैं यह मानकर चलता हूं कि सारे काम को ठप्प करने की इन सरकारी अधिकारियों की योजना है। पिछले पांच वर्ष पहले यह काम प्रारम्भ हो जाना चाहिए था। हमें ताम्बे पर करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। प्रोडक्शन में जिस प्रकार से ढिले हो रही है और आज मजदूरों का बहाना बना कर वहां से हैड ऑफिस हटा कर उस जगह ले जाना चाहते हैं जो देश का सबसे बड़ा अशान्त नगर है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हर कीमत पर राजस्थान में ही हैड आफिस रहा चाहिए। आज मैं कहता हूं कि राजस्थान कैनाल जब बीकानेर, गंगानगर जिलों में से होकर जोधपुर जैसलमेर जिले मे जा रही थी तो उसका हैड आफिस जयपुर में रहने की आलोचना की गई थी और उस आलोचना के कारण उसके हैड आफिस को बीकानेर ले जाकर अच्छा काम किया है। उसी प्रकार मैं यह मानता हूं कि खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट का हैड ऑफिस खेतड़ी न रख कर कलकत्ता ले जाना, इससे बढ़ कर रद्दी बात कुछ नहीं हो सकती

(श्री रामगोटेवाला)

इसके अतिरिक्त मैं एक बात मुख्य मंत्री महोदय से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा। जियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया के जो ऑफिसर इन्चार्ज यहां पर हैं उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उनके पास में पांच करोड़ रुपया ऑफिस की बिल्डिंग के लिये रखा हुआ है। पिछले तीन साल से वे राज्य सरकार से करीब दो सौ बीघा जमीन की मांग कर रहे हैं। मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं उसका मेंहू ऑफिस भी दूसरी जगह न चला जाये। राजस्थान में इस विभाग के करीब 5 हजार कर्मचारी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं और हमें यह मानकर चलना चाहिये कि वे राजस्थान की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार की खोज उनके द्वारा की जा रही है कि राजस्थान में कहां-कहां क्या-क्या मिनरल्स हैं, उसके बारे में वे जानकारी देने का काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार उनकी उपेक्षा न कर के उनको दो सौ बीघा जमीन का आवंटन कर दे।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कह रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह इसी से सम्बन्धित बात है। मुझे डर है कि कहीं जियोलोजिकल सर्वे आफ इन्डिया का ऑफिस कहीं और न चला जाये जैसे शीशराम जी ने आज ध्यान आकृष्ट किया है, इसके बारे में कहीं मोहनजी छंगाणी को ध्यान आकर्षित नहीं करना पड़े। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस ओर सही तरीका अपनावें। इस सम्बन्ध में सम्माननीय सदस्यों की सर्वसम्मत राय है कि खेतड़ी के अन्दर जो कॉपर प्रोजैक्ट है उसका हैड ऑफिस खेतड़ी में ही रहना चाहिये इसके लिये चाहे फिर आपको दिल्ली बात करना पड़े। सम्माननीय सदस्य इस बात से एकमत है और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय स्वयं रुचि लें और हैड ऑफिस खेतड़ी में ही रखवाने का प्रयत्न करें।

श्री भंवरसिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष जी, शीशरामजी ने जो प्रस्ताव रखा है कि खेतड़ी कॉपर प्रोजैक्ट का ऑफिस खेतड़ी से हटा कर कलकत्ता ले जाया जा रहा है, उसको रोका जाये, इसका मैं भी विरोध करता हूँ और उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह जो प्रोजैक्ट झूंझुनूं जिले में बना है वह प्रकृति की देन है और प्रकृति ने काफी बड़ा भन्डार, तीस मील के एरिया के अन्दर, ताम्बे का दिया है। यह भन्डार एशिया में सब से बड़ा भन्डार है इसलिये वहां पर जो कारखाना लगा वहीं पर उसका हैड ऑफिस भी बना। उसका जो ट्रान्सफर बंगाल में कर रहे हैं, हमारी सरकार करना चाहती है हमारे ऑफिसर्स के जरिये और ऑफिसर वहां पर रहना नहीं चाहते हैं, हो सकता है कि उनको कोई दिक्कत हो, परन्तु उनके कहने से हमारी सरकार ऐसा निर्णय लेतीं है तो यह शर्म की बात है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की तरफ से आप भारत सरकार को कहें कि ऐसा करना सम्भव नहीं होगा। वहां के जिले के सब लोग संघर्ष करने के

(श्री भंवरसिंह)

लिये तैयार हैं। वहां के, जिले के किसानों ने अपनी जमीनें दी हैं, वे जमीनों से बेदखल हुए हैं और इसके लिये वहां के किसानों को समझाया गया है कि आपके जिले में एक बड़ा कारखाना लग रहा है, इससे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिये हम देश के लिये, वैसे हमारा जिला सेना में जाने में सब से आगे है और देश रक्षा के लिये कुर्बानी करता है, वैसे ही हम विकास के लिये जमीन की भी कुर्बानी कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपने देश के विकास के लिये हमारे यहां पर इतना बड़ा भण्डार मिल रहा है, इससे हमारे जिले के लोगों को रोजगार मिलेगा, राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा, और जैसा कि अभी छंगाणीजी ने बताया है, आज हमारे यहां पर पांच हजार इन्जीनियर बेकार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनको भी रोजगार हैड ऑफिस रख कर ही दे सकते हैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रासिंह !

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, चिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का हैड ऑफिस खेतड़ी से हटाये जाने और कलकत्ता ले जाने के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करते हुए माननीय मुख्य-मंत्री जी का और सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट यानी हमारे राजस्थान का खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट हिन्दुस्तान का सब से बड़ा कॉपर प्रोजेक्ट है और सब से ज्यादा इनवेस्टमेन्ट यहां पर है और जिन तीन प्रदेशों में ताम्बे की खाने हैं उनमें सब से ज्यादा कन्सन्ट्रेशन में ताम्बा यहां पर निकलता है। हिन्दुस्तान में यह सौभाग्य राजस्थान को और राजस्थान में झुंझुनू जिले को प्राप्त हुआ है कि यहां हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी ताम्बे की खानें हैं। बिहार और आंध्रप्रदेश के अन्दर जो दूसरे कॉपर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वहां का इनवेस्टमेंट वहां का कन्सन्ट्रेशन खेतड़ी के मुकाबले में कहीं कम है। जब 1967 में एन एम डी सी हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड बना, उस समय बहुत सोच समझने के बाद यह फैसला किया गया था कि इसका हैड ऑफिस इनवेस्टमेन्ट के हिसाब से और ताम्बे के कन्सन्ट्रेशन के हिसाब से खेतड़ी में रखा जायेगा। पांच साल बाद किस प्रकार से यह कलकत्ता अचानक हैड ऑफिस को शिफ्ट करने की बात आई है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

(1.05 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पीठासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि इसके पीछे कोई राजनैतिक और दूसरी तरह के कारण नजर आते हैं। मैं जहां तक समझ पायी हूं, अभी कुछ ही दिनों पहिले बिहार में बिड़ला बन्धुओं की जिस हिन्दुस्तान कॉपर कॉर्पोरेशन की खानों का अभी थोड़े दिनों पहले ही नेशनेलाइजैशन हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अन्दर काफी अच्छे इक्वीपमेन्ट थे। मैं समझती हूं कि उस इनवेस्टमेन्ट के हिसाब से, तथा स्मेल्टर

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

के हिसाब से यह नौबत आई है और बिड़लाजी ने शायद इस बात के लिये प्रेशरराइज भी किया हो। वहां की गवर्नमेन्ट ने भारत सरकार के सामने यह बात रखी हो कि इतना बड़ा स्मेल्टर है, इक्वीपमेन्ट है, उनका ठीक प्रकार से उपयोग किया जा सके, इसके लिये घाटशाला जो कलकत्ता के नजदीक है, इसलिये इसको कलकत्ता में शिफ्ट करने की बात आई है। मैं सोचती हूं कि खेतड़ी के कॉपर प्रोजेक्ट में जिस प्रकार का कन्सन्ट्रेशन और इन्वेस्टमेन्ट हैड क्वार्टर होने के नाते जितनी फैसिलिटीज देने के अन्दर इनवेस्टमेन्ट हुआ है, और पांच साल बाद हैड क्वार्टर को इस प्रकार तब्दील करने का निर्णय लेना न केवल हमारे राजस्थान और झुंझुनूं जिले के साथ और इस कॉपर प्रोजेक्ट को धक्का पहुंचाने वाली बात है, बल्कि इसके साथ ही साथ हमारी राजस्थान की सरकार की भी एक बहुत बड़ी कमजोरी होगी। इस प्रकार का निर्णय, किसी हैड ऑफिस को तब्दील करने का निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया जाना चाहिये क्योंकि इसका उस क्षेत्र पर राजनीतिक प्रभाव पड़ता है और जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है इस कॉपर प्रोजेक्ट के अन्दर जिस तत्परता के साथ, जिस शीघ्रता के साथ काम होना चाहिये था, वह काम अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पाया है। हैड ऑफिस होते हुए भी नहीं हो पाया है। लेबर की जितनी कम ट्रबल खेतड़ी में है और वहां पर सब तरह की सुविधाएं हैं और वे सब सुविधाएं कलकत्ता ले जाने से, सारी समस्याओं का निराकरण हो जायेगा, यह सम्भव नहीं है। मैं मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान, सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि यह एक बहुत अहम सवाल है। इसके पीछे राजनीतिक महत्व है और मुख्य मन्त्री भारत सरकार से इस बात का अनुनय करे और भारत सरकार पर दबाव डाले और यदि आग्रह और अनुनय को भारत सरकार न माने तो इस बात के लिये भारत सरकार को प्रेसुराइज करे तो मैं समझती हूं कि यह उचित होगा वरना इसके दुरगामी परिणाम होंगे और वे इस कॉपर प्रोजेक्ट के लिये भी घातक हो सकते हैं और खास तौर से हमारे जिले के लिये हैड ऑफिस को शिफ्ट करने के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अन्त में इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान फिर से यह बात अनुरोध करते हुए दिलाना चाहती हूं कि वे इस बात के लिये अपना पूरा-पूरा प्रभाव इस्तेमाल करें और भारत सरकार को रजामन्द करे इस बात के लिये कि हैड क्वार्टर शिफ्ट न हो बल्कि हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का हैड ऑफिस खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में ही रहे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट का दफ्तर कलकत्ता ले जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो राय व्यक्त की है उससे मैं सहमत हूं। मैं कुछ ऐसी बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो कि अब तक सदन के समक्ष नहीं आई है।

एक तो खेतड़ी की जो मजदूर यूनियन है उसके प्रश्नों को हल करने के लिए राजस्थान के श्रम विभाग ने कोई ध्यान नहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

दिया। हालांकि खेतड़ी प्रोजेक्ट राजस्थान की नहीं बल्कि सारे विश्व को सबसे ज्यादा कापर का स्टॉक यहां पर है. ऐसी बात एस्टेब्लिश हो चुकी है और यहां पर जो अमेरिकन्स ने सर्वे की थी और जिस प्रकार से उन्होंने जगह-जगह ड्रिलिंग किया था और ड्रिलिंग के बाद जिस प्रकार के एक्स्प्लायटिंग सेन्टर्स का उन्होंने काम किया वह पूर्णरूप से फेल हो गया, और उसके बाद जब रशियन एयर सर्वे से यह पता लगा कि विश्व का सब से बड़ा स्टाक है तो भारत सरकार ने पूरी ताकत से इस खेतड़ी प्रोजेक्ट के ऊपर अपना कन्सेन्ट्रेशन किया। वह अपने आप के अन्दर अमेरिकन इन्टरफियरेन्स की और किस प्रकार से साम्राज्यवादी देश पिछड़े हुए देशों को विकसित नहीं होने देना चाहते हैं वह अपने आप में अलग से कहानी है उसमें मैं सदन का समय नहीं लूंगा, लेकिन यह प्रश्न तो स्पष्ट ही सामने है कि आज वहां की यूनियन का सेक्रेटरी उस मजदूर कॉलोनी के अन्दर प्रवेश नहीं कर सकता। किसी प्रकार से वहां पर कोई लेबर एक्टीविटी नहीं कर सकता। उसको लेकर श्रम विभाग के दरवाजे खट-खटाये। खेतड़ी मजदूर यूनियन ने लगातार राजस्थान के श्रम विभाग के दरवाजे खटखटाये लेकिन उनके कष्ट को राजस्थान के श्रम विभाग ने हल करना नहीं चाहा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि आज जो मेजर मिनरल प्रोजेक्ट्स हैं यह स्टेट और सेन्ट्रल रिलेशन की भी बातचीत का विषय है चाहे वह जिंक स्मेल्टर को ले लें या कॉपर प्रोजेक्ट को ले लें या जो हमारे राजस्थान के अन्दर यूरेनियम के भण्डार नजर आये हैं उस संबंध में भी भारत सरकार आने वाली है। तो इन रिलेशन्स को रिवाइज करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तब तो राजस्थान जैसा देश....

श्री अध्यक्ष : मुख्तसर में फर्मायें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : केवल दो मिनिट।

तब तो राजस्थान जैसे पिछड़े हुए प्रदेश को और पिछड़े हुए राज्य को जिसकी बजट की स्थिति आपके सामने स्पष्ट है और माननीय मुख्य मन्त्रीजी का एक बहुत ही करुणापूर्ण पत्र सभी माननीय सदस्यों के पास पहुँचा है शराबबन्दी के सम्बन्ध में, भारत सरकार को इन मेजर प्रोजेक्ट्स के अन्दर निश्चित रूप से राजस्थान को हिस्सेदार बनाना चाहिए और राजस्थान सरकार को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि चाहे वह जिंक का स्मेल्टर हो, चाहे वह कॉपर प्रोजेक्ट हो, चाहे वह जिंक का एक्स्प्लायटेशन का प्रश्न हो, चाहे वह कॉपर के एक्स्प्लायटेशन का प्रश्न हो उसमें राजस्थान राज्य को हिस्सेदार की शक्ल के अन्दर शामिल करेंगे तो राजस्थान की पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था को उठाने में सहायता मिल सकेगी।

यह बड़ी अजीब बात है कि ऑफिस को उठाकर कलकत्ता ले जा रहे हैं तो वही बात हुई कि एक मीटिंग हुई सन्तों की और उन्होंने आपस में चन्दा किया कि कॉलेज कहां बनाया जाय। किसी ने कहा कि कॉलेज जयपुर में बनाया जाय तो दूसरे ने कहा कि होस्टल गंगानगर में बना दें। तो अध्यक्ष महोदय, सारा कार्य तो खेतड़ी

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

में और उसका हैड ऑफिस हो कलकत्ता में। यह तो बिल्कुल ही उसी प्रकार की चीज है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि न केवल इतना ही वह यह मानकर न चलें कि दफ्तर यहां रहे, लेकिन यह जोरदार मांग करें कि चाहे मेजर मिनरल एक्स्प्लायटेशन हो उस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार उसमें एक मुख्य हिस्सेदार के रूप में शिरकत करें और अपनी गिरती हुई अर्थ व्यवस्था को ठीक करें।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, दो मिनिट मुझे देने की कृपा करें। मुझे यह अर्ज करना है कि यहां रप विश्व भरका जहां रा-मेटिरियल होता है वहां तो हैड ऑफिस नहीं देंगे। तो यह अपने ढंग का अजीब उदाहरण होगा कि जहां पर हैड़ ऑफिस बना हुआ है वह क्यों कर वहां से हटाया जा रहा है? यह एक मिस्ट्री है।

अब यहां पर यह निवेदन करना है कि हमारे यहां हिन्दुस्तान में भिलाई का भी एक कारखाना चल रहा है। वह एक गांव था। वहां रा-मेटेरियल जब प्राप्त हुआ तो वहां एक लाख आदमी काम कर रहे हैं। अगर इस तरह से कारखाने को हटाना था तो भिलाई का कारखाना हटाकर कलकत्ता जा सकता था, पर वह नहीं गया। क्या वजह है कि हमारे यहां पर इतनी अच्छी तरह से कार्य हो रहा है फिर भी इसको कलकत्ता ले जाया जा रहा है। जहां तक मैं समझता हूं इसका कारण जैसा कि यहां पर कुछ सदस्यों ने उद्‌गार प्रकट किये कि अधिकारीगण यह चाहते हैं कि कोई अच्छे भवन मिलें। यह सही हो और अगर उनको यही चाहिये तो जयपुर उनके लिये बड़ा नजदीक है। फिर भी जहां पर कारखाना है वहीं पर उन्हें रखना चाहिये। इतना बड़ा वेतन वह इसलिये पाते हैं कि जहां पर कारखाने में 20 तरह की बाधाएं आती हैं तो वे वहां रहकर उसको हटा सकते हैं। बाहर दूर रहकर वे उसको नहीं कर सकते हैं। अजीबो गरीब बात हो गई इस चीज के अन्दर। यह हमारी शिथिलता है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ नहीं खींचा गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस मामले में सतर्क हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि सदन की भावनाओं को देखते हुए इस मामले में उनकी विजय होगी इतना ही मैं अर्ज करना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें किसी प्रकार के विवाद की आवश्यकता नहीं है....

श्री अध्यक्ष : इसीलिये कमी के साथ बोलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कमी के साथ में ही मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि यों तो उद्योग बहुत कम है और हमारी किसी कमी के कारण राजस्थान में स्कूटर का कारखाना नहीं लगा, सवाईमाधोपुर में तेलशोधक जो स्थापित होने को था वह नहीं हो सका है, और जो कारखाने राजस्थान में हैं, जैसे खेतड़ी हिन्दुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट के नाम से है और जिसके कलकत्ता ले आने की बात की जा रही है। जो स्टेट में लगने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

थे वह लगे नहीं और जो लगे हुए हैं उनको राजस्थान के बाहर ले जाया जा रहा है तो इससे बढ़कर कोई गम्भीर स्थिति नहीं हो सकती। इसलिये मेरा निवेदन करना यह है कि इसमें किसी प्रकार के वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है। यह डिस्प्युटेड मामला नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी के यहां पर जो हाथ मजबूत करने का प्रश्न है वह सभी दलों की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस प्रकार का आश्वासन दिया जा रहा है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी अपने को पूरा ताकतवर समझें और पूरे विधान सभा के 183 सदस्य ही उनके साथ में हैं। वह मजबूती के साथ में कदम आगे बढ़ायें और कारखाने यहां पर नहीं लग रहे हैं उनको लगायें और जो कारखाने यहां से जा रहे हैं वे नहीं जाने दिये जायं। आज कई माननीय सदस्यों ने कहा खेतड़ी से हटाकर कलकत्ता नहीं ले जाकर यहां जयपुर में स्थापित किये जायें तो यह बड़ी खुशी की बात है, और जिन्होंने यहां लगाने के बारे में कहा है उनको मैं धन्यवाद देता हूं। मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह ताकत के आधार पर राजस्थान सरकार का जो पक्ष है वह केन्द्रीय सरकार के पास रखें। मैं और मेरा दल और अन्य लोग भी जो हैं वह आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यदि इसके लिये कोई आन्दोलन भी करना पड़े तो मेरा दल पीछे नहीं रहेगा। आप मजबूती धारण करके चलिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हम 183 सदस्य ही आप के पीछे इस्तिफा दे देंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पास सबसे ज्यादा जो धन है वह मुख्यतः मिनरल में ही है। अगर हम मिनरल का प्रश्न अच्छी तरह से नहीं लेंगे तो मेरे खयाल से वित्त मंत्रीजी की स्थिति कभी भी सुधर नहीं पायेगी। खेतड़ी प्रोजैक्ट हमारे यहां आया और खेतड़ी के अन्दर जो ताम्बे का भन्डार है उस ताम्बे के भण्डार के बेसिस पर बहुत बड़ी कल्पना की थी कि उस ताम्बे के बेसिस पर हजारों इन्जीनियर्स को रोजगार दे पायेंगे। इस तरह से और भी मिनरल्स हैं। तो इनके बारे में हमारी एक निश्चित धारणा होनी चाहिये कि कॉपर प्रोजैक्ट का दफ्तर यहां पर रहना चाहिये। उसको किसी तरह से जाने नहीं दे।

जो मूल प्रश्न है वह है कि कोई भी दफ्तर यहां से जाता है तो इसमें ब्यूरोक्रेसी का डिसीजन है। बिरलाजी ने कारखाना ले लिया और उनके बच्चे कलकत्ते में पढ़ रहे हैं उनको तकलीफ होती है तो यहां से ले जायेंगे। बिरला के कारखाने से राष्ट्रीयकरण का प्रश्न जोड़ दिया गया। मूल में प्रश्न यह है कि डिसीजन मेकिंग स्थिति को सुधारा जाय। सेन्ट्रल असिस्टेन्स के अन्दर जो कारखाने यहां पर खुलते हैं तो उनके दफ्तर यहां पर रहने चाहिये और मजबूती से इसके लिये लड़ा जाना चाहिये कि प्रोजैक्ट का दफ्तर यहां से न जाय।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लिए हिन्दुस्तान की पंचवर्षीय योजना में जो एलोकेशन करने जा रहे हैं तो हम नीचे से नीचे की स्थिति में पहुँच गये हैं। यह ठीक है कि मूल बैठे हैं कि जिससे हमारे यहां कॉपर प्रोजैक्ट लग गया लेकिन दूसरी

(श्री मोहनलाल झंगाणी)

जगह हजारों प्रोजेक्ट्स खुल रहे हैं और हमारा हिस्सा जो सेन्ट्रल असिस्टेन्स में होना चाहिये वह दिन पर दिन गिरता जा रहा है। मिनरल रिसोर्सेज में राजस्थान एक भन्डार है उसको हम एक्स्प्लायट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कापर प्रोजेक्ट का दफ्तर यहां पर रखा जाना चाहिये। उसके लिये जो भावनाएं सदन में व्यक्त हुई है उनके आधार पर मजबूती के साथ में सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा रोक लगाई जाय इसके अलावा जो हिस्सा मिलना चाहिए वह ज्यादा से ज्यादा मिल सके, इसके लिये पुरजोर कोशिश करनी चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करूंगा।

इसका एक सवाल यह भी है कि प्रोजेक्ट चले जाने से उसका जो इनकम टैक्स का हिस्सा मिलना चाहिये, वह नहीं मिलेगा। जहां हैड ऑफिस होगा वहां ही इनकम टैक्स जायेगा। हैड आफिस कलकत्ता होगा तो इनकम टैक्स का हिस्सा आप को नहीं मिलेगा: दूसरा यह है कि जो लोगों को बढ़ावा देने के लिये किया है, एक दफ्तर तो उनका यहां रहेगा। ऑफिसर्स उनके यहां रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि कॉपर प्रोजेक्ट में जो प्रॉफिट होगा, इनकम टैक्स होगा, उसमें हमारा हिस्सा आयेगा। उसके ऊपर सेल्स-टैक्स नहीं लागू करने के लिए, किसी ने हमको बताया कि वह हैड ऑफिस को ट्रान्सफर कर देंगे। तो उसमें से सेल्स-टैक्स का हिस्सा नहीं मिलेगा। क्योंकि राजस्थान बेकवर्ड प्रदेश है। हम इसकी रीजनल प्रगति करना चाहते हैं इसलिए यह प्रेक्टिस गलत होगी। अगर उनको और कोई तरीका नहीं मिलता है, तो हैड ऑफिस को जयपुर ले आये।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्रीजी।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्यमन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के सारे सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उन्होने भावना प्रकट की है, मैं उसके लिए उनका आभारी हूं। यह सब जानते हैं कि आज के दिन रीजनल इम्बेलेंस दूर करने की एक समस्या आ गई है। मैं देख रहा हूं कि जो कुछ स्टेट्स प्रोग्रेस कर चुकी हैं, उनको बहुत ज्यादा मिलता है। जो स्टेट पीछे रह गई हैं, उनको मौका कम मिल रहा है इस बारे में हमारे जो ताल्लुकात है, उनके अन्दर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं। यह प्राइवेट इन्टर प्राइजेज की तरह नहीं होना चाहिये। लाभ उठाना और उसके बाद चुप हो जाना। इस पर मुझे अफसोस है। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ने यह तय किया है कि हैड आफिस खेतड़ी से हटाकर कलकत्ता चला जाये। जब यह प्रश्न आया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उन्होंने यह माना था कि आप वहां नहीं रखना चाहते हैं तो उसको जयपुर ले आयें। जो सुविधायें आप चाहते हैं, वह सारी मिल जायेंगी। इसके बाद जब यह फैसला हुआ तो हमारे डायरेक्टर जो सेक्रेटरी इण्डस्ट्रीज भी है उन्होंने यह नोट कराया कि हम इसको ले जाये जाने के लिये तैयार नहीं हैं। 21 मार्च, 1972 को मैंने मिनिस्टर ऑफ माइन्स एण्ड मिनरल्स को और प्रधान मन्त्रीजी को एक

(श्री बरकतुल्ला खां)

खत लिखा है। मैंने उनको लिखा कि किसी प्रकार की यहां हालत पैदा हो रही है। जनता में रोष फैलेगा। एक साइकोलोजिकल असर पैदा हो, एक नई प्राब्लम क्रियेट हो जायगी। जब कि हम चाहते हैं कि ऐसा न हो। उसका भी मिनिस्टर साहब का जवाब आया कि यह निर्णय भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स एण्ड मिनरल्स का है। इसके बाद मैंने जवाब लिखा है। मैंने अपना जवाब 28 मई को लिखा है। फिर मैंने उनका ध्यान दिलाया है, प्रधानमन्त्रीजी को भी लिखा है। मैंने लिखा है कि इस पर फिर से विचार होना चाहिये इसलिये होना चाहिए कि आज जब हम स्टेट डेवलपमेन्ट की बात कर रहे हैं तो पालिटिकल प्राब्लम्स क्रियेट हों, यह अच्छा नहीं है। देखा जाय तो राजस्थान करीब-करीब सेण्ट्रल में आता है आंध्र, बिहार और मध्यप्रदेश के तो इस तरह से हैड ऑफिस यहां पर रहे तो ज्यादा अच्छा है। इस सम्बन्ध में मैंने कुछ और व्यक्तियों से भी बातचीत की है। 29 तारीख को हम फिर बातचीत कर रहें हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जागरूक है। हम हर कोशिश कर रहे हैं और बराबर करते रहेंगे। क्यों कि यह जानते हुये कि जो सहयोग आपने दिया है जो सहयोग आज मिला है, उसकी ताकत पर मजबूती के साथ हम बात करेंगे मैं समझता हूं कि भारत सरकार के अन्दर जो मन्त्री महोदय बैठे हैं, वह सब बात सुनेंगे हालां कि जो यह वातावरण बन रहा है, यहा से हैड ऑफिस जाने के बारे में तो उस पर विचार सकते हैं। जितने और प्रोजेक्ट हैं प्रदेश के अन्दर, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेक्जिमम प्रोडेक्शन शुरू हो जाये। मैं आपकी आज्ञा से भारत सरकार पर फिर जोर डालूंगा और जो आज सदन में बहस हुई है, उस बहस की पूरी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजूंगा और बताऊंगा कि सभी दलों और पक्षों के सदस्यों की भावना इस डिबेट से समझी जा सकती है। इस डिबेट में जिन्होंने भाग लिया है, वह अनेक पार्टियों के लोग हैं। सारा सदन इस सवाल पर एक है कि हैड ऑफिस यहां से नहीं जाना चाहिए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके निर्णय के बारे में तो बताया है लेकिन ऐसा वह क्यों कर रहे हैं, यह नहीं बताया गया है।

श्री बरकतुल्ला खां : उन रीजन्स में मैं जाना नहीं चाहता। क्योंकि मन्त्री महोदय ने जवाब लिखा है, कलकत्ता इसलिए ले जाना चाहते हैं कि बिहार, आन्ध्र, मध्यप्रदेश में और इण्डस्ट्रीज हैं। उनका जवाब मैंने दे दिया है कि इतनी दूर ले जाने से कोई फायदा नहीं है। यह सभी चीजें हैं। मुझे कोई ऐसे रीजन नहीं लगे हैं क्योंकि यहां से आन्ध्र, बिहार और मध्यप्रदेश करीब पड़ते हैं। वैसे कलकत्ता से मध्यप्रदेश और आन्ध्र बहुत दूर पड़ जाते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, यह बतायेंगे, मैंने सुना है कि बीकानेर में जो जिप्सम, राकफासफेट का है उसके बारे में अपनी जो नीति है, उस नीति से भारत सरकार काफी नाराज

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

है। क्या इसी कारण से तो ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है ? बस इस एक प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री बरकतुल्ला खाँ : माननीय अध्यक्ष जी, ये दोनों प्रश्न जुड़े हुये नहीं हैं। भारत सरकार नाराज होकर लेजाना चाहती है, यह सही नहीं है। जहां तक जिप्सम का सवाल है, मैंने डिटेल में एक नोट तैयार किया है। वह मैं भेज रहा हूँ जिप्सम का जो सवाल है वह यह है कि वह प्राइवेट को बेचा न जाय मैंने खुद वहां जाकर देखा है देखने के बाद मैं सेटिसफाई हुआ हूं दो माइन्स को छोड़ कर बाकी सारी माइन्स को जो भारत सरकार की सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्टरी है, उसको फर्टिलाइजर बनाने की इस्तेमाल कर सकते हैं। बेच नहीं सकते हैं। रफली मुझे इतना ही मालूम हुआ है, रॉक फासफेट का जो हमने काम किया है, उसके लिये दूसरी जो टिम्स आई हैं, उन्होंने यह कहा है कि यह अच्छा किया है मैं यह नहीं समझता हूँ कि भारत सरकार कोई मामले में नाराज होकर हैड ऑफिस कलकत्ता ले जा रही है यह आरोप भारत सरकार पर नहीं लगा सकता मैं यह समझता हूं कि सारे मुद्दे के ऊपर मेरिट पर डिस्कशन करके कुछ निर्णय किया जा सकता है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री उत्तर न दें तो भी कोई हर्ज नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां : जरूर करें।

श्री लक्ष्मणसिंह : सेन्ट्रल एड के सम्बन्ध में बहुत दिनों से विचार कर रहे हैं, यह सेन्ट्रल एड है, यह पापूलेशन बेसिस पर दी जाती है और अपने पिछड़ेपन का कारण पापूलेशन बेसिस पर सेन्ट्रल एड देना ही है ऐसा मैं समझता हूँ। हमारा केस कैसे बन सकता है सेन्ट्रल के विचार के लिए क्योंकि यह एक एरिया का प्रश्न है, हमारा जो एरिया है, हमारा क्षेत्रफल है, यह भारत के किसी भी राज्य से बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। पापूलेशन बेसिस पर एड देने का प्रश्न है, अपने पिछड़ेपन का प्रश्न है और उसके साथ में नान-टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने का प्रश्न है—इन सब प्रश्नों की लाइट में, मैं समझता हूं कि यह राजस्थान सरकार के लिए बहुत आवश्यक हो गया है, वह पापूलेशन और एरिया—दोनों—फैक्टर्स को लेकर एड का प्रश्न सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने जब तक नहीं रखेगी तब तक अपना केस जस्टीफाई नहीं होगा, बाई डिफाल्ट जाता रहेगा और अपना पिछड़ापन दिनों दिन बढ़ता जायगा।

I do not want any reply. It is only my suggession.

श्री अध्यक्ष : अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिए चर्चा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिए चर्चा आलोक उद्योग एवं साहू जैन ब्रदर्स के विभिन्न उद्योगो की गतिविधि सम्बन्धी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 127 के तहत मैंने और कुछ अन्य सदस्यों ने साहू जैन-ब्रदर्स के विभिन्न उद्योग और आलोक

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

उद्योग से सम्बन्धित कुछ प्रश्नों के बारे में थोड़े समय के लिये चर्चा का प्रश्न उठाया है।

(1.32 म.प)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, आलोक उद्योग, जयपुर उद्योग का ही एक परिवर्तित रूप है, दो भाइयों में विवाद होने के बाद जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर में था वह ही आलोक उद्योग लिमिटेड के नाम से प्रस्तुत हुआ है। जहां तक साहू जैन ब्रदर्स का प्रश्न है, इस देश के सत्तर इजारेदार परिवारों में से साहू जैन ब्रदर्स एक है। आज देश के दो-सौ इजारेदारों के परिवारों की जेब में देश की अधिकतम आमदानी जा रही है, हमारी नेशनल इन्कम का पचास प्रतिशत से अधिक और करीब साठ प्रतिशत तक इन दो-सौ परिवारों की जेब में जा रहा है। यह जो साहू जैन ब्रदर्स हैं इनके कई कन्सर्न्स राजस्थान में हैं और यह सत्तर इजारेदार परिवारों में से एक है और यह बाइस कम्पनी के अन्दर काम करते हैं, छब्बीस कम्पनी के अन्दर काम करते हैं, जिनमें से आठ कम्पनी तो डाइरेक्टली इनकी कम्पनी है और बाकी अठारह कम्पनी है वह इनके द्वारा गवर्न कम्पनी है, इनकी असेट्स 67.69 करोड़ रुपये सारे देश के अन्दर है और यह विभिन्न प्रकार के धन्धों में कार्य करते हैं, चाहे बाइसिकल का धन्धा हो, जूट और कैमिकल के हों, रेल्वे ट्रान्सपोर्टेशन के हों, सीमेन्ट के हों, एंटेगोनल ओइल के हों—कई धन्धों पर इन लोगों की इजारेदारी कायम है। सवाई माधोपुर में इन साहू जैन ब्रदर्स का जयपुर उद्योग लिमिटेड है और फलोदी में इनकी एक क्वेरी है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप सवाई माधोपुर की साहू जैन ब्रदर्स की सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थिति देखें तो उसकी स्थिति बड़ी गम्भीर स्थिति है और आज बहुत बड़े कर्ज के भार के नीचे वह कम्पनी दबी हुई है। वह फैक्ट्री जो पचीस सौ टन सीमेन्ट पर डे पैदा करती थी, आज पच्चीस सौ टन से घट कर वह दो हजार टन पर आ गई है। इसके मुख्य दो कारण हैं—एक तो कम्पनी के सारे के सारे फण्ड्स जो हैं वह नॉन-प्रोडक्टिव वर्क्स की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, और दूसरे लेबर रिलेशन हैं वह बहुत ही गम्भीर स्थिति के अन्दर हैं। कम्पनी की जो फाइनेन्शियल स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, वह कर्ज के भार के नीचे दबी हुई है और मैं आपके सामने इसकी फाइनेन्शियल पोजीशन रखूं, मोर्टगेज डिबेंचर्स का दो करोड़ का कर्ज है, बैंक से दो-सौ बयालीस लाख कर्ज है, सब्सीडाइज्ड इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम का 3 लाख 95 हजार का कर्ज है, फ्राम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 11 लाख 20 हजार का कर्ज है, राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन का 16 लाख का कर्ज है कर्ज बाई प्लेज ऑफ डिबेंचर्स तीन लाख का है, इन्स्योरेन्श कम्पनी का 38 लाख 49 हजार का कर्ज है, दूसरे लोन 34 लाख 87 हजार के हैं। इस प्रकार कुल कम्पनी के ऊपर कर्जदारी 5 करोड़ 77 लाख 51 हजार रुपये की है। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की कर्जदारी देखें तो वह और भी अधिक है, बीस लाख रुपये से अधिक वेस्टर्न रेल्वे को केवल कम्पनी को देना है, राजस्थान स्टेट

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पच्चीस लाख रुपया देना है, जो इस कम्पनी के जिम्मे है। माननीय शिवचरण माथुर इस समय सदन में मौजूद नहीं है, उन्होंने एक बार प्रयत्न किया था सुखाड़िया राज्य में कि इस कर्ज को वसूल करें दस दिन के अन्दर, वह कर्ज तो वसूल नहीं हुआ, वह पच्चीस लाख रुपये की आज भी रिकवरी साहू जैन ब्रदर्स के ऊपर चली आ रही है लेकिन शिवचरण माथुर को अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पोर्टफोलियो से उन्हें पन्द्रह दिन में हाथ धोना पड़ा क्योंकि एक इजारेदार के खिलाफ उन्होंने कदम उठाया था। इसके अतिरिक्त करोड़ों रुपये के इन्कम टैक्स का यह कम्पनी इवेजन कर रही है। इसके अतिरिक्त जबर्दस्त बकाया बाकी है, यदि आप खानों के सम्बन्ध में इस कम्पनी के हिसाब-किताब को देखें तो पता लगेगा कि दस लाख से अधिक रॉयल्टी का इस कम्पनी का बाकी है। ई. एस. आई. का तीस हजार रुपया है, जो यह कम्पनी दबाये बैठी है और यह कम्पनी वह रुपया इन्वेस्ट नहीं कर रही है। इतना ही नहीं जो मजदूरों की तनख्वाह में से काट कर कन्ज्यूमर्स कॉपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है, उसका एक लाख रुपया यह कम्पनी दबाये बैठी है। फिर इस कम्पनी ने उपाध्यक्ष महोदय, करीब 12,100 रुपये नहीं दिये हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के हैं, इसके अलावा नेशनल डिफेन्स सर्टिफिकेट के नाम से सर्टिफिकेट लिये, उनके 37,84,535 रुपये हैं। अब दूसरी एलाइड कम्पनी के शेअर खरीद-खरीद कर उनको इन्टर लिंक कर दिया है। यही नहीं, यह कम्पनी अपने आपको घाटे की कम्पनी शो करती थी, दस पर्सेन्ट डिवीडेन्ड अपने शेअर होल्डर्स को देती थी। आज स्थिति यह है कि पांच पर्सेन्ट डिविडेन्ड अपने शेअर होल्डर्स को दे रही है। यह सारी स्थिति आप देखिये, कितनी गम्भीर स्थिति है। एक तरफ कम्पनी कर्ज के भार से दबी हुई है, राजस्थान सरकार की जितनी एजेन्सी हैं, उन सब एजेन्सी से कर्ज ले लिया है, जितनी भारत सरकार की एजेन्सी हैं उन सब से कर्ज ले लिया है, मजदूरों से ताल्लुक रखने वाले सारे फण्ड को दबा लिया है और जो इन्सेटिव बोनस मजदूरों को दिया जाने वाला था, जो 30 नवम्बर, 71 को अदा हो जाना चाहिए था मजदूरों को उसका एक नया पैसा भी इस कम्पनी ने मजदूरों को नहीं दिया है और झूठे आधार पर राजस्थान सरकार से मोहल्लत ले ली, जब कि सेन्ट्रल एक्ट के अनुसार मजदूरों को बोनस हर कीमत पर दिया जाना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं निवेदन करूं कि अगर आप आज इस कम्पनी के खर्चे को देखें, अपने मैनेजमेन्ट्स और ऑफिसर्स की तनख्वाहों को देखें तो पहले से दुगुनी-तिगुनी कर दी हैं। सारी कोठियां एयर कन्डीशन की जा रही हैं। जितनी कोठियां हैं उनमें लक्जरीज का सामान लगातार पैदा किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा खर्चा लक्जरीज पर किया जा रहा है, नई कन्साइन्मेंट्स कार्स की खरीदी जा रही हैं। हर प्रकार लक्जरीज पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं।

48-49 के अंदर इसी कंपनी के 75,000 शेयर्स 100 रु. प्रति शेयर के हिसाब से जिसके 75 लाख रुपये बनते हैं, भारत सरकार ने खरीदे और आज मजदूरों के

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

प्रति जो इस कंपनी की हालत है, वह सारे राजस्थान से छिपी हुई नहीं है। दिसम्बर और जनवरी में 40 दिन कंपनी के अंदर मजदूरों की हड़ताल चली, 300 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया, प्रोटेक्टेड वर्कमेन जो मजदूरों की यूनियन थी उसके प्रेक्टीकली सेंट परसेंट सदस्य थे, एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बेयरर्स को सबको निकाल दिया गया और इतना ही नहीं मजदूरों पर झूठे केसेज बनाए गए और वह भी यूनियन एटक की नहीं थी बल्कि इन्टक की यूनियन के तहत आंदोलन चल रहा था। इतना बड़ा विक्टीमाइजेशन था, मुख्य मंत्री खुद आए और कंपनी के बड़े सरकदा एस॰ पी॰ जैन ने मंजूर किया, मुख्य मंत्री की उपस्थिति में पब्लिक मीटिंग में स्वीकार किया कि मजदूरों को हड़ताल खतम होते ही नेगोसिएशन्स किए जायेंगे और श्रम आयुक्त को आरबीट्रेटर मान लेंगे और उनको पावर्स होंगे जो कुछ फैसला कर दें वह करदे इसके अलावा जे. के. सिन्थेटिक्स के फैसले के आधार पर जो फार्मूला बना है उस आधार पर मजदूरों को वापस ले लिया जाएगा, 80 वर्कर्स को वापस ले लिया जाएगा, बोनस का वितरण फौरन किया जाएगा और सारा कार्य मुख्य मंत्री के मानने के बावजूद भी आज भी शर्त पूरी नहीं हुई। आपने अखबारों में कुछ दिन पहले पढ़ा होगा फलोदी के अंदर 4 डाकू पकड़े गए जो इस कंपनी के कर्मचारी थे, बाकायदा कार्यकर्त्ता थे, उनमें फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य नहीं थे, फलोदी क्वारी से पकड़े गए। लगातार मजदूरों को कुचलने, दबाने और डराने में उन डाकुओं का उपयोग होता है। और आपने आशा पारीख के इस कंपनी के सबसे बड़े डाइरेक्टर से प्रेम के किस्से सुने होंगे केवल राजस्थान में ही नहीं सारे भारत में मशहूर हैं, करोड़ों रुपए इस कंपनी के चीफ डाइरेक्टर, मैनेजिंग डाइरेक्ट, आशा पारीख के पीछे खर्च कर रहे है.......

श्री उपाध्यक्ष : प्रेम की चर्चा नियम 127 के अन्तर्गत नहीं आती है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हांडाजी को इसका बहुत शौक है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कभी-कभी हो जाना चाहिए विशेषकर हांडाजी के द्वारा..........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको तो गोटा किनारी से प्यार करना पड़ता है। कोई बात नहीं, कब्र में जाने तक मनुष्य करता है। सारी स्थिति मैंने साहू जैन उद्योग की सदन के सम्मुख रखी है। आज राज्य सरकार के लाखों रुपए साहू जैन उद्योग के अन्दर बकाया है चाहे बिजली के, चाहे वित्त निगम के, जिनका पूरी तरह से यह उद्योग दुरुपयोग कर रहा है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार सुखाड़िया राज्य ने इस उद्योग के संबंध में नीति रखी कि कर्जे अनेकों सालों तक चले आए हैं उनकी गहरी दोस्ती थी, इस उद्योग से, मजदूरों का विक्टीमाइजेशन भयंकर रूप से किया गया, सुखाड़ियाजी देखते रहे और कंपनी की उन्होंने हमेशा सहायता की। विद्युतमंडल ने 25 लाख रुपए की वसूली करने की कोशिश की, सुखाड़ियाजी ने उस मंत्री को ही हटा दिया जिन्होंने वसूली करने की कोशिश की। हर प्रकार की सहायता अपने मित्र साहू जैन

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

को मोहनलाल सुखाड़िया करते चले आए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी सरकार की नीति साहू जैन जैसे व्यापारियों के संबंध में क्या है ? सारे भारतवर्ष की जनता देखना चाहती है। मैं स्पष्ट मांग करूंगा कि अगर आज कोई समाजवादी कदम उठाना चाहते हैं, आप अपने प्रति कोई विश्वास पैदा करना चाहते हैं, जैसा कि राजस्थान में राज्य करने वालों की नीति रही है, उसमें अगर आप बताना चाहते हैं कि आपकी नीति भिन्न नीति है तो इस उद्योग का निश्चित रूप से राष्ट्रीयकरण करना चाहिए इसको अपने हाथों में लेकर चलाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य (अनुपस्थित)।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली !

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जोहरी बाजार, जयपुर) : ये जो आंकड़े सदन के सामने रखे गए, उनका हमारी आर्थिक नीति से बड़ा गहरा ताल्लुक है। पूंजिवादियों का जो जाल भारत में पूरी तरह से फैला हुआ है और जिस तरह से वे न सिर्फ मजदूरों का शोषण करते हैं बल्कि राजनैतिक दलों का और राजनीति में कदम रखने वाले रहनुमाओं का शोषण करते हैं, उसका स्पष्ट चित्र आपके सामने आया है। हमारी आर्थिक नीति जो इस समय तक रही है वह यह थी कि एक तरफ हम देखते रहे कि मजदूरों का शोषण होता रहा, दूसरी तरफ राजस्थान सरकार पूंजीपतियों को पैसा देती रही और इस बात को बगैर देखे और समझे हुए कि यह पैसा वापस होगा या नहीं, करोड़ों रुपए उनको भिन्न-भिन्न तरीकों से पहुंचाए गए। तो यह चीज जब हम सोचते हैं, एक तरफ तो हम समाजवाद की बात करें, हम कहें कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है और हमारा कर्त्तव्य है कि हम गरीबी को हटायें और गरीबों का शोषण हो रहा है, उसको समाप्त करें और दूसरी तरफ जो पूंजीपति हमारी हकूमत का और मजदूरवर्ग का शोषण करते चले आ रहे हैं उनको हम बराबर सहायता और समर्थन देते रहें, तो इसका मतलब स्पष्ट शब्दों में हो जाता है कि हमारी कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। इन आंकड़ों से एक चीज स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने अब तक इन पूंजिपतियों का जो समर्थन किया है, वह समाजवाद के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है, रुकावट है। उस दिन कुछ जिक्र इस किस्म का आया था कि कुछ राजनैतिक दलों को भी चुनाव के समय पैसा देकर व्यापारीवर्ग द्वारा फायदा उठाया जाता है, तो अगर इस संकुचित दायरे में इस सवाल को रखा जाए तो हम कह सकते हैं कि राजनैतिक दलों को किसी किस्म की स्यासी इमदाद या पैसे की इमदाद नहीं मिलनी चाहिए और उसूलन यह सही है लेकिन यह एक हद तक महदूद नहीं है कि राजनैतिक दलों को ही इमदाद करते हैं बल्कि मेरा कहना है कि राजनैतिक दलों को ही नहीं, बल्कि जो राजनीति में कदम रखते हैं, जो राजनीति के सर्वेसर्वा हैं इनको

Page No 68

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

भी इन फर्मों द्वारा बहुत काफी लाभ मिलता है और इसके लिए वे उनके आगे सर उठाने लायक नहीं होते हैं। सुखाड़िया जी का जिक्र आया, वह सदन में मौजूद नहीं हैं इसलिए मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी करना पसंद नहीं करूंगा पर यह जरूर कहूंगा कि जिस समय इंटक द्वारा सीमेंट फैक्टरी में हड़ताल हुई और जो उनकी उचित मांगें थी उनको भी नजरअंदाज करते हुए उन पर हर किस्म का दमन किया गया और उसको मुख्य मंत्री देखते रहे और उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जो लोग राजनीति में दखल रखते हैं, वे दरअसल खुद अपना फायदा उठाते हैं और इसलिए इन पूंजीपतियों के विरुद्ध सरकार कदम नहीं उठाना चाहतो, दरअसल यह बुनियादी नीति का सवाल है। हमें खुले दिल से इस बात का निर्णय करना चाहिए कि अगर हम समाजवाद को लाना चाहते हैं तो सबसे पहले सवाल हमारा सामने पैदा होता है कि पूंजीपतियों की जो संस्थायें और लोग हैं चाहे राजनैतिक दलों का, चाहे हकूमत का, चाहे मजदूरों का, .उस शोषण को समाप्त किया जाए वरना समाजवाद एक ढकोसला है, बिलकुल बेकार है इसमें सबसे पहला कदम जो हमको साहू जैन के प्रति उठाना चाहिए वह यह कि उनकी पूरी इस कार्यवाही के बारे में कि उन्होंने कहां-कहां उद्योग कायम कर रखे हैं और उन्होंने कितनी रकम राज्य सरकार से ले रखी है और इन्होंने इस तरह से मजदूरों का शोषण किया है और गवर्नमेंट का शोषण किया है। इन्होंने अपने मुलाजिमों की तनख्वायें तो बढायी नहीं और बड़े-बडे डाइरेक्टर्स हैं उनकी तनख्वाहें ज्यादा बढाकर ऐसी व्यवस्था इस कम्पनी की कर दी कि उसमें उन्होंने घाटा दिखाया। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी जांच होनी चाहिये और जांच भी गहराइयों के साथ की जानी चाहिए। इसके लिये मेरी गुजारिश है कि एक कमीशन नियुक्त किया जाना चाहिये ताकि राजस्थान सरकार की हुकूमत को पता लगे कि किन-किन लोगों ने किस-किस तरह से आज तक शोषण इस गवर्नमेन्ट का किया है और साथ में वहां के मजदूरों का शोषण किया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इनके खिलाफ एक इन्क्वायरी कमीशन नियुक्त किया जाना चाहिये और इसमें जो दोषी पाये जायें उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके बारे में मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इसकी इन्क्वायरी करावें और उसकी रिपोर्ट पेश की जावे। इसके अलावा इस कम्पनी को या दूसरी कम्पनीज इनकी है हेंउन कोई कर्जा राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जाना चाहिये। दूसरा कदम हमें इनके लिये यह उठाना चाहिये कि राज्य सरकार का साहू जैन के उद्योगों में बिजली वगैरह के बिल का जो रुपया बाकी है उन्हें तुरन्त वसूल किया जाय और अगर यह तुरन्त पैसा नहीं दे तो इनके खिलाफ पी. डी.आर. के तहत कार्यवाही की जाये। इसके अलावा जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जैसा कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में समाजवाद लाने के लिये कहा है वह तभी ही आ सकता है जब कि आप इन पून्जीपतियों से जो शोषण मजदूरों का और दूसरे वर्ग का हो रहा है, उसे समाप्त करावें। ऐसे मेजर्स यूज में ले। आज यह कहा जाता है कि ये पूंजीपति लोग चुनावों

Page No 69

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

में पैसा देते हैं और उससे कांग्रेस पार्टी या और दूसरी पार्टी चुनावों में पैसा लेकर चुनाव लड़ती है तो यह बड़े शर्म की बात होगी कि यह पून्जीपति लोग पैसा देकर नाजायज फायदा उठाते हैं। मुझे यह सुनकर भी अफसोस हुआ कि इन पून्जीपतियों के एजैन्ट सरकार में दखल करते है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य थोड़ा संक्षेप में कहें। यह थोड़े समय के चर्चा का विषय है। मेन बात पर आजावें। जनरल डिस्कशन नहीं करें।

श्री मोहम्मदगफ्फारअली : मैं जनरल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो उपाध्यक्ष महोदय यह जो पून्जीपति लोग हैं आज न केवल कांग्रेस को ही पैसा देते हैं बल्कि दूसरी रेडिकल पार्टीज है उनको भी करेप्ट करने की कोशिश करते हैं।

श्री भीमसेन : आप तो सीधे-सीधे मिक्स्ड इकोनोमी के बारे में बात कहें....

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : जो चीज है वह कह रहा हूं। मेरा तो निवेदन है कि अगर कांग्रेस को समाजवाद लाना है तो इन पून्जीपतियों को समाप्त करना पड़ेगा और इसके लिये यह जरूरी है कि इनके उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय। और उद्योगों का राष्ट्रीकरण नहीं किया गया तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई हल निकलेगा। जब राष्ट्रीयकरण इन प्राइवेट उद्योगों का हो जायेगा तब यह शोषण जो आज इन प्राइवेट पार्टीज द्वारा मजदूरों का हो रहा है वह खतम होगा। वरना ये लोग आज न केवल मजदूरों का ही शोषण कर रहे हैं अब तो गवर्नमेंट का भी शोषण करने लग गये हैं। इसके साथ-साथ अब ये राजनैतिक दलों का भी शोषण कर रहे हैं। इसलिये जो एक्सप्लाइटेशन इनके द्वारा किया जा रहा है उसे समाप्त किया जाना चाहिये। यह सब जब ही समाप्त हो सकता है जब कि राज्य सरकार इनका राष्ट्रीयकरण कर ले। आज हमें यह देखने की जरूरत है कि इन पर कितना कर्जा है, कहां-कहां से ले रखा है और आज जो कर्जा इन्होंने 5-7 करोड़ रुपये का लिया है उन्हें वसूल कैसे किया जायेगा। हमें इसके लिये तुरन्त कदम उठाने चाहिये और अगर जो पैसे राज्य सरकार मांगती है वह पैसे इनके पास देने के नहीं हो तो हमें इनके एसेट्स को अटेच कर लेना चाहिये और पी० डी० आर० के तहत हमें इनके लिये कार्यवाही करनी चाहिये ताकि इनके जितने भी एसेट्स हैं उनको अटेच करके नीलाम करके पैसे वसूल किये जाय। आज लोगों में यह भी चर्चा है कि अगर कोई मिनिस्टर इनसे पैसे वसूल करने की बात करता है तो यह राज्य सरकार के हुक्म तक नहीं मानते हैं। और अगर ज्यादा प्रेसर पैसा वसूली का कोई मिनिस्टर करता है तो उसका पोर्टफोलियो तक को ये चेन्ज करा देते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनका गवर्नमेंट में दबाव कैसे है? मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे तुरन्त इनके खिलाफ इन्क्वायरी कमीशन बैठाये और जो राज्य सरकार की पून्जी इनमें जमा है उसे वसूल करने की कार्यवाही जल्दी से जल्दी की जाय। इनके माल को कुर्क किया जाय। इसके अलावा इनके उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। ये मेरी तीन मांगे हैं जो मैंने

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हाउस के सामने रखी हैं और मन्त्री महोदय को भी निवेदन करदी है। मेरी गुजारिश है कि अगर आप असलियत में समाजवाद लाना चाहते हैं तो आपको इन उद्योगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा और जो घोटाले आज इन उद्योगों में हैं उनके लिये कार्यवाही करनी पड़ेगी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आपको इनके उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। जब आप इनके उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करेंगे तो आपका वह पहला कदम होगा समाजवाद की तरफ और समाजवाद के लिये यह जो मैंने तीन मांगे सदन के सामने रखी हैं उसका अमल हुकूमत द्वारा किया जाना चाहिये। इसके लिये हुकूमत को अखलादी और बुलन्दी के साथ समाजवाद लाने के लिये इनके उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। बस यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो-तीन सालों से साहु जैन और आलोक उद्योग....

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ पार्टी के सदस्य एक भी हाजिर नहीं है, कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा में आलोक उद्योग और साहू जैन के उद्योग के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आज पिछले दो-तीन सालों से आलोक उद्योग के मालिक और उनकी पत्नी में झगड़ा चल रहा है और उन्होंने आपस में तलाक भी लेली है। खैर इससे हमें मतलब नहीं है। वो कुछ भी करें लेकिन उस झगड़े के होने से उनके आपस में प्रोपरटीज का ट्रान्सफर हो रहा है और उसमें ऐसा हुआ है कि प्रिवियसली जो लोन्स इन आलोक उद्योग ने दूसरी फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से या और किसी सोर्स से और राज्य सरकार से लोन लिया था उसमें काफी गड़बड़ियां पैदा हो गयी हैं। क्योंकि उन्होंने साहू जैन और आलोक उद्योग के जो एसेट्स हैं उन्हें ट्रान्सफर कर दिया है। इसके अलावा सरकार के भी जो प्रिफरेशियल शेअर्स थे उनको भी बदल दिया गया है। आज वहां इस प्रकार की गड़बड़ हो गयी है कि किसी भी प्रकार एकाउन्ट्स ठीक तरह से नहीं मिल रहे हैं। आज वहां पर लेबर ला का वायलेशन हो रहा है। जो लोन्स इन्होंने स्टेट से या एल. आई. सी. से या और किसी से लिया है उन सभी के डिपोजिट्स का पेमेन्ट समय पर नहीं हो रहा है। जो पैसा जहां पर जमा होना चाहिये वह प्रोपरली जमा नहीं हो रहा है। लोगों के प्रोविडेन्ट फण्ड भी जमा नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार आज आलोक उद्योग और साहू जैन के उद्योगों में अव्यवस्था फैली हुई है। आज वहां लेबर लाज का वायलेशन होता है। आपने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। डिविडेन्ड्स के बारे में घोटाले हैं उनमें भी राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं समझता हूं कि जब इस उद्योग में इस प्रकार की अव्यवस्था है प्रोडक्शन कम हो रहा है तो

(श्री केदारनाथ)

राज्य सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिये । सिर्फ इन्होंने जो रूल्स का वायलेशन किया है उसके लिये इन्क्वायरी बिठाकर एक्शन नहीं लेना चाहिये बल्कि मैं कहूंगा आपको इनकी इन्डस्ट्रीज को नेशनेलाइज कर लेना चाहिये । क्योंकि इन इन्डीविजुअल केपीटलिस्ट्स लोगों ने इस तरह काफी पैसा बना लिया है । मैं आपको उदाहरण दूं कि सन् 1964 में एक कमीशन इस बारे में बैठा था कि जो हिन्दुस्तान में 70 या 75 हाउसेज थे उनकी एसेट्स आजादी के पहले कितनी थी तो पता लगा कि जिनके पास 50 करोड़ थे उनकी 500 करोड़ रुपये की एसेट्स हो गयी और जिनके पास 70 करोड़ थे उनकी एसेट्स 700 करोड़ हो गयी । तो मैं कहना चाहता हूं कि इतनी एसेट्स कहां से इनके पास आई । मैं समझता हूं कि इन्होंने सब अनड्यूमीन्स से पैसा कमाया है । इसके लिये मेरा राज्य सरकार को निवेदन है कि इन इन्डस्ट्रीज को नेशनेलाईज कर लिया जाय । राज्य सरकार को चाहिये उपाध्यक्ष महोदय कि इन इन्डस्ट्रीज को टेक ओवर कर लेना चाहिये । अगर यह इन्डस्ट्रीज आज गवर्नमेन्ट के मैनेजमेन्ट में होती तो यहां पर आज डिस्कशन नहीं होता । आप ताज्जुब करेंगे मान्यवर कि यह क्रीयेशन इतना ही नहीं है यह मोनो पोलाइजेशन ऑफ क्रीयेशन, फौरिन कैपिटल कैसे आयी क्वान्टेटिवली और क्वालिटेटिवली । इसी फौरिन कैपिटल ने करप्ट किया इन मोनोपोलिस्ट्स बहुत से लीडर्स बिके हुए हैं इनके हाथों किसी को स्पेयर नहीं किया है और न ही कर रहे हैं । फौरिन कन्ट्रीज का रुपया यहां आया । करोड़पतियों और मोनोपोलिस्टों को करप्ट किया और पिछले दस वर्षों में ये मोनोपोलिस्ट्स लीडरशिप पर हावी रहे हैं । उनकी नीतियां नहीं बदली हैं । हजारी कमीशन की रिपोर्ट के बाद, इन्क्वायरी कमीशन के बाद नीतियां न बदले तो आखिर दोष किसका मानते हैं ।

जयपुर उद्योग के बारे में चर्चा चली । फोरेस्ट, मिनरल डिपार्टमेन्ट और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स को पांच करोड़ की इनकी देनदारी है । उसको कैसे पूरा करेंगे । राज्य सरकार के ये कारनामे थे । नेशनलाइजेशन का समाजवाद का नारा देश में दिया गया इन 75 हाउसेज को तो फौरन नेशनेलाइज करिये । इनके पैटर्न में फर्क आने वाला नहीं है । यदि आप चाहते हैं कि इन्डस्ट्री से मोनोपोलिस्ट्स समाप्त हो, समाजवाद की ओर बढ़े और इकोनोमी में चेन्ज हो तो आपको लाजमी तौर पर करना चाहिये । हम इतना ही डिक्लेयर कर दें कि प्रिफिरेन्शियल शेयर्स को ओडिनरी शेयर्स में बदल दें । इतना तो कर दें । देनदारी की लायेबिलिटी उन पर है । सरकार को इस माने में चलना चाहिये । कमीशन बाद में बैठता रहेगा । इन सब असेट्स को जप्त कर लें फिर नेश्नेलाइज और जांच की कार्यवाही करना तब तो मैं समझूंगा कि आपने कोई कदम उठाया ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा मूल चर्चा के फलस्वरूप यहां चर्चा चली

Page No 72

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

है। पहले प्रश्न पूछा था तो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि आलोक उद्योग की जानकारी नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी किसी माननीय सदस्य ने आपको श्रेय नहीं दिया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप तो दे रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय को निवेदन कर दूं कि आलोक उद्योग की परिचय पत्रिका, जो साहू जैन मिनरल्स ने प्रकाशित की है, उनकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा और यह पता चल जायेगा कि आलोक उद्योग कितने संस्थानों को कन्ट्रोल करता है।

आलोक उद्योग कन्ट्रोल करता है:—

1. जयपुर उद्योग लिमिटेड।
2. भागलपुर सीमेन्ट कं० लिमिटेड।
3. जय इन्जीनियरिंग वर्क्स।
4. आलोक उद्योग वनस्पति।
5. साहू मिनरल एण्ड प्रोपर्टीज लि०।
6. कानपुर जूट उद्योग।
7. जयपुर उद्योग (नाइजैरिया) लि०।

इसका दफ्तर है 5 पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, न्यू देहली, इन्डिया।

आलोक उद्योग परिचय पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है। साहू जैन के जितने कन्सर्न्स हैं, उनको कन्ट्रोल करने के लिये शीर्ष संस्था आलोक उद्योग है। किस तरह आलोक उद्योग गवर्न करता है, इन्टर लागू करता है, किस तरह से एक कम्पनी को दूसरी कम्पनी से लिंक करता है और एक के लिये लेता है और दूसरी के लिये खर्च करता है। आलोक उद्योग के लिये देखिये।

"An off-shoot of Sahu Jain group of industries, headquarters New Delhi; business interests spreading over the State of Rajasthan U. P., Mysore, Maharashtra, West Bengal, Bihar and Andamans. Main products: Cement, coal iron ore, marblem limestone, jute goods, plywood. Number of direct employees : 8000. Annual turnovert : 180 million rupees or 10 million sterling. Expansion programme : Increasing the capacity all round and doubling of cement production. Diversification programme : Vanaspati and other agro-based industries, shipping and man-made fibre. Unique features : A team of young entrepreneures and executives led by Mr. Alok Jain, a young and dynamic man behind the group."

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

अब आप इसके जनरल एचीवमेन्ट देखिये ।

"Humanisation of industry, Ideal employment conditions with stress on equality of opportunity for development and growth of individual and service to the community through various industrial enterprises of the group."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि इस परिचय के बाद सरकार को पूरी तरह से जानकारी हो जायगी कि आलोक उद्योग कहां है, किस तरह से सब कम्पनियों को कन्ट्रोल करता है, और राजस्थान और देश के दूसरे हिस्सों में किस प्रकार से जाल बिछा रखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले-पहले सवाल उठाया । आलोक-उद्योग, जयपुर उद्योग का पता चला 1-6-54 को, तब तत्कालीन मुख्य मंत्री जयनारायणजी व्यास ने इस सदन को बताया कि पुरानी जयपुर सरकार ने जयपुर उद्योग को 75 लाख का कर्जा दिया । सारा सदन स्तब्ध रह गया । किस कारण से दिया ? प्रोडक्शन के लिये दिया या खुश करने के लिये साहू जैन को दे दिया था ? यह चर्चा सदन के लिये आश्चर्य का कारण बनी । प्रश्न पूछा : मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साहु जैन को और कर्जा देने की इच्छा है ? माननीय जयनारायणजी ने कहा कि इस एक उलझन से ही नहीं निकल पा रहे हैं आगे कर्जा देने का तो कैसे सोच सकते हैं । यह कर्जा दिया गया मेरा मुख्य निवेदन यह है कि इस कर्जे का सम्बन्ध है जो डालमिया जैन एयर वेज चल रही थी उससे है । 75 लाख रुपया न जयपुर उद्योग में काम लिये और न प्रोडक्शन में खर्च हुए, 75 लाख के अकाउन्टस ड्यू थे पुराने फीगर्स देकर सबमिट किये उस हिसाब से देखें तो 30-6-55 को जयपुर उद्योग के 74 लाख के शेयर्स डालमिया जैन एयर वेज ने लिये । यह डालमिया एयर वेज और डी जै. एयर दोनो एक हैं, उस दिन 74 लाख खरीदे । डालमिया जैन ने शेयर खरीदने के लिये डी. जै. के नाम हुंडी की । उसका भुगतान आज तक नहीं । डालमिया एयर वेज लिक्विडिशन में आगयी और डी जै से समझौता हुआ कि 74 लाख के शेयर हैं उनको 19 किश्तों में अदा किया जावेगा और 56 से पहली किश्त होगी और बिना ब्याज के रकम पे की जावेगी । जयपुर उद्योग के शेयर्स की ऐसी हालत की गयी । इसके बाद एक और उदाहरण मिलता है जो बहुत ही सनसनीखेज है । यह 74 लाख डी. जै. एयरवेज के पास हैं ।

दूसरा घपला मिलता है । एक महाशय एस. एल. कोठारी हैं जो इस उद्योग से सम्बन्धित हैं । उनके पास 74, 98,000 रुपये के शेयर थे । ये ग्वालियर बैंक के डाइरेक्टर थे और ये वहां जमा थे । उसको भी लिक्विडेशन में लाया गया । इस घपले के कारण ही, किस प्रकार 75 लाख को मिटाने के लिये जयपुर सरकार से हासिल किये, जिनका न तो उत्पादन से सम्बन्ध था और न सीमेन्ट से सम्बन्ध था । इसी तरह से यह चलता रहा ।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह भी पता नहीं कि अपनी राज्य सरकार ने 75 लाख रुपये के प्रिफरेन्स शेयर जयपुर उद्योग को दिये। उपाध्यक्ष महोदय नवम्बर, 54 में जब व्यासजी यहा से मुख्य मंत्री पद से पदार्पण करते हैं उसी समय 1955-56 की हम रिपोर्ट देखते हैं तो पता चलता है कि 75 लाख रुपये जो कर्ज के रूप में दिये थे यह प्रिफरेन्स शेयर बन गये हैं। यह बहुत ही रहस्यमय है। न तो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के पास कोई कारण मौजूद है और न फाइल मौजूद है और न पता है कि 75 लाख के प्रिफरेन्स शेयर कैसे बन गये ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप कम से कम इसकी पूरी जांच करके सदन को विश्वास दिलायें कि 75 लाख रुपये का जो कर्जा दिया था उसका प्रिफरेन्स शेयर किस तरह से, कब और कैसे बन गया। हमको पता ही नहीं है और न फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को पता है और न दूसरों को पता है।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, 75 लाख रुपये की तो दशा मालूम ही है कि 75 लाख रुपये के कर्जे की क्या हालत हुई। उसकी न तो वसूली हुई और न एक पैसा सरकार को वापिस दिया गया। यहां तक कि 54 के बाद वहां डायरेक्टर भी नहीं था। 54 के बाद जब प्रिफरेन्स शेयर बना और जब हम डायरेक्टर की तरफ से घुसे उसके बाद में सन् 1966 में उन्हें कर्जा दिया जाता है क्योंकि अब तो मेरा ख्याल है कि '56 के करीब साहू उद्योग, साहू जैन सरकार का पर्याय बन चुका था और उनको 60 लाख रुपये के कर्जे की व्यवस्था की गयी। वह 60 लाख रुपया का कर्जा था उसकी चार साल तक एक किस्त भी अदा नहीं कर सके। इसके बाद जब किश्त देना शुरू किया तो ज्यों-ज्यों आगे कर्जा मांगते गये वह कर्जा किश्त देने में जोड़ते गये और 40 लाख रुपया रह गया तो वह 30 लाख का री-शिड्यूल किया और आज तक उस कर्जे की किश्त अदा नहीं की गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा बेलेन्स शीट के बारे में भी कहना चाहूंगा कि आज उनके ऊपर कर्जा कितना है हमारा। उपाध्यक्ष महोदय, 75 लाख तो प्रिफरेन्स शेयर का है, 3 लाख 67 हजार 208 रुपया उनको हाउसिंग के लिए दिया था। यह उनकी बेलेन्स शीट से बोल रहा हूं। 11 लाख 20 हजार का मोर्टगेज का हमने दिया, 25 लाख रुपया अनसिक्योर्ड लोन है और 16 लाख रुपये फाइनेन्स कार्पोरेशन के बाकी हैं। 12 लाख रुपये वाटर सप्लाई के दिये जो अभी तक बाकी हैं और उसको घपले में डाल रखा है और लड़ाई-झगड़े की स्थिति कर रखी है। हमारा एग्रीमेन्ट था कि फिल्टर प्लान्ट लगेगा और सवाई माधोपुर को पानी देंगे, वह सारा मामला पचड़े में पड़ा है और यहां तक कि श्री एल० एन० गुप्ता जो कि डिप्टी सेक्रेटरी थे उन्होंने एक नोटिस दिया लेकिन नोटिस सारा का सारा दबा दिया गया और 12 लाख की किश्ते हाईकोर्ट में केस जाने के बाद हमको मिलेगी। 25 लाख रुपये 1971 में दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जो 25 लाख का कर्जा 1967-68 में दिया उसके मूल में जाने की बात है। उन्होंने

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

एप्लीकेशन दी कि सवाई माधोपुर में बाढ़ आ गयी है और हमारे कारखाने को नुकसान हुआ है और नुकसान को बचाने के लिये और कारखाने को रेनोवेट करने के लिए और प्रोडक्शन के लिए यह जरूरी है कि लोन दिया जाये। इस तरह की उन्होंने एप्लीकेशन दी और 25 लाख रुपया रेलोवेशन के लिए लोन दिया। आप बेलेन्स शीट देखें तो एक पैसा रेनोवेशन के ऊपर खर्च नहीं हुआ और एक पैसे की भी लागत नहीं है कि उन्होंने एक कील भी रेनोवेशन के नाम पर लगाई हो। उपाध्यक्ष महोदय, मजाक तो यह है कि उसी समय जो सिस्टर कन्सर्न्स थी उसमें उन्होंने लाखों रुपया लगाया। उसी साल लाखों रुपयों की मोटरें खरीदी गयी। इस तरह से जयपुर उद्योग दादागिरी के रूप में चलता रहा और आज तक चलता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि पर्याप्तरूप में कह चुके हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : नहीं नहीं, साहब, बाकी है।

श्री रामावतार अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक प्रश्न हुआ कर्ज का। जयपुर उद्योग का प्रश्न है और जो इसकी सिस्टर कन्सर्न है आर० के० होटल्स, आर के० वर्मा एण्ड कम्पनी, रोहतास इन्डस्ट्रीज इन्होंने कहां से कर्जा लिया। मैं अभी जयपुर उद्योग के सिलसिले में ही बोल रहा हूं। जमीन का लफड़ा है उसको लीजिए जमीन, जंगल, बिजली, पानी इन सब में जयपुर उद्योग ने कहां लफड़ा नहीं किया? उपाध्यक्ष महोदय, इसको बहुत गहराई से देखना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने बिना कानून की परवाह किये और कानून की पूरी-पूरी अवहेलना करके 13 एकड़ जमीन जो कि दूसरी योजना के अन्दर लगी हुई थी और जो नोटिफाइड एरिया में थी और लाखों की जमीन थी इनको उनका अलाटमेन्ट कर दिया। यह तो एक जमीन का प्रश्न है दूसरा एक नेहरू उद्यान के नाम से जमीन है जो की गुलाब बाड़ी नाम से काण्ड मशहूर है, इसके लिये उन्होंने 300 बीघा जमीन अलाट करा ली और उस पर खेती करते हैं। हम सवाई माधोपुर का भूगोल देखे तो नेहरू उद्यान का पता नहीं। जमीन के दो मसले खास तौर से आप के द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि इन्होंने क्या-क्या घपले नहीं किये।

अब मैं बिजली का प्रश्न लेता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में इन्होंने ट्रान्सफार्मर बिना इजाजत के 500 के० वी० ए० का लगा लिया और इसके लिये कोई इजाजत आर० एस० ई० बी० और राज्य सरकार से नहीं ली। उसके लिये किसी से नहीं पूछा गया। उसके लिये मीटरिंग का प्रबन्ध नहीं था और 500 के० वी० ए० का ट्रान्सफार्मर लगा उस समय हमारा लाखों रुपया बकाया निकलता था। उपाध्यक्ष महोदय, 66 के अन्दर जब यहां एक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा उस समय जयपुर उद्योग की तरफ हमारी बिजली की बकाया 15 लाख रुपये

Page No 76

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

निकलती थी। इसके बाद रकम बढ़ती गयी और यह रकम 15 लाख से बढ़कर 25 लाख तक पहुँच गई। जब विद्युत् मन्त्री श्री शिवचरणजी माथुर थे तो उन्होंने कुछ कार्यवाही की और 5 लाख रुपये जमा कराये। लेकिन उस 500 के० वी० ए० के ट्रान्सफार्मर के बारे में कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री इस पर जरूर सोचेंगे कि 500 के० वी० ए० का ट्रान्सफार्मर लग जाय और राज्य से पूछा नहीं जाय तो राज्य का पर्याय नहीं तो साहू जैन और क्या था। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जो ऑडिटर जनरल थे उनके कमेन्ट्स सुनवाता हूं :

"Messrs Jaiupr Udyog Ltd., Sawai Madhopur, who were obtaining power from the Electricity Board for certain purposes, installed a 500 K. V. A. transformer in August, 1962 for a different purpose but connected it without any intimation to the Board. No agreement was entered into for the supply and no security money was deposited by the consumer. Separate meters for recording different categories of consumption were also not installed inspite of the directions issued from time to time by the Superintending Engineer to the Assistant Engineer since August, 1962. The Board had, therefore, been billing the consumer at the tarrif rates applicable to the original service connection. The consumer had, however, been paying the dues according to his own calculations. On the basis of the claim preferred by the Board, Rs. 32.87 lakhs were due for recovery from this consumer on 31-3-1969. No connection, either to disconnect the supply or to recover the dues under the Land Revenue Act had been initiated as required under the general conditions of supply."

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा नोट नहीं है, यह नोट ऑडिटर जनरल का है और उस ऑडिटर जनरल ने यह जो सरकार के अन्दर नयी सरकार बनी हुई थी साहू जैन की जो किसी रेगुलेशन्स को नहीं मानते थे, जो किसी नीति को नहीं मानते थे, उसके बारे में किस तरह से लिखा गया है। बिजली का जो घपला था यह किस तरह का था। इसके बाद इनको सलाह दी गई कि जो 25 लाख रुपया बकाया है वह नहीं दे पाओगे तो तुम हाईकोर्ट में चले जाओ। आज 25 लाख रुपया हाई-

Page No 77

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

कोर्ट में फसा हुआ है और कब मिलेगा यह भी पता नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं जंगल पर आता हूं। जंगल का मामला काफी चल चुका है। हमारे जो सवाई माधोपुर के डी० एफ० ओ० थे उन्होंने उस जंगल की कीमत 1 लाख 10 हजार रुपया आंकी थी लेकिन हमें यह पता नहीं कि उस जंगल को 10 हजार रुपये में तत्कालीन मन्त्री ने कैसे दे दिया। इन्हें 10 हजार रुपये में दे दिया गया और लाखों रुपयों का हमें नुकसान उठाना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, जंगल का मामला तो रहा परन्तु इसके और मूल प्रश्नों में जाइये। फलोदी क्वेरीज की खानों का मामला है, उपाध्यक्ष महोदय। डालमियाजी का ट्रेडीशन था कि जब भी व्यापार करते थे तो दान के रूप में करते थे। वे यहां जयपुर में आए तो उन्होंने जयपुर चेरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। उस जयपुर चेरिटेबल ट्रस्ट का मकसद यह था कि जो भी व्यापार से मुनाफा आयगा उसे जरूरतमन्द लोगों को दान देंगे, गरीबों के काम में आएगा और उस हिसाब से फलोदी क्वेरीज की रियायती दर पर हासिल कर लिया। वही फलोदी क्वेरीज जयपुर उद्योग में कैसे मिल गई, किस गोलमाल के कारण जयपुर उद्योग ने उसे हासिल कर लिया यह भी सोचने की चीज है, उपाध्यक्ष महोदय।

अब मैं थोड़ा उनकी वित्तीय स्थिति पर जाता हूं। यह जो कंसर्न है जयपुर उद्योग, यह आपस में कम्पनियों को किस तरह से लेते देते हैं और सिस्टर कंसर्न को किस तरह से पैसा लेते-देते हैं उसकी ओर मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा। जयपुर उद्योग कंसर्न के जो शेयर्स हैं, वे किस प्रकार हैं। अशोका सीमेंट लिमिटेड 15726, भागलपुर उद्योग 15,726, साहू जैन सर्विसेज 1 लाख, पंजाब नेशनल बैंक 3,71,822, बैनट कोलेमन एण्ड कम्पनी 23 लाख, प्लाई बोर्ड इन्डस्ट्रीज 1,75,000 केसरिया इन्स्ट्रूमेंट 14,536, महेशपुर होल्डिंग 9268, आलोक जैन प्लाईवुड 34,000, यूनिवर्सल फायर इन्श्योरेन्श कम्पनी 35,642,जय एग्रो इन्डस्ट्रीज जिसके लिए सरकार अभी 68 लाख की गारन्टी देने को तैयार है और इस जय एग्रो इन्डस्ट्रीज के कारनामें तो मैं बाद में अर्ज करूंगा लेकिन इसी जय एग्रो इन्डस्ट्रीज को 68 लाख की गारन्टी देने की राज्य सरकार तत्पर दिख रही है एक दो-दिन में ही। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जय एग्रो इन्डस्ट्रीज और खास तौर से साहू जैन की जो नीति है उसके लिए सरकार को कोई ठोस नीति निर्धारित करनी चाहिए। नहीं तो एक ओर तो वित्त मन्त्रीजी इतना तड़फ रहे हैं पैसे-पैसे के लिए कि हमारे पास पैसा नहीं है और दूसरी ओर लाखों रुपया सरकार का इस प्रकार डूब रहा है। उसमें है 14,31,840। साहू जैन इन्जिनीयरिंग 5000। इस तरह से जयपुर उद्योग सिस्टर कंसर्न में इन्वेस्ट करती है वह है 60,40,761। यह तो है इनकी स्थिति।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बार जब इनको लगातार हम पैसा दे रहे हैं कोई बिना देखे, बिना पूछे, जहां से भी चाहिए ले लो, राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन का 20 लाख है तो बीस लाख ले लो, सरकार

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

से चाहिए तो 25 लाख लेलो, साठ लाख 75 लाख जो भी चाहिए ले लो। तो एक बार ऑडिटर जनरल ने इस पर ऑब्जैक्शन लिया था कि इतनी रकम हम इनको दे रहे हैं एक ही कंसर्न को तो हम इसका इन्टरनल ऑडिट क्यों नहीं करवायें और जब तक इन्टरनल ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं आ जावे तब तक एक पैसा भी नहीं दिया जाय। इस ऑब्जैक्शन को भी हमारे तत्कालीन फाइनेन्स कमिश्नर ने नहीं माना और उन्होंने कहा कि हम लोन दे रहे हैं वह सोच समझ कर दे रहे हैं। किसी इन्टरनल ऑडिटर की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सर्टिफिकेट दे देता है कि लोन का प्रोपर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो हम लोन देते रहेंगे। यही सरकार की लगातार शर्त रही और आज स्थिति यह है कि आज कम्पनी को फ्रेट का 20 लाख रुपया रेल्वे को देना है। अब मैं इस कंसर्न पर कर्जे पर आता हूं। टोटल कर्जा जो राजस्थान का है वह करीब पौने दो करोड़ के नजदीक पहुंच जाता है और उनकी बुक्स के अनुसार 1 करोड़ 30 लाख है और 25 लाख अनडिस्क्लोज्ड है। 25 लाख की राजस्थान बैंक की गारन्टी से है। पौने दो करोड़ के कर्जे के उपरान्त इनको 20 लाख रुपया रेल्वे का देना है, 25 लाख राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देना है और सात साल का इन्कम टैक्स का एरियर बकाया है जो करोड़ो रुपयों का अभी तक देना है। दस लाख रुपया लाईम स्टोन की रॉयल्टी का मांग रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े छः-छः रुपये के लिए काश्तकारों पर जो अकाल के समय में रुपये लिए उनके लिए डिग्रियां निकल रही हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है और उनसे वसूली की जा रही है। उनके बाल-बच्चे तड़फ रहे हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है। रेवेन्यू विभाग की तरफ से डिग्रियां निकलती हैं और यह जयपुर उद्योग जो एक महान साहूकार संस्था है, आपकी नजर में उसके अन्दर दस लाख रुपया लाईम स्टोन का बकाया है।

प्रोविडेन्ट फण्ड कन्ट्रीब्यूशन का रुपया जो कि वर्कर्स से डिडक्ट होता है उसको पूरा का पूरा मिस-एप्रोप्रियेट कर दिया है। इसकी इन्क्वायरी भी शीघ्र ही करानी चाहिए और जो उन्होंने फ्राड किया है प्रोविडेन्ट फण्ड में उसको फौरन वसूल किया जाना चाहिए।

कुमुलेटिव टाईम डिपोजिट सेविंग स्कीम थी वह भी पैसा जो हम देते हैं वह भी जमा नहीं कराया गया है। इसके अलावा 46 हजार रुपये का अमाउन्ट स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम का जो वर्कर्स से डिडक्ट किया वह भी ई० एस० आई० में जमा नहीं कराया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम इस सब के वर्किंग को देखें और प्रोफिट को देखें तो उस हिसाब से मेरा निश्चित मत है कि जो बोनस की रेट 4 पर्सेन्ट की है उससे बढ़ कर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो किसी तरह से सांठ-गांठ करके और इस मुनाफे की रकम को इधर-उधर करके और इस नियत से कि वर्कर्स को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए और वर्कर्स की रकम को हड़पने की कोशिश के लिए उस सारी

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

रकम को इधर-उधर करना यह भी फ्रॉड ही है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जयपुर उद्योग की हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है। इस जयपुर उद्योग में सिर्फ साहू जैन का 80 लाख रुपया लगा हुआ है और जब डिविडेन्ड डिक्लेयर करते हैं तो डिविडेण्ड जिसका बांटना चाहिए, उसमें छोटा बड़ा हिस्सा शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और शेयर में कन्वर्ट करके अपनी सिस्टर कंसर्न की आमदनी बढ़ाते रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि 54-55 से लेकर 71 तक उन्होंने जो एप्रोप्रियेशन किया है डिविडेन्ट का वह है 31,52,04,426। उसमें डिप्रिसियेशन हुआ है 6,87,61,971 और जो रिबेट मिला है डेवलपमेन्ट का वह है 85,65,861 इसके बाद भी यह जो शेयर की उनके पास इतनी पूंजी होते हुए भी डिविडेन्ड अमाउन्ट को किस तरह से यूटिलाईज करते हैं, किस तरह से अपनी कंसर्न को जीवित रखने में लगे रहते हैं और सरकार को जो पैसा देना है वह भी नहीं दे पाते हैं। आज आप मालूम कीजिए कि उनके पैसे का उपयोग किस तरह से हो रहा है। इतना पैसा रिजर्व में होते हुए और जो एक्सपांशन प्रोग्राम है उसके अन्दर 47 लाख और 74 लाख का प्रोग्राम बना हुआ है और उसमें रिजर्व का उपयोग करते हैं, उसके बावजूद लोन देते रहते हैं लेकिन लोन चुकाने की स्थिति यह है कि मुश्किल से जब लोन पर लोन देते हैं तो पहले लोन की किस्त वसूल होती है और किसी तरह से एडजस्ट करके काम चलाते रहते हैं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, यह तो रही जयपुर उद्योग की हालत। आज अगर हम रियल कैपिटल को देखें कि लोन्स को निकाल कर वह 5,18,11,299 रुपये है। यह मैं बैलेंस शीट से बता रहा हूं और आज इन पर 440 लाख का लोन है। यह लोन तो गवर्नमेंट एजेंसीज का है। इसके बाद अनसिक्योर्ड लोन है, डिपोजिट कितनी है, इस सारे प्रश्न से, जयपुर उद्योग के प्रश्न पर हम गहराई में नहीं जायेंगे तो मेरा खयाल है कि या तो जो राजस्थान सरकार का पैसा है पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा, पानी में डूब जाएगा और मजदूरों की हालत खराब होगी। कहा गया कि सीमेंट इण्डस्ट्री ब्यावर में लगायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थिति के बावजूद भी आज करीब चार करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज से हासिल करने की कोशिश में है और उन्होंने सी. ओ. बी का लाइसेंस लिया ब्यावर में उद्योग स्थापित करने के लिए, सीमेंट का प्रोडक्शन करने के लिए ले लिया लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, सैकड़ों बीघा जमीन उस उद्योग के नाम पर ले ली लेकिन तीन साल हो गए कोई धन्धा और उद्योग स्थापित करने की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम गहराई में जायं... तो सारा का सारा मामला धपले में निकलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि भैरोंपुरा और भोगरांपुरा फोरेस्ट अच्छे फोरेस्ट हैं। वहां अच्छी वाईल्ड लाइफ थी। वह एक अच्छी जगह थी, वह हड़प कर ली गई है और अब एक्सपांज की दृष्टि से और जगह पांव फैला रहे हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय आपको जय एग्रो के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। जय एग्रो अभी-अभी स्थापित की गई है रौम्र

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

तीन लाइसेन्स है। एक सवाई माधोपुर में बेवरेजेज का, एक चॉकलेट फैक्टरी का और एक दूध का अलवर के लिए दिया गया है। सवाई माधोपुर में बीयर प्लान्ट लगाने के लिये जय एग्रो को जमीन दी गई है। यह जो जमीन है वह शिड्यूल कास्ट की है। यहां पर सैकड़ों बीघा जमीन हड़प कर ली गई है। यह जमीन नान-ट्रांसफरेबल है। वह कैसे ट्रान्सफर हो गई है और कैसे जय एग्रो की कैपिटल बन गई है और कैसे इस लैन्ड को प्रॉपर्टी माना गया है। अब सरकार इस जय एग्रो के लिए 68 लाख की गारन्टी करने जा रही है और सरकार इसको अच्छी तरह से नहीं देखेगी तो मेरा मत है कि सरकार एक दो दिन में 68 लाख की गारन्टी इसके लिए दे देगी और हमारा पैसा और फंस जायेगा और हम इसके लिए फिर और कोई कदम नहीं उठा सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, साहू मिनरल्स का किस्सा आ चुका है और मेरे साथ साहू मिनरल्स के बारे में, आर. के. होटल्स के बारे में और खास तौर से जो रोहताज इन्डस्ट्रीज हैं, रोहताज इन्डस्ट्रीज का लम्बा किस्सा है, वैसे कानूनी तौर से इनका साहू जैन से कोई रिश्ता नहीं दिखाई देता है लेकिन यह डालमियां जैन ग्रुप की है और इसको भी 20 लाख का लोन दे दिया गया है, इलाहाबाद बैंक के डिबेन्चर इसको ट्रान्सफर हो गये हैं। इसके बारे में राजस्थान फाइनेंसिंग कार्पोरेशन का नोट हैं। इस सार नोट को, नियम को ताक में रखकर 20 लाख का लोन दे दिया गया है और अब 50 लाख की गारन्टी दे रहे हैं। मशीन और जमीन पर, रा-मेटेरियल पर गारन्टी दी जाती है परन्तु....

श्री रामानन्द अग्रवाल : रोहताज इन्डस्ट्रीज कहां पर है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह है डालमियां नगर में....

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राजस्थान में इसका बिजनेस है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : कोशिश कर रहे हैं। वेजीटेबल का प्लान्ट लगा रहे हैं। अब क्या स्थिति है वह तो सरकार ही बतायेगी। इसको बीस लाख रुपया दे दिया गया है और अब 50 लाख की गारन्टी देने जा रहे हैं और उसमें 47 लाख का उपयोग कर चुके हैं और अभी तक वेजीटेबल प्लान्ट नहीं लग पाया है। इसी तरह से किसी प्रकार का लोन या गारन्टी देने के पहले बिल्डिंग, मशीन और रा-मटेरियल देखा जाता है। परन्तु बिना इसको देखे ही लोन दिया गया है, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। आर० के० होटल्स का यही किस्सा है। इनका हिस्सा इतना गहरा है कि अगर हम इनकी तह में नहीं गये और अभी नहीं पकड़ा तो उपाध्यक्ष महोदय हमारे वित्त मंत्री महोदय को और चिन्ता हो जायेगी। हम तो डूबेंगे सनम तुम को भी ले डूबेंगे। आज सबसे आवश्यक है कि इस पर जांच बिठाई जाये, बहुत बड़ी जांच बिठाई जाये और यह जो सांठ-गांठ डालमिया से शुरू हुई है, born in sin and nurished in Corruption उसके हिसाब से जांच बिठा कर इनकी सचाई को बाहर लाया जाये। जो उद्योग स्थापित करने का, औद्योगिकरण का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बाइल्स हो सकते हैं उसको साफ करना होगा । हमारे मुख्य मंत्री महोदय समाजवाद के लिये पूरी तरह से कमीटमेन्ट लिये हुए हैं (समय समाप्ति सूचक घंटी) आज उनके मुख्य मंत्रीत्व काल में ही यह सवाल पैदा हुआ है, नहीं तो सवाल पैदा नहीं हो सकता था। मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि साहू जैन के जितने भी कम्पलेकसेज हैं, उन पर बहुत बड़ी जांच बिठाई जाये और सत्य को बाहर लाया जाये। जय एग्रो इन्ड-स्ट्रीज को जो गारन्टी आप दे रहे हैं, जब तक यह जांच पूरी न हो जाये तब तक के लिये उसको रोका जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला !

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, आज इस सदन में इस आलोक उद्योग के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। इस सम्बन्ध में मैं आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सब से पहले मैं छंगाणीजी को धन्यवाद देता हूं कि जिनके प्रश्न पर राजस्थान विधान सभा में राजस्थान में हो रहे करोड़ों रुपयों के घोटाले सामने आये हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर उद्योग को जिस प्रकार से जमीन दी गई है और यह जमीन किस प्रकार से प्राप्त की गई है, फलोदी क्वेरी की जमीन किस प्रकार प्राप्त की गई, इसके बारे में यहां पर बात हुई है। यहां पर कहा गया है कि 75 लाख भूतपूर्व जयपुर रियासत का बाकी था और जब विधानसभा के अन्दर यह प्रश्न आया तो तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय स्वर्गीय जयनारायणजी व्यास ने इस पर प्रकाश डाला था और यहां पर यह कहा था कि मैं इस घपले में नहीं पड़ूंगा और किसी भी कीमत पर इस प्रकार के लोगों को कभी आगे एडवान्स नहीं दिया जायेगा, कोई लोन नहीं दिया जायेगा। 14 नवम्बर, 1954 के बाद स्वर्गीय व्यास जी राजस्थान के मुख्य मंत्री नहीं रहे। उसके बाद जिस प्रकार की हालत बनी, जिनके अन्दर, राजस्थान के औद्योगीकरण के नाम पर, यहां पर करोड़ों रुपयों का इनवेस्टमेन्ट इस साहू जैन, आलोक उद्योग, रोहताज इन्डस्ट्रीज, आर० के० होटल्स के नाम पर हो गया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस रोहताज इंडस्ट्रीज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, रोहताज इन्डस्ट्रीज को, जैसी कि अभी बात आई, सदन में, 20 लाख का कर्जा दिया गया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान फाइनेन्सिग कार्पोरेशन के जो रूल्स हैं, जिनमें कि अधिकतम सीमा निश्चित की गई है वह है 20 लाख रुपया और यह 20 लाख का लोन राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन की तरफ से इस रोहताज इन्डस्ट्रीज को तब सैंक्शन किया गया जब कि श्री आलोक जैन इसके, फाइनेन्स कॉर्पोरेशन के डाइरेक्टर नियुक्त हुए थे–अधिकतम लोन आज तक किसी भी फर्म को नहीं दिया गया और वह लोन उन्होंने इस कम्पनी को दिलाया और जैसा कि भाई रामानन्दजी ने पूछा था, राजकीय उपक्रम समिति की रिपोर्ट वर्ष 71-72 की अभी हमें मिली है, उसमें कहा गया है कि रोहताज इन्डस्ट्रीज राजस्थान में नहीं है और यह डालमिया नगर में स्थित है। इसका डालमिया नगर में कारोबार है। तो समझ में नहीं आता कि राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन जिसका कार्यक्षेत्र

Page No 82

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

राजस्थान के उद्योगों को बढ़ावा देना है, जिसका कार्यक्षेत्र जिन उद्योगों में पूंजी का अभाव है उनके लिये पूंजी की व्यवस्था करना है, उसको क्या आवश्यकता पड़ी थी कि वह रोहताज इन्डस्ट्रीज को, जो कि डालमिया नगर में है, उसको कर्जा दे। मैं पूछना चाहता हूं कि यह बीस लाख का कर्जा किस नियम के अन्तर्गत दिया गया है, इस बीस लाख के कर्जे के ऊपर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन के जो ऑडिटर हैं उन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा है :

"That against the transfer of its own debentures of Rohtas Industries Ltd., standing formerly in the name of Allahabad Bank Nominee (P) Ltd. and not transferred in favour of Rajasthan Financial Corporation, a sum of Rs. 20 lakhs was advanced to M/s Rohtas Industries Ltd. It is not explained as to under what consideration the said Allahabad Bank Nominee (P) Ltd. has effected the transfer of debentures in favour of the Rajasthan Financial Corporation. The loan has not so far been utilised in Rajasthan and has not been allowed on the acquisition of assets, when the industry was not needing the loan for immediate acquisition of assets, but the amount was released in lumpsum at a time. It is also not clarified as to how liability of a company can be accepted as security for the loan without keeping any margin in favour of the Corporation".

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ऑडिटर की आपत्ति के बाद में बीस लाख का कर्जा दिया गया है और अब 50 लाख की गारन्टी और देने जा रहे है। वैसे मुझे राजस्थान के किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के खिलाफ कहने में झिझक होती है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान का औद्योगीकरण हो लेकिन यह भी चाहता हूं कि जिस औद्योगीकरण के लिये हम लाखों-करोड़ों रुपया दे रहे हैं, वह हम गरीब लोगों पर टैक्स लगाकर उनसे प्राप्त करते हैं और उद्योगों की इससे सहायता करना चाहते हैं। यह रुपया जब हम देते हैं तो हमारा फर्ज हो जाता है और कम से कम उन लोगों का फर्ज हो जाता है जो देश के अन्दर, राजस्थान के अन्दर समाजवादी समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं और औद्योगीकरण करना चाहते हैं तो उनका दायित्व हो जाता है कि इस प्रकार के घपलों के लिये आवाज उठावे और इसके बारे में सरकार को जानकारी दें कि किस प्रकार से उसकी नाक के नीचे इस प्रकार के कारनामे हो रहे हैं : बीस लाख रुपया ऐसे उद्योग को दिया गया है जिसका राजस्थान के अन्दर कोई अस्तित्व नहीं है।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

माननीय उपाध्यक्षजी, छोटे लोग अपने उद्योगों के लिये कर्जा लेने के लिए तरसते रहते हैं। उनकी दरख्वास्तें पड़ी रहती हैं, पूरा कारखाना लगा लिया, मशीनरी लगाली, सारा काम कर लिया तो भी कर्जा नही मिलता है। जैसा कि ऑडिटर महोदय ने ओब्जैक्शन किया कि लम्पसम 20 लाख रुपये की राशि उनको पता नहीं किस खुशी के अन्दर दे दी। मैं जानना चाहता हूं कि इस बात के अन्दर माननीय वित्त मंत्रीजी की नाराजगी हुई थी जब अधिकारियों की मिली भगत का सवाल आया था मैं पूछना चाहता हूँ कि किन की मिली भगत के कारण से यह 20 लाख रुपये का लम्पसम दिया गया है।

एक बात रोहताज इन्डस्ट्रीज के बारे में यह भी निवेदन करूंगा कि रूल्स में यह कहा गया है कि यह लोन किसको दिया जा सकता है तो मैं यह भी निवेदन कर दूं कि ऋण उद्योग संस्थानों के लिए सम्पत्ति की सिक्योरिटीज पर दिया जाता है यदि उन संस्थानों के अन्दर सम्पत्ति काफी न हो तो कुछ अंश तक किसी व्यक्ति की अचल सम्पत्ति पर भी ऋण दिया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने उस रोज कहा है तो माननीय वित्त मंत्रीजी को जानकारी नहीं थी कि यह ऋण किसी की पर्सनल सिक्योरिटी पर दिया गया है तो वह श्रीमती सुशीला बहन की जमानत पर कर्जा दिया गया है, रूल्स के अन्दर यह है लेकिन उन नाम से कोई भी अचल सम्पत्ति राजस्थान में नहीं हैं। सुशीला बहन ने तल्लाक दे दिया है उनका तल्लाक हाईकोर्ट से मन्जूर भी कर लिया है मेरी समझ में नहीं आता है कि 75 लाख 31 हजार रुपया जो चुकाने की बात कही थी तो मैं कहना चाहता हूँ उसके बारे में कि उन्होंने चैक दिया राजस्थान सरकार को चैक प्राप्त हुआ। वह चैक डिसऑनर हुआ, चैक का भुगतान नहीं हुआ, अभी माननीय सदस्य छंगाणीजी कह रहे थे कि 25 लाख रुपया बिजली का बकाया था तो बिजली के लिए हाईकोर्ट चले गये, मामूली कन्जूमर का कनेक्शन काट देते हैं 10 रुपये बकाया हो तो भी और कोई नोटिस नही देते हैं आपने इनके बारे में कह दिया कि बिल नहीं चुकाया है बिजली का और यह 25 लाख रुपया बाकी है और यह भी तब बकाया है जब कि रियायती रेट पर उनको बिजली देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से कि आखिर कौन सी ऐसी बात है कि जिसकी वजह से यह किया गया है और जिसकी वजह से सुशीला बहन की जमानत पर यह किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रेमकांड की बात कही थी हाण्डा साहब ने इसलिए मुझे सुशीला बहन की बात ध्यान में आ गई है। इसलिए मैं दो मिनिट में सारी बाते निवेदन कर देता हूं।

दूसरी बात रोहताज इन्डस्ट्रीज के बारे में निवेदन कर दूं कि काफी कर्जा मिला प्लान्ट लगाने की बात थी। कहां लगा, और कहां नहीं लगा यह तो उद्योग मंत्रीजी अधिकृत रूप से जानते हैं इसलिए वह सदन को जानकारी देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान की धरती पर यह

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

प्लान्ट तो कहीं नहीं लगा है और कहीं हो तो उसके बारे में क्या है वह अधिकृत जानकारी सरकार की तरफ से दी जायगी, मैं दूसरे उद्योग के बारे में जिक्र करना चाहता हूं वह है जय एग्रो इन्डस्टीज लिमिटेड जिसको लाइसेन्स दिया गया है सवाई माधोपुर में। वहां पर फैक्ट्री आज तक नहीं लगी है। उसके नाम से भी कर्जा लिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने इस उद्योग को ट्रांसफर करना चाहते हैं अलवर में। माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट के भाषण में अलवर जिले के लिये रियायतें घोषित की थी वह रियायतें वे लेना चाहते हैं, फैक्ट्री लगायेंगे या नहीं लगायेंगे इसकी जानकारी नहीं है।

जिस प्रकार से कर्जा वगैरह बताया गया है और हालत वहां की है कि मजदूरों को दो-दो महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली है और उनके प्रोविडेण्ट का पैसा वे युटिलाइज कर चुके है, और बाजार के अन्दर दो-दो तीन-तीन महीनों तक बिल्स का भुगतान नहीं पाते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि अलवर के अन्दर इस प्रकार से फैक्ट्री लगाकर जो राहत देने वाले हैं, जो सबसिडी देने की घोषणा माननीय वित्त मंत्रीजी ने की है वह हड़प न कर पायें। अभी एग्रो इन्डस्ट्री के बारे में 68 लाख की गारन्टी की बातें और चल रही है तो मैं माननीय मंत्रीजी से आश्वासन इस सदन में चाहूंगा कि जब इस प्रकार से तथ्य इस सदन में आते हैं तो मैं जरूर इस बात का निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये फर्जी कम्पनियां बनाते हैं और कानूनी रूप में फर्जी कम्पनियां बनाते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि जो लिस्ट आज हमें इस बेलेन्स-शीट के लास्ट में प्राप्त हुई है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें 16,48,840 रुपये के शेयर्स इसमें ट्रान्सफर किये गये हैं तो सारी पूंजी सरकार की है। तो मकसद यह है कि दो हजार की केपिटल से कोई धन्धा चालू करते हैं और 18 हजार सरकार दे देती है तो 20 हजार की केपिटल हुई तो उस 20 हजार की केपिटल से धन्धा चलता है। उसके बाद में दूसरी कम्पनी फार्म कर ली और दूसरी कम्पनी के अन्दर 5 हजार की केपिटल बनाते हैं और 5 हजार पर 40 हजार रुपया सरकार से ले लेते हैं, और इस प्रकार से इनका काम चलता रहता है। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा और उद्योग मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि जो नये उद्योग धन्धे लगाने वाले छोटे लोग हैं वह यहां आकर खोखले बनते चले गये हैं उनको मेहरबानी करके साहू जैन के जो एक्सपर्ट लोग हैं जो इस प्रकार से धन्धा करके तुरन्त सारे फाइनेन्स कार्पोरेशन की पूंजी को तथा इस राज्य सरकार की जो पूंजी है उसको जिस ढंग से ले लेते हैं, उनसे उनको ट्रेनिंग दिलाईजाय ताकि वे अपने उद्योग-धन्धे बन्द करके यहां से न जायं।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा इस बात के लिए कि आज जिस ढंग से सदन के करीब सभी सदस्योंने इन सारी बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया कि आपका इस तरह से करोड़ो रुपया लिया जाता है राज्य का और राज्य को बिना कुछ मिले ही किस प्रकार से वह जा रहा है। मैं बिक्री कर के बारे में भी निवेदन-

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

करना चाहता हूं कि ओवरसीज उद्योग नाम की कम्पनी बना रखी है और उसको सारा माल ट्रांसफर कर देते हैं, तो यह सारे के सारे घोटाले जो चल रहे हैं, और इन घोटालों के अन्दर साधारण आदमी या मध्यम श्रेणी का जो आदमी है या वह आदमी जो उद्योग-धन्धे लगाने के लिए बाहर से आकर प्रयत्न करना चाहते हैं वह भटकते फिरते हैं और उनको इस प्रकार से कोई सामान नहीं मिलेगा यहां पर, इस प्रकार की व्यवस्था कर देते हैं आप तो मैं यह मांग करता हूं कि इस बात पर कम से कम यह तो पाबन्दी लगाई जाय कि जो लोग इस प्रकार से फाइनेन्स कार्पोरेशन के अन्दर मेम्बर्स हैं वह अपनी फर्मों को कर्जा देने की बात नहीं करेंगे क्योंकि यों तो सारा मामला साफ है कि वो ही मेम्बर उस मीटिंग मे जाते हैं जिसके अन्दर 20 लाख का कर्जा लेना हो। वे उसी मीटिंग में जाते हैं जहां पर 50 लाख या 60 लाख की गारन्टी दिलाना चाहते हैं।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को इस संदर्भ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के उद्योगीकरण के लिए हमारे महान नेता श्री जयनारायणजी व्यास ने सारी बातें समझी थी और इस हाउस के अन्दर उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि यहां पर इस प्रकार के लोगों को जमने नहीं दिया जायगा जो कि राजनैतिक लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि उन सब लोगों को कोई प्रोत्साहन देने की बात उस जमाने में नहीं हुई, और आज जो व्यवस्था करके चल रहे हैं और इस प्रकार का वातावरण है कि हम समाजवादी व्यवस्था पर काम करना चाहते हैं, और जिस प्रकार का वातावरण हम पैदा करना चाहते हैं अगर उसके अन्दर चले तो लोग कहेंगे कि चुनावों में हमने जो बातें कही थी हम सारी बातों को क्रियान्वित नहीं करते हुए कुछ पूंजीपतियों के हाथ में खिलौने बन गये और सारी चीजों को नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो एडवान्सेज दिये गये हैं, काम प्रारम्भ नहीं किया गया है और कर्जा ले लिया है तो उनसे उन कर्जों को जबर-दस्ती वसूल किया जाय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कई किस्तें ओवरड्यू हो चुकी है और वे किस्तें नहीं देते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आर. के. होटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बहुत बढ़िया जमीन दी गई है। हो सकता है कि यदि उस जमीन को नीलाम किया जाता तो 150 रुपये गज के अन्दर जाती। नाममात्र का पैसा लेकर उनको वह जमीन दी। हम समझते थे कि यह 5 स्टार का होटल खुलेगा, क्योंकि केन्द्रीय मंत्री श्री करणसिंह जी का उसमें बहुत इन्ट्रेस्ट था। वह कहते थे कि जयपुर के अन्दर कोई बढ़िया होटल नहीं है। एक रामबाग होटल है वह भी बन्द पड़ा हुआ है। वह भी प्रबन्धों और कर्मचारियों के झगड़े के कारण बन्द पड़ा है। हम समझते थे कि बहुत बढ़िया होटल बनेगा। राज्य सरकार ने मुफ्त जमीन दे दी, लेकिन माननीय उपाध्यक्षजी, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर बोर्ड तो जरूर लगा हुआ है आर० के० होटल प्राइवेट लिमिटेड बाकी जमीन भी समतल नहीं हुई है।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

क्या होगा और किस ढंग से होगा और इसके बारे में सरकार क्या सोचती है? होटल जमीन पर बनवाना चाहते हैं या कागज के ऊपर ही वह बनकर रह जायगा। यह सरकार के सोचने का काम है। मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि इस सारे संदर्भ के अन्दर इस बात को समझकर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्षजी, यह मैं निश्चित रूप से जानता हूं, यहां पर आलोक जैन की चर्चा हुई है। वह प्रभावशाली आदमी हैं। वह राजस्थान चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। चेम्बर का कार्यालय बनाने के लिए 1 रु० में जमीन दी गई है। यह कहा गया था कि यहां पर एक हॉल बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी। जिससे सार्वजनिक जनता लाभ उठा सकेगी। लेकिन उसका एक भाग बैंक को किराये पर दे दिया गया है। एक कोई दूसरा भी ऑफिस चलता है? मैं पूछना चाहता हूँ कि मुश्किल से एक रुपया लेकर वह जमीन दे दी गई है। आज जो कुछ बना है, वह सामने है। ये सारे तथ्य हैं। इनके आधार पर सदन से निवेदन करता हूँ। क्योंकि हमारे पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। सरकार के पास अधिकृत जानकारी है। ऐसे मामलों में यहां तक हुआ है, कि हायर सैकेण्डरी स्कूल की जमीन को मुआवजा तक नहीं दिया गया। मुआवजा लेने वाले एक सज्जन ने जब अदालत में दावा दायर किया तो फैसला हुआ कि यह मियाद के बाहर है। उसको उस जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला। साधारण आदमी के बारे में यह रहता है। यह समाजवाद की कल्पना अधूरी लगे तो हवाई अड्डे के पास वाली जमीन का जो फैसला हुआ था हो सकता है कि वह मियाद बाहर हो गया हो, उसका मुआवजा दिलाने के लिए उद्योग मन्त्री और मुख्य मन्त्रीजी अपने प्रभाव का उपयोग करें।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं कुछ ही मिनटों में समाप्त करता हूं। ज्यादा बोलने को नहीं है। बहुत बोल चुके हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स की जमीनों के लिए कानून बना हुआ है। किसी दूसरे के नाम नहीं हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर चर्चा हो चुकी है। आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं उसी पर बोल रहा हूं। यह खास ढंग से राजस्थान सरकार में किस प्रकार से करवाते रहे हैं। आज सौभाग्य से हमारे यह मन्त्रीजी हैं, मैं इनसे यह मांग करता हूं कि भविष्य में जो गारण्टियां देने की बात है उनके बारे में सोचें और सदन में स्पष्ट रूप से घोषणा करें। तो जो मैंने तथ्य रखें हैं, उनकी जांच कराने के लिए किसी प्रकार की कमेटी का गठन करें। आज वहां पर लाखों रुपयों का घाटा दे रहे हैं। जिस प्रकार से डालमियां एयरवेज दिवाले में चला गया है। कहीं यह भी उसी में न आ जाये। राजस्थान सरकार का करोड़ों रुपया लगा हुआ है। कहीं यह रुपया भी डैन्ट में न आ जाये। इस उद्योग के समूह को सरकार अपने हाथ में ले ताकि मजदूरों के हित सुरक्षित रहें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है, उन्होंने एक बहुत ही गम्भीर तथ्य सामने रखा है। उपाध्यक्ष महोदय इस प्रकार के तथ्य सामने आये हैं। हमारे राज्य का करोड़ों रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट के रूप में है। लाखों रुपया लोन के रुप में हैं और हमारा लाखों रुपया वेरियस डिपार्टमेन्ट्स का एरियर्स के रूप में, चाहे वह बिजली विभाग का हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट का हो, हमारी सरकार बहुत बुरी तरह से इस उद्योग में फंसी हुई है जो कि करोड़ों रुपयों में जाता है। दूसरा तथ्य यह सामने आया है कि यह उद्योग अपने समूह, अपने सिस्टर कन्सर्न के जरिये राजस्थान सरकार का पैसा अपनी दूसरी सिस्टर कंसर्न को, जो कि राजस्थान से बाहर है, उसमें एक्सपोर्ट करता रहता है। इसके बजाय जो हमारा केपिटल जो पहले ही काफी कम है, उसको एक्सपोर्ट करके हमें और गरीब कर रहा है।

तीसरा यह है कि सन् 1954 से जब से राजस्थान में पोलिटिकल चेंज हुआ श्री जयनारायण व्यास के बाद जब दूसरे मुख्य मन्त्री बने तब से यह काल शुरू होता है। तब से यह अब तक चलता रहा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अब बन्द हो रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो देखा जायेगा।

श्री दिनेशराय डांगी : उपाध्यक्ष महोदय, इस काल का नाम क्या उत्तर पाषाण काल है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : तीसरा यह कि रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। जिस काम के लिए दिया गया है, उसमें उपयोग नहीं हो रहा है। फाइनेन्शियल क्राइसिस है। मजदूरों का प्रोविडेण्ट फण्ड जो कि अमानत के तौर पर होता है, उसका भी यूटिलाइजेशन अपने पर्सनल हित में कर लिया गया है। चौथा तथ्य यह सामने आया है उपाध्यक्ष महोदय, इसमें न केवल फाइनेंस और स्टेट फाइनेंस पर इसका स्टोंग होल्ड लगा है, बल्कि इसने राज्य की पोलिटिक्स पर भी पूरा असर जमाया है। कई माननीय सदस्यों ने इसे बताया है कि यह पैरेलल स्टेट के रूप में उद्योग चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुद सवाई माधोपुर में मजदूरों की हड़ताल के बारे में जाना पड़ा है। सवाई माधोपुर में एक्चुअली लोग कहते थे कि राज्य कांग्रेस का नहीं है, साहू जैन का है जयपुर उद्योग का है। जो एक्चुअली वहां ऑफिसर होते हैं, वह उसको चलाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राज्य के मुख्य मन्त्री नेता हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं, उसी प्रकार से श्री के० एल० जैन चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। दोनों स्टेट्स के बीच में लॉयजन आफिसर, जिस प्रकार कि सेण्ट्रल में डी० पी० धर को कायम किया है, उसी प्रकार श्री के० एल० जैन लॉयजन आफिसर के रूप में काम करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, दस्तखत अधिकारियों के होंगे, मिली भगत होगी, लेकिन अधिकारियों को पता है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और के. एल. जैन में कोई फर्क नहीं है, दोनों में दांत काटी रोटी है और एक तरीके से हर मामले

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में उनका दखल होता है, के. एल. जैन, जिसका चाहें ट्रान्सफर करा सकते हैं, जिसको चाहें नियुक्त करा सकते हैं, जिसको चाहें किसी डिपार्टमेंट में ला सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति है कि के. एल. जैन साहू जैन को कितना इन्फ्लूएन्स करते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस में किसको टिकिट दिया जाय, किसको टिकिट नहीं दिया जाय....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में आप स्कोप से बाहर जा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो काम्प्लेक्स है....

श्री मोहनलाल छंगाणी : इस बार नहीं चल सकी है।

श्री विनेश डांगी : आप टिकिट की बात करते हैं तो किस कांग्रेसी को उनके कहने से टिकिट दिया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं 1954 से बात कर रहा हूं अभी तक की, और इस तरीके से मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने जीपें देखी होंगी, जो जीपें जयपुर उद्योग की इलेक्शन में काम करती थी, वह मैंने भी देखी हैं....

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपको भी दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पोलिटिकली एक जबर्दस्त अधिकार अपना रखते रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस उद्योग की तरफ जो पैसा था, वहां के कलेक्टर ने उस पैसे को वसूल करने के लिए पी. डी. आर के तहत पांच ट्रक इनके अटेच कर लिये और उन पांचों ट्रकों को मंगा कर अपनी कोतवाली में खड़ा करवा दिया। इस पर वहां के जो एक्जिक्यूटिव ऑफिसर थे, उनके केवल टेलीफोन करने पर गवर्नमेंट को पांचों के पांचों ट्रक फौरन छोड़ने पड़े। यह कई वर्ष की बात है, इस गवर्नमेंट के सामने की बात नहीं है। मैं समझता हूं, पांच-छः साल पहले की बात है। इसी तरीके से वहां पर इनका राज्य रहता था। वहां पर स्ट्राइक हुई थी, उपाध्यक्ष महोदय, उस समय श्री गुलजारीलाल नन्दा उस स्ट्राइक को चला रहे थे, जो भारत सरकार के प्रधान मंत्री भी कुछ समय के लिए रह चुके हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, वह खुद उस स्ट्राइक को चला रहे थे लेकिन राज्य सरकार ने स्ट्राइक का दमन करने के लिए जो सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस थे, गुमानमलजी, उनके जरिये दमन करवाया और कांग्रेस के दूसरे लीडर, इन्टक के लीडर का अपमान कराया। इस तरीके से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह तथ्य आये हैं, यह बड़े खतरनाक हैं। आज भयंकर आर्थिक संकट है, हमने बजट में देखा और उसका कारण माननीय सदस्यों की समझ में आया है, इन नीतियों के कारण हमारा रुपया कहां डाइवर्ट होता है, जो छोटे उद्योगों में जाना चाहिए, दूसरे कामों में इस्तेमाल होना चाहिए। पिचहत्तर लाख रुपये पर हमें डिविडेंड मिलता है तीन पर्सेन्ट, जब कि हम लोन लेते हैं उस पर साढ़े पांच पर्सेन्ट और साढ़े सात पर्सेन्ट तक हमें इन्ट्रेस्ट देना पड़ता है। सरकार तीन पर्सेन्ट डिवीडेंड ले और साढ़े सात रुपये सैंकड़ा के हिसाब से ब्याज दें तो घाटे की दुकान अपने आप बनेगी। माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इन बुनियादी मसलों पर आपको इस बुनियाद पर विचार करना चाहिए, मैं उसी बात को फिर दोहराऊंगा कि यह सीरिअस मामला है, इसमें यह खतरा है कि यह पैसा खुर्दबुर्द हो जायगा, और आप पैसा वसूल नहीं कर सकेंगे, इसलिए फौरन एक हाई पावर कमीशन की गवर्नमेंट को नियुक्ति करनी चाहिए। जैसे बिड़लाज के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट एक हाई पावर कमीशन की नियुक्ति करने के बारे में सोच रही है, उसी तरह से क्यों डाइरेक्टली कनेक्टेड हैं, हमारा पैसा है इसलिए हमें एक हाई पावर कमीशन की नियुक्ति करनी चाहिए जो इस काम्प्लेक्स की तह में जाय और रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स करे कौन जिम्मेदार था, सरकार में कौन जिम्मेदार था आफिसर्स में, कौन जिम्मेदार था और किस तरीके से, नाजायज तरीके से फायदा उठाया है। इस कमीशन की नियुक्ति के साथ-साथ इस उद्योग पर, सीमेन्ट फैक्ट्री पर फौरन गवर्नमेन्ट को कब्जा करना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि जो गिरता हुआ प्राडक्शन है, ढ़ाई हजार टन से दो हजार टन पर प्राडक्शन आ गया है, यह स्थिति भविष्य के अन्दर ज्यादा खराब होने की गुंजाइश है। और बहुत-सारे लाइसेन्स ले लिये हैं लेकिन वह काम नहीं कर रहे हैं, इससे राजस्थान को कितना नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री को गवर्नमेंट अपने हाथ में ले और इसका प्रोडक्शन बढ़ाये—यह बात अत्यन्त आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल !

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्षजी, आलोक उद्योग, साहू-जैन से सम्बन्धित उद्योग के बारे में माननीय सदस्यों ने काफी कुछ चर्चा की है। मैं भी इस बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह मामला बहुत ही गम्भीर है और राजस्थान में एक प्रकार से राजनीति में भी इस उद्योग समूह ने इस ढंग से अपनी टांग फसा रखी है कि ऐसा मालूम होता है कि राज्य सरकार इससे अपना बकाया रुपया वसूल करने के सम्बन्ध में असमर्थ है। राज्य सरकार में जो हैं उन्हें ऐसे उद्योगपति सौ रुपये देकर एक हजार रुपये का फायदा करना चाहते हैं। इस तरीके से साहू-जैन कम्पनी लिमिटेड ने चुनाव के दिनों में कांग्रेस के....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है, मैं समझता हूं, संक्षेप में कह दें।

श्री मीठालाल : केवल दो मिनिट लूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ऑन ए पॉन्ट ऑफ आर्डर ! उपाध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है, यह रूल 127 के तहत सब्स्टेंटिव मोशन है।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़े समय के लिये चर्चा का विषय समझ लीजिये।

श्री मीठालाल : जितने इसके खिलाफ लांछन लगे हैं, आज ऐसी स्थिति है, जैसा रामानन्दजी ने कहा कि एक कमीशन नियुक्त होना चाहिये और उसके द्वारा निश्चित रूप से जांच करानी चाहिये उन सब आरोपों की, जितने आरोप लगाये हैं, रेल्वे में माल लोड होता है, सीमेन्ट, उसकी मशीनरी बारह महीने खराब रहती है। डिब्बे में जितनी सीमेंट भरी जानी

(श्री मीठालाल)

चाहिये तोल से, उससे अधिक भरी जाती है। सवाई माधोपुर शहर और जंक्शन के बीच में बड़ा फार्म खरीद लिया है, उसमें अंगूर पैदा करते हैं और दो नम्बर की जो पूंजी है उसको नम्बर एक में तब्दील कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सवाई-माधोपुर शहर में जो पानी सप्लाई किया जाता है, जहां सरकार दूसरी जगह अपनी जल प्रदाय योजना से पानी सप्लाई करती है, वहां सवाई माधोपुर का दुर्भाग्य समझिये कि जहां एक तरफ सरकार बिचोलियों को समाप्त कर रही है, वहां सवाई माधोपुर में जयपुर उद्योग की मार्फत पानी दिया जाता है। इस जल प्रदाय योजना में साहू-जैन का पैसा खर्च नहीं हुआ है, उसने दुगुना कर्जा ले लिया है और उसके द्वारा वह पानी सवाई माधोपुर को सप्लाई करता है, ड्योढ़ा-दुगुना पैसा लेकर वह लाखों रुपये का मुनाफा कमाता है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय न लेकर यह निवेदन करना चाहूंगा, इसके लिये एक हाई पावर कमीशन की नियुक्ति की जाय जो इसकी सब तरह से जांच करे और इसमें यह भी देखे कि आज तक जो सरकार ने इसको सहयोग दिया है, सरकार ने साहू-जैन उद्योग को जो सहयोग दिया है इसके अन्दर क्या राज है, इस राज को भी खोला जाय। उपाध्यक्ष महोदय हर इलेक्शन में सवाई माधोपुर जिले से जो भी इलेक्शन लड़ते हैं सब एम. एल. ए. और एम. पी. के लिये इलेक्शन लड़ने वालों को साहू-जैन पैसा देता है। इसके अतिरिक्त जैसा रामानन्दजी ने कहा, आस-पास के क्षेत्र के टिकिट भी साहू-जैन के कहने पर कांग्रेस दल देता है (समय समाप्ति-सूचक घंटी) इसके अतिरिक्त कई एम. पी. हैं और कई एम.एल.एज. मौजूद हैं जिनके पास में साहू-जैन की जीप है, उनके पैसे की जीप चला रहे हैं, किसी को पांच-छः साल हो गये हैं और किसी को दो-तीन साल हो गये हैं। इसी तरह से आपकी विधान सभा के कई एम. एल. ए. हैं और संसद के कांग्रेस के कई एम. पी. हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर !

श्री मीठालाल : इस बारे में जांच होनी चाहिए कि कौन-कौन एम. एल. ए. और एम. पी. हैं जिनके पास जीप हैं....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ! मेरा निवेदन है, किसी दल को पैसा देना-यह ठीक है लेकिन कांग्रेस के एम. एल. ए. और एम. पी. के पास जीप हैं- यह कहना उचित नहीं है। यह कहें तो आप पूरे तथ्यों के साथ कहें।

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, सच बात कहता हूं तो उससे परेशानी होती है- यह स्वाभाविक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप डरते क्यों हैं ? जो जीप लिये फिरते हैं उनके नाम बता दीजिये, यू मस्ट नेम देम इन द हाउस।

श्री मीठालाल : सरकार को मालूम है सरकार जांच करे, किन-किन एम. एल. ए. और एम. पी. के पास हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जिन एम.एल.ए. के पास हैं और एम. पी. के पास हैं उनके आप नाम बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास तथ्य नहीं हैं तो आप न कहें ।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं आपको तथ्य दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर चुका हूं, थोड़े समय के लिये चर्चा है, यह आवश्यक नहीं है कि सारे सदस्यों को समय दे दिया जाय । आप बोलना चाहते थे इसलिए इजाजत दी गई । जनरल डिस्कशन समझ कर न बोलें ।

श्री मीठालाल : सरकार जांच करे, सरकार को मालूम है, जीप का सरकार के पास रिकार्ड है कि जीप किसके पास है। मैं फिर दोहराता हूं कि कांग्रेस के कई एम. एल. ए. और एम. पी. हैं जिनके पास साहू-जैन की जीपें हैं । इसके अतिरिक्त जितना पैसा-साहू जैन को दिया जाता था उतनी सहूलियतें....

श्री रामकुमार : व्यवस्था का प्रश्न है । आप स्पष्टीकरण करें कि किन किन संसद सदस्यों और विधायकों के पास जीपें हैं और किन किन से पैसा लिया जाता है ?

श्री मीठालाल : अगर रामकुमारजी नहीं जानते तो मैं बता देता आशा है, वह ही बता देंगे । अंत में मैं फिर दोहराता हूं कि सरकार किसी राजनैतिक दायरे से न सोचकर इस प्रश्न की गंभीरता में जाइये, इस उद्योग समूह ने राज्य सरकार पर कितना प्रभाव डाल रखा है । श्री के० एल० जैन ने न केवल सरकार पर ही बल्कि पी० एण्ड० टी० विभाग पर भी प्रभाव डाल रखा है । वहां स्थानान्तरणों में भी इनका जोर चलता है, उस बारे में सरकार ध्यान दे ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने आपत्ति की थी कि मान हानि का मसला नहीं उठाना चाहिए । वेग तरीके से कहना कि एम० एल० एज० और एम० पीज० के पास जीपें हैं । स्पष्टीकरण माननीय सदस्यों ने मांगा लेकिन माननीय सदस्य ने कहा नहीं । मैं समझता हूं इनके रिमार्क्स को सदन की कार्यवाही से एक्सपंज कर देना चाहिए ।

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें उससे पहले मेरा निवेदन है कि सरकार जांच करे, अगर जांच में....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप विधान सभा सदस्यों के लिए कह रहे हैं उनमें मैं भी शामिल हूं, दूसरे भी शामिल हैं या तो नाम बता दें नहीं तो एक्सपंज कर दें ।

श्री मीठालाल : सरकार जांच करवाए जांच में नाम पाने में असमर्थ होते हैं तो ...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सरकार असमर्थ होती है या नहीं, सरकार सदन के के ऊपर नहीं है....

(शोर-गुल)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप विधान सभा सदस्यों के लिए कह रहे हैं, आप या तो नाम बतायें या शब्द वापस लें नहीं तो कार्यवाही से इसको हटादें ।

श्री मीठालाल : कोई भी माननीय सदस्य सदन के आगे गुप्त रूप से कोई बात पेश करे तो उसका मतलब यह नहीं कि सारी की सारी चीजें हम बतायें । सरकार का कर्त्तव्य है कि जांच कराए, उसके बाद हमारी बात सही नहीं निकलती है तो हम अपने शब्द वापस लेने को तैयार हैं ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार को कोई अधिकार नहीं कि किसी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई एन्क्वायरी करे।

श्री मीठालाल : मैं नाम दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की व्यवस्था सुन लीजिए। मैंने माननीय सदस्य से पहले भी निवेदन किया था कि ऐसे तथ्य आपके पास हों तो आसन के समक्ष पेश करें क्योंकि वह प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, मैं आदेश देता हूं कि विधान सभा सदस्यों या लोक सभा सदस्यों के पास जीपें हैं साहू-जैन की इन शब्दों को आज की कार्यवाही से एक्सपंज किये जाएं।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरे पास साहू-जैन के तथ्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचंद सामरिया : मेरे पास बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह सदन की जानकारी के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस विषय पर काफी समय चर्चा के लिए दे चुका हूं और आज काफी विजनेस बाकी है इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह अपना उत्तर दें।

(कई माननीय सदस्य साथ-साथ बोलने लगे)

श्री मूलचन्द सामरिया : केवल एक मिनट। आपने जो शब्द कार्यवाही से निकालने का आदेश दिया है ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मूलचंद सामरिया : तीन मिनिट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आदेश दे चुका हूं मंत्री महोदया जवाब देंगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दो तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! काफी समय चर्चा के लिए दिया जा चुका है।

(कई माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

श्री मूलचन्द सामरिया : जिनके पास जीपें हैं मैं उनके नाम बता देता हूं। किस व्यक्ति के पास कितने नंबर का व्हीकल है मैं बता देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आसन ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभी दलों को बोलने का मौका मिला है, केवल मैं दो मिनट का समय लूंगा।

श्री मीठालाल : एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पॉइंट आफ ऑर्डर सर ! इस आधार पर कि माननीय सदस्य उन सदस्यों के नाम नहीं बता सके, जिनके पास साहू-जैन की कोई जीपें हैं या नहीं, आपने उनके शब्दों को कार्यवाही से एक्सपंज करवाने का आदेश दिया है। माननीय सदस्य बार बार कह रहे हैं कि एक मिनट के अन्दर पूरे विधान सभा सदस्यों और संसद सदस्यों के नाम बता

Page No 93

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

सकता हूं जिनके पास जीपें हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि उनको समय दिया जाय ताकि बाकी सारे सदस्य अपने को दोषी न समझें और....

श्री मूलचन्द सामरिया : कम से कम समय मैं लूंगा। मैं उनके नाम बताने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हांडा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मैं व्यवस्था देता हूं कि नियम 273 में प्रावधान है कि किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध या अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस तरह के आरोप लगायें तो उसकी पूर्व सूचना आसन को दें, आसन के सामने अपने तथ्य रखें, तब इस सदन में इस तरह की चर्चा की जा सकती है अपितु नहीं, इसलिए मैं माननीय सदस्य को इसके लिए कोई समय देना उचित नहीं समझता।

श्री मूलचन्द सामरिया : अच्छा तो नाम नहीं लूंगा लेकिन ....

(शोर-गुल कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री मीठालाल : सवाई माधोपुर जिला कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास अभी भी जीपें हैं। मैं व्यक्तिगत नाम बता रहा हूं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास, सवाई माधोपुर जिला कांग्रेस के पास कई जीपें हैं''''

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : साहू एण्ड जैन इस सदन में बहुत दिनों से चर्चित विषय रहा है और राज्य सरकार से यह बात मानी गई है कि इस उद्योग का प्रभाव आज भी इस सरकार पर व्याप्त है। पंजाब नेशनल बैंक अलग है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंकिंग कंपनी अलग है उससे श्रीमान् शांतिप्रसाद जैन को मुख्यमंत्री के प्रभाव से 25 लाख रुपए राज्य सरकार ने गारंटी देकर दिलाये यह मैं समझता हूं अच्छी बात नहीं हुई। दूसरी बात सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी जिसमें कि एक करोड़ रुपए का घाटा रहा, ऐसी कंपनी जिसका कि पहले 3 हजार टन उत्पादन था, घटकर एक हजार टन हो गया। ऐसी घाटे में चलने वाली सीमेंट फैक्टरी को भी 50 लाख रुपए का लोन दिलवाया गया, 25 लाख का लोन पंजाब नेशनल बैंकिंग कंपनी ने दिया और 25 लाख का लोन जिसमें रिपेमेंट होना था, 1971 में, 12½ लाख का रिपेमेंट होना था लेकिन भूतपूर्व मुख्यमंत्री के प्रभाव से वह रिपेमेंट 1971 के बजाए 1973 में रिपेमेंट करके और 1972 में जो रिपेमेंट 12½ लाख का करना था वह भी 1974 में करे इस प्रकार का प्रभाव इस साहू-एण्ड जैन कंपनी का सरकार पर है। उसका प्रभाव बराबर चला आ रहा है।

इसी प्रकार आर० के० होटल्स की जमीन जिसके लिए यू० आइ० टी० से पूछना चाहिए था, आवंटन के आधार पर दी जानी चाहिए थी लेकिन वह केवल मामूली कीमत लेकर लीज पर दे दी गई, यह भी अच्छी परम्परा सरकार ने नहीं डाली। साहू मिनरल प्राडक्ट को 20 लाख रुपए का लोन दिया गया, वह जो कि कन्सर्न नुकसान में चल रहा है और आज हम उससे पैसा इसलिए वसूल नहीं कर सकते क्योंकि आलोकजी की श्रीमती सुशीला जैन को

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

उन्होंने डाइवोर्स कर दिया या श्रीमती ने उनको डाइवोर्स कर दिया। इस आधार पर आज जो पैसा 20 लाख साहू मिनरल्स को दिया, वह भली प्रकार से वसूल नहीं कर सके। सबका लेखा जोखा निकलता है, ऐसे कन्सर्न्स जिनका राज्य सरकार पर प्रभाव है उनको राज्य सरकार गारन्टी के आधार पर रकम दिला रही है। आखिर कुछ न कुछ भावना इसके पीछे रहती है। बिना लाभ कोई भी राज्य सरकार ऐसे लोगों को लोन नहीं दे सकती, उनका गेरंटर नहीं बन सकती। इसके लिए इंडियन एक्सप्रेस ने 22 मई के सोमवार के अंक में समाचार छापा है :

"Shri S. N. Mishra, member of the old Congress said here today that while he welcomed the Prime Minister's admission that her party got money from business, he felt that it had serious implications".

ये आपकी स्वयं इन्दरा गांधी ने मानी है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जिसमें साहू-जैन भी है उनने कांग्रेस को चन्दा दिया है। ये बड़े बड़े उद्योगपति कांग्रेस को चन्दा इसलिए देते हैं कि उन बड़े बड़े उद्योगपतियों का कांग्रेस में प्रभाव बना रहे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह बात जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह सही नहीं है।

श्रीराजेन्द्र कुमार भारतीय(बूंदी):उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय जनसंघ के सदस्य वक्तव्य दे रहे हैं उसके अनुसार वह कांग्रेस के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे देश की प्रधान मंत्री के बारे में भी भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। मैं समझता हूँ माननीय सदस्य तथ्यों को जो पेपर में लिखा है उसको समझ नहीं पाये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ये भ्रामक प्रचार नहीं हैं। मैं सही कह रहा हूं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कांग्रेस को चन्दा दिया है।

श्री राजेन्द्र भारतीय : आपने यह नहीं बताया कि जनसंघ को 16 लाख रुपया दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सन् 72 में चुनाव हुए थे विधान सभा के उसमें कांग्रेस के अधिकांश एम. एल. एज़. को तीन-तीन हजार रुपये का चन्दा दिया है और कांग्रेस के मंत्रियों को आठ-आठ हजार रुपये दिये गये चन्दे के। श्री हरिदेव जोशी को चन्दे के दिए और आपके बरकतुल्ला खां साहब को भी आर्थिक मदद दी।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : आन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर। उपाध्यक्ष महोदय!

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : उपाध्यक्ष महोदय, जो जनसंघ के सदस्य ने तथ्य बताये हैं वे गलत हैं। माननीय सदस्य जनसंघ ने गैर-जिम्मेदाराना स्टेटमेन्ट दिया है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला: उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ के माननीय सदस्य ने इस तरह का जो स्टेटमेन्ट दिया है कि कांग्रेस के प्रत्येक

Page No 95

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

एम. एल. ए. को चुनावों के दौरान तीन-तीन हजार रुपये दिये हैं यह बात सही नहीं है। ऐसी बात उन्हें नहीं कहनी चाहिये जो उन्हें मालूम नहीं हो, और जिनके कि तथ्य इनके पास नहीं हैं। अगर उनके पास तथ्य हों तो वे पेश करें अन्यथा ऐसी निराधार बात सदन में नहीं कहनी चाहिये। आप बतायें किस किस सदस्य को दिये हैं नाम बतावें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आपने नामजद भी मिश्रण किये हैं और दूसरे माननीय सदस्यों के बारे में भी कहा है आप उसका सबूत दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमें उद्योगपतियों ने नहीं चन्दा दिया बल्कि जनता ने चुना है।

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर-आर्डर प्लीज !

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप गलत तरीके से कह रहे हैं। आप उन उद्योगपतियों के एजेन्ट की तरह काम कर रहे हैं अभी। जो मुख्य मुद्दा है उसे डाईवर्ट कर रहे हैं।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो कहूंगा कि बड़े बड़े व्यापारियों ने आपको चन्दा दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, ये साहू-जैन के एजेन्ट हैं और अभी सदन की जो बहस चल रही है उसका रुख दूसरी ओर मोड़ रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं कहता हूं कि हम मुख्य मुद्दे को नहीं डाईवर्ट कर रहे हैं मैं तो कहता हूं कि जो इसमें दोषी लोग हैं उन्हें सजा दी जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह प्रश्न सदन में हमने उठाया है, आपने नहीं।

(शोर-गुल अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज !

श्रीमती नगेन्द्रबाला : माननीय सदस्य ने जो साहू जैन के बारे में कहा है कि उन्होंने कांग्रेस के एम. एल. ए. को तीन-तीन हजार रुपये दिये हैं वह गलत है। पर यह निश्चित रूप से सही है कि कोटा में डी. सी. एम. और जे. के. सिन्थेटिक ने जनसंघ को चन्दा दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक पैसा नहीं दिया है आप झूंठ बोल रहे हैं।

(शोर-गुल अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप जांच करवायें। स्वयं प्रधान मंत्री ने माना है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कांग्रेस को चन्दा दिया है। पेपर में लिखा है !

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस तरह से स्वतन्त्र पार्टी का लक्ष्य पूरा नहीं होगा।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

Page No 96

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम होता है कि इधर दिये में तेल डाला और उधर गाय के आगे घास पड़ी है।

(शोर-गुल, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज !

(श्री मूलचन्द व कई माननीय सदस्यों के बोलते रहने पर)

Not to be recorded.

श्री मूलचन्द व कई सदस्य :

\+ + +

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज !

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बात गलत है कि रिकार्ड नहीं हो रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जनसंघ के माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है उसको मैं चुनौती देता हूँ। आप इस सदन की कार्यवाही से उस स्टेटमेन्ट को कार्यवाही से निकाला जाय। मैं चेलेन्ज देता हूँ कि वो इसको साबित करें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अभी इन्होंने नामजद लेकर सदन में कहा है। इन्हें चाहिये कि उन आरोपों को प्रूव करें।

(शोर-गुल अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज ! गृह मन्त्रीजी ! श्रीमती कमला बेनीवाल !

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य गृह मन्त्री) : इसके पहले कि मैं जवाब दूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहूँगी कि अभी सदन में जिस प्रकार माननीय सदस्य ने गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया और सदन के माननीय सदस्यों के खिलाफ आरोप लगाये हैं वे तथ्यहीन हैं और सही नहीं हैं। इस प्रकार के स्टेटमेन्ट देना और सदन के माननीय सदस्यों पर आरोप लगाना जोकि सही नहीं हैं उन्हें सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये।

(शोर-गुल, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज !

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय: जनसंघ के माननीय सदस्यों को सदन की गरिमा को कायम रखना चाहिये।

(एक साथ कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्रीमती कमला बेनीवाल !

श्रीमती कमला बेनीवाल : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है....

कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे।

एक माननीय सदस्य : Thank-you very much.

\+ + + अध्यक्ष, पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ के माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि हर एक कांग्रेस के एम. एल. ए. को तीन-तीन हजार रुपया दिया गया चुनावों में....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने कहा है कि अधिकांश कांग्रेस एम. एल. एज. को साहू-जैन ने चन्दा दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अनर्गल बात कही जा रही है।

(कई माननीय सदस्य अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज का प्रश्न है। सब कांग्रेस के माननीय सदस्यों पर चार्ज लगाया है व्यक्तिगत रूप से, उनके पास कोई तथ्य हैं तो पेश करें। आवेश में बक गये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस प्रकार के जो शब्द हैं वे आपको ही शोभा देते हैं। ये अपमानजनक शब्द हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सारे के सारे चार्जेज....

कई माननीय सदस्य : एक साथ बोलने पर अश्रव्य।

श्री उपाध्यक्ष : एक समय में एक ही माननीय सदस्य बोलें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने, उपाध्यक्ष महोदय, रूलिंग दी कि सदन में किसी सदस्य अथवा मंत्री के विरुद्ध बोलें तो पहले लिख कर दें। यह परम्परा नहीं रही है। आज तक किसी माननीय सदस्य और मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप होने पर लिख कर दिया नहीं गया है और परम्परा रही है सदन में उठाने की और लिख कर दिये बगैर ही एक्स्पोज करते रहे हैं और यदि गैर जिम्मेदार पूर्ण और तथ्यहीन हैं तो उन माननीय सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन एक माननीय सदस्य ने नाम लिया और बाकायदा जीप के नम्बर वगैरा दिये गये हैं। इनको कार्यवाही से एक्सपन्ज नहीं किये जाने चहिये थे। जिन व्यक्तियों के नाम दिये हैं और जीपों के नाम दिये हैं उनकी जांच करवा लीजिये। अगर माननीय सदस्य ने गलत तथ्य प्रस्तुत किये हैं तो ....

श्रीमती कमला बेनीवाल : नाम दिये और स्पेसिफिक नम्बर दिये उनकी भी जांच करवा ली जावेगी। हवा महल से आनेवाले माननीय सदस्य ने चार्जेज लगाये उनके लिये कहा।

(शोर-गुल, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया की बात सुन लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पहले समाप्त कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : फिर प्रश्न कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यदि किसी माननीय सदस्य द्वारा गलत, तथ्य हीन बातें किसी माननीय सदस्य के खिलाफ कही जाय तो उसके लिये प्रिविलेज का मोशन आ सकता है जिसके लिये हमारे प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में व्यवस्था है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर मेरा भी है। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा वह संसद सदस्य हैं और संसद सदस्य होने से यहां हाउस में, अपने आरोपों का जवाब देने के लिये इस हाउस में आ नहीं सकते। माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है वह जहां तक मेरी जानकारी है, तथ्यहीन और गलत है।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह आपकी मरजी।

माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : उनके कहीं रुकने का काम नहीं, कभी कुछ और कभी कुछ। कांग्रेस में थे और स्वतन्त्र पार्टी में चले गये।

श्री मूलचन्द सामरिया : कभी आप से भी निपटेंगे इस बारे में।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम सवाल है। नियम 273 का हवाला देकर आपने रूलिंग दी और उसके विपरीत माननीय सदस्य कार्यवाही कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में माननीय श्री हांडाजी ने कहा आज तक ऐसी परम्परा रही है बिना इन्टीमेशन दिये आरोप लगा सकते हैं नाम से आरोप कोई लगाये। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सदन की डिबेट का स्तर इस प्रकार बना लें, भूतकाल में यदि परम्परा ऐसी पड़ गयी हो, जो नियमों के विरुद्ध है तो उसको नियमानुकूल करना चाहिये। नियम 273 में स्पष्ट है कि कोई आरोप सदस्य लगाना चाहें तो पूर्व में सूचना देनी चाहिये। इसके लिये नये रूप में आपके आदेश चाहूंगा। रोजमर्रा की इस तरह की सदन में बातें आती हैं और चाहे जिस पर आरोप लगा दिये जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों पर भी जो सदन के सदस्य नहीं है जैसा अभी माननीय गोटेवालाजी ने कहा, उसको स्पष्टीकरण का मौका नहीं मिलता। डिबेट का स्तर ऊंचा रखने के लिये जो भी आरोप लगाये जायें किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा उसकी पूर्व सूचना स्पीकर को देनी चाहिये और पूर्व सूचना मिलने पर ही मंत्री महोदय जवाब दे सकते हैं। अचानक इस प्रकार प्रश्न उठाये तो इससे जनता में गलत धारणा फैल सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से रूलिंग चाहूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की प्रक्रिया न अपनायी जाय और यदि कोई परम्परा पड़ गयी है तो उसको न अपनाया जाय।

श्री मूलचन्द सामरिया : आयन्दा करा लेना।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक पोइन्ट पर तो फैसला आने दीजिये। नियमों पर चलना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं।

श्री मुंशीलाल : मेरी मान्यता है....

श्री मूलचन्द एवं कई माननीय सदस्य : अश्रव्य।

श्री **मुंशीलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, माननीय सदस्य ने आरोप लगाया था....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपकी व्यवस्था चाहिये पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया उस पर।

Page No 99

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने नहीं कहा कि साम्यवादी नहीं है। कम्युनिस्ट हैं। साम्यवादी पार्टी के भी गुरु है।

श्री मुंशीलाल : जीप खरीदी नहीं गयी। इस प्रकार की गलत बातें फैलाते हैं। मैं इन माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं....

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं एक बात जनना चाहता हूं। माननीय सदस्य मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, पूरी तरह से जानता हूं।

श्री मुंशीलाल : गलत बातें फैलायी जाती हैं....

श्री मूलचन्द : (व्यवधान, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप एक साथ न बोलें। कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो जाते हैं, आपस में सुनाई नहीं देता है। दूसरे माननीय सदस्य सुन नहीं सकते हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि इस बात को ध्यान में रखें कि एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, खड़े हैं, तो दूसरे माननीय सदस्य कम से कम इन्तजार तो करें, प्रतीक्षा करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपकी रूलिंग होनी है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : आपकी रूलिंग जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी माननीय श्री [illegible]डाजी ने व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रश्न रखा और श्री शंकरलालजी ने रखा। 273 से सम्बन्धित नियम को भी देखा। चेयर के जो आदेश हैं उनको भी देखा। उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। मैं माननीय सदस्य जो चीज साबित न कर सकें, उसके बारे में आरोप सदन में न लगायें। इसलिये जो आरोप लगाये गये हैं उनको सदन की कार्यवाही से निकाला जायगा। आयन्दा मैं निवेदन करूंगा कि कोई बात कहना चाहें तो लिख कर दे दें कि फलां मंत्री पर आरोप लगाना चाहते हैं जिससे मंत्री महोदय तैयार हो कर आयें और माननीय सदस्य से भी पूछा जाय कि उनके पास क्या तथ्य हैं क्या नहीं। किन्तु जांच से कुछ निराकरण न हो इस तरह के आरोप न लगायें। सदन का वातावरण ठीक तरह चल सके उसमें सहयोग दें। तो जहां तक पुरानी परम्पराओं का संबंध है इसी सदन का आदेश है और नियम 273 में बिलकुल स्पष्ट है। नियम जब बहुत स्पष्ट है तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सभी इस नियम का पालन करें और नियमों के अनुसार ही सदन की कार्यवाही को चलने दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो सदन की कार्यवाही से यह शब्द निकाले जाने चाहिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय सदस्य निकलवाने की बात करेंगे............(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(शोरगुल, व्यवधान)

मेरा निवेदन भी सुन लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर सर,

Page No 100

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात भी सुन लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर सर.........

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर पहले ही है यह दूसरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर कैसे ग्रा गया।

मैं निवेदन कर रहा था कि ग्रापने व्यवस्था दी है। व्यवस्था के तहत निराधार ग्रारोप लगाये गये हैं क्या उन्हें एक्सपन्ज करने के ग्रादेश दे दिये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इस संबंध में मैंने जिस समय भाषण चल रहा था उसी समय व्यवस्था दे दी।

श्री मीठालाल : क्या माननीय सदस्य ने जो नामजद ग्रारोप लगाये थे क्या वह नाम भी कार्यवाही से हटा दिये ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। ग्रापने जो नियम 27:3.........

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य। ग्रासन से ग्रादेश होने के बाद यह डिस्कशन का विषय नहीं रहता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसा कहां है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदया !

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्षजी,.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसा कौनसा नियम है ? नियम बताया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। मंत्री महोदया

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, सदन में ग्रालोक उद्योग के मामले को लेकर उसके ग्रन्तर्गत चलने वाली विभिन्न संस्थाग्रों का जो कारोबार है उसके सन्दर्भ में माननीय सदस्यों द्वारा इस विषय में काफी चिन्ता व्यक्त की गयी। इस संबंध में यह कहा गया कि राज्य सरकार ग्रौर वित्त निगम का बहुत सा पैसा इन संस्थाग्रों में ग्रनेक नामों से ग्रौर ग्रनेक प्रकार से ग्रालोक उद्योग ने लिया है ग्रौर वह लगा हुग्रा है ग्रौर राज्य सरकार उसकी रिकवरी नहीं कर रही है ग्रौर बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स भी कई माननीय सदस्यों ने पेश की। एक जो सबसे ज्यादा चिन्ता की बात ग्रधिकतर माननीय सदस्यों ने व्यक्त की वह यह थी कि ग्रालोक उद्योग एक ऐसा कन्सर्न है जिसने राजनीतिज्ञों को खरीद लिया है ग्रौर मंत्रिमण्डल पर छाया हुग्रा है ग्रौर राजनैतिक तौर से विधान सभा के सदस्यों को भी प्रभावित करने की चेष्टा करता रहता है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी ग्रौर यह विचार व्यक्त करना चाहूंगी कि ग्रालोक उद्योग, जिसके बारे में ग्राप इतनी ग्रच्छी तरह से खुद समझ रहे हैं ग्रौर माननीय सदस्य खुद एक बहुत बड़ी सभा के सदस्य हैं उनको यह महसूस होना चाहिए कि हम ग्राम तौर पर इस प्रकार की जो बातें कही जाती हैं—हो सकता है कोई एक व्यक्ति दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति किसी समय में प्रभावित होंगे या सदन के सदस्यों को भी बहुत ग्रधिक या व्यापक तौर पर प्रभावित करके रखते होंगे, लेकिन जो तथ्य हैं

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

उनके आधार पर मैं मानती हूं कि यह उल्लेख सही नहीं है। उनका न तो राज्य मंत्रीमण्डल के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव है और न माननीय सदस्यों के ऊपर ही मैं कोई प्रभाव मानती हूं। कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से ही कमजोरी में हो या प्रभावित हो तो मैं कह नहीं सकती लेकिन आम तौर पर यह कह देना कि राजनीतिज्ञों को दूषित कर रहे हैं या खरीद रहे हैं या मंत्रीमण्डल को प्रभावित कर रहे हैं और तमाम मंत्रीमण्डल इन्हीं के इशारे पर काम करता है यह सही नहीं है। तक माननीय सदस्य ने तो इतना कह दिया कि सवाई माधोपुर में जितने भी अपाइन्टमेण्ट्स ट्रांसफर्स, कारोबार, कामकाज राज्य के होते हैं वह सभी आलोक उद्योग के कहने से होते हैं। इस प्रकार की बाते तथ्यों से बहुत परे हैं और सही नहीं है।

इसके साथ ही साथ जो इस आलोक उद्योग के अंतर्गत चलने वाले संस्थान हैं और जो उन पर लोन है उनका भी मैं संक्षेप में माननीय सदस्यों के सामने उल्लेख करूंगी जिससे यह तथ्य सामने आ जायेंगे कि वास्तव में कितना कितना लोन और किस किस मद के लिए और किस काम के लिए उनको दिया गया और उसमें कितना बाकी है और कितना उनको देना है।

आम तौर पर इसके तहत में बहुत से उद्योग आते हैं जिनकी कि राज्य सरकार को जानकारी नहीं हैं, ऐसा कहा गया। माननीय सदस्यों के कथन के अनुसार जो अलग अलग नाम आये उसके अनुसार इस आलोक उद्योग के अन्तर्गत 13 उद्योग बताये गये हैं। जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर उद्योग (नाइजीरिया) लिमिटेड, जय-एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कानपुर, जूट उद्योग लिमिटेड, बागलकोट उद्योग लिमिटेड, आलोक उद्योग वनस्पति एवं प्लाइवुड लिमिटेड, एलविन प्लाइवुड लिमिटेड, आर० के० होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड साहु मिनरल एण्ड प्रोपर्टीज लिमिटेड आलोक उद्योग ओवरसीज लिमिटेड, आलोक उद्योग प्रापर्टीज लिमिटेड, और आलोक उद्योग सर्विसेज लिमिटेड, यह माननीय सदस्यों ने बताया इनमें से जांच करके जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक आलोक उद्योग के अन्तर्गत जो उद्योग काम कर रहे हैं उनके निम्न नाम हैं:—जयपुर उद्योग लिमिटेड, जय-एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर उद्योग (नाइजेरिया) लिमिटेड, बागलकोट उद्योग लिमिटेड, आलोक उद्योग वनस्पति एवं प्लाइवुड लिमिटेड, आलोक उद्योग ओवरसीज लिमिटेड, साहू मिनरल्स एण्ड प्रापर्टीज लिमिटेड, आलोक उद्योग प्रापर्टीज लिमिटेड और आलोक उद्योग सर्विसेज लिमिटेड इन कम्पनियों में से केवल निम्न तीन कम्पनियों के रजिस्टर्ड कार्यालय राजस्थान राज्य में हैं—ये हैं जयपुर उद्योग लिमिटेड, जय-एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, एवं साहू मिनरल्स एवं प्रापर्टीज लिमिटेड। इसमें से राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान वित्त निगम द्वारा केवल जयपुर उद्योग लिमिटेड तथा साहू मिनरल्स एवं प्रापर्टीज लिमिटेड को ही ऋण अथवा गारन्टी स्वीकृत की गई है।

रोहतास इन्डस्ट्रीज साहू जैन ग्रुप के अन्तर्गत है तथा इसका आलोक उद्योग से

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार कानपुर जूट उद्योग भी लिमिटेड कम्पनी नहीं है बल्कि यह जयपुर उद्योग लिमिटेड की एक यूनिट है जिसके लेखे जयपुर उद्योग लिमिटेड के अन्तर्गत तैयार होते हैं। आर० के० होटल्स भी एक स्वतंत्र लिमिटेड कम्पनी है जिसका आलोक उद्योग से संबन्ध नहीं है।

यह भी एक धारणा है कि दुर्गापुरा में रोहतास इन्डस्ट्रीज की स्थापना में कोई प्रगति नहीं हुई है। यह स्पष्ट कर देना उचित रहेगा कि इस वनस्पति प्लान्ट के लिए कम्पनी ने लगभग एक करोड़ रुपया खर्च कर बिल्डिग, प्लान्ट तथा मशीनरी आदि की स्थापना प्रारम्भ कर दी है।

तो विभिन्न जो संस्थान इस समूह के अन्तर्गत काम कर रहे हैं उनके बारे में जो उपलब्ध जानकारी है वह बताई है। इसके अलावा जो मैंने आपसे निवेदन किया कि जो लोन या गारन्टी राज्य सरकार की तरफ से या वित्त निगम की तरफ से दी गई है वह सिर्फ जयपुर उद्योग को या साहू मिनरल्स एण्ड प्रापर्टीज लिमिटेट को दी गयी है और कितना कितना लोन दिया गया है इसका भी मैं विवरण बता देती हूं। दिनांक 22-12-56 को थरमल पावर प्लान्ट की स्थापना के लिए 60 लाख रूपये का ऋण जयपुर उद्योग को दिया गया। ब्याज की दर 6 प्रतिशत थी इसमें से 50 लाख रुपये वसूल हो चुके हैं और सन् 75 तक बाकी 10 लाख रुपये 3 किश्तों में वसूल होना है। 60 लाख रुपये का जो ऋण दिया गया है इसके तहत में 40 लाख रूपया वापिस आ चुका है। और 20 लाख रुपया जिस समय उनकी देनदारी थी उस समय नहीं दे सके और उन्होंने अपनी अवधि बढ़ाई थी और 10 लाख रूपये का पेमेन्ट हो चुका है और 10 लाख देना बकाया है। मैं इसकी डिटेल्स भी बता सकती हूं। 60 लाख रूपया जो आउटस्टैंडिंग 31-3-72 को है उसमें से 10 लाख बाकी है और उनकी पेमेन्ट डेट अभी चालू है और पेमेन्ट कर रहे हैं।

इसके अलावा 20 लाख रुपये का ऋण सवाई माधोपुर में सन् 1968 में अत्यधिक बाढ़ एवं वर्षा आदि होने के कारण कम्पनी द्वारा पुनस्थापना तथा मरम्मत हेतु 40 लाख रूपये के ऋण मांगे गये। इसमें से सरकारी सिक्योरिटी की 25 लाख रुपये के ऋण की राशि स्वीकृत की गई। सिक्योरिटी की कीमत 24,55,729.57 रुपये थी। बाकी राशि रोकड़ में दी गई। ब्याज की दर 12 प्रतिशत थी और उस का समय पर भुगतान करने पर 3 प्रतिशत की छूट थी। यह उल्लेखनीय होगा कि सरकारी सिक्योरिटी पर पहले ब्याज की दर केवल साढ़े पांच प्रतिशत थी। इस 25 लाख रुपये की राशि के भुगतान की अवधि भी बढ़ा दी गई है। अब साढ़े बारह लाख की 2 किश्तों में भुगतान मार्च 1974 व मार्च 1975 में होना है यह अवधि इसलिए बढाई गई की कम्पनी को ब्यावर सीमेंट प्लाण्ट के लिए धनराशि की आवश्यकता थी·······

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह लोन कब दिया?

Page No 103

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रश्न आप बाद में करें।

श्रीमती कमला बेनीवाल: कम्पनी ने इसकी अवधि बढाने की दलील जो दी है वह यह है कि उनको प्लाण्ट लगाने चाहिए फण्ड की जरूरत है।

श्री श्रीराम गोटेवाला: वहां पर क्या प्लाण्ट लगा है. क्या मशीनरी लगी है ब्यावर में ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: अभी जानकारी मेरे पास नहीं है। इसके अलावा ....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: जो बाढ आई थी वह कहां तक कम्पनी में दाखिल हुई और किस कमरे तक पहुंची ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: मैं अभी आपको थोडी देर में बताऊंगी। पहले मैं बोल लूं फिर आप जानकारी कर लें।

श्री मोहनलाल छंगाणी: कमरों की जानकारी तो हाण्डाजी को ही है।

श्रीमती कमला बेनीवाल: 12 लाख रुपया वाटर सप्लाई स्कीम के लिए दिया गया है। अब इसमें 60 लाख में से 10 लाख रुपया ही लेना बाकी है। 12 लाख रुपयों में से 4 लाख 36 हजार बाकी है और 25 लाख में से 25 लाख ही बाकी है। भुगतान की किश्तों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं।

इसके अलावा राजस्थान वित्त निगम के द्वारा कुछ ऋण दिए गए हैं साहू मिनरल एण्ड प्रापर्टीज लि० को। राजस्थान वित्त निगम ने इनको 20 लाख का ऋण स्वीकृत किया है। यह कम्पनी के फिक्स्ड असेट के गिरवी और चेयरमेन की निजी गारण्टी पर दिया गया था। इसमें से 3,47,000 रुपये की राशि का ही उपयोग किया गया है। यह अजमेर जिले में एक मारबल प्रासेसिंग युनिट के लिए दिया गया है। इससे निर्यात होने की सम्भावना है एवं कर्जा देते समय रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के प्रतिनिधि ने इसकी सिफारिश की थी। इस ऋण के कारण उद्योग में मैकेनाईजेशन भी सम्भव हुआ है। जयपुर उद्योग को 20 लाख रुपये का कर्ज 1967 में स्वीकृत किया गया था। डेफर्ड पेमेंट गारन्टी के तहत 50 लाख रुपये की गारन्टी जयपुर उद्योग लि० को दी गई है यह उपयोग में नहीं ली गई है।

यह जो आंकडे मैंने आपके सामने रखे हैं कि 60 लाख, 25 लाख और 12 लाख रूपये दिए हैं ये सारे के सारे, जितना उनका आम तोर पर भुगतान होना चाहिए वापिस समय पर, उसमें 10 लाख का एक तो भुगतान बाकी है। और 25 लाख को उन्होंने वापिस मांगा है क्योंकि उनको प्लाण्ट लगाने के लिए चाहिए। बाकी की सबकी सब किश्तें रेगुलर वे में चुकाई जा रही हैं और डिवेडेण्ड जो बनता है उसका भी पेमेंट किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि उनके खिलाफ बिजली की 25 लाख रुपयों की आउट स्टेंडिंग ड्यूज हैं जो राज्य सरकार वसूल नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति नहीं है। इनके खिलाफ ड्यूज जो हैं वे 14.51,555 रुपये के हैं लेकिन यह 14,51.555) रु० भी कोर्ट के कारण डिस्प्यूटेड हैं और डिस्प्यूटेड इसलिए हैं कि

(श्रीमती कमला बेनिवाल)

जो कंसेशन बिजली का उनको दिया गया था उसके तहत में उनको कंसेशन मिलना चाहिए लेकिन बिना कंसेशन के चार्ज कर लिया गया, उसके सम्बन्ध में कोर्ट में दावा कर रखा है कि पहले हमको रिफण्ड किया जाना चाहिए और उसके बाद में ही जमा करायेंगे। इसलिए यह एमाउण्ट भी राज्य सरकार के नोटिस में है और राज्य सरकार सतर्क है।

इसके अलावा और भी बहुत से मुद्दे उठाए गए हैं कि इतना जंगल ले लिया, इतनी जमीन ले ली और इनके अलावा भी बहुत से मुद्दे माननीय सदस्यों ने रखे हैं। उन मुद्दों का मैं अभी यकायक जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे माननीय सदस्यों ने रखे हैं उनके बारे में इतना जरूर कह सकती हूं कि जो भी आपकी आपत्तियां हैं और जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उन तमाम की भी राज्य सरकार जांच करायेगी और उसमें राज्य सरकार यह खास तौर से ध्यान रखेगी कि किसी प्रकार से राज्य सरकार का दिया हुआ पैसा गलत ढंग से काम में नहीं आवे और जिस परपज के लिए दिया गया है उसी परपज में काम में आये और जिस अवधि में भुगतान होना चाहिए उसी अवधि में और उसी इण्टरेस्ट के साथ वापिस भुगतान किया जाना चाहिए।

यह बात भी सही है कि हम उद्योगीकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं और उद्योगीकरण आने वाले जमाने के लिए एक आवश्यक अंग है लेकिन साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि उद्योगीकरण के साथ साथ अगर हम न्याय और समानता का आधार नहीं रखेंगे तो उद्योगीकरण समाजवादी व्यवस्था को विनिष्ट कर देगा। राज्य सरकार इस बारे में सतर्क है और हम जहां एक ओर उद्योगीकरण के लिए तेजी से बढ़ावा देना चाहते हैं उसके साथ साथ यह भी चाहते हैं कि जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं या जो हमारे समाज के अंग हैं, जो इन उद्योगों में काम करते हैं, उनका शोषण नहीं हो। उनको किसी प्रकार का धक्का नहीं लगे और किसी प्रकार का शोषण नहीं हो और केवल बड़े बड़े उद्योग ही कायम नहीं किये जावे। इसके बारे में पिछले कई सालों से हमारी प्रधान मंत्री भी चिंतित हैं और बराबर राजस्थान सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करती रही हैं। मैं यह मानती हूं कि हम को इस बात का नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पर अनएम्पलायमेंट की समस्या है; शिक्षित बेरोजगारी की समस्या हैं, अर्द्ध शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारी की समस्या है, इन समस्याओं को देखते हुए और जो सीलिंग जमीन पर लगाने जा रहे हैं, उनकों सामने रखते हुए यह मानना पड़ेगा कि जब तक हमारे देहातों में बड़े बड़े कस्बों में इण्डस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक हमारी बेरोजगारी की समस्या नहीं मिटेगी और जो हमारी पर कैपिटा इन्कम होनी चाहिए वह भी नहीं बढ़ सकेगी। जहां हम यह चाहते हैं कि उद्योगों का समता और न्याय के आधार पर विकास हो वहां हम यह भी चाहते हैं कि तेजी से प्रदेश का उद्योगीकरण हो। इसलिए जो भी तथ्य सामने आयेंगे और उन तथ्यों के आधार पर अगर कहीं पर कोई अनियमितता है तो

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

उसको सुधारने के लिए हम हमेशा तैयार हैं लेकिन आंकड़ों को बढा चढ़ा कर कहना और तथ्यों को बहुत फैला कर कहना तो इसका बहुत बुरा परिणाम भी हो सकता है। जो छोटे उद्योगपति आज राजस्थान में आना चाहते हैं उससे उनको धक्का लग सकता है, परेशानी हो सकती है। हमें इस बात को भी अपने मन में स्थिर मान कर चलना चाहिए कि राजस्थान सरकार के ऊपर, राजस्थान के अन्दर बसने वाले लोगों पर और इस सदन के माननीय सदस्यों के मन पर किसी भी उद्योग के लिए किसी प्रकार का पैसों के नाम से प्रभाव नहीं हुआ है और न होना चाहिए। इसके साथ साथ यह मानने की भी जरूरत है कि राज्य सरकार आपके द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रति जिम्मेदार है। उस अधिकार के आधार पर उद्योगीकरण ज्यादा से ज्यादा हो, उद्योगों को प्रोत्साहित करना इस सरकार का फर्ज है, अन्यथा होगा क्या कि राजस्थान प्रदेश आज जिस संकट से चल रहा है, जो अनएम्प्लायमेंट की प्राब्लम है, उसको सोल्व करने में सरकार नितान्त असफल होगी। और अभी तक भी राजस्थान का उद्योगीकरण पूर्ण संतोषप्रद नहीं है और इसलिए हमें और तेजी के साथ उद्योगीकरण की ओर बढ़ना है और हम इस ओर बढ़ेंगे भी, क्योंकि हम जहां एक ओर बड़े उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं वहां छोटे उद्योगों को भी ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इसलिए इस आधार पर इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि जो कुछ लोन दिया जावे उसमें इस बात का ध्यान रखा जावे कि सारा पैसा बड़े उद्योगों में ही नहीं चला जावे।

तो उपाध्यक्ष महोदय, जो रिकवरीज हो चुकी है वह मैंने आपके सामने इस उद्योग के सम्बन्ध में रख दी है और जो कुछ जनरल बातें कही गई हैं उनके बारे में अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन इतना ही कह सकती हूं कि उनकी बाद में जांच कराई जायेगी और राज्य सरकार बराबर सतर्क रहेगी कि राज्य सरकार या राज्य वित्त निगम को जो भी धनराशि है वह ज्यादा से ज्यादा नम्बर में उद्योगों को पनपाने में लगे, एक ही उद्योग समूह को ज्यादा से ज्यादा न मिल जाय। इस बारे में पहले से सतर्क हैं और आगे भी ज्यादा सतर्कता बर्ती जाएगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, जो 75 लाख का कर्जा मिला और 75 लाख के प्रिफरेंशियल शेयर किस प्रकार बन गए उसके बारे में मुझे आपत्ति थी। मंत्री महोदय कुछ प्रकाश इस पर डालेंगी।

दूसरा मुद्दा जो सामने आया कि 25 लाख रुपया फ्लड के लिए दिया गया है। वहां न तो फ्लड है और न कोई निर्माण कार्य हुए हैं। वह फ्लड कब तक चलता रहा और कितना रीनोवेशन किया, इसकी कोई सफाई नहीं आई।

तीसरा मुद्दा बहुत ही नीति का मुद्दा है और वह है आर० एफ० सी० का। हम जो पैसा बांटते हैं वह पैसा किस क्राइटेरिया के हिसाब से बांटा जाता है। रोहताज इण्डस्ट्री को कितना पैसा दिया गया है वह आर० एफ० सी० ने जो पैसा वितरण किया है उसका परसेंटेज 82 परसेंट और कुछ बनता था। अगर इस तरह से हम पैसा

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
बांटेंगे और छोटे उद्योगों को देने के बजाय बड़े उद्योगों को ही देते जायेंगे तो हमारी स्थिति क्या रहेगी ? तो जो आर० एफ० सी० से ऋण वितरित कर रहे हैं उसका क्या काइटेरिया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न आ गया माननीय सदस्य।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय, कि आपने यह बताया कि बिजली वगैरा की सारी कटौती करने के बाद 14 लाख रुपया बकाया है और वह भी इस कारण कि हाई कोर्ट में केसेज चल रहे हैं। मेरे हिसाब से और मेरी सूचना के अनुसार दस लाख रुपया तो...

श्रीमती कमला बेनीवाल : टोटल आउटस्टेंडिंग 39,36,375 रु. है।

(श्री मोहनलाल छंगाणी और श्री हांडा एक साथ बोलने लगे)

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोले।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरी सूचना के अनुसार दस लाख रुपया तो रायल्टी का बकाया है माइनिंग डिपार्टमेंट का, 20/25 लाख उनसे बिजली के बकाया है। बीस लाख की बात छोड़िये उनके वेस्टर्न रेलवे के अन्दर बकाया है। वह कितना बकाया है वह स्पष्ट है।

प्रो. श्री केदारनाथ : जो लोन जिस मद में दिया गया है उसका यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट है या नहीं है, तो वह प्राव के लायक हैं। जो लोन फ्लड के बारे में है उसका क्या युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है और क्या उसका सही रूप में उपयोग किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप जो उत्तर दे रही है वह केवल सरकार का कितना रुपया लोन का इन्वेस्टेड है या किस प्रकार की बकाया है उसका दे रही हैं। हमारी राज्य सरकार उसकी शेयर होल्डर है। हमारे रिप्रिजेन्टेटिव, बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में हैं और वे इस बात में इन्टरेस्टेड हैं कि जो शेयर होल्डर्ज इस कम्पनी के हैं, तो उन कम्पनीयों की फाइनेन्शियल हालत कैसी है। वह किस किस की देनदार है। इसलिये वह सब इस हाऊस में बताना चाहिये जिसमें 75 लाख के शेयर की बात कही है तो क्या डाइरेक्टर्स की मार्फत गवर्नमेन्ट को इसकी इन्फरमेशन मिलनी चाहिये कि उसकी फाइनेन्शियल हालत कैसी है - माननीय सदस्यों ने यहां पर यह बात रखी है कि यह कम्पनी पांच करोड़ की देनदार है और कितना कहां इस कम्पनी ने दूसरों में इन्वेस्ट किया है इसमें कहां तक आपकी सूचना है इसका उत्तर आपने नहीं दिया है। गवर्नमेन्ट को एज ए शेयर होल्डर जानना चाहिये और सरकार को स्वयं इसकी चिन्ता होनी चाहिये। तो इसके बारे में आप उत्तर दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने स्पष्ट बात रखी थी कि 5 करोड़ 77 लाख 51 हजार 469 रूपये, यह देनदारी कम्पनी की है। यह वेरीयस एजेन्सीज के अ है। इन्शुरेन्स कम्पनीज है, मोर्टगेज, डिबेन्चर्स, बेंकस् सबसीडाइजरी हाउसिंग स्कीम, राजस्थान

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

फाइनेन्शियल कारपोरेशन, इन सब का भार कम्पनी के ऊपर है। इसके अतिरिक्त इस कम्पनी ने 37 लाख 84 हजार 535 रुपयों के शेयर लाक ग्राप करने के लिये अपनी सिस्टर कम्पनी के ले लिये हैं। सारी स्थिति यह है, हमारे डाइरेक्टर्स उसमें हैं। आपका जो 25 लाख लोन के शक्ल में है वह प्रीफरेन्शियल शेयर में कैसे तब्दील हो गया। आपके असेट्स हैं साहू जैन के अन्दर......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ही करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह है उपाध्यक्ष महोदय कि यह गंभीर स्थिति है या नहीं है कम्पनी की ओर राज्य सरकार क्या कर रही है ? आप क्लीग्रर कट जानने के लिये एक हायर पावर कमेटी इन्क्वायरी कमीशन या फ्री आडिटिंग इस कम्पनी पर बिठाने के लिये तैयार हैं या नहीं हैं। यह स्थिति गम्भीर है और इसके तथ्य आपके सामने आ गये हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय जैसा कि अभी मंत्री महोदया ने बताया है 10-15 लाख का मामला कोर्ट में चल रहा है और वहां पर यह मामला पेन्डिंग है, इसमें साहू जैन समूह का कहा गया था। इस उद्योग ने कहा बताते हैं कि उद्योगों को जो रियायतें दी जाती हैं वह विशेष रियायत नहीं काटी गई है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कोर्ट में जो बकाया राशि बताई गई है वह अन्तर को है या टैक्स का पूरा पैसा है। जो 10-15 लाख बताया गया है वह टैक्स के अन्तर का दिखाया है और चुकती टैक्स ही बकाया है। यदि यह अन्तर है तो बाकी का वसूल कर लिया गया है। जब अन्य उद्योगों से आप एडवान्स टैक्स लेते हैं तो इनसे एडवान्स टैक्स क्यों नहीं लिया गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्षजी रोहताज इन्डस्ट्रीज के बारे में मैंने कहा था। मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया गया है...........

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ही पू

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा प्रश्न है कि राजस्थान फाइनेन्स कार्पोरेशन की आडिट रिपोर्ट है उसमें जो आडिट नोट है वह मैंने यहां पर पढ़कर सुनाया था। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस इन्डस्ट्रीज को जो बीस लाख रुपया दिया गया था वह बिना किन रूल्स के अन्तर्गत दिया गया था और उस रुपये का किस ढंग से उपयोग हुआ और राजस्थान में उसका उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है - जो आडिट ने आपत्ति की है उस प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इसके बारे में सरकार की क्या नीति है। यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पंजाब नेशनल बैंक ने इस कम्पनी को, शांतिप्रसाद साहू को 25 लाख की राशि दी है, इसकी गारन्टी दी है। दूसरा प्रश्न यह है कि जो 25 लाख की राशि सवाई माधोपुर फैक्टरी को दी हुई थी उसमें से उसे उसको साढ़े बारह लाख रुपया 1971 में

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लौटाना था और उसकी टर्म 73 तक के लिये बढ़ा दी गई थी और जो 72 में देने को था उसकी टर्म क्या 74 के लिये बढ़ा दी गई है ? इसका मंत्री महोदया कृपा कर के स्पष्टीकरण कर दें ?

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य-मंत्री, उद्योग) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिजली के बारे में पूछा गया है तो यह राशि कुल 14 लाख 51 हजार 565 रुपये की है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इस उद्योग से मांग की है। इसके अगेंस्ट में उद्योग ने यह कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो रियायत मिलनी चाहिये थी वह नहीं कर के एक्सेस चार्जेज किये गये हैं और वह उनको रिफन्ड कर दिये जायें तो जो कम राशि होती है उसकी देनदारी वह कर देंगे।

जहां तक बीस लाख के लॉन के बारे में बताया गया है कि इस लोन का राजस्थान में सदुपयोग नहीं हुआ है और यह राशि बिहार में लगाई गई है। इस तरह की माननीय सदस्यों की शंकाएं थीं लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि दुर्गापुरा में इस प्लान्ट को स्थापित करने में खर्चा किया गया है और काफी खर्चा हो चुका है। माननीय सदस्य स्वयं वहां जाकर इसको देख सकते हैं। दुर्गापुरा 7/8 मील पर ही है। इसके अलावा जो बीस लाख और लिया गया था राजस्थान फाइनेन्स कोर्पोरेशन से, उसकी रेगुलर किस्तें आ रही हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा लोन लिया था पचास हजार का उसमें से तीन लाख 47 हजार का अवेल किया है। तीन लाख 47 हजार की इन्स्टालमेन्ट देने का टाइम नहीं आया है। इसके अलावा 7 लाख, 25 लाख, 12 लाख, जितनी भी आउट स्टैंडिंग है वह मैंने बता दी है।

जहां तक यूटिलाइजेशन का सवाल है माननीय सदस्यों की चिन्ता सही है। हम जो पैसा दे रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन प्रापर्ली हुआ है या नहीं और उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आया है या नहीं। तो यूटिलाइजेशन के बारे में मुझे अभी तक पूरी जानकारी नहीं है और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह निवेदन करूंगी कि जो भी इसके बारे में गलत-फहमी होगी या जो वास्तविकता होगी उसकी जांच करवाई जाकर ऐसी व्यवस्था की जायगी कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आवे और दूसरा किसी प्रकार का लोन उस उद्योग को न दिया जावे तब तक कि राज्य सरकार इस बारे में आश्वस्त न हो जाये कि जो पैसा राज्य सरकार ने जिस परटीकूलर काम के लिए दिया था वह उसी में खर्च किया गया है और दूसरे मद में खर्च नहीं किया गया है। यूटिलाइजेशन के बाबत में अभी पूरी तरह से जानकारी में नहीं हूं और इसके लिये मैं जरूर गुनाहगार हूं लेकिन मैं सदन को यह विश्वास दिलाती हूं कि यूटिलाइजेशन फण्ड का अगर नहीं हुआ तो किसकी गलतफहमी रही, इसमें किस का दोष रहा, इसके बारे में जानकारी की जायेगी और उस पर कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक यह सवाल है कि इसमें गड़बड़ घोटाला है, जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं, उनकी चिन्ता है। गवर्नमेन्ट इसके अन्दर इन्वाल्व्ड है और गवर्नमेन्ट को भी इसकी चिन्ता है। गवर्नमेन्ट का

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

जो इन्वेस्टमेन्ट है वह किस शेप में है क्या-क्या गवर्नमेन्ट ने गारन्टी दी है उसकी सारी स्थिति जो रिकार्ड से मिली है वह मैंने यहां पर पेश कर दी है। इसके अलावा जो कुछ भी मुद्दे माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये हैं उनकी कोई जानकारी अभी नहीं दे सकती हूं। कहां-कहां कितना-कितना लगा है, किस सिस्टर कन्सर्न या ब्रान्च में और किस-किस के ट्रान्सफर किये गये हैं, ये सारे तथ्य अभी बताने सम्भव नहीं है। परन्तु जो मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं, थॉरो एग्जामिनेशन किया जायेगा और जो कार्यवाही की जानी है वह डिपार्टमेन्ट के स्तर पर की जायेगी। जांच कमीशन बिठाने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझती हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। 75 लाख रुपये का।

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई प्रश्न नहीं होंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मेरा एक ही प्रश्न है, जो 75 लाख का कर्जा दिया गया था 4 जून, 54 को, उस दिन स्व० जयनारायणजी व्यास ने यह मन्जूर किया था जो कि मुख्य मंत्री थे, वह 75 लाख रुपया कैसे प्रिफरेन्स शेयर बन गया, यह मेरा प्रश्न है।

दूसरी बात यह थी कि ऑडिटर जनरल ने यह राय दी थी कि हम इतना बड़ा कर्जा दें तो उसके लिये यह जरूरी है कि उन पर इन्टरनल ऑडिट की व्यवस्था लागू की जाये। तीसरा यह है कि 25 लाख का दूसरा कर्जा दिया है। ये तीन बातें थीं। उनका बराबर उत्तर नहीं मिला है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से

श्री उपाध्यक्ष : तीन बार तो कह चुके हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मन्त्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : तीन बार तो कह चुके हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : कब तक जांच पूरी हो जायगी? अगर कोई तारीख मुकर्रर कर दें कि कब तक उत्तर मिलेगा तो ठीक हो। जांच होना चाहिए। वह बड़े स्तर की जांच होना चाहिए तभी जवाब मिल सकेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मन्त्रीजी ने जवाब दिया है वह गोलमटोल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऑडिट रिपोर्ट ने इस बात के लिए कहा है कि 20 लाख का उपयोग राजस्थान में नहीं हुआ है तो यह 20 लाख रुपया किस उपलक्ष में दिया गया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेरा माननीय सदस्यों से यही निवेदन करना है कि जो मुद्दे उठाये हैं उनकी जांच की जाने के बाद कार्यवाही करने की बात कहने की स्थिति में हो सकती हूं। इस वक्त यहां पर अभी कुछ कहने कि स्थिति में नहीं हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह कब तक हो जायगी जांच?

Page No 110

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप तारीख मुकर्रर कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऑडिटर जनरल ने....

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं बहुत ही नम्र निवेदन करूंगा तारीख मुकर्रर करा दें। इतना बड़ा डिस्कशन हुआ है उसका कोई परिणाम तो निकलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद इस बात से आश्वस्त हों कि एक तारीख मुकर्रर करा दें कि उस तारीख तक जांच हो जायगी ? और आगे यह भी होना चाहिए कि जब तक जांच पूरी न हो तब तक कोई और गारन्टी इनको नहीं दी जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, 68 लाख की और गारन्टी देने वाली है सरकार इसलिए यह प्रश्न यहां पर उठाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय माननीय छंगाणीजी ने यह जो सुझाव दिया है कि तिथि निर्धारित की जाय उत्तर के लिए यह बहुत सुन्दर है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदया एक तिथि निर्धारित करेंगीं तो उसके अन्दर जांच भी हो जायगी लेकिन इसकी पुनरावृत्ति की आशंका है।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इतनी निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि अगर 75 लाख उनमें कैश हैं उसको प्रिफरेन्स शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो सरकार को इस बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर सरकार को अब भी जानकारी नहीं है तो सरकार को इस बारे में जानकारी शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करना चाहिए। यह जानकारी प्राप्त करना सरकार के लिए बहुत आसान और सरल बात है और कम से कम माननीय सदस्यों की उग्रता के साथ कुछ हद तक मेरी सहानुभूति है। स्वर्गीय जयनारायणजी व्यास ने व्यक्तिगत रूप से इस सम्बन्ध में कुछ मुझे भी कहा था। मैं यह समझता हूं कि यह सब इतना बड़ा एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, जिसके सम्बन्ध में सरकार के उत्तर दिये जाने की कोई न कोई अवधि मुकर्रर हो जाना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो यही निवेदन है मन्त्री महोदया को भी आपके द्वारा कि इसमें आपको आपत्ति कुछ नहीं होना चाहिए। यह तो एक सीधी-सादी बात है और सदन की मांग है उसको पूरा करना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय इस तरह की गारन्टी और दे रहे हैं....

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, दो महीने का समय निर्धारित कर दें उसके बाद में जो मुद्दे उठाये गये हैं, उनका स्पष्टीकरण सदन की मेज पर रख दूंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनको और भी गारन्टी दी जाने की बात की जा रही है तो ऐसे प्रोपोजल्स गवर्नमेन्ट के सामने हैं क्या ? अभी उसके बारे में कुछ नहीं किया है तो क्या ऐसे उद्योग समूह को, जिनके बारे में यहां पर विचार हो रहा है, इस प्रकार की फिर गारन्टी दी जायगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : प्रोपोजल्स हों तो भी जैसा कि माननीय सदस्यों ने

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
सदन में चिन्ता व्यक्त की है, उसको ध्यान में रखते हुए उन पर विचार किया जाएगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसे तो रोकिये आप।

श्रीमती कमला बेनीवाल : बिना देखे यह कैसे मालूम हो कि उसको रोकूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जांच के पश्चात् ही उसको दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप उसको रोकिये। इन्टरनल ऑडिट करवाइये और आपकी डिपार्टमेन्टल जांच करवाइये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इन्टरनल ऑडिट की व्यवस्था करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके लिये ऑडिटर जनरल ने आपको एडवाइज किया है।

समितियों का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का चौथा प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष, मैं कार्य सलाहकार समिति के चौथा प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उपस्थापित किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदन इस प्रकार है।

राजस्थान विधान सभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23 मई, 1972 को मध्याह्नोत्तर 3 बजे हुई।

: समिति सिफारिश करती है कि दिनांक 27 मई, 1972 को सदन की बैठक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए रखी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौथे प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौथे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई।

विधायी कार्य

राजस्थान अभिधृति (टेनेन्सी) विधेयक, 1972 विचारार्थ प्रस्तुत विधायी कार्य

श्री परसराम मदेरणा : (कृषि मंत्री) (राजस्व मंत्री, श्री रामचन्द्र चौधरी के स्थान पर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (टेनेन्सी) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ श्री रामानन्द अग्रवाल!

राजस्थान अभिधृति (टेनेन्सी) विधेयक, 1972 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बे इन्तजार के बाद राजस्थान सरकार ने टेनेन्सी बिल, 1972 को इस सदन में प्रस्तुत किया है। उपाध्यक्ष महोदय, टेनेन्सी बिल, जो पुराना बिल है 1955 में इसी सदन के द्वारा मन्जूर किया गया था। इसमें जो मान्यताएं थीं वह बहुत पुरानी पड़ गई। अपना जो प्लानिंग कमीशन है उसका जो लैण्ड रिफार्म्स पैनल है उसने देश में जो विभिन्न लैण्ड रिफार्म्स हुए उन पर विचार किया। बहुत सी और कमेटियां बैठीं जिन्होंने लैण्ड रिफार्म्स के बारे में विचार किया। हमारे राजस्थान में भी 1662 में एक रेवेन्यू लॉज कमीशन भी तकर्रुर हुआ था और उसने भी राजस्थान के विभिन्न लैण्ड रिफार्म्स को एग्जामिन किया था, और उसमें टेनेन्सी के मौजूदा कानून का भी अध्ययन किया गया था, और उस अध्ययन करने के बाद यह बिल, जो मौजूदा पेश किया गया है यह, उस लैण्ड रेवेन्यू लाज कमीशन ने सन् 1962 में जो भेजा था, अपनी सिफारिशें करके यह उसने अपनी पहली रिपोर्ट में पेश किया था आज राजस्थान सरकार 9 साल के बाद उसी बिल को, जो 1963 में सजेस्ट किया गया था, पेश कर रही है। यही बिल उपाध्यक्ष महोदय, इसी हाउस में पिछली विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था जिस पर माननीय सदस्यों ने बड़ी चिन्ता व्यक्त की थी। इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया था और उस प्रवर समिति ने इस बिल में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के सुझाव दिये थे। यूं कह नहीं सकता कि राज्य सरकार ने उस प्रवर समिति द्वारा रिकमन्डेड बिल को कम से कम पेश क्यों नहीं किया ? यह ऐसा मालूम पड़ता है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार के इस विभाग के मंत्री जो उस प्रवर समिति द्वारा थोड़ी बहुत मोडरेट रिकमन्डेशन्स की गई थी उनसे सहमत नहीं हैं, और इस बिल को उसी रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जिस रूप में कि वह 1963 में किया गया था।

(4.19 म.प.)

(श्री भानुकमार शास्त्री, सभापति पदासीन)

मुझे यह निवेदन करना है कि 63 के बाद लैण्ड रिफार्म्स के बारे में देशव्यापी पैमाने पर बहुत भारी परिवर्तन हुआ है। देश में जो एक प्रकार से कम्प्लेसेन्सी थी खुद रूलिंग पार्टी में और रूलिंग पार्टी में जब सिन्डीकेट खुद वहां पर मौजूद थी, जो कि फ्यूडल आॅर्डर को बहुत ज्यादा संरक्षण देती थी तो उसकी मौजूदगी में रियल लैण्ड रिफार्म्स की बातों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हर तरीके से कोशिश की जाती रही। 1962 के बाद खुद प्लानिंग कमीशन ने भी कई इस प्रकार की रिकमण्डेशन्स की है....

यह जो हमारा लैण्ड रिफार्म हुआ है, केवल जागीरदारी एबोलिशन हुआ है, बिस्वेदारी एबोलिशन हुआ है, लेकिन जो मोनोपोली आॅफ लैण्ड थी, उसको तोड़ने में असफल रहे हैं। मकसद था, लैण्ड टू दि टिलर उस पर उसका हक दिलाया जाये। बड़े माने में वह बात फैल रही है। यह बात मानी है कि इण्टर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मीडियरी जो काश्तकार का व्यौर शोषण करते हैं, वह आज भी सब टेनेण्ट के रूप में, शेयर क्रापर के रूप में है। उसका लाभ दूसरे लोग उठाते हैं। उसका मालिक चाहे पंखे के नीचे बैठकर आराम करे, चाहे सेक्रेटरियेट में बैठकर आनन्द करे। लोग रावले में बैठकर आनन्द करते हैं। चाहे वह ब्लेक मार्केट का पैसा लगाकर धन्धा चलाते हों। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सभापति महोदय, यह बिल जो टेनेन्सी बिल के रूप में पेश करने जा रहे हैं, उम्मीद तो यह थी कि सैण्ट्रल गवर्नमेण्ट ने जो डायरेक्शन्स दिये या जो बॉम्बे में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें यह कहा गया। उसके बाद चुनाव के पहले इलेक्शन मैनीफेस्टो में यह कहा गया है। उसने यह रिकमेण्डेशन की है। सीलिंग लैण्ड रिफार्म का ही एक अंग है। लेकिन आज जो चीज है, आज वह सब-टेनेण्ट कायम है जिनका शोषण हो रहा है। शोषण का पट्टेदारी सिस्टम आज भी जारी है। सिक्युरिटी आफ टेन्योर नहीं है। किसी भी मात्रा में उनका शोषण हो रहा है। इसके लिए गवर्नमेण्ट इण्डिया, प्लानिंग कमीशन, कांग्रेस कमेटी और सैण्ट्रल गवर्नमेण्ट की लैण्ड रिफार्म कमेटी ने यह सुझाव दिया था जो आज मौजूदा कानून है, उसमें बहुत लेकूनाज हैं। उसमें बहुत लूप होल्स हैं। इसलिए ऐसा टेनेंसी कानून लायें जो इन तीन मुद्दों को लागू करे। सिक्युरिटी ऑफ टेन्योर होनी चाहिए। दूसरे इन लोगों को डायरेक्टली, जो ऐसे टेनेण्ट हैं, उनको इण्टरमीडियरी टेनेण्ट खत्म करके सीधा गवर्नमेन्ट से सम्बन्धित कर देना चाहिए। लगान के नाम पर शोषण करते हैं। वह स्थिति खत्म होकर रेगुलेशन ऑफ लगान होना चाहिए। जिससे कि उनसे ज्यादा न लिया जा सके। इस प्रकार सैण्ट्रल गवर्नमेंट और प्लानिंग कमीशन के पास में यह दृष्टिकोण रखा गया था। सभापति महोदय, वह दृष्टिकोण यह था कि जो काश्तकार हैं, जो शिकमी काश्तकार के रूप में काम कर रहा था उसका टेन्योर कायम किया जाये। टेनेंसी एक्ट लगाया गया था। जिसके बारे में यह कहा गया था कि खातेदारी के नीचे जो काश्तकार हैं, उनके लिए कानून बनाया जाये। इसके लिए यह बनाया गया था। सभापति महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह जो वर्त्तमान टेनेंसी बिल हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इस दृष्टिकोण से सैन्ट्रल गवर्नमेण्ट और प्लानिंग कमीशन ने जो सुझाव दिये थे उनके बल पर यह कानून है। इसमें टेन्योर मिस नामर है। ये बुनियादी तौर पर यह मानते हैं कि इण्टर मीडियरी टेन्योर खत्म हो चुका है। यह जो मौजूदा टेनेंसी बिल, जो स्टेट टेनेंसी के बीच सम्बन्धित किया हैं, उस पर बेस्ड है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, लैण्ड रेवेन्यू लॉ कमीशन की फर्स्ट रिपोर्ट के पैरा 26 में इस बात को कहा है–

"The ill has been drafted on the assumption that the intermediaries ʊohv been totally abolished and all the tenants in Rajasthan hold land directly under the State."

यह जो रेवेन्यू लॉ कमीशन, जिसने इस बिल को तैयार किया है, जो हमारे सामने

Page No 114

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

राजस्थान गवर्नमेण्ट आज सन् 72 में रख रही है, उनकी यह मान्यता है कि इण्टर मीडियरी काश्तकार राजस्थान में है नहीं। गवर्नमेण्ट से सीधा ताल्लुक है, इस बुनियाद पर तैयार किया गया है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया और सैन्ट्रल प्लानिंग कमीशन की जो हिदायत थी, उस पर बिल्कुल ध्यान दिये बगैर इस मान्यता के स्थान पर राजस्थान गवर्नमेण्ट इस बिल को पेश कर रही है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान गवर्नमेण्ट आज इस बात को मानकर चल रही है कि राजस्थान में कोई इण्टरमीडियरी टेन्योर नहीं है। सीधा गवर्नमेण्ट से ताल्लुक है। रेकरेण्टिग होता ही नहीं है। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दरअसल यह बिल जो पेश किया जा रहा है, न तो यह टेनेंसी बिल है, यह तो लैण्ड लार्ड बिल है। यह तो नाम के जरिये से गवर्नमेण्ट से सीधा ताल्लुक है। पहले उनका नाम जागीरदार था। आज उनका नाम बदल कर खातेदार बना दिया है। तो अब वह खातेदार बन गये हैं। उनके नीचे जो काश्तकार थे, उनके प्रति अपनी आंख मूंदी है। आप मानते हैं कि वह एक्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आप आश्चर्य करेंगे सभापति महोदय, सब टेनेण्ट को माना ही नहीं है। आप ने जो बताये हैं, उनमें दो प्रकार के हैं। टेनेण्ट हैं और खातेदार टेनेण्ट हैं। ये दो प्रकार के टेनेण्ट रखे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस बिल का मकसद ऐसा टेनेण्ट जो सब-टेनेण्ट है, उनके बारे में जिक्र करना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैं निवेदन करना चाहूंगा, गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया खुद और कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट में, जो ए. आई. सी. सी. का सेशन बॉम्बे में हुआ था, उसमें यह कहा गया है। उसमें पहली बात लैण्ड रिफार्म्स के बारे में कही गई है —

"The principle of land to the tiller should be accepted as a governing policy of land tenure and be implemented in full. All intermediaries between the State and the tiller of the soil should be abolished before the end of 1970. The holder of the land should have permanent and heritable rights."

यह डाइरेक्टिव्स आपने दिये थे 1970 के पहले यह पूरे हो जाने चाहिए थे। दूसरा ये है :

"Tenants of the exempted classes (Armymen, policemen as referred to in para 4 above) should pay fixed rents not exceeding 1/5th of the produce. They should not be liable to ejectment for recovery of the arrears of rent."

तीसरा था : "In the name of developed farms, businessmen are grabbing peasantry and thereby adding to the stress and strains of

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

the rural scene. Very often the real purpose of these business houses in such undertakings is to funnel in their black money to evade income tax. Law should be suitably amended to check this nefarious practice and one should not be allowed to acquire himself or be given a lease by the Government for land above the ceiling limits in the respective States.'

सभापति महोदय, इस बात को जगह-जगह दोहराया है. श्री सिंद, जो अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कांग्रेस के सेमीनार में छपा था, बम्बई सेशन के वक्त, रिक्वीजीशन मीटिंग में, उसमें उन्होंने लिखा है :

'Security of tenure for the tiller is crucial to the whole scheme of tenancy reform. In some States such as parts of Andhra, Assam, Bombay, Haryana, Punjab, Tamil Nadu and West Bengal, the existing provisions for security of tenure are not adequate. The right to resumption widens the scope of ejectment. In view of the period that has elapsed, there should be no further right to resumption. More ejectments take the form of voluntary surrenders. Several tatSes have yet to adopt suggestions made in this regard."

तो मेरा यह निवेदन करना है, इस बात को हर स्तर पर स्वीकार किया गया है कि यह जो टेनेन्सी की सिचुएशन है, जो दूसरे के नीचे काश्त कराते हैं, इन्टरमीडियरी ऑफ टेन्योर, बावजूद इतने लैंड रिफार्म्स के हमारे यहां कायम है, यह बहुत खतरनाक स्थिति है, आप लैंड की मोनोपोली को नहीं तोड़ सकते। सभापति महोदय, 1968-69 में गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया होम मिनिस्ट्री ने एक सर्वे कराया था सारे इंडिया का कि इसके कॉजेज क्या हैं, उस वक्त बड़ा जो अनरेस्ट सारे देश में था. बड़ा जबर्दस्त आन्दोलन चला था, भूमि आन्दोलन चला था, भूमि पर कब्जा करने का आन्दोलन चला था उस वक्त सर्वे कराया था, सर्वे करा कर गवर्नमेंन्ट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री का नोट है, इस नोट में पैरा 3 व 21 में लिखा है :

"On an appraisal of both sides of the problem, the position that emerges can best be summed up in the word of Professor Myrdal which shows such keen perception and objectivity that there is very little that one can add—

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

'A reduction in the top layer of parasitic absenteeism has been accomplished. Nevertheless many of the least desirable features of the traditional pattern of ownership rights and obligations have survived. Perhaps the most conspicuous results of the postwar policies in india and the other South Asian countries has been the strengthening of the upper strata in the villages and a corresponding reduction in the position of share croppers and landless labourers in the lower strata of rural society. All the significant policy measures for agricultural uplift adopted by the Governments whether technological or institutional have tended to shift the power balance of the rural structure in favour of the privileged classes'."

तो इसके और आगे कहा है :

"The piecemeal reforms that have been accomplished have bolstered the political, social and economic position of the rural upper strata on which the present Governments depend for crucial support. Not only has the political influence of this group increased, but its interest in perpetuation of the status-quo has heen enhanced."

तो मेरा निवेदन करना यह है कि जो चिन्ता का विषय था, जिस बारे में लैंड रिफार्म्स या टेनेन्सी रिफार्म्स की आवश्यकता थी (समय-समाप्ति सूचक घंटी) सभापति महोदय, अभी तो यह शुरू ही किया है मैंने....

श्री सभापति : कितना समय और लेंगे बीस मिनिट तो हो गये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी तो मैंने निवेदन किया, काफी बड़ा सब्जैक्ट है, इम्पार्टेन्ट सब्जेक्ट है ।

एक माननीय सदस्य : ही विल रिक्वायर टू ऑवर्स ।

श्री सभापति : क्योंकि बोलने वालों की लिस्ट बहुत लम्बी है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : समय तो बढ़ाना पड़ेगा, सवा चार बजे शुरू कर रहे हैं तो नेचरली समय तो बढ़ाना पड़ेगा । यह इतना इम्पार्टेन्ट सब्जैक्ट है, सभापति

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

महोदय, मेरा ख्याल है, हाउस के सभी माननीय सदस्य एग्री करेंगे, लैंड रिफार्म्स का प्रश्न है, सारे देश में डिबेट का प्रश्न बना हुआ है।

श्री सभापति : मेरा ख्याल है, आपकी पार्टी के दो माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं उनके समय का उपयोग कर लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें पार्टी का सवाल नहीं है, जो अमेंडमेंट देते हैं उनको बोलने का अधिकार है, बाकी समय का जैसा आप निर्णय दे दें, वह ठीक है, लेकिन जो अमेंडमेंड देते हैं उनको बोलने का अधिकार है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जनमत जानने के लिए मैंने भी मोशन दिया है, मेरे समय को प्रयोग में ला सकते हैं।

श्री सभापति : मैं भी यह कह रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन कर रहा था, यह प्रश्न जो टेनेन्सी रिफार्म्स का है यह इन्टर लॉक है, इसका रिलीफ देने का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन मुख्य था। टैनेन्सी बिल जो हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें जो मान्यता है वह बिल्कुल इसके खिलाफ है, तो क्या मैं यह मान कर चलूं कि जो भी केन्द्रीय सरकार की तरफ से डाइरेक्शन आया है, जो भी प्लानिंग कमीशन की तरफ से डाइरेक्शन आया है, जो कांग्रेस के हाई कमाण्ड हैं उनकी तरफ से लैंड रिफार्म्स के सम्बन्ध में डाइरेक्शन था कि टैनेन्सी रिफार्म्स इस आधार पर किये जायं–क्या उन सबका समावेश करके गवर्नमेंट कन्सिडरेशन करके अपना लेटेस्ट व्यू इस टैनेन्सी बिल के जरिये आज जनता के सामने और राजस्थान के किसानों के सामने रख रही हैं, ये अगर फ्यूचर रिलेशन आफ टैनेन्ट के और सब टैनेन्ट. के बीच में और सरकार के बीच में रखना चाहते हैं, अगर वास्तव में यह सरकार का रुख है, सरकार का इतनी डिबेट के बाद इस बिल में जो प्रदर्शित रुख है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से जो प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी और कांग्रेस ने वायदे किये हैं, इलेक्शन में जो वायदे किये हैं, 1971 और 1972 में, यह बिल टोटल बिट्रेअल है जनता के साथ, किसानों के साथ, कांग्रेस के घोषणा पत्र के साथ पूरा का पूरा बिट्रेअल है। यह बिल उन तमाम मान्यताओं का नेगेशन करता है, उसको मानने से इन्कार करता है। यह सारी बातें आपकी खुद की तरफ से कही गई हैं, कांग्रेस की खुद की पॉलिसी है, तो क्या मैं यह मानूं, यह सरकार आज भी केन्द्रीय प्रधान मंत्री, इन्दिरा गांधी के प्रति लायलिटी लिप सर्विस के रूप में कर रही है। जहां तक आइडियोलोजी का सवाल है, प्रिन्सिपल्स का सवाल है, यह सरकार उसे थ्योरिटिकली मान कर उनके इम्प्लीमेंटेशन से इन्कार करने जा रही है। सभापति महोदय, मैं यह कह सकता हूं, इस बिल के एक-एक क्लॉज पर गौर करें, यह बिल रेडिकल टैनेन्सी रिफार्म्स करने का बिल नहीं है, बल्कि जो प्रजेन्ट उन टैनेन्ट्स की सिचुएशन है जिसमें लैंड लार्ड पूरी तरह से एक्स्प्लॉइट कर रहे हैं, उस सिचुएशन को कानूनी शक्ल देकर उनको स्टेबिलाइज करने का यह कानून है, जो मौजूदा स्थिति चल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रही है उसके तहत स्थिति को कानूनी शक्ल देकर स्टेबिलाइज करने का यह एक षड़यंत्र है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो रेवेन्यू लॉज कमीशन की माननीय सदस्य बात करते हैं, क्या यह वास्तविकता है, कांग्रेस के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है, आप किसानों के लिए मांग करते हैं, आपने खुद ने मांग की है कि इनमें सुधार होना चाहिए तो क्या इन्टरमीडियरी टेन्नोर राजस्थान में नहीं है, क्या राजस्थान में सब लैटिंग नहीं होता है, क्या राजस्थान में काश्तकार जमीन से निकाले नहीं जाते हैं, क्या काश्तकारों से अभी बटाई नहीं ली जाती है, क्या इस तरीके की स्थिति राजस्थान में नहीं है। लोगों को किसी बांटे पर देते हैं, या लगान पर देते हैं या नौकरनामे पर देते हैं, मैं समझता हूं, यह स्थिति वास्तविक है। मुझे खेद है, आज रेवेन्यू मिनिस्टर साहब यहां मौजूद नहीं हैं, उनका होना लाजमी था, उनके नेतृत्व में, जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उनसे मैं बढ़िया टैनेन्सी बिल की उम्मीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका खुद का लैंड है, वह खुद के इन्ट्रेस्ट्स को इस्टेबिलाइज करना चाहते हैं, खुद शेअर क्रोपर को फील्ड में लगाते हैं, उनसे बटाई लेते हैं, उनको एक्स्प्लोइट करते हैं, यह कानून उनको खुली छूट देता है कि इस तरीके से करते रहें। उनको इस बात की पूरे तरीके से छूट देता है। इस तरीके से इन्टरमीडियरी टेन्योर को आंख मींच कर छूट देना चाहते हैं। इस कानून में यह बात कही है, यह सब लेटिंग कानूनन नहीं होगा, कोई सब लेटिंग करेगा तो जो पंचायत है वह जुर्माना करेगी, लेकिन सब-लेटिंग गैर कानूनी है इसमें फिर भी गवर्नमेंट खातेदार को कुछ नहीं कहेगी, जो काश्त करने वाला है, वह मारा जायेगा' उसकी काश्त नहीं लिखी जाएगी उसकी काश्त का अधिकार नहीं रखा जायगा आज तक राजस्थान में जो वर्त्तमान टेनेन्सी बिल है, इस बिल में भी 5 साल तक के लिए सब-लेटिंग अलाउड है लेकिन आज अगर वास्तविकता को देखें तो 5 साल से जो सब-लेटिंग अलाउ करदी है वह 5 साल से नहीं उनके बाप, दादों ने भी काश्त नहीं की, न खुद काश्त कर रहे हैं। इस सदन में ऐसे माननीय सदस्य भी बैठे हैं, जिनका काश्त से ताल्लुक नहीं है लेकिन वे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं और प्रोग्रेसिव फार्मर्स को शिल्ड लेकर आते हैं। उनके घर में कहते हैं कि किसान ने पैदा किया और वह पद्मश्री बनते हैं उनके फील्ड में सबसे ज्यादा पैदा हुआ है। हमारे जिले में एक महाशय हैं जिन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया है जिनका हाथ में हल लेने का सवाल ही नहीं है। 1500 बीघा जमीन उनके घर में है। बंटवारा कर दिया सीलिंग से बचने के लिए तरीका निकाल दिया, लेकिन पद्मश्री का टाइटल मिल गया क्योंकि एक बीघा में सबसे ज्यादा काश्त कर ली। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्टरमिडियरी टेन्युअर अब राजस्थान में बड़े पैमाने पर है जो हमने पहले ही लेजिस्लेशन पेश किए, चाहे वह जागीरदारी एबॉलीशन था, चाहे बिस्वेदारी एबालिशन था, यह इन्टरमीडियरी टेन्यूअर उसमें ही इन्हीरेंट था। जागीरदारों से समझौता किया, भू-स्वामी आन्दोलन के बाद। उसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि जागीरदारों के पास जो भी जमीन उनकी खुदकाश्त यच

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है या नहीं लेकिन अगर रेकार्ड में खुदकाश्त लिखी हुई है, वह जमीन सारे जागीरदारों को खुदकाश्त के रूप में छोड़ दी गई और अगर किसी जागीरदार के पास एक पर्टीक्यूलर एरिया से कम थी खुद की जमीन तो उसको अधिकार दिया गया वह और खुदकाश्त की जमीन बिना लिए एलॉट करवा लें तो इस रूप में इस रेवेन्यू लाज कमीशन ने आंकड़े इकट्ठे किये थे। उसके हिसाब से 35,99,657 एकड़ और 26, 80,555 जमीन कुछ एरिया तो एकड़ों में हैं और कुछ एरिया बीघाज में है। इतनी जमीन खुदकाश्त के रूप में जागीरदारों के पास एबॉलिशन ऑफ जागीरदारी एण्ड बिस्वेदारी एक्ट के बाद रह गई। यह कुल मिलाकर अगर इनको एकड्स में कन्वर्ट करें तो करीब 50 लाख एकड़ बनते हैं और राजस्थान में कुल कल्टीवेटेड लैंड है 400 लाख एकड़। 60 प्रतिशत जागीरदारों के पास तो कल्टीवेटेड एरिया जागीरदारों के पास हुआ 240 लाख रु० और जागीरदारों के पास जो रह गया वह 50 प्रतिशत। तो 240 लाख का 50 लाख एकड़ रह गया, करीब 22 प्रतिशत जमीन जागीरदारों के पास खुदकाश्त के रूप में रह गई जो कि जागीरदार खुदकाश्त नहीं करते थे। आज के इण्टरमीडीयरी टेन्यूअर के रूप में इस जमीन से और काश्त के लिए दी गई, बटाई पर दी गई या लगान पर दी गई और सारे का सारा इन्टरमीडियरी टेन्यूअर रहा। तो एक तो इस रूप में मौजूद है, दूसरा जिनको हमने खातेदार बना दिया, मेरे पास बहुत जमीन हुई वह दूसरे को सब-टेनेन्सी में दी गई। कानून इजाजत देता था इस तरह की सब-टेनेन्सी का हमारा जो टेनेन्सी एक्ट है, इसके अंतर्गत 5 साल के लिए और सब-टेनेन्ट्स को सब-लीज दे सकते हैं। राजस्थान में एक बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार का सब-लेटिंग होता है। डाक्टर दुर्लसिंह जो बिरला ट्रस्ट में हैं, वहा टीचर हैं. उन्होंने स्टडी रिपोर्ट लिखी है। उसके हिसाब से उन्होंने कहा है :

Of the 219 cases under study as many as 123 representing about 58 percent of the total were of a continuous period of more than 5 years

तो इस तरीके से यह तो सब-टेनेन्सी जारी रही, एक तो यह काफी बड़ी मात्रा में है और दूसरे इसमें से 58 प्रतिशत ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा हैं। आप कह सकते हैं कि सेक्शन 19 जो टेनेन्सी एक्ट का था, उसके तहत सब-टेनेन्ट्स को खातेदारी अधिकारी दे दिए गए यह सही है लेकिन यह केवल उन सब-टेनेन्ट्स को दिये गये थे जो कल्टीवेटरी पजेशन में 15 अक्टूबर 1955 को थे जो सब-टेनेन्ट्स 16 अक्टूबर से कब्जे में आए, उनको कोई खातेदारी अधिकार नहीं था, न स्टेचूट है और 1955 के बाद हम 1972 में चल रहे हैं। 17 वर्ष हो गए और उनके बाद कितने लोग सब-लेट कर रहे हैं तो उन सब-लेटिंग करने वालों के लिए किसी तरह का अधिकार होने का इस कानून में प्रावधान नहीं था और इस तरीके से राजस्थान में सेक्शन 19 के जरिए, केवल जिनकी रेकार्डेड थी सब-टेनन्सी, केवल उन्हीं लोगों को खातेदारी अधिकार मिले, वह बहुत थोड़े थे। ज्यादा-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तर ऐसे सब-टेनेन्ट्स थे उन बेचारों को सेक्शन 19 का फायदा नहीं मिला और 15 अक्टूबर, 1955 के बाद जो पजेशन में आए उनको तो कोई मिलने का सवाल ही नहीं था इसलिए आप एनविसेज करें 1972 में बहुत बड़ी संख्या में सब-लेटिंग चल रहा है, इन्टरमीडियरी टेन्यूअर चल रहा है, लोग घर बैठे मुनाफा कमा रहे हैं चाहे बटाई के रूप में चाहे और किसी रूप में। जो मौजूदा हमारा टेनेन्सी एक्ट है, उसमें कोई प्रावधान उनको राहत देने के ऐसे सब-टेनेन्ट्स को नहीं था कि उनको खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं न उनकी सब-टेनेन्सी का सिक्योरिटी आफ टेन्यूअर है और न ही उनका रेग्यूलेशन आफ रेंट है और इन महाशय ने, जो नया बिल पेश किया है, इसमे भी यह स्थिति है न तो उनकी सब-टेनेन्सी खत्म करके खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। कोई प्रावधान नहीं है चाहे उनका 16 अक्टूबर, 1955 से लेकर अब तक लगातार की काश्त हो तब भी न मौजूदा टेनेन्सी एक्ट में खातेदार बन सकता है और न जो नया बिल ला रहे हैं इसके अन्दर खातेदार बन सकता है। इसलिए इन्टरमीजिएट टेन्यूअर को खत्म करने के लिए इस टेनेन्सी बिल में कोई प्रावधान नहीं है, न ही इसमें सिक्योरिटी आफ टेन्यूअर है कि सब-टेनेन्ट को हमने रखा है। क्लासेज आफ टेनेन्ट्स मे उनको स्वीकार नहीं किया गया, उनको बेदखल बड़ी आसानी से किया जा सकता है. उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इस कानून के अन्तर्गत और उससे लगान कितने ही गुना लें उसके लिए भी कोई पाबंदी नहीं और जो है तो वह एक्चूएल प्रेक्टिस में उसको एवाइड करते हैं। पाबंदी तो अभी भी है। आज वर्त्तमान टेनेन्सी एक्ट के तहत भी 5 साल से ज्यादा जो सब-लेट करे उनकी जमीन कैंसिल हो सकती है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि राज्य सरकार एक भी उदाहरण सारे राजस्थान में बता दे जिसमें किसी भी खातेदार की बड़े लेंड-लार्ड की जमीन कैंसिल की गई हो, खातेदारी अधिकार खत्म किए गए हों इस बिना पर कि उन्होंने 5 साल से ज्यादा सब-टेनेन्ट बना दिया। उस कानून में होना चाहिए था कि जो टेनेन्ट कल्टीवेटरी पजेशन में है, उसको खातेदारी अधिकार दे दो और योजना आयोग ने भी यही सजेस्ट किया था कि इस लूपहोल को, लकूना को खत्म करने का यह तरीका है कि जो भी लोग कल्टीवेटरी पजेशन में है उन लोगों को ओनरशिप्स राइट्स दे देने चाहिए। अब राजस्थान में कल्टीवेटरी राइट्स दे रहे है तो दे दो और राइट आफ रिजम्पशन केवल डिजायबिल्टी वाले पर्सन्स-विडो है, मिलिटरी परसोनेल है, कुछ इस तरह से रखा जाए, बाकी कोई राइट आफ रिजम्पशन नहीं और उनको खातेदार बनाना चाहिए। क्या राज्य सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करती, फ्लाएड करती है, इन्कार करती है सेंटर के इस आदेश को मानने से ? तो फिर इस टेनेन्सी बिल में इन प्रावधानों को क्यों नहीं रखा गया है। क्या उदेश्य है आपका इन प्रावधानों को न रखने का ? आज राजस्थान में इतनी बड़ी संख्या सब-टेनेन्ट्स की है एक्चूअल टिलर आफ दी सोइल और गंगानगर जिला जहां से राजस्व मंत्री खुद आते हैं वहां प्रवेलेंट प्रेक्टिस ही है कि लेंड होल्डर्स बन्दूक कंधों पर रखते हैं और काश्त बेचारा हरिजन करता है या और कोई

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

करता है और इस तरह से सारे का सारा सीस्टम वहां पर चला हुआ है या तो शेयर क्रॉपिंग चलता है तो जो शेयर क्रापर होता है उसे, मेहनत जो करता है उसको तो मिलेगा सिर्फ एक बटा दसवां हिस्सा और जो शिकार खेलते हैं, और कन्धे पर बन्दूक लिये घूमते हैं उन्हें मिलता है नौ बटा दसवां हिस्सा।

श्री चन्दनमल बैद : कन्धे पर बन्दूक नहीं हाथ में बन्दूक यों कहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हां, यों कहिये हाथ में बन्दूक और दूसरे हाथ में बोतल। उसे तो मिलता है 9 बटा दसवां हिस्सा।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : टोटली रोंग उसे वन-फिफ्थ दिया जाता है।

श्री रामानन्द : माननीय सदस्य क्या कहते हैं वन-फिफ्थ देते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये गलत कहते हैं। थोड़ा लिहाज कर गये हैं। उन्हें वन फिफ्टीन्थ हिस्सा देते हैं जो काश्त कराते हैं, उनसे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खैर यह करीब-करीब सभी जगहों पर होता है। मैं मेरे जिले की बात करता हूं कि जो लोग काश्त कराते हैं उन्हे बारानी में तो सब-टिनेन्ट को आधा देते हैं और रबी में जो फसल में सब-टिनेन्ट की हैसियत से काम करते हैं उन्हें वन थर्ड दिया जाता है। हमारे जिले के माननीय सदस्य श्री सम्पतरामजी भी जानते होंगे कि बारानी में तो सब-टिनेन्ट को आधा दिया जाता है क्योंकि उनकी बिरादरी के काफी लोग सब-टिनेन्ट की हैसियत से काम करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि अगर राजस्थान सरकार की नियत है कि शेयर क्रॉपर को फायदा पहुँचाया जाय तो आप इस टिनेन्सी एक्ट में शेयर क्रॉपर को खातेदारी राइट मिलने के लिये इस बिल में प्रावधान रखा जाय। और गवर्नमेन्ट के अन्दर रहने की और अपने पोलिटिकल लीडरशिप को जनता के हितों के लिये सबोर्डिनेट कर दें, अगर आप आज सिनसियरली इस टिनेन्सी एक्ट को लागू करना चाहें तो सब-टिनेन्ट को खातेदार राइट दीजिये ताकि आपकी कांग्रेस की जनता के सामने अच्छी इमेज बने। इसके लिये आपको चाहे अपने मिनिस्टर ही बदलना पड़े। दूसरे सभापति महोदय, मैं तो यह महसूस करता हूँ कि....

श्री मोहरसिंह : ये शेयर क्रॉपर नहीं, क्रॉप शेयरर हैं। आप शेयर क्रॉपर से क्या मतलब निकालते हैं। ये क्रोप शेयरर हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सीरी किसको बोलते हैं। शेयर क्रॉपर। एक ही बात है दोनों।

श्री शंकरलाल : शेअर क्रॉपर नहीं है। क्रॉप शेयरर हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस मेरे इतने लम्बे भाषण में क्या आपको यही बात सोचने को मिली है क्या? बड़े अफसोस की बात है। क्या यही महत्वपूर्ण बात कही मैंने? खैर तो मैं निवेदन करता हूं कि बहुत सीधा प्रश्न है कि अगर आप टिनेन्सी एक्ट के अन्दर लैण्ड रिफार्म्स करना चाहते हैं तो आपके यहां जो सब-टिनेन्सी का जो सिस्टम है उसे आप समाप्त

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करिये। और जो व्यक्ति काश्त करता है उसकी खातेदारी राइट दिया जाना चाहिये। क्या आप इन्हें खातेदारी राइट देने को तैयार हैं? क्या राजस्थान की सरकार अपने देश की प्राईम मिनिस्टर इन्दिरा गांधी ने जो कहा है कि जो काश्त करेगा उसे खातेदारी राइट दिया जाना चाहिये और इन इन्टरमीडियरीज जो है, उन्हें समाप्त किया जाय। उस आदेश को राजस्थान सरकार मानने को तैयार नहीं है क्या? क्या राजस्थान सरकार प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में जो आदेश दिया गया है उन्हें मानने को तैयार नहीं है? क्या राजस्थान सरकार कांग्रेस पार्टी के जो इलेक्शन मैनीफेस्टो में कहा है उसको क्रियान्वित नहीं करना चाहती? जो हिन्दुस्तान की लैण्ड रिफार्म्स कमेटी ने आदेश दिया है उसे मानने को तैयार नहीं है? अगर आप उन को मानते हैं तो आपको चाहिये कि आप सब टिनेन्ट का जो सिस्टम है उसे समाप्त करें। और जो लोग हैं, काश्त करते हैं उन्हें खातेदारी राइट दिया जाना चाहिये। पर राजस्थान सरकार अपने देश की, लीडर की बात को फ्लोट करती है। वायलेशन कर रही है।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, सदन का समय एक घन्टे के लिये और बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की राय है कि सदन की कार्यवाही एक घन्टे तक और बढ़ाई जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घन्टे के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात सदन के अन्दर कहता हूं कि ट्रेजरी बैन्चेज के अन्दर जो सदस्य बैठे हैं, वे अपने लीडर्स की बात को नहीं मान कर उनका वायलेशन कर रहे हैं। मैं वित्त मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या राजस्थान सरकार अपने चुनावों के दिनों में जो इलेक्शन मैनीफेस्टों में घोषणायें की थी उन्हें पूरी करेगी? क्या चुनावों के दिनों में उन्होंने जो वायदे जनता से किये हैं उन्हें पूरा करेगी? यह मुख्य प्रश्न है, क्या उसने जनता के सामने जो प्लेजेज की है उसे पूरा करेगी?

श्री चन्दनमल बैद : आप कह रहे थे या जनता के सामने वायदे किये उन्हें पूरा करे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो जो आपने कहा है उन्हें पूरा करें। मेरे कहे हुए तो आप पूरा करने की क्षमता नहीं रखते हैं और मैं उम्मीद भी नहीं करता कि आप पूरा करें वरना आपने अपने घोषणा-पत्र में जनता के सामने जो घोषणायें की हैं उनका अपमान नहीं कर रहे हैं। इस बिल में कोई राहत सब-टिनेन्ट्स को नहीं मिल रही है। इस बिल को पेश करते हुए आपने अपनी पार्टी के घोषणा-पत्र को नहीं माना है और आपने अपनी पार्टी के डायरेक्शन्स को नहीं माना है। उनके आदेशों का वायलेशन किया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पहले अपनी पार्टी के घोषणा-पत्र को देखें। आप इस बिल को लाइटली न लें और आप टिनेन्सी बिल को अपने कलीग्ज पर न छोड़ें बल्कि इस टिनेन्सी बिल को डीपली स्टडी करें और इस बिल में सुधार करें। यह बिल आपकी जनता में इमेज पैदा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करने वाला है। यह लैण्ड रिफार्म्स आपके राजस्थान की ढाई करोड़ जनता में ही नहीं वल्कि पूरे हिन्दुस्तान में आपकी और आपकी पार्टी की इमेज को ठीक करेगा। और यह बिल आपके टिनेन्सी के रिफार्म्स को इम्प्लीमेंट करने वाला है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें जो कमियां रह गयी हैं उन्हें ठीक करलें ताकि काश्तकारों को राहत मिले। आज आप जब एगेरेरियन इकोनोमी को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आप इस टिनेन्सी बिल के अन्दर अच्छी तरह रिफार्म्स करने के लिये, गवर्नमेन्ट को चाहिये कि इस बिल को पहले विदड्रा करे और बाद में दूसरा बिल ऐसा लाया जाना चाहिये जिसमें आपके इलेक्शन मेंनीफेस्टो में जो आपने घोषणायें की हैं, उन्हें इनकोरपोरेट किया जाय। मैं माननीय मन्त्री महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम खुद इस बिल को डिले करना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास किया जावे। हमने तो बार-बार पिछली विधान सभा में कहा कि आप टिनेन्सी बिल को क्यों नहीं पास कर रहे हैं। और टिनेन्सी बिल पर जो सलेक्ट कमेटी रिपोर्ट थी वह साल भर पड़ी रही फिर बाद में सन् 70 में भी सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट थी वह लेप्स हुई। हमने सेशन में मांग की पर राज्य सरकार इस मसले को हमेशा टरकाती रही। अब आप जो बिल ला रहे हैं वह रिट्रोगेड रूप में ला रहे हैं। जो सन् 62 में बिल पेश किया था उसी को वापस ला रहे हैं। आप इन्टरमीडियरीज को खत्म नहीं कर रहे हैं। यह बिल आप लैण्ड होल्डर्स के लिये नहीं वल्कि लैण्ड लॉर्ड्स के लिये ला रहे हैं। इस बिल को लाकर आप काश्तकारों का एक्सप्लोईटेशन कर रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि गवर्नमेन्ट को चाहिये आप इस बिल को वापस रिफ्रेम करें ताकि जो आपने इलेक्शन में जनता से वायदे किये हैं उन्हें पूरा किया जा सके। दूसरे मैंने जो यह संशोधन रखा है कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ताकि जनता की तरफ से भी आपको डाइरेक्शन्स मिल जावें और उन्हें इस बिल में इन्कोरपोरेट किया जा सके ताकि किसानों को अपना हक मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो मोशन दिया है उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

वित्तीय समितियों के निर्वाचित सदस्यों सम्बन्धी सूचना

जन-लेखा-समिति

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जन-लेखा समिति, 1972-73, प्राक्कलन समिति, 1972-73 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 1972-73 के लिये निम्नांकित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं :—

जनलेखा समिति :

1. श्री दिनेशराय डांगी (52)
2. श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (119)
3. श्री सुरेन्द्रप्रसाद (174)
4. श्री हीरालाल देवपुरा (182)
5. श्रीमती प्रभा मिश्रा (70)
6. श्री रामचन्द्र रोत (125)
7. श्रीमती मदनकौर (97)
8. श्रीमती कान्ता कथूरिया (10)
9. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (39)

(श्री सभापति)

10. श्री मोहम्मद गफ्फारअली (113)
11. मेरा नाम है (श्री भानुकुमार शास्त्री) (87)
12. श्री मूलचन्द सामरिया (108)

प्राक्कलन समिति

1. श्री फारूक हसन (71)
2. श्री सम्पतराम (168)
3. श्री लूणाराम (148)
4. श्रीमती निर्मलाकुमारी (62)
5. श्रीमती उषा प्रकाश (6)
6. श्रीमती रोशनलाल शर्मा (146)
सोरी, श्री रोशनलाल शर्मा

श्री योगेन्द्रनाथ हडां : यह सेक्स चेन्ज ओटोमेटिकली हुआ है ।

श्री सभापति :

7. श्री अमृतलाल गहलोत (3)
8. श्री मोहनराज (109)
9. श्रीमती गौरी पूनिया (30)

(5.2 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे । लोगों की सेक्स बदल रहे थे ।

श्री उपाध्यक्ष : मालूम पड़ता है आपने भी अमेरीका में यह ज्ञान प्राप्त किया है और उसका प्रसार चाहते हैं ।

प्राक्कल नमिसति

1. श्री फारूकहसन (71)
2. श्री सम्पतराम (168)
3. श्री लूणाराम (148)
4. श्रीमती निर्मलाकुमारी (62)
5. श्रीमती उषाप्रकाश (6)
6. श्री रोशनलाल शर्मा (143)
7. श्री अमृतलाल गहलोत (3)
8. श्री मोहनराज (109)
9. श्रीमती गौरी पूनिया (30)
10. श्री गौरीशंकर (31)
11. श्री नाथूराम (58)
12. श्री बीरबल (78)
13. श्री जीथिंग (44)
14. श्री मीठालाल (105)
15. श्री गिरधारीलाल भार्गव (20)

राजकीय उपक्रम समिति

1. श्री विशम्भरनाथ जोशी (77)
2. श्री मोहनलाल छंगाणी (110)
3. श्री शंकरलाल (156)
4. श्री श्रीनिवासशारदा (164)
5. श्री गुलाबसिंह (24)
6. श्रीमती सुमित्रा (173)
7. श्री गोपाल जोशी (26)
8. श्री विद्यासागर (152)
9. श्री गोकुलचन्द (25)
10. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (115)
11. श्री मनोहरलाल (100)
12. श्री सुरेशचन्द्र (175)

राजस्थान अभिधृति (टिनेन्सी) विधेयक, 1972 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

श्री मोहम्मद गफारअली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : इसको जनमत जानने हेतु प्रचलित किया जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सब को एक साथ ले लिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य का मोशन है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मेरा मोशन था मैं बोल लूं। तीन आदमियों के मोशन हैं एक साथ।

श्री उपाध्यक्ष : आप जनमत के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर दें।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह टिनेन्सी बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में विस्तार के साथ आपने सभी ने फरमाया, इस बिल को यह मान कर पेश किया गया कि इस वक्त किसान और गवर्नमेंट के बीच में कोई इन्टरमिडियरी नहीं है। इसको विस्तार के साथ में आपने फरमाया। हकीकत है इसके बिलकुल विपरीत है। आज इन्टरमिडियरी की कई शक्लें हैं, उसमें शेयर क्रॉपर्स हैं, मजदूर हैं किसी शक्ल में नहीं आते हैं। बहुत से तरीके हैं, जिनसे लोगों का शोषण किया जाता है। यह चीज विस्तार से सुनली।

ऐसे आस्पेक्ट भी हैं जिनको मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना मुनासिब समझता हूँ। आज ऐसा बहुत बड़ा तबका ऐसे लैंड लॉर्ड्स का है जिन्होंने बहुत सी काश्त की जमीनों का कन्वर्ट करके ओरचार्ड्स, ग्रुप लैंड्स और बगीचों में कन्वर्ट कर दिया है और हजारों बीघा अंगूरों और आम की काश्त होती है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इस टिनेन्सी एक्ट में और आने वाले सीलिंग कानून में कोई परिवर्तन इस सिलसिले में नहीं किया गया है। मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि एक लैंड लार्ड जिनका नाम बताया तो गया था लेकिन मैं भूल गया, उनकी अंगूरों की आमदन 12 लाख 16 लाख रुपया सालाना है। अगर यह बात सत्य है और इस किस्म की चीज है, चाहे मिनिस्टर हो या रिश्तेदार हो....

श्री रामानन्द : बलराम नाम है।

मोहम्मद गफ्फारअली : बलराम नाम के साहब हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मिनिस्टर साहब के साले हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : सीलिंग का कानून जब लायेंगे तो आप कह देंगे ऐसी जमीन जिसमें दस मन एकड़ पैदा होता हो लेकिन ऐसी जमीन जिसमें 12 लाख रुपये सालाना के अंगूर पैदा होते हैं उसमें क्या तब्दीली लाना है। छोटे-छोटे ग्रुप्स लैंड बनाकर बचा लिये जायं, सीलिंग से, कहीं नींबू लगा लिये जायं कहीं अंगुर लगा लिये जायं, आम लगा लिये जायं, कानून को फ्रस्ट्रेट करने के लिये, यह लैंड लॉर्ड्स अच्छी तरह समझते हैं। गवर्नमेन्ट को इससे बहुत सतर्क रहना चाहिये।

एक तो मौलिक परिवर्तन टिनेन्सी एक्ट में इस बात का होना चाहिये कि हम उन लोगों के पास जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है, चाहे वह बगीचों की शक्ल में हो, ग्रुप लैंडस में हो ओरचार्ड्स हो उसको कवर करना चाहिये ताकि इसमें शरीक हो सके। बचने की जो गुन्जाइश निकाली गयी है उसको गवर्नमेन्ट को खत्म करना चाहिये। और ऐसी स्थिति पैदा

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

करनी चाहिये कि कोई सीलिंग का कानून लागू हो उससे नहीं बच सके। पहले कानून था उसमें एक प्रावधान यह था कि कोई शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स का आदमी अपनी जमीन को मुंतकिल नहीं कर सकता है सिवाय शिड्युल्ड कास्ट और सिड्युल्ड ट्राइब्स के हक में। मुझे इसकी जानकारी है कि बहुत से शिड्युल्ड कास्ट के लोग ईसाई बन गये और अपनी जमीनें बेच दी। ऐसे कैसेज की सचाई पर मोहर लगा दी गयी है शक्ल बदल कर बेचना चाहे तो बदल सकता है। रिलिजन बदलता है तो बदलना नहीं चाहिये। शिड्युल्ड कास्ट के और ट्राइब्स के हाथ में रहना चाहिये चाहे वह क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो या बौद्ध धर्म को मानने वाला हो जाय। प्रोटेक्शन कानून में मिला हुआ है उसमें तबदिली नहीं होनी चाहिये। कानून की मंशा यह है कि नीचे के तबके के लोगों को शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स के लोगों को उस प्रोवीजन के मातहत प्रोटेक्शन दिया हुआ है टिनेन्सी एक्ट में सैक्शन लगाया है उसमें यह कहा गया है मजहब बदल कर दो साल बाद मुंतकिल कर सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ऐसी मिसालें भी कायम हो सकती हैं इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर भी हमें बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

तीसरी चीज जिसके बारे में मैं गुजारिश करना चाहता हूं वह रूरल एरियाज में हाउसिंग प्राब्लम है। टिनेन्सी एक्ट के अन्दर जहां पर इम्प्रूवमेन्ट का चेप्टर है उसमें यह कहा गया है कि वह इम्प्रूवमेन्ट कर सकते हैं वहां किसानों के ऊपर यह पाबन्दी कर दी गयी है कि वह अपनी जमीन का 1/50 हिस्से पर टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और जो स्ट्रक्चर किसान बना लेते हैं वह हेम्पर करता है, किसी भी सिटी के डवलपमेन्ट में रुकावट पैदा करता है इसलिए टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने की इजाजत दी जाये। मैं समझता हूं कि यह प्रावीजन बहुत बेइन्साफी है और इस प्रकार का प्रोवीजन टिनेन्सी एक्ट में नहीं होना चाहिए। असल में यहां पर टिनेन्ट्स को लिबर्टी देना चाहिए और उसको प्लान देना चाहिए और अगर वह 5 हजार बीघा के ऊपर भी मकान बनाने की हैसियत रखता है तो उसको आजादी होनी चाहिए कि वह चाहे जैसा मकान बनाये। आज करोड़पति और लखपति बीस-बीस मन्जिल के मकान बना सकते है लेकिन किसान के ऊपर इस वजह से कि टाउन्स के अन्दर डवलपमेन्ट में दिक्कत पैदा होती है उसके ऊपर हर किस्म की पाबन्दी लगाई जाये, मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूं और मैं समझता हूं कि इस तरह का प्रोवीजन आज सोचा भी नहीं जा सकता है कि किसानों के ऊपर पाबन्दी लगाई जाये और दूसरी जगह पर लिबर्टी है। चाहे जिस तरह का मकान बनाये और उसको पूरा इस्तेमाल करे और शोषण करे तो यह प्रोवीजन है इसके बारे में भी आपको कुछ तय करना है।

इसके अलावा पुराने एक्ट में भी कुछ ऐसे प्रोवीजन्स थे कि जिनमें कुछ प्रोटेक्शन दिया गया था टिनेन्ट्स को कि कोई फोर्स लेबर या कोई रेन्ट के अलावा कोई चीज वसूल नहीं कर सके, हम मानकर चलते है

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, बहरहाल आज बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां लोगों को मजबूर किया जाता है कि अपनी मेहनत के अलावा दूसरी फोर्स लेबर भी उनको अन्जाम देनी पड़ती है। तो कानून के जो सेलियेन्ट फीचर्स हैं हम उनको नजरअन्दाज नहीं कर सकते लेकिन जो मौजूदा टेनेन्सी बिल है उसमें से यह हटा दिये गये हैं। तो ऐसी चीजें जरूर रखनी चाहिए जिससे उनको राहत मिले।

इसके अलावा एक चीज यह थी कि जिस समय यह डिबेट हो रही थी जुडीशरी के मामले में उस समय मैंने निवेदन किया था कि एग्जीक्यूटिव से जुडीशरी को अलग करने का हमने फैसला लिया था, उसको हमने आज तक इम्पलीमेन्ट नहीं किया और उस फैसले को पार्शली इम्पलीमेन्ट किया। उस सिलसिले में मैंने अर्ज किय था कि जिस समय भण्डारी कमिशन बैठा उसकी राय थी कि कुछ केसेज ऐसे होने चाहिए कि जो रेवेन्यू कोर्ट्स में डिसाइड होने हों और बाकी के केसेज ऐसे हों कि जिनका ताल्लुक टाइटल से हो वह सिविल कोर्ट्स में तय होने चाहिए। रेवेन्यू कोर्ट्स में जो स्कोप है केसेज के तय करने का उसकी कुछ केटेगरी को रख दिया था। उसकी रिपोर्ट मैंने पढ़ [illegible] गाया कि-

(1 Suit for the division of holding.

(2) Suit by tenants against sub-tenant for ejectment,

(3) suit by sub-tenants against a tenant for recovery of possession.

(4) suit by or against a tenant or sub-tenant for the recovery of arrears of rent or another relief on the basis of the contract of sub-tenancy or any breach...

तो यह जो सेक्शन्स हैं यह सब टीनेन्ट्स के इन्टरसी रिलेशन्स हैं। उसके बारे में जो सूट चले उस कमेटी का ख्याल था कि ऐसे केसेज सब-रेवेन्यू कोर्ट्स में चले और बाकी जितने केसेज हैं वह सब ट्रान्सफर कर दिये जाये सिविल कोर्ट्स के अन्दर और आज जब दस-बारह वर्ष के बाद चीज आई है तो आपको देखना होगा कि हमारा जो प्रोग्रे-सिव कदम है कि एग्जीक्यूटिव का इन्टर-फियरेन्स जुडीशरी में करने का वह खतम होना चाहिये और जहां लोगों के हकों का सवाल है उनको रहमोकरम के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि एग्जीक्यूटिव का इनफ्लुएन्स किसी न किसी तरह से पड़ता ही रहता है। हम तो मानकर चलते हैं कि हाईकोर्ट के मातहत अदालतो में थोड़ा बहुत करप्शन है, थोड़ी बहुत बुराइयां हैं लेकिन वे आजाद हैं कि चाहे जिस तरह से फैसला दे। लेकिन मैं यह देखता हूं कि जो तहसील में, निजामद में और कलेक्टरी में सब जगह फैसले होते हैं वह दबाव से होते हैं और बहुत से फैसले पार्शलिटी के साथ होते हैं। इसलिए इन्साफ बिक नहीं सकता, इन्साफ सब लोगों को मिले इसके लिए जरूरी है कि हम जुडिशियरी के प्रश्न को बहुत गम्भीरता से सोचे और यह तय करें कि कुछ केटेगरीज ऐसी हो सकती हैं जिनका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से हो वह केसेज तो रेवेन्यू कोर्ट्स में सुने

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

जायें और बाकी के केसेज को सिविल कोर्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाये। यह ऐसा प्रोवीजन हमें तय करना है और उसको जल्दी से जल्दी लागू करने की कोशिश करनी है।

इसके अलावा हम यह देखते हैं कि इस टिनेन्सी एक्ट के अन्दर जिस समय भण्डारी कमीशन बैठा उन्होंने इस बात को एप्रीशियेट किया कि को-आपरेटिव बेसिस के ऊपर कल्टीवेशन को प्रोत्साहन देना चाहिये। मगर बदकिस्मती से इस किस्म का कोई प्रोत्साहन राजस्थान की गवर्नमेन्ट से न तो किसी एक्ट द्वारा और न किसी एक्शन द्वारा आज तक दिया गया है और यह चीज इसलिए ज्यादा अहेम है कि आपने जब एक पर्सनल लॉ के मुताबिक डिविजन आफ हॉल्डिंग की इजाजत दे दी और पार्टीशन करा सकते हैं तो उसमें फिर फ्रेग्मेन्टेशन होता चला जाता है लैंड का और जितनी लैण्ड कम होती चली जायगी उतनी ही अनइकानामिक होल्डिंग होती चली जायगी तो मेरी गुजारिश है कि ऐसा प्रोवीजन जरूर होना चाहिए था टेनेन्सी एक्ट में जिससे लोगों को को-ऑपरेटिव बेसिस पर कल्टीवेशन का प्रोत्साहन मिले, उनको कुछ सहूलियत मिले और वह मिलजुल कर चाहे रिश्तेदार हों या गैर हो वह मिलजुल कर करें तो जैसे ट्रेक्टर्स हैं या दीगर चीजें हैं उनका भी लाभ उठा सकें और अपनी क्राप को भी बढ़ा सकें इसलिए मेरी गुजारिश है कि टेनेन्सी एक्ट में जो तब्दीली करें उसमें यह तब्दीली ध्यान में रखनी चाहिए कि को-ऑपरेटिव बेसिस के ऊपर हम अपने सिस्टम को चलायें, हम अपने लोगों को प्रोत्साहन दें और उनको इस किस्म का इम्पीट्स मिले कि वह मिलजुल कर काश्त करें इससे फायदा होगा और कलेक्टिव फार्मिंग के लिए हमारे यहां इन्टरेस्ट होगा इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर भी बड़ी संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए।

इसके बाद मैं अर्ज करूं कि कानून तो सब बन जाते हैं लेकिन उन कानूनों का इम्पलीमेन्टेशन नहीं होता है और जो कुछ भी होता है वह सब सरकार के ऊपर डिपेण्ड करता है, जुडीशियरी के ऊपर डिपेण्ड करता है। कानून बना दिया कि जो मुलाजिम राज है उनको जमीन अलॉट नहीं की जायेगी लेकिन एक नहीं बीसियों केसेज इस तरह के हैं। मैंने सवाल दिये हैं जिनका मुझे जवाब नहीं मिला है। मैंने कहा है कि जो मुलाजिम राज हैं वे तहसीलदार की मदद से जमीन अलॉट करा लेते हैं और वह अलाट हो जाती है जो कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के पास है तो यह जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इसको आप कानून के आधार पर खतम नहीं कर सकते। आपकी नोटिस में कोई केस आ जाय तो उसमें अपील की स्टेज खतम हो गई तो उसमें कानून की रुह ही खतम हो गयी। इसलिये इस किस्म का जो कानून है उसका इम्पलीमेन्ट कराने के लिए आप कदम उठाये। केरल में उन्होंने सिस्टम रखा है। उन्होंने पीपुल्स कमेटी कायम की है। उसका क्या केरेक्टर है यह तो मैं स्पेसिफिकली कहने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन उसमें ज्यादातर वह लोग हैं जो कि बेनीफिशियरीज हैं। वहां का एम. एल. ए. होता है और कुछ लोग और भी होते

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

हैं और वह मिलजुल कर अलॉटमेन्ट को तय करते हैं सरप्लस जमीन को देते हैं और वह फैसला कराते हैं और तहसीलदार भी उसका एक्स-ऑफिशियो मेम्बर होता है। वहां कम्युनिस्ट हुकूमत नहीं है, मिलीजुली हुकूमत है कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की। तो जो चीजें आपके सामने आ रही हैं उनको कम से कम लागू करने की कोशिश करें और इसको हम आदत डालें और यह जो होता है कि लॉ बनता है और उसकी इम्पलीमेन्ट नहीं करते हैं उसको दूर कर सकें तो उससे एक तबके को राहत मिलेगी तो यह जो मैंने चन्द चीजें आपके सामने रखीं वह इस नजरिए से रखी कि एक आस्पेक्ट तो विस्तार से सामने आ गया लेकिन बहुत से और करेक्शन्स की और तब्दीलियों की जरूरत है। इसलिए इन सुझावों के साथ ये चीजें भी आपको तय करनी चाहिए और यह परिवर्तन हर टिनेंसी एक्ट में चाहे वह हो और चाहे आप दूसरा लावें, उस टिनेंसी एक्ट में इनको पेशेनजर रखते हुए आपको कदम उठाना पड़ेगा। मैं आपसे अर्ज किया चाहता हूं कि जो चीजें दस वर्ष पहले सही थी, जिन्हें आप सही समझते होंगे वह आज सही नहीं हैं। आज हिन्दुस्तान की हुकूमत यह चाहती है कि जल्दी से जल्दी लैंड रिफार्म्स हों, जल्दी से जल्दी अरबन प्रोपर्टी की सीलिंग हो, जल्दी से जल्दी दौलत का वितरण हो। (समय समाप्ति सूचक घण्टी) इसलिए जो कुछ सोशलिस्टिक कदम उठाने हैं उनके लिए मैं इन सुझावों के साथ आपसे गुजारिश करूंगा कि इन सब को पेशेनजर रख कर आप अपने कानून में परिवर्तन करें चाहे नया कानून लावें। इसलिए आपसे यह गुजारिश है कि इसकी राय जानने के लिए, आम लोगों की राय जानने के लिए सर्कुलेट कर दीजिए ताकि आम लोगों की राय से फायदा हो और आप उसमें मौलिक परिवर्तन कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी !

राजस्थान अभिधृति (टिनेन्सी) विधेयक, 1972 को प्रवर समिति को सुपुर्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : पहले साथ ही ले लीजिए। एक बार ही जवाब देने की जरूरत रहेगी।

उपाध्यक्षजी, मैंने इस राजस्थान टिनेंसी बिल, 1972 को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव किया है। उपाध्यक्ष जी, यह राजस्थान टिनेंसी बिल पहले भी, तीन-चार साल पहले विधान सभा में आया था और उसके बाद सिलेक्ट कमेटी बनी थी और सारे बिल को सिलेक्ट कमेटी ने अपनी बहुत सी सीटिंग्स में उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद और उसमें आवश्यक परिवर्तन करने के बाद सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी प्रस्तुत हो गई थी लेकिन बाद में यह बिल लेप्स हो गया और उसी वजह से यह कंसोलिडेटेड बिल दुबारा राजस्थान सरकार ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। उपाध्यक्षजी, सिलेक्ट कमेटी को जो रिपोर्ट हमने दी थी, बहुत से मेम्बर्स की जानकारी में था, कि उसमें काफी सीटिंग्स हुई थी, उस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के जो प्रोविजन थे टिनेंसी बिल में नहीं आए हैं। इसलिए यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जनता के हित में, काश्तकारों के हित में जाना उचित है, क्योंकि हमारा यह अनुभव

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है कि पहले भी जो बिल 1955 में, 10 अक्टूबर, 1955 को एक्ट बना उसके बाद आज दिन तक टिनेंसी एक्ट में कई परिवर्तन हो चुके हैं और उसके बाद में यह जागीर रिजम्शन एक्ट आया, फिर इण्टरमीडियरीज को खत्म करने का एक्ट आया, जागीरदारी और बिस्वेदारी खत्म हुई, उसके बाद में कई लैंड रिफार्म्स हुए, उसके बाद में सारा का सारा एक्ट बदल गया, बाद में इतने परिवर्तन हो गए कि यह कानून बहुत पहले ही परिवर्तन हो जाना चाहिए था परन्तु अब राज्य सरकार ने काफी दिनों के बाद यह बिल इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, परन्तु मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए और जो लैंड रिफार्म्स के पहले रेवेन्यू लाज कमीशन की रिपोर्ट थी उनकी रिपोर्ट के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए यह बिल ड्राफ्ट किया गया था और उसके बाद सीलिंग की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए और काश्तकारों की डिफिकल्टीज को देखते हुए एग्जामिन करके जो रिपोर्ट पेश हुई प्रिंसिपल्स इस बिल के अन्दर, उसके अनुसार इसमें काफी गुंजायश थी कि इसमें तरमीम की जाती। इसलिए यह आज जो एज इट इज बिल आया है, प्रोविजन्स को थोड़ा बहुत चेंज जरूर किया है परन्तु जो मेन चीज ध्यान में आनी चाहिए थी वह नहीं आई है। तो बारबार जो भी डिफिकल्टी आवे उसके लिए अमेंडमेंट हर समय लावें, ऐसा न हो इसलिए यह बिल अभी सिलेक्ट कमेटी में चला जाय तो उत्तम होगा और जो कि मौजूदा परिस्थितियां हैं और जो आगे सीलिंग ला रहे हैं, सीलिंग का एरिया क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा, प्रोविजन्स क्या होंगे, उनको आपस में कंसिस्टेंट किस तरह से बनाया जाय यह देखने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा सब-टिनेंसी की खातेदारी राइट्स कौन देगा ? पहले भी 1955 के अन्दर जो बिल बना था खातेदारी राइट देने का कोई प्रोविजन उसमें नहीं था। बाद में सेक्शन 15 और 19 जोड़े गए और उपाध्यक्षजी, मैंने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ा है बिल को, वह प्रोविजन भी इस बिल के अन्दर इनकार्पोरेट किया है लेकिन उसको अलग रखा है। प्रोविजन एज इट इज बना रहेगा। यह सारा का सारा कानून नए तौर से लाया जा रहा है। पुराने एक्ट में इतनी डिफिकल्टी थी और इतने खातेदारी राइट्स काश्तकारों के थे कि एक बार सेटलमेंट हो गया, 15-10-55 को जो काश्तकार के पजेशन में जमीन थी उसको तो खातेदारी राइट्स मिल गए और जो 16 तारीख को पजेशन में आए या बाद में आए उनको इस राइट का कोई लाभ नहीं था। इसलिए और कुछ सेटलमेंट कराना पड़ सकता है। जो गैर खातेदार सेटलमेंट के रिकार्ड में मौजूद नहीं हैं उनको खातेदारी कन्फर करने का कोई प्रोविजन नहीं था इसलिए यह दफा 15 और 15-ए और 15-डबल ए का प्रोविजन डाला और उसमें लोगों को रिलीफ कुछ मिली। उसके बाद कन्सोलिडेटेड बिल इस रूप में आया है तो वह प्रोविजन भी इस बिल में आ जाने की आवश्यकता है ताकि कन्फ्यूजन न हो। बिल में, दूसरी जगह प्रोविजन है वह इस बिल में होना चाहिए। जब नया कानून आ रहा है तो अलग जगह प्रोविजन करने की क्या आवश्यकता है यह मुद्दा एग्जामीन करने की आवश्यकता है।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा काश्तकारों को जो अपना एग्रीमेन्ट होगा सब-टिनेन्सी कितने अर्से तक अलाउड है उनकी रिकार्डेड है तो उनको खातेदारी राइट ऑटोमेटिक मिल जाना चाहिए। इसके अन्दर इसका प्रोविजन होना था लेकिन वह पार्ट नहीं आया....

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिकार्ड रखने का तो सिस्टम ही नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एग्रीमेन्ट वगैरह का प्रोविजन डाला है, मैंने पढ़ा है। परन्तु जो आज की हालत है उसमें हमारी मंशा यह है कि जो सब-टिनेन्सी आलरेडी है इन पजेशन, उनको खातेदारी राइट्स मिल जाने चाहिए। जो क्रॉप शेयर करते हैं, जो एक्चुअल कल्टीवेटर हैं, जो जमीन को कल्टीवेट करते हैं, डेफिनेशन ऑफ टीनेन्ट क्या होनी चाहिए? आपने डेफिनेशन रखी है, वह वैग है। हमने सिलेक्ट कमेटी में जो डेफिनेशन की थी उसके अन्दर वह नहीं आई है। वह भी एग्जामिन हो जानी चाहिए। हमने यह देखा है कि पिछले 10-15 वर्षों के अन्दर इन्कम-टैक्स बचाने के लिये, टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो बड़े-बड़े धनी हैं, जयपुर के अन्दर ही दस माइल के रेडियस में जाते हैं, बड़े-बड़े अहाते और दीवारें बना कर अच्छे-अच्छे फार्म बना लिए हैं। क्या वे असली कल्टीवेटर हैं? कल्टीवेशन कोई करता है और ये करोड़ों का प्रोफिट बताते हैं जब कि वास्तव में खेती का धन्धा घाटे का धन्धा है। एक्चुअली उनके जितने भी फेमिली के मेम्बर हैं, वे धन्धा तो करते हैं दूसरा और खेती के फार्म बना रहे हैं। मैं आपके मार्फत उपाध्यक्षजी, राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि एक तरफ तो हम एक्चुअल सीलिंग को टुकड़े करके जो एक्चुअल कल्टीवेटर हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबर है उनको जमीन देकर खातेदारी राइट देना चाहते हैं लेकिन इसमें जो आपकी भूमिहीन की डेफिनेशन हैं वह वेग डेफिनेशन है। वाकई में भूमिहीन कौन हैं। कोई भी भूमिहीन आज तो हो सकता है। एक करोड़पति भी भूमिहीन है और तीन हजार रुपये पाने वाला सेक्रेट्री भी भूमिहीन है। इस तरह की भूमिहीन की लैण्डलेस की रिकार्ड में सूची बने ताकि उसको जमीन मिल सके। आज तो 1/3 जमीन ऐसे लोगों के पास चली गई है जो काश्त नहीं करते हैं और दूसरे लोगों के जरिये काश्त करवाते हैं और नेचुरल जिनके पास जमीन नहीं है उनसे ही काश्त करवाते हैं। यह टेनेन्सी पनप रही है इसको रोकने की आवश्यकता है। यह जमीन उनके पास रहे जो वाकई में काश्तकार हैं, जो काश्त से ही अपना पेट पालन करना चाहते हैं। एक खेतीहर की फेमिली में बीस मेम्बर हैं, लड़के-लड़कियां, मां-बाप वगैरा वे सब खेती पर काम करते हैं और उससे ही अपनी जीविका चलाते हैं लेकिन उनका पूरा नहीं पड़ता, जमीन की आमद से उनका साल का खर्चा नहीं चलता है। उधर जमीन ऐसे लोगों के पास जा रही है जो लोग इससे फायदा उठाते हैं, धन्धा करते हैं, दूसरे और जमीनों के मालिक बन रहे हैं। तो इसके बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिए और कोई न कोई सख्त कानून बनाना चाहिए और यह देखें कि धन्धा तो दूसरा कर रहे हैं और उनके इतने बड़े-बड़े फार्म कैसे बन गए। जमीन पर इतना

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

प्रेशर है कि वाकई जो लोग खेती करना चाहते हैं उनके पास जमीन नहीं है....और दूसरों के पास जो जमीन है उस पर करोड़ों हजारों रुपये लगा दिये और अच्छे-अच्छे फार्म बना दिये और इस प्रकार काश्तकार बन बैठे। अगर यह टेनेन्सी रुकी नहीं तो थोड़े दिनों के बाद ही यह हालत होगी कि जो असली काश्तकार हैं उनके पास में कोई जमीन नहीं रहेगी और दूसरों के जरिये जो काश्त करवाते हैं वे बढ़ते जा रहे हैं। यह टेनेन्सी बढ़ती जा रही है। इसको आज चेक करने की आवश्यकता है। जो किसान खेती पर ही डिपेन्डेन्ट हैं उनके पास जमीन रहनी चाहिये तब जा कर के अनाज की प्राब्लम हल होगी और लोगों में जो बहम हो रहा है कि किस तरीके से जमीन रहेगी, यह जो कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में हो गया है उसको हटाने की आवश्यकता है। वास्तव में इन लोगों की जमीन को काश्त करने की हिम्मत नहीं है। काश्तकारी कोई आसान धन्धा नहीं है। इनसे सारे मेम्बर एक फैमिली के नहीं पल सकते हैं। यह कोई प्लेजर का धन्धा नहीं है। यह बड़ा मुश्किल धन्धा है और कोई वास्तव में काश्त करे तो वह भागता हुआ नजर आयेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके कुछ प्रॉविजन को देखने की आवश्यकता है। यह मैंने देखा है कि पहले का जो टिनेन्सी बिल था उसके अन्दर सिविल डिक्री के अन्दर खातेदारी हक पर, जमीन पर कुर्की नहीं हो सकती थी अब वह प्रॉविजन इसके अन्दर से हटा दिया गया है। उसके अन्दर वह इम्पार्टेन्ट प्रॉविजन था। यह खातेदारी राइट्स को प्रोटेक्ट करने का सवाल है। खेती कुर्क हो जायेगी तो उसके जीवन का जरिया चला जायेगा। यह प्रॉविजन इसके अन्दर नहीं है। यह एक इम्पोर्टेन्ट प्रॉविजन ओमिट हो गया है। तो इसको एग्जामिन करने की आवश्यकता है। खातेदार को खेत के अन्दर रेजीडेन्शियल मकान बनाने की आवश्यकता होती है। जो कोई मकान बनाते हैं तो उन पर हजारों रुपयों का जुर्माना हो जाता है। ऐसी कई प्रॉब्लम हैं जो काश्तकार पेश करते हैं उनको टालने की आवश्यकता है। इन मुद्दों को एग्जामिन करना है। दूसरा इसका चेप्टर नौ है। कलक्टर अपना इम्प्रूवमेन्ट का प्रोग्राम देगा और काश्तकार को सुझायेगा, यह प्रॉविजन डाला है जो हमने सिलेक्ट कमेटी में एग्जामिन किया है। कलक्टर क्या बतायेगा काश्तकारों को। यह अजीब सा चेप्टर डाल दिया गया है इसको एग्जामिन करने की आवश्यकता है। कलक्टर जा-कर काश्तकार को क्या बतादेगा। वह खेती करना नहीं जानता है। तो यह भी एग्जामिन करने की आवश्यकता है। बहुत से चेप्टर रेवेन्यू लाज कमीशन के एज इट इज रख दिये गये हैं। यह सब प्रोविजन आज की हालत को देख कर होने चाहिये ताकि फिर काश्तकारों को अदालतों में भागना नहीं पड़े। ऐसी हालत में, इतने अर्से के बाद यह कानून आया है तो इसको सिलेक्ट कमेटी में सब पार्टी के जो एक्सपर्ट सदस्य हैं, एग्जामिन करें, जो मेम्बर इसके बारे में जानकारी रखते हैं वे भी इसके अन्दर इन्क्लूड हो और उसके बाद में बिल सदन में पेश हो और जो वास्तविक काश्तकार हैं उन लोगों को इस बिल से फायदा होना चाहिए। हमारा यह उद्देश्य होना चाहिये कि इस कानून से प्रोडक्शन बढ़े। आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

बिल आना चाहिये जिससे कि काश्तकारों को प्रोटेक्शन मिल सके, उनके राइट्स प्रोटेक्ट हों इन्हीं शब्दों के साथ इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने का मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रोफेसर केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, इसके बारे में फिर से बोलने का मौका मिलेगा क्योंकि सरकार इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने का विचार कर रही है। मैं आपकी मार्फत जो दो-चार मोटे मुद्दे हैं उनके बारे में यहां पर जिक्र करना चाहता हूं।

मान्यवर, इस बिल के पेश होने के बाद जो मौजूदा रूरल लाइफ है उसके एग्रेरियन रिलेशन में क्या बेसिक चेन्ज आ जायेगा ? आज मान्यवर हमारा देहाती जीवन चार तरह का है एक तो वहां पर रिच प्रिजेन्टरी है, एक मारजीनल किसान है, तीसरा वेज अरनर है और चौथा क्राप शेअरर्स है। आप मान्यवर यह महसूस करेंगे कि पिछले दस सालों के एक्ट से, कानूनों से इन लोगों के लाइफ में क्या चेन्ज आया है। किसानों को कोई फायदा नहीं मिला इसके अलावा जो रिच और फ्यूडल एलीमेन्ट था उनको और हक मिला है। जो पहले फ्यूडल कैरेक्टर था और जो रिच पीजेन्टरी थी वह एक केपिटलिस्ट केरेक्टर में बदल गई है। आज जितने भी टेक्नोलोजी चेन्जेज हुई हैं, हाई ईल्डिंग ब्रीड जितनी भी आई है उसने मौजूदा रूरल लाइफ में और एग्रेरियन रिलेशन में बहुत चेन्जेज ला दिये हैं और वे लोग ज्यादा मालदार बन गये हैं जो पहले से रिच पीजेन्टरी में थे, जो फ्यूडल थे और एक तरह से वहां पर रिच प्रीजेन्टरी को केपिटलिस्ट में तब्दील कर दिया है। यह सीरियस डवलपमेन्ट वहां पर पैदा हो गया है और इसको आप वहां पर चैक नहीं कर पाये हैं और कोई ऐसा कानून बनने वाला नहीं है जो इसको लिक्वीडेट कर दे। इस सम्बन्ध में आप एग्रीकल्चर और नॉन-एग्रीकल्चरिस्ट क्लास का गौर करें। पिछले दस सालों के अन्दर जो आपने कानून बनाये हैं उसके अन्तर्गत कई लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है और वे आज तक काबिज है। उनको आप कैसे लिक्वीडेट कर देंगे इसका इसमें कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, अगर पिछले दस साल की स्थिति को आप देखें तो जो मारजीनल किसान था जो पांच एकड़ जमीन के नीचे था वह आज लिक्वीडेट हो गया है। वह आज गांवों से गायब हो गया है और शहर में आकर या तो नौकर हो गया है या फिर लेबर बन गया है, इसके अलावा देहातों में आज तीस परसेन्ट ऐसे लोग हैं जो कि खेतीहर मजदूर हैं और फिर सीरी का काम करते हैं। मान्यवर, आप ताज्जुब करेंगे कि इनक्लासेज के जो रिलेशन मौजूद हैं सोशियल, इकोनोमिक, जो इन दस, पन्द्रह सालों में कायम हो गये हैं उसके अन्दर एक बेसिक चेन्ज हो गया है और वे पिस गये हैं। आपका मौजूदा पोलिसिज और संगठन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बेसिक चेन्ज ले आवें। हां ! आपके स्लोगन ऐसे जरूर हैं और वे ठीक हो सकते हैं परन्तु उससे कोई बेसिक चेन्ज हो सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। जब ऐसी हालत है और यह देख कर आप ताज्जुब करेंगे। लैन्डलेस

(श्री प्रोफेसर केदारनाथ)

को आपने अलॉटमेन्ट किया है, लाखों एकड़ जमीन आपने उनको दी है, यह मैं मानता हूं। जागीरें आपने समाप्त कर दी है और इनको खातेदारी हक दिये हैं, यह मैं मानता हूं। जो जमींदारी और जागीरदारी थी वह अब समाप्त हो गई है। परन्तु यह जो लैंन्डलेस को अलॉटमेन्ट किया है, शिड्यूल कास्ट के लोगों को जो जमीनें आपने दी है वे आज इन जमीनों पर काबिज नहीं है। वे क्यों नहीं है, इसके बारे में आपने सीरियसली जांच नहीं की है। दस सालों से आप एलाटमेन्ट कर रहे हैं। एलाटमेन्ट करने के बाद वे वहां पर काबिज क्यों नहीं हैं, क्यों नहीं रह सके और उनके अलॉटमेन्ट क्यों केन्सिल हुए और वे क्यों जमीनों को छोड़कर चले गये, इसकी आपके पास में कोई जानकारी नहीं है। शिड्यूल कास्ट के लोगों को आपने जमीनें दी है और जमीनें दे रहे हैं परन्तु वे काश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं, केन्सिल क्यों होते हैं एलॉटमेन्ट इसकी आपने कोई स्टडी नहीं की है। यह जो दूसरे लोग आकर जमीनों पर काबिज हो गये हैं, उनका कैसे एलाइनेशन होगा यह नहीं है। आज वे जमीनों पर काबिज है चाहे फिर वह कमान्ड एरिया हो, चाहे शहरों के आसपास के क्षेत्र हो, उनको लिक्वीडेड नहीं कर पायेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्या इसी तरीके के आप एग्रेरियन रिलेशन कायम करना चाहते हैं। जो आपका घोषणा पत्र है, सब से पहले जब कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ा करती थी, उसके कमीशन की रिपोर्ट है। उसने इस बात की घोषणा की थी कि वह जमीन के इन्टरमीडिरिज को समाप्त करेगी, सिक्यूरिटी आफ टेन्यूर होंगी और फिक्सेशन ऑफ फेयर रेन्ट होगा। ये तीन मोटी गाइड लाइन्स दी थी और उसके बाद कांग्रेस के ब्रेकअप के बाद कुछ रिफार्म्स आपने किये हैं। मैं मानता हूं इस बात को। मगर रिफार्म्स के बारे में जो आपने एस्पीरेशन्स पैदा कर दिये हैं मिडल टर्म इलेक्शन में और इस इलेक्शन के बाद वह इतने हैं कि मौजूदा कांग्रेस संगठन, मौजूदा कांग्रेस सरकार और मौजूदा कानून उन एस्पीरेशन्स कोरेस्पान्ड नहीं कर सकते हैं। उसका आपको हल करना होगा।

मैं सीलिंग के बारे में नहीं कहना चाहता हूं। बड़ी सीरियस स्थिति चल रही है। फेकशन्स और डेलिब्रेशन्स होने चाहिएं। उनके बीच में से रिजल्ट निकलेगा। लेकिन मैं मान्यवर पूछना चाहता हूं कि सीलिंग के पाइन्ट पर इतने बड़े डिस्कशन्स के बाद भी आप यह नहीं सोचते हैं कि इम्प्लीमेन्टेशन की स्टेज आप कैसे कर पायेंगे? अगर लैण्ड टू दी टिलर देना है तो मान्यवर आपके, लैन्डलेस के पास में न तो संगठन है, जागृति जरूर है, एसपीरेशन्स भी उसके पास हैं, लेकिन वह किसी संगठन से बंधा हुआ नहीं है जिसके लिए आप यह कानून पास कराना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि अच्छा कानून है लेकिन मैं कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा? मेरे पास कौन सा इन्स्ट्रूमेंट है कि इस अच्छे कानून को अपने लिए इस्तेमाल कर पाऊं? आपकी जो सरकारी इन्स्टीट्यूशन्स है वह साथ नहीं देती है, आपका जो संगठन है वह साथ नहीं देता है, तो बताइये मान्यवर, आपकी इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी क्या है? आप क्या कोई कमेटी लैण्डलेस टेनेन्ट्स की, कॉप-रेटर्स

(श्री प्रोफेसर केदारनाथ)

की कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं अगर आप उनको कमेटी में बांध दें तो मैं मानूंगा कि इस बिल के अन्दर जो शार्टफाल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव लेकूनाज भी हैं वे केन्सिल हो जायेंगे और उसका कोई हल निकलेगा।

मान्यवर, यही चीज नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ढंग से रिफार्म आये तो यह मान कर चलिये कि आज का जो क्लाइमेट है, आज ऐसी कन्डीशन्स डेवलप हुई हैं, सोशियल कान्शस पैदा हो रही है लोगों में कि उसका फायदा आप उठा सकते हैं या उठाना चाहते हैं तो उठाना चाहिए।

मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं। हमारे इलाके में सब से ज्यादा मसला यह है और लैण्ड टू दी टिलर का नारा दिया है और मैं इस बात को मानता हूं कि बेसिकली अगर हम लैण्ड टू दी टिलर का नारा नीचे से लागू न करें, शहरों से लागू न करें और देहातों से लागू करेंगे तो यह बड़ी बेमेल चीज होगी। इसी चीज में सोशियो-इकोनोमिक डेवलपमेंट में से अगर एग्रीकल्चरल के आइटम को निकाल कर लागू करना चाहते हैं जो यह गलत है। हम नहीं कहते है कि आप पहले उनको लें, पहले उन पर लागू कर दें। अगर सचमुच लैण्ड टू दी टिलर को देना चाहते हैं, जिस टिलर को आप लैण्ड दे रहे हैं तो उस लैण्ड को उसके मुताबिक कानून जो खुदकाश्त की परिभाषा है कानून में लैण्डलेस की परिभाषा है, इसको बदलने के लिए यह हमारा बिल काफी नहीं है। उसको आप बदलें। आज खुदकाश्त की परिभाषा वही है, लैण्डलेस की परिभाषा वही है, एग्रीकल्चरिस्ट की वही परिभाषा है केवल उसमें यह जोड़ा है कि आइव करने उसके पास और मीन्स न हों। खुदकाश्त की डेफिनिशन में हमको यह करना चाहिए कि मीन्स ऑफ लिवलीहुड दूसरा न हो। अगर आप यह डेफिनेशन दे देगें तो लैण्ड टू दी टिलर के पास जमीन पहुँच जायगी। फिर भी इतने बड़े चेन्जेज 10 साल बाद में लाना, इतना बड़ा रिवोल्ट, ब्रेक अप हुआ और उसके पश्चात् यह करते हैं तो बहुत बड़ा काम होगा। इतनी बड़ी हिम्मत आप में है? इतनी बड़ी ताकत आप में है? इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी आप इन्वाल्व कर पायेंगे तो मुझे शक है। लैण्ड रिफार्म्स के बारे में आपने जो कन्सेप्शन दिया है वह इसमें इन्कार्पोरेट नहीं किया गया है। इसलिए आप इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजेंगे तो मौका मिलेगा राज्य सरकार को कि जो नये चेन्जेज आ रहे हैं, जो नई स्टडीज इसके ऊपर औरों ने की है उसके मुताबिक नए एमेन्डमेन्ट इन्कार्पोरेट करेंगे तो जो नारा आपने लैण्ड होल्डर्स को समाप्त करने का और लैण्ड टू दी टिलर का दिया है यह नारा पूरा हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा विश्वास है कि राज्य सरकार इसको सिलेक्ट कमेटी में रख देगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, सबसे पहले मेरा निवेदन यह है कि यह बिल जो आज यहां पर विचारार्थ रखा गया है यह बिल पुराना है। केवल उसी विधेयक पर 1972 लिख कर इसको नया जन्म दिया

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जा रहा है। यह विधेयक पहले प्रवर समिति के पास गया था, और उस पर प्रवर समिति ने काफी गौर करके काफी समय तक बैठ करके उसमें यह धाराएं जोड़ने के लिए उसने अपनी रिपोर्ट की थी जिनका उल्लेख यहां पर किया गया था। प्रारम्भ में 1955 में निवेदन करना चाहूंगा कि इस एक्ट के पारित कर दिये जाने के बाद राजस्थान में दो टिनेन्सी विधेयक, एक्ट हैं-1955 व 1972 वाला, जो अभी आप पास करना चाहते हैं। इसमें चेप्टर वन की धारा (2) में रिपील के नाम पर जो दिया गया है, वह यह है—

"2. Repeal- (1) On and from the date of coming into force of this Act, so much of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act 3 of 1955) as relates to the matters covered by the provisions of this Act, and all other provisions of the said Act relating to tenants holding land directly from the State Government & the sub-tenants of such tenants are hereby repealed".

इसका अर्थ यह है कि इसको पास कर देने के बाद राजस्थान में दो टिनेन्सी एक्ट काम करेंगे।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इसके पेज नं 3 पर जो इसमें परिभाषाएं दी गई उसमें "कृषक" की परिभाषा में कहा है "कृषक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपनी जीविका पूर्णतः या मुख्यतः कृषि द्वारा कमाता है और इसमें कृषि श्रमिक ग्रामशिल्पी सम्मिलित है। "यह परिभाषा बहुत उपयुक्त परिभाषा है जिसे राज्य सरकार ने इसमें जोड़ा है, और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसका अंग्रेजी अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्रीजी समझ गये होंगे। कृषक की परिभाषा बिल्कुल ठीक की गई है। पुराने 55 से लगातार हर वर्ष कृषक की परिभाषा बदली गयी है और किसी न किसी प्रकार से कुछ लोगों को लाभ पहुँचाया गया है और उसके संदर्भ में यह कहना चाहूंगा और मेरी राज्य सरकार से मांग है कि कृषक की परिभाषा को रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहिए। 1955 से कृषक की इस परिभाषा को राज्य सरकार माने तो बहुत उपयुक्त होगा और वह उपयुक्त इसलिए होगा कि आज कई लोगों ने भूमिहीनों के नाम पर जमीनें ले ली हैं। कई मन्त्रियों ने और कई अधिकारियों ने—मैं फिर आरोप नहीं लगा रहा हूं—माननीय मन्त्रीजी स्वयं भी जानते होंगे कि कई मन्त्रियों ने और कई बड़े अधिकारियों ने जिन्होंने अपने नाम पर, भूमिहीनों के नाम पर जमीनें नहीं ले रखी हैं और वे जमीने ले रखी हैं अपनी पत्नियों के नाम पर जयपुर शहर के आस-पास 12 मील की परिधि के अन्दर बड़े-बड़े मन्त्रियों के बहुतेरे फार्म्स या तो स्वयं के नाम पर हैं या जैसा कि मन्त्रीजी ने अपनी स्पीच में कहा था कि पत्नियों के नाम पर फार्म होंगे तो ज्यादा उपज होगी और पतियों के नाम पर उपज कम होगी। राजनीति में खुले रूप से भाग लेते हैं तो कहीं कोई आरोप न लगा दे तो पत्नियों के नाम पर फार्म होंगे, पत्नियों के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नाम पर ट्रेक्टर होंगे, और उन ट्रेक्टर्स से बोझा उठाने का काम भी लिया जाता है और राज्य सरकार जो है तिगुने दाम पर बीज उन्हीं फार्मों से लेगी। मेरा निवेदन है कि कृषक की परिभाषा जो उसमें दी गई है वह रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से हो जाय तो कांग्रेस सरकार सच्चा समाजवाद इस देश में, राजस्थान में ला सकेगी। तब तो यह उचित होगा, वरना कृषक की यह परिभाषा 72 से लागू करना है तो वह उन भूमिहीनों के नाम पर जिन बड़े-बड़े मन्त्रियों ने जिन बड़े-बड़े अधिकारियों ने जमीनें ले रखी है उनको लाभ पहुँचाने वाली बात होगी। यदि सच्चे दिल से इस एक्ट को पास करना है तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि कृषक की परिभाषा जो वर्त्तमान में दी है उसको 55 से मानें रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से मानें, और यह परिभाषा केवल एक ही परिभाषा जो प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट में दी है उसकी एक ही बात को यहां पर जोड़ा है तो न मालूम कितनी सुन्दर बातें प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहीं होगी इसका अन्दाज इस कृषक की परिभाषा से ही लगा सकते हैं। फिर मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा। आपको रेवेन्यू लाज कमीशन जो 62 में बैठा है उसकी प्रतिलिपियां आपको माननीय सदस्यों को देनी चाहिए थी। क्योंकि आपने उसका हवाला दिया है। आपने उसको बार-बार आधार बनाया है। मैं निवेदन करूंगा कि दौलतमल भण्डारी की राय से टेनेन्सी एक्ट रेवेन्यू एक्ट के साथ आना चाहिए। लेकिन भण्डारी सिफारिशों को आपने नहीं माना है। रेवेन्यू में दो बोर्डों की व्यवस्था की जाये। पहला प्रशासनिक राजस्व मण्डल, जो एलाटमेण्ट करने और कन्सोलीडेट करने का काम करे। और दूसरा न्यायिक राजस्व मण्डल, जो मामले आयें उनको निपटाने का काम करे। दोनों ही एक साथ आने चाहिए। लेकिन वह अभी नहीं आये। इसलिए मेरा निवेदन करना है यदि सच्चे दिल से विचार करें तो इस नये बिल को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसको लाने से दो टेनेन्सी एक्ट हो जायेंगे। इसमें वकील साहबान का लेबर और बढ़ जायगा लेकिन इससे किसान परेशान हो जायेंगे। वाद-विवाद के कारण राजस्थान के किसानों को परेशानी होगी। आपने इसमें इंफोर्समेण्ट करने के अधिकारी बनाये हैं। इसमें सारे के सारे पावर्स तहसीलदार को दे दिये हैं मूल जो है, उसमें दूसरों को हैं। इसमें तहसीलदारों को राजस्व के मामले निपटाने के अधिकार दे दिये हैं जैसे कि कोई मालिक अपने मुनीम को अधिकार दे दे। भाई, मैं तो नहीं करता तुम फैसला कर दो तो मेरा कहना है कि मालिक मुनिम को अधिकार दे दे यह उचित नहीं हो सकता है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रेवेन्यू लॉ कमीशन की सिफारिशों के अनुसार यह नहीं है यह जो डिपार्टमेन्ट ने उसके अनुसार कानून बनाने की बात कही थी, यह उसके अनुसार नहीं है। यह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंण्ट का जो कानून बना हुआ है, उसके खिलाफ आप इस विधेयक को ला रहे हैं। यह विधेयक सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट का जो कानून है, उससे मेल खाता ही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यह कौन सा कानून है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो आप लॉ रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी जानकारी में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का ऐसा कोई कानून नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ये घोषणाएं जितनी की हैं, उनमें कोई राहत देने की बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट का कानून अलग है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपके पास 18 लाख स्टेण्डर्ड एकड़ जमीन पड़ी हुई है

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कहीं पर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को सुविधा देने के लिए नहीं कहा गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि दौलतमल भण्डारी के नेतृत्व में जो कमीशन बना था, उसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित करें। यह जल्दी में पास करना चाहते हैं। यह विचारणीय विषय है आप इस विधेयक पर जल्दी न करें। इन सारी बातों के बारे में और भण्डारी रिपोर्ट के बारे में विचार करना है। दो एक्ट बन जायेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इन पर विचार करें। जैसा कि मेरा सुझाव है, इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये। फिर मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को गम्भीरता से विचार करते हुये, इन सुन्दर बातों पर विचार करने के लिए प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज पहली बार आप की बात मानी गई है। (श्री भार्गव से)

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्दर, इस कानून के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था है। जागीरदार, बिस्वेदार, भूमिदार आदि का कानून में उल्लेख था। मगर 17 साल के अन्दर जागीरदार समाप्त हो गये। बिस्वेदार खत्म हो गये। दूसरे जो और थे, वह भी समाप्त हो गये हैं। मोटे रूप में सरकार ने यह इसी लिये बनाया है कि इसे दूसरे रूप में होना चाहिए। कन्सोलिडेटेड फार्म में टेनेन्सी एक्ट बनाना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं यह सरकार की मंशा पूरी नहीं हो सकती है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मुख्य सचेतक महोदय – समय देखिये।

श्री भगराज : समय है।

एक माननीय सदस्य : समय और बढ़ा दिया जाये।

अन्य माननीय सदस्य : एक घण्टा बढ़ा दिया जाये।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, सदन का समय एक घण्टा और बढ़ा दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री का उत्तर होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री खेतसिंह से) कितना समय बढ़ाना चाहते हैं ?

श्री खेतसिंह: जब तक मन्त्री महोदय का उत्तर नहीं हो जाये, तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से जब तक मन्त्री महोदय का उत्तर न हो जाये, तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री भगराज : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब इस बिल को देखा तो मालूम पड़ा, इस बिल में टेनेण्ट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया है। सब-टेनेण्ट एक खातेदार से दूसरे खातेदार के पास जाता है। मैं समझता हूं कि उसका कृषक जीवन है वह वैसा ही बना हुआ है। सरकार को यह सोचकर निश्चित अधिकार सब-टेनेण्ट को देना चाहिए। कुछ इस प्रकार के लोगों को अधिकार प्रदान किये हैं, जिनका खेती से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस तवा के लिए मैंने एग्रीकल्चर की डेफीनेशन देखी, आज वह जमाना आ गया है कि एग्रीकल्चर की डेफीनेशन, टेनेण्ट की डेफीनेशन बदलनी होगी। आज टेनेण्ट की वही परिभाषा होनी चाहिए जो स्वयं की मेहनत से खेती करता हो। जयपुर के आसपास देखते हैं, जिनके जीवन यापन के धन्धे खेती नहीं हैं। दूसरे धन्धे करते हैं, राज्य की नौकरी करते हैं। बड़ी-बड़ी जमीनों को अधिकार में लिये हुए हैं। और, उनको चला रहे हैं। क्या सरकार इस प्रकार के व्यक्तियों को भी वही अधिकार देना चाहती है। अगर ऐसा कर दिया गया तो नया टेनेंसी कानून बनाने का मकसद पूरा नहीं होगा। एक तरफ तो हम भूमि सम्बन्धी सीलिंग कानून बनाने जा रहे हैं। जिसका मकसद यह है कि जिनका मुख्य धन्धा खेती है, खेती से ही परिवार का गुजारा हो रहा है। उनको ही माना जाये और ऐसे व्यक्ति जो कि बोनाफाइड एग्रीकल्चर नहीं हैं ऐसे व्यक्तियों को भी अधिकार दे दिये गये तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के हाथों में जमीन चली जायेगी और जो भूमिहीन खेती हर मजदूर हैं, जो कि खेती करके ही पेट पालने का धन्धा करते हैं उनको जमीन नहीं मिलने पायेगी। आज हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान के अलावा दूसरे प्रान्त भी हैं, जहां पापूलेशन बहुत ज्यादा है, खेती के लायक जमीन कम है, जब कि हमारे पास खेती लायक जमीन है, पापूलेशन कम है। इन सब बातों के होते हुए क्या जरूरत पढ़ गई थी, सीलिंग की लिमिट लगाई जाय, मौजूदा कानून में तीस स्टेन्डर्ड एकड़ एक फेमिली के लिए छोड़ रखा है, अब उसको घटा कर अठारह करने जा रहे हैं इसकी क्या जरूरत पड़ गई इसकी इसलिए जरूरत पड़ी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोनाफाइड कल्टीवेटर नहीं हैं, खेती का उनका धन्धा नहीं है, फिर भी जैसा निवेदन किया, बहुत बड़े चक के अन्दर बहुत बड़ी-बड़ी होल्डिंग उनके पास हैं, उसके मालिक बने हुए बैठे हैं। ऐसे लोगों को इस कानून के जरिये हटाना चाहिए, और उन्हें किसी प्रकार खातेदारी हक नहीं देने चाहिए। मौजूदा कानून में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सब-टेनेन्ट को हम प्रॉटेक्शन देना चाहते हैं यह इस बिल में क्लाज़ कहां है, सेक्शन कहां है ? आपने क्लाज 22 दे रखा है उसमें अजीब सा प्रावधान दे रखा है, वह लोग जो खेती नहीं करते हैं, वह चाहे तो पार्टनरशिप के रूप में, एग्रीमेंट के जरिये कुछ अन्य लोगों

(श्री भगराज)

को जमीन दे सकते हैं और जमीन देने के लिए एक एग्रीमेंट क्रोप सेल के लिए अथवा जो फसल आयेगी उसका बंटवारा करने के लिए करवा सकते हैं। क्रोपसेल के लिए इसमें प्रावधान रखा गया है। यह ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रखा है जो खेती नहीं करते हैं। किन्तु यह नहीं रखना चाहिए। जमीन उसे मिले, उसे खातेदारी अधिकार मिले जो खेती करता है यह प्रोटेक्शन हमें देना है। इसके अलावा मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, इस बिल के अन्दर कुछ हमने इस प्रकार के प्रावधान रखे हैं जो वास्तव में ठीक हैं, कुछ को हमने सिम्प्लीफाई किया है, कुछ ऐसे प्रावधान रख दिये हैं जिनसे इस बिल को काम्प्लीकेटेड बना दिया है। इस कानून को और काम्प्लीकेटेड बनाने जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमने लिमिटेशन का प्रावधान रखा है, वह मैं समझता हूं, क्लीअर न होकर काम्प्लीकेटेड हो गया है। रेमेडीज के बारे में जो प्रावधान रखा है, कोई काश्तकार अपने रेवेन्यू डिस्प्यूट के बारे में, ग्रीवियेन्सेज के बारे में, और मामलों के बारे में किसी कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में सूट पेश करेगा, दरख्वास्त पेश करेगा, उसके बारे में मैं समझता हूं, जो भी अवधि लिमिटेशन के रूप में दी जायगी, वह काफी नहीं है और उसके बारे में जो भी प्रावधान रखा है, वह सिम्प्लीफाई करने के बजाय और ज्यादा काम्प्लीकेटेड कर दिया है। इसके अलावा कोई व्यक्ति न्याय पाने के लिए न्यायालय में जायेगा तो उसे अधिक फीस देनी चाहिए–यह बिल में व्यवस्था रखी है, तो एक तरफ तो गवर्नमेंट न्याय को सस्ता करने जा रही है, दूसरी तरफ न्याय प्राप्ति करने के लिए जो दरख्वास्त पेश करना चाहे, सूट पेश करना चाहे, कम्प्लेन्ट पेश करना चाहे तो इसकी जो फीस रखी है, वह काफी बढ़ा दी है। मैं समझता हूं, इस प्रकार के मोटे-मोटे प्रावधान हैं–यह ठीक नहीं हैं। इन सारी बातों पर विचार करने के लिए मोटे रूप से इस बिल को प्रवर समिति को भेजना चाहिए ताकि प्रवर समिति इस पर गम्भीरता से विचार करके दुबारा इस बिल में सुधार करके, संशोधन करके, विधान सभा के सामने पेश करे, जिस पर विधान सभा विचार करके कानून बना सके, जिससे खेतीहर मजदूरों की, भूमिहीन काश्तकारों की समस्या मिट सके। मैं निवेदन करता हूं, सरकार, मैं समझता हूं, इस बात को मंजूर कर लेगी और यह बिल प्रवर समिति को भेजा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह संधु।

श्री गुरदयालसिंह संधु : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि यह बिल प्रवर समिति को भेज दिया जाय। वैसे तो यह बिल बहुत देरी से लाया गया है, चाहिए यह था कि यह बिल आज से कई वर्ष पहले आता। गंगानगर की बात यहां रोज ही चलती है और यह समझा जाता है कि शायद गंगानगर में बहुत बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, जो स्वंय काश्त नहीं करते। हम भी चाहते हैं कि जमीन उसके पास रहे जो खुद काश्त करता है। यदि सरकार की ऐसी नीति हो ती तो इससे पहले सरकार को ऐसा बिल लाना चाहिए था। गंगानगर के अन्दर जो खेतीहर मजदूर हैं वह करीब-करीब वहां से जा चुके हैं। आप 1971

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

की सेंसस को देखिये, तहसील में आबादी कम हो चुकी हैं। इससे यह साफ है कि वहां से खेतीहर मजदूर जा चुके हैं। हम यह चाहते हैं कि जमीन उसके पास रहे जो स्वयं काश्त करें। इस बिल को वैसे जहां सिम्पल बनाने की कोशिश की गई है वहां इसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं। इसमें यह कोशिश की गई है कि तहसीलदार को ज्यादा अधिकार दिये जायं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे एक वाटर कोर्स का मामला है, आप गांव में एक वाटर कोर्स सजेस्ट करते हैं तो उसके लिए तहसीलदार को अधिकार दे दिये जायेंगे, मैं समझता हूं, इससे उलझन हो जायगी। इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है जो हक सफे के मामले आये तो हक सफे में जमीन जो शिड्यूल्ड कास्ट्स की है उसे सवर्ण नहीं ले सकता, लेकिन हक सफा करने के बाद सवर्ण व्यक्ति ले सकता है। यह नई चीज हैं, इसमें रिवीजन का मसला है, उसमें नियम किया है, एक आदमी के पास में लेंड है, उसके लिए एक भाई कहे कि हम तकसीम कराना चाहते हैं, उस भाई के पास में पैसा है तो वह किसी की भी नहीं माने और सरकार ने अधिकार दिया है उससे जमीन तकसीम करा लें। इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी जैब में पैसा है वह ले जायगा और दूसरा वंचित रह जायगा। इसमें खसरा नम्बर तोड़ने की बात है, जो मुरब्बे का नम्बर है वह नहीं तोड़ा जायगा, कोशिश की जायगी इकट्ठा रखने की, उसको एक आदमी को देने की-इससे एक बहुत बड़ी असुविधा होने वाली है। मैं यह भी बात कहूंगा, जैसा कहा, टेनेन्ट को काश्त के लिए जमीन दे दी गई, तो इम्प्रूवमेंट के अधिकार को तहसीलदार को दिया गया है, जिसका चाहे इम्प्रूवमेंट कह दे, वह इम्प्रूवमेंट मालिक पर पड़ जायगा। यह बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया है। मैं इसे उचित नहीं समझता। मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां आज जरूरत है नया टेनेन्सी बिल बनाने की आज जरूरत है, टिलर के पास जमीन जाये, यह जरूरत है कि किसी प्रकार जमीन पर रोक लगाई जाय, और जो स्वयं काश्त नहीं करता है उसके पास जमीन नहीं रहे लेकिन जिनके पास रहे उनके पास अधिकार होना चाहिए, उनको अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। छोटे छोटे मामले में तहसीलदार रिवीजन में हस्तक्षेप करे, और इम्प्रूवमेंट के बारे में हस्तक्षेप करे, जो हरिजनों की जमीन है वह हक सफे के बिना पर दूसरे के पास चली जाय-तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इन बातों को सामने रखते हुए मैं निवेदन करूंगा, यह बिल प्रवर समिति के पास जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

(अनुपस्थित)

श्री **शंकरलाल** (पाली) :

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी, आप तशरीफ रखिये।

श्री परसराम मदेरणा : जिन माननीय सदस्यों ने मोशन मूव किये हैं····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तशरीफ रखिये।

श्री रामनारायण चौधरी : रिप्लाई शुरू करवा रहे हैं। अभी तो शंकरलाल जी बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दो-तीन अन्य माननीय सदस्यों का प्रस्ताव है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन करूं, जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल को सलेक्ट कमेटी को भेजने का मोशन मूव किया है, उन माननीय सदस्यों ने कहा है कि राज्य सरकार इस मोशन को स्वीकार करे। तो सलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। उसके बाद यह बिल सलेक्ट कमेटी में जायगा, सलेक्ट कमेटी में विचार होगा और सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ, उसके सजेशन को एडाप्ट करके यह बिल फिर सदन में पेश होगा और माननीय सदस्यों को इस पर चर्चा करने के लिए अपार्चुनिटी रहेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है, उस पर वैसे वह विचार रख सकते हैं, मैं नहीं कहता कि वह विचार नहीं रखें, मैं उन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहता, लेकिन अभी वह विचार रखने की उपयोगिता नहीं है क्योंकि सलेक्ट कमेटी में इस पर सलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स के द्वारा विचार होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ऐसा मालूम होता है मंत्री महोदय जो मरा हुआ सांप आपके गले में डाल कर चले गये हैं, उसके कारण आप बेचैन नजर आ रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : इससे परपज सर्व हो गया।

श्री शंकरलाल (पाली) : जैसे मंत्री महोदय ने फरमाया कि वह इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को दे रहे हैं लेकिन इसके साथ-साथ जो बातें ध्यान में रखनी हैं कि कौनसे बिल को आपको रखना है, वह मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। वैसे मैंने कल जब यह बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ था तब भी आपत्ति की थी और इस सिलेक्ट कमेटी के लिए वापस हमने प्रस्ताव रखा क्योंकि हम चाहते थे कि टेनेन्सी बिल जल्दी से जल्दी अपने यहां पर पारित हो। 1962 में जिसके लिए एक कमेटी का निर्माण हुआ और जिसके बाद में 1969 के अन्दर बिल बना तो सिलेक्ट कमेटी में गया। सिलेक्ट कमेटी की 10 मीटिंगें हुईं। बहुत से माननीय जो उस समय थे और जो माननीय सदस्य उनमें से काफी अब भी सदस्य हैं, उस पर विचार प्रकट किए। कल यह कह दिया गया कि उस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट तो लैप्स हो गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिल आप लाए हैं अगर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को आप बिल मानकर वह यहां पर इन्ट्रोड्यूस कर देते वह तो कर सकते थे और इतना समय सदन का और सिलेक्ट कमेटी का नहीं लगता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य का साफ मतलब है कि मौजूदा गवर्नमेंट, मौजूदा राजस्व मंत्री सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं।

श्री शंकरलाल : वह बात दूसरी है कि सहमत हैं या नहीं लेकिन एक सिलेक्ट कमेटी बनी थी उसकी 10 बैठकें हुई थीं उसने काफी विचार-विमर्श किया था। रामानंदजी भी उसमें थे, प्रोफेसर केदारनाथ भी उसमें थे उस समय के उप-राजस्व मंत्री

(श्री शंकरलाल)

गंगोरामजी भी थे, अध्यक्ष महोदय जो उस समय राजस्व मंत्री थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: घड़े पर घड़ा, घड़े पर घड़ा और घड़े पर खाट, सिलेक्ट कमेटी पर सिलेक्ट कमेटी और फिर सिलेक्ट कमेटी पर सिलेक्ट कमेटी। अंतहीन सिलेक्ट कमेटियों का क्रम है।

श्री शंकरलाल : इसलिए मैं उचित समझता था कि देरी को कम करने के लिए जो बिल हमारे सामने लाए हैं वह मंत्री महोदय वापस लें और सिलेक्ट कमेटी ने जिस बिल को रूप दिया है उसको यहां इन्ट्रोड्यूस करें और यह भी मैं उचित मानता हूं कि इस बिल को मौजुदा बदलती हुई परिस्थितियों में सिलेक्ट कमेटी को पुनः थोड़े दिन के लिए देना पड़ेगा। उस समय सिलेक्ट कमेटी में कम समय लगेगा और वह इसलिए देना पड़ेगा कि उस बिल की रिपोर्ट जो हमने पेश की थी 1970 में और आज 1972 है। उसके बाद हमारे देश में भूमि सुधारों के बारे में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हमारी कांग्रेस पार्टी में आया है और हमारी कांग्रेस सरकार में भी आया है। हमारे चुनाव घोषणा-पत्र जो संसद के चुनावों के समय था, उसके बाद विधान सभा के चुनावों के साथ था, उसके अन्दर भूमि सुधारों के लिए जो क्रांतिकारी विचारधारा आई, उससे हम कमिटेड हैं। इसलिए सिलेक्ट कमेटी के रिपोर्ट को बिल माना जाए और उसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाए और उन आदर्शों व नीतियों के अनुसार जो वर्तमान हालात में क्या चेंजिज लाने की जरूरत है, इसमें की जायेंगी। मैं केवल कुछ बातें उदाहरण के लिए कहूंगा। एक बात और है। कुछ माननीय सदस्यों ने वार्तालाप के जरिए इस बात की जानकारी चाही कि टेनेन्सी बिल हम 1972 विधेयक के नाम से लाए हैं। साथ ही सीलिंग बिल उसको टेनेन्सी संशोधन बिल बोलकर वह भी सदन में इन्ट्रोड्यूस किया है। इस समय सदन के सामने दो टेनेन्सी बिल्स हैं एक ही साल के टेनेन्सी बिल 1972 और दूसरा टेनेन्सी संशोधन बिल 1972। कई माननीय सदस्यों ने कहा यह कौनसा टेनेन्सी बिल आज आ-रहा है, सीलिंग का है या नहीं। माननीय सदस्यों की गलती नहीं है। यह कन्फ्यूजन स्वाभाविक है। हमने सीलिंग कानून को अलग रूप न देकर जो हमारा टेनेन्सी बिल है उसमें संशोधन किया। 1955 का जो मूल एक्ट है उसको 1960 में संशोधन करके सीलिंग कानून लाए थर्ड चेप्टर 30 बी। तो जो हमारा सीलिंग कानून है वह आपके सीलिंग लॉ के आधार पर टेनेन्सी बिल को ला रहे हैं तो सीलिंग कानून भी उसके साथ लाया जाए जिससे कन्फ्यूजन न हो वरना और कन्फ्यूजन होने की गुंजाइश है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो देरी हो जाएगी।

श्री शंकरलाल : यह जो सिलेक्ट कमेटी का बिल है उसको अगर अपने मूल बिल के रूप में मान लेते हैं तो उसके अन्दर फिर ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी और थोड़ा सा मामूली समय भी लग जाएगा तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा वरना भारी कन्फ्यूजन इस मामले में है। हम न तो अलग लॉ लाये हैं इसलिए मैं चाहता हूं

(श्री शंकरलाल)

कि यह जो सिलेक्ट कमेटी का बिल है उसको मूल रूप में लाया जाए।

कुछ और बातें पेश करना चाहूंगा जो इस बिल और सिलेक्ट कमेटी बिल से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : यह इसका स्कोप नहीं है। आपका संशोधन सिलेक्ट कमेटी के लिए था।

श्री शंकरलाल : लेकिन सिलेक्ट कमेटी को क्यों सुपुर्द किया जाए इस बारे में अपने विचार रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके विचार इसके विपरीत हैं।

श्री शंकरलाल : दूसरी जो विचार-धारायें हैं, मैं केवल एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। सिलेक्ट कमेटी को सौंपने के बाद जो विचारधारा आएगी, हमारा मुख्य उद्देश्य है जैसे जनसंघ के माननीय सदस्य ने कहा एग्रीकल्चरिस्ट की डेफीनेशन काफी ठीक है। मैं वर्त्तमान बदलती हुई परिस्थितियों में उसको भी उचित नहीं समझता। जैसे होली और मेनली। अपन को मेनली लैंड टु दी टिलर का जो सिद्धान्त है, उसको मेनली अपनाकर सारे बिल को लागू करें सब-लेटिंग क्या, दूसरा क्या सब मालूम हो जाएगा। इसलिए उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट कमेटी वाले बिल को लेना चाहिए। इसमें सरकार से, विभाग की तरफ से या अनजाने में कितनी गलती हुई है कि सन् 1955 के कानून में दफा 37 थी कि टेनेन्ट का राइट किसी कोर्ट में सीजर या एटेचमेंट में आएगा। यह जो बिल पेश किया है उसमें से उसको हटाया गया, सिलेक्ट कमेटी रिपोर्ट में था। सिलेक्ट कमेटी ने एड किया एक धारा कि जो टेनेन्ट का राइट था एटलिस्ट वह कि सिविल कोर्ट से उसका राइट सीज न हो उसका एटेचमेंट न हो। इस तरह की कई मूल बातें हैं। तो वर्त्तमान बिल 1955 के बिल से भी गया गुजरा रद्दी बिल है इससे तो 1955 वाला बिल अच्छा था इसलिए यदि बिल लाना चाहते हैं तो सिलेक्ट कमेटी वाला लायें, सिलेक्ट कमेटी को सौंपे और दोनों बिल्स साथ-साथ सौंपकर बहुत जल्दी हम रात-दिन बैठेंगे और एक सप्ताह या 10 दिन के अन्दर सारी चीज को देखें जिससे हमेशा के लिये कन्फ्यूजन और गलतियां दूर हो जायं क्यों कि समय कम है इसलिए मुद्दे की बात कह कर आशा करता हूं कि सिलेक्ट कमेटी वाला बिल सिलेक्ट कमेटी को सौंपेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : कृषक की व्याख्या जो की गई, उसके आधार पर ऐसे सज्जन होंगे जिनके फार्म होंगे, ब्लेक मनी को व्हाइट करते हैं, वह सारी चीज खतम हो जाएगी, मंत्रियों के फार्म भी चले जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री जगमोहनसिंह के खड़े होने पर) क्या मंत्री महोदय के कथन के पश्चात् कुछ कहना चाहेंगे।

श्री जगमोहनसिंह : प्रवर समिति को भेजा जाए, उसके लिए कारण थे। आप कहें तो बाद में कहूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूं कि इस बिल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के इस सदन में स्वीकार होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है और इसलिए ऐसे बिल के लिए यहां इन्ट्रोड्यूस होने से पहले केन्द्र से क्लीयरेन्स लेनी चाहिए। तो क्या यह बिल जो आप पेश कर रहे हैं, इसकी आपने केन्द्र से क्लीयरेन्स ली है, इस बारे में आप बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्षजी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये संशोधन पेश किया है। पहले मैं पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजा जाय इस संशोधन के बारे में निवेदन करूंगा। दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कुछ मुद्दे उठाये हैं। उसमें यह कहा कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को रेफर दो बार किया जा चुका है। यह बात सही है कि इस बिल को दो बार सलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया, पहली दफा जब सलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया और उस वक्त सलेक्ट कमेटी ने कुछ संशोधन इस बिल में किये पर वह रिपोर्ट एडोप्ट नहीं हो सकी और इस प्रकार रिपोर्ट लेप्स हो गई। दूसरी बार सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट तैयार हुई पर किन्हीं कारणों से वह भी लेप्स हो गई और यह बिल ऐज एमेन्डेड पास नहीं हो सका। अब यहां कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि जो सलेक्ट कमेटी ने अपनी रिकमन्डेशन्स की थी उन्हीं को इस बिल में इनकार्पोरेट कर लेना चाहिये। पर किन्हीं कारणों से इनकारपोरेट नहीं किया जा सका। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि सलेक्ट कमेटी की रिकमन्डेशन्स को ही इस बिल में इनकार्पोरेट कर लेते हैं। यह मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सलेक्ट कमेटी की रिकमन्डेशन्स वाजिब होती है और सलेक्ट कमेटी इस हाउस की मिनियेचर होती है। ये आपोजीशन में बैठने वाले जो सदस्य पिछली विधान सभा में थे, जानते ही हैं कि सलेक्ट कमेटी की मीटिंग में किस प्रकार काम होता है। जैसे रामानन्दजी, श्री केदारनाथ, श्री महारावल साहब....

श्री केदारनाथ : अबकी बार पिछली विधान सभा के 3-4 बचे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : बचने की गुंजाइश तो नहीं थी पर मैं जानता हूं कि श्री केदार, रामानन्दजी अपने-अपने क्षेत्र में काफी पापुलर होने की वजह से आ गये वरना जो अबकी बार जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी किया। खैर तो मैं निवेदन कर रहा था कि सलेक्ट कमेटी ने जो रिकमन्डेशन्स की उसके बारे में तो इसी बीच सिविल कोर्ट को ज्यूरीशडिक्शन इस पर लागू नहीं होगा। अभी एक्जीक्यूटिव और ज्यूडिशियल के सेपरेशन की बात उन्होंने की तो फिर किसका ज्युरिशडिक्शन तक इसमें रखे जाय। इसलिये इसमें कुछ संशोधन करने थे। दूसरे रेवेन्यू लॉ कमीशन, जो अपनी रिकमन्डेशन की है, तहसीलदार को पावर ही नहीं होनी चाहिये खातेदार के इजेक्टमेन्ट की।

श्री शंकरलाल : जहां पर प्रोपर्टीज का मामला हो देट शुड वी रेफर्ड टू सिविल कोर्ट बाकी के बारे में....

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये। तो मेरा निवेदन है कि जो रेवेन्यू लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसने जो रिकमन्डेशन्स की है उसको सलेक्ट कमेटी में इन-कोर्पोरेट किया जाय। लेकिन सलेक्ट कमेटी ने उसे तरमीम किया कुछ इम्प्रूवमेन्ट किया। इसके अलावा सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने सोइल कन्जरवेशन के बारे में कहा। तो मेरा निवेदन है कि कहीं पर क्रोप पेटर्न की बात भी है कि जहां पर वाटर लागिंग है वहां-वहां पर चावल की खेती की जाय। इसके लिये काश्तकारों को कहा गया पर वे राजी नहीं हुए। इसके अलावा टिनेन्सी बिल से ऐसी व्यवस्था हो कि लैण्ड का पूरा यूटिलाईजेशन हो और लैण्ड यूटिलाइजेशन को रिवोक किया जावे। तो इसके लिये लैण्ड यूटिलाईजेशन एक्ट के प्रोविजन्स और इस बिल के प्रोविजन्स एनेलोगस प्रोविजन्स है तो इसके लिये एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट देखेगा, लैण्ड के इम्प्रूवमेन्ट प्रोग्राम भी शुरू हुए हैं। तो इस प्रकार निवेदन है कि लैण्ड के इम्प्रूवमेन्ट की बात के लिये हम अगर इस बिल को सलेक्ट कमेटी को दे दें तो मैं समझता हूँ कि जो और इम्प्रूवमेन्ट हम इसमें करना चाहें वे इन-कोर्पोरेट कर लें। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। करीब 10 दिन का समय लगेगा और अगर हम क्लाज बाई क्लाज करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा और वहां पर सलेक्ट कमेटी के सामने सभी मुद्दों पर विचार करके रिपोर्ट तैयार कर ली जायगी। जो एमेन्डमेन्ट करने हैं और जो टिनेन्सी बिल में इन-कोर्पोरेट करने हैं, कर लिये जायेंगे। नया हाउस आया और मेम्बर्ज नये होंगे, इसलिये सलेक्ट कमेटी में ज्यादा विचार किया जा सकेगा। राज्य सरकार की यह बिल्कुल इच्छा नहीं है कि टिनेन्सी बिल धीरे-धीरे पास हो। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बिल पास हो। नहीं तो अगर सदन में यह बिल रखा गया तो पहले तो कन्सीडरेशन के स्टेज पर समय लगेगा और दूसरे यहां....

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या गवर्नमेन्ट इसमें जो अभी लेटेस्ट थिंकिंग को भी इनकार्पोरेट कर लेगी।

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेन्ट जो लेटेस्ट थिंकींग की आप बात कर रहे हैं वो आजकल सिस्टम ऑफ टेन्योर के बारे में हैं जो सेक्शन 15 ए और 19 के सेक्शन के बारे में है कि सेक्शन 15-ए और सेक्शन 19 के प्रोविजन्स को बाहर क्यों रखा है। मैंने अलवर से आने वाले माननीय सदस्य का नोट ऑफ डिसेन्ट भी पढ़ा है जिसमें सेक्शन 15-ए और 19 की चर्चा की है। लेकिन लैण्ड इम्प्रूवमेन्ट के यह दोनों प्रोविजन्स एक दूसरे के ऑफ स्प्रींग हैं। एक दूसरे के कोरिलेटेड हैं। इसलिये इसको इस बिल में तब तक न लिया जाय जब तक कि इस बिल में जो कमी है उसको पूरा न कर लिया जाय। रेवेन्यू लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसके साथ इस बिल को ड्राफ्ट किया है और जब सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट तैयार होगी जब इस बिल के बारे में जो सलेक्ट कमेटी 1969 में बैठी थी उसकी रिपोर्ट की कॉपी आपके सामने होगी। ताकि इसमें जो इम्प्रूवमेन्ट पहले सलेक्ट कमेटी ने किये हैं वे भी इन कोर्पोरेट कर लिया जाय। मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन कर दूं, नया हाउस है, नये-नये मेम्बर्स इलेक्ट होकर आये हैं वे भी सलेक्ट कमेटी अब जो बने अपने विचार इसमें

(श्री परसराम मदेरणा)

रखेंगे और फिर इसकी रिपोर्ट तैयार की जायेगी। हालांकि इस कमेटी का चेयरमेन मैं नहीं होऊंगा, दूसरे मन्त्री मीटिंग में होंगे फिर भी इतना आश्वासन दे सकता हूं कि पुरानी सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट माननीय सदस्यों के हाथ में रहेगी ताकि संशोधन करने पर ज्यादा समय नहीं लगे और ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेन्ट इसमें किया जा सके।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह टेनेन्सी बिल पर कितनी सेलेक्ट कमेटियां रिपोर्ट देंगी। आखिर कोई कार्यवाही तो पूर्ण हो। मैं जब पिछली विधान सभा से गया तब सलेक्ट कमेटी रिपोर्ट हाथ में लेकर गया था सन् 59 में और बाद में मुझे यह हांसिल हुई। तो यह चेन रिएक्शन हो रहा है यह कब तक चलता रहेगा।

श्री परसराम मदेरणा : जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने दो-तीन मुद्दे यहां पर उठाये। एक तो ग्रोव होल्डर्स के बारे में था।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जारी रखने वाला अजीब हो जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रोव होल्डर्स के बारे में बात कही। सीलिंग लॉ के परव्यू से एक्जम्प्ट नहीं किया है। ग्रोव होल्डर्स के अमेन्टमेन्ड आॅफ रेन्ट के बारे में भी कहा। यहां पर सीलिंग कानून के सम्बन्ध में बात कही और माननीय सदस्यों ने पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने, सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने, और रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा दो एक्ट रहेंगे टेनेन्सी के। अभी जो स्कीम आॅफ थीम है उसके अनुसार दो बिल रहेंगे। बहुत सोच कर प्रावधान रखे गये हैं। कौन-कौन से मौजूदा अधिनियम रिपील होंगे। क्लॉज 4 रिपील नहीं किया जावेगा। सेक्शन 30 रिपील नहीं किया जावेगा। 15 को भी नहीं किया जायगा जिसमें खातेदारी का है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है हाईकोर्ट में गये थे। विषम स्थिति खड़ी हो गयी थी। दूसरा जैसा अभी निवेदन किया कि सिस्टम आॅफ टेन्योर के लिये यह नया लाया गया, कॉन्स्टिट्युशन का एम्ब्रेला है। हाईकोर्ट में चेलेन्ज न हो जाय।

श्री शंकरलाल : 25वें संशोधन बिल के आने के बाद यह नहीं होगा। 70 में प्रोटेक्टेड था।

श्री परसराम मदेरणा : कॉन्स्टिट्यूशनल चेन्जेज पर सदन में चर्चा होनी है। उस पर फिर विचार करेंगे।

माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट नं० 3 आॅफ 1955 मेन बिल का पार्ट बन जाना चाहिये। उनका सजेशन ठीक नहीं है। अल्ट्रा सोशियल थीम्स हैं। आपकी भावना को मान लिया जाय तो बड़ा भारी कुठाराघात होगा इसलिये नहीं मान सकता।

यह भी कहा गया कि शिड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग ईसाई बन जाते हैं। माननीय सदस्य इस समय चले गये हैं जिन्होंने यह प्रश्न उठाया था। नये बिल में इसका प्रावधान है। दो प्रकार की पोजिशन है।

(श्री परसराम मदेरणा)
जमीन के सम्बन्ध में तो शिड्युल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोग ईसाई बन जाते हैं, और मेडीकल में एडमिशन के लिये सवर्ण शिड्युल्ड कास्ट बन जाते हैं। चेन्ज ऑफ रिलीजन करेंगे उनको परमीशन नहीं दी जावेगी। प्रोविजन इसमें है।

श्री सुशीलाल : इसमें कहा गया है....

श्री परसराम मदेरणा : मेरे रिप्लाई के बाद आप जो भी ओब्जेक्शन या प्रश्न करना चाहें करें लेकिन पहले मुझे रिप्लाई देने दीजिये।

पिपुल्स कमेटी के बारे में बात कहीं। लैंड लॉज बनाना चाहिये। पहले रूल्स थे उनमें परिवर्तन कर दिया। एप्लीकेशन देंगे, खसरा नम्बर देंगे, उसमें मेन्शन करेंगे। यह सब हटा दिया है अलॉटमेन्ट कमेटी गांव में एप्लीकेशन लेकर गरीब आदमी है, देख लेगी उसके बाद अलॉटमेन्ट का किया गया है, इससे कम देरी होगी। पिपुल्स कमेटी की आवश्यकता हो तो इसको सिलेक्ट कमेटी में सोचा जा सकता है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक मुद्दा उठाया। चाहे उसको बंटाई सिस्टम कहिये, सब-टेनेन्सी कहिये, कुछ भी कहिये। उनका मतलब था कि जो सब-टिनेन्ट्स हैं उसके टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं है। मेन पोइन्ट था उसको इलेबोरेट किया है माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूं। कौनसा बेस इयर होना चाहिये। 15 ओक्टोबर, 1955 को एक्ट लागू हुआ। रजिस्टर सब-टिनेन्ट्स का रखा नहीं जाता और बेस माना नहीं गया। एक्स्प्लोइट होते चले जावेंगे। यह पूरा का पूरा मामला राज्य सरकार की केबिनेट के सामने विचाराधीन है कि क्रोप शेयर्स को भी खातेदारी राइट्स दिये जायं या नहीं दिये जायं ? डेट लैण्ड्स में जो काश्त कर रहे हैं उनको खातेदारी राइट्स दे दिये जायं और ग्रोव लैंड में भी, इस प्रकार चार मामले हैं जो केबिनेट के सामने विचाराधीन हैं। जो भी निर्णय होगा उसको बिल के रूप में राज्य सरकार प्रस्तुत करेगी और इन्टरप्रेट करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से टिनेन्सी के बारे में गाइड लाइन्स प्राप्त हुई हैं, ओनरशिप इन्टरमिजियरी खत्म कर दिये जायं, रेगुलेशन ऑफ रेन्ट्स। ऐसी डाइरेक्शन्स राज्य सरकार को मिली हैं।

श्री परसराम मदेरणा : क्लाज 53 बी में इसका प्रावधान है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो लगान के रेगूलेशन की बात कह रहे हैं काइन्ड में नहीं दिया जाय, केश में दिया जाय....

श्री रामानन्द अग्रवाल : एग्जिस्टिंग टिनेन्सी एक्ट में दुगुना लिया जाता है और इसमें तिगुना कर दिया है। यह रिफार्म किया है, दुगुना के बजाय तिगुना कर दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य उसके मेम्बर थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने ऑपोज किया।

श्री परसराम मदेरणा : प्लानिंग कमीशन और वर्किंग कमेटी ने भी डिसि-

(श्री परसराम मदेरणा)
जन दिया। नोट ऑफ डिसेन्ट पेश किया। जागीरदारी और बिस्वेदारी थी, समाप्त हो गई इसमें दो राय नहीं है। एडीश्नल थे उनका भी कोई नाम निशान नहीं है। जागीरदारी के समय में कोई किसान अगर पानी के लिये टांका बना लेता था तो नहीं बना सकता था। इन सिक्योरिटी थी, जिसने टांका बनाया उसको निकाल दिया। जागीरी गांवों में यह हाल था। पर्सनल हवाले होते थे। खालसा में मकान बना सकते थे। डेजर्ट एरिया में पानी की किल्लत है। इन्टर-मिडियरीज थे वे एबोलिश हुए। सब-टिनेन्ट वाला मामला रहता है यह सरकार के विचाराधीन है। सिलेक्ट कमेटी को इस पर जल्दी निर्णय लेकर सूचित कर दिया जायगा।

यहां पर लैण्ड टू दी टिलर्स के सम्बन्ध में भी एक बात कही गई। सबलेटिंग का क्लास 27 में प्रावधान है और वह एक्सेपशनल हालत के अन्दर रखा है जैसे कोई माइनर हो, मिलिट्री में हो, ल्यूनेटिक हो, विडो हो या मैरिड हो लेकिन सेपरेट हो गया हो– ऐसे मामले उनमें रखे हैं। इसमें और भी संशोधन करने हों तो माननीय सदस्य सलेक्ट कमेटी में अपनी राय दे सकते हैं।

भुगतान के सम्बन्ध में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही और इसका उल्लेख इसमें इसलिये नहीं हैं कि रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट के अन्दर अलग से प्रावधान है। इससे इसका सम्बन्ध है नहीं। यह हो सकता है कि खुदकाश्त के लिये कुछ आदमी, जो इसके लिये मुस्तहक नहीं थे, उन्होंने जमीन अलॉट कराली। इस तरह का मामला मेरे सामने भी आया था और यह प्रश्न भी राज्य सरकार के सामने विचाराधीन है कि जागीर रिजम्पशन एक्ट के अन्दर कोई संशोधन किया जाय या नहीं किया जाय और इसको रिट्रास्पेक्टिवली इफेक्ट दिया जा सकता है या नहीं यह भी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। तो सब-टीनेन्ट्स के सम्बन्ध में जैसा मैंने निवेदन किया और यही एक मुद्दा था जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर उठाया था। इसके साथ ही साथ अब वह मोशन के जरिये इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये भिजवाना चाहते हैं। माननीय सदस्य के इस सुझाव को मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य खुद कमीशन के मेम्बर थे और कमीशन ने क्वेश्चन रेज किया था और 8 हजार प्रतियां बंटवाई थी वह पार्लियामेंट के मेम्बर्स को, असेम्बली के मेम्बर्स को, जिला परिषदों को, सभी प्रधानों को, सभी पंचायतों को, जो कि संख्या में 7392 के आस पास हैं और आल रिकग्नाईज्ड पार्टीज हैं—इन सब को क्वेश्चेनेयर भेजा गया था। उसमें से 530 रिप्लाईज कमीशन को प्राप्त हुई थी और कमीशन ने 38 विटनेसेस को भी एग्जामिन किया था। इसलिये पब्लिक ओपीनियन के लिये भिजवाने की आवश्यकता इसलिये नहीं है कि यह सदन भी जनता का रिप्रेजेन्टेशन करता है और यह सदन एक आगस्ट बाडी है और यहां के ही माननीय सदस्य सलेक्ट कमेटी में होंगे जहां वे अपनी राय दे सकते हैं और राज्य सरकार का ऐसा मानना है कि पब्लिक की

(श्री परसराम मदेरणा)

भावनाओं का इसमें पूरी तरह से समावेश होगा। इसलिये मेरा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन है कि वह अपने मोशन को मेरे इस एक्सप्लेशन के बाद विथड्रा कर लें। इसलिये पब्लिक ओपिनियन के लिये जो मोशन है उसको एक्सेप्ट करने में असमर्थ हूं। लेकिन जो सलेक्ट कमेटी को भेजने के लिये जो प्रस्ताव गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने, सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने, रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने और हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है यह मैं स्वीकार करता हूं जो सलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट आगामी सत्र में दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं अपना मोशन वापिस ले लूंगा क्या सैन्टर से बाद में राष्ट्रपति की सैंक्शन हो गयी है इस बिल के लिए तो क्या आपने ऐसे बिल जो कि राष्ट्रपति की बाद में सैंक्शन होती है उसका प्रासीजर तय किया हुआ है कि उसकी पहले क्लियरेन्स सैन्टर के प्लानिंग कमीशन से प्राप्त करते हैं। यह बिल जो आपने अब इन्ट्रोड्यूस किया है क्या रीसैन्टली आपने इसकी क्लियरेन्स ले ली है? तो आप यह बतायें कि आपने क्लियरेन्स ली है या नहीं?

श्री परसराम मदेरणा : हिन्दुस्तान के संविधान के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि प्रायर एप्रूवल ली जावे और जिस समय एप्रूवल के लिए जायेगा कोई भी अमेन्डमेन्ट वाली बात होगी तो उसको देखा जायेगा। स्टेट सब्जेक्ट हैं। आपने कहा कि जहां तक सैन्ट्रल गवर्नमेंट की पालिसी है अगर आप वहां भेजते तो पालिसी को यहां इम्पलीमेंट नहीं कर रहे हैं और उनकी गाइड लाइन को फोलो नहीं किया गया है-ऐसा माननीय सदस्य द्वारा कहा गया तो यह कोई सैन्ट्रल एक्ट नहीं है। सैन्ट्रल गवर्नमेंट लैण्ड रिफार्म्स के बारे में समय समय पर प्लानिंग कमीशन के मार्फत अपने विचारों को राज्य सरकार के सामने रखती है। राज्य सरकार ने प्लानिंग कमीशन के आदेशानुसार हमेशा अमेण्डमेन्ट किये हैं और उनकी अनुपालना भी करती रही है। दूसरा बिल आपके सामने आ रहा है क्योंकि इस बिल से वह कवर नहीं हो रहा है इसलिए चैप्टर 3 के संबंध में और 3 (बी) के संबंध में जो लैण्ड रिफार्म्स कमेटी के सजेशन्स हैं वह तो राजस्थान टैनेन्सी अमेन्डमेन्ट बिल 1972 जो आ रहा है उसमें इस बात का समावेश है और परसों उस बिल के ऊपर भी इस सदन के अन्दर चर्चा होने वाली है। तो उपयुक्त समय वह होगा उस समय आप अपने विचार लैण्ड रिफार्म्स के बारे में रखें। यह तो सिस्टम आफ टैनेन्सी के बारे में है और भी दूसरे माननीय सदस्यों के विचार होंगे तो सलेक्ट कमेटी के द्वारा इनकारपोरेट कर लिये जायेगें इसलिये पब्लिक ओपिनियन वाला मोशन तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता और उसे माननीय सदस्य अलवर से आने वाले वापिस ले लें और जो मोशन सलेक्ट कमेटी में भेजने का है उसे मैं स्वीकार करता हूं जो सलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट अगले सत्र में पेश करे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जो प्रस्ताव माननीय रामानन्द जी

(श्री उपाध्यक्ष)
ने बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजने का रखा है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

स्वीकृत

(प्रस्ताव वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गयी)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन अगले सत्र में पेश करे ?

स्वीकृत

(विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांयकाल 6.47 बजे बुधवार, दिनांक 24 मई, 1972 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 697 की सूची)

जमा डम्प रिमूवल फण्ड की राशि का विवरण निम्न प्रकार हैं—

रु० 2,77,600/—दिनांक 31/3/64 तक

28,000/—दिनांक 1/4/64 से 3/7/70 तक

3,400/—दिनांक 4/7/70 से 31/3/71 तक

7,800/—दिनांक 1/4/71 से 31/3/72 तक

200/—दिनांक 1/4/72 से 15/5/72 तक

योग 3,17,000/—

परिशिष्ट—2

(समयाभाव के कारण न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों के पास सचिवों तथा निजी सहायकों की नियुक्ति

703. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मंत्रियों व राज्य मंत्रियों के पास निजी सचिव व निजी सहायक की नियुक्ति के लिए कोई नियम बने हुये हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उनकी पूर्ण रूप से पालना हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मंत्रियों के पास निजी सचिव व निजी सहायकों के लिये बने नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, उक्त नियमों की यथा सम्भव पालना की जाती है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

APPOINTMENTS (A. V.) DEPARTMENT

No. F. 4 (12) Apptts. (C)/53-Pt. II Dated Jaipur, 1-12-1969

ORDER

In supersession of all Government orders issued from time to time on the subject, Government are

pleased to order that henceforth appointments to the post of Private Secretary/Personal Assistant to Minister/Minister of State/Dy. Minister shall be regulated as under:—

I. (A) *Eligibility of a Government servant to be appointed as Private Secretary—*

(1) On selection by the Minister/Minister of State/Dy. Minister, a Government servant from one of the following categories may be appointed as Private Secretary—

(a) (i) Substantive on a Gazetted post;

(ii) Officiating on a Gazetted post but having line on a non-gazetted post;

iii) Temporary on a Gazetted post provided such temporary appointment is with the concurrence of Rajasthan Public Service Commission or in accordance with provisions of relevant service rules regarding recruitment where the post is outside the purview of the Rajasthan Public Service Commission. Persons who has been appointed on a gazetted post on adhoc basis, shall not be eligible under this clause. Provided that Gazetted post for the purpose of this clause means a post which is equivalent or lower than

that of an Assistant Secretary to Government.

(b) Substantive Senior Stenographer is Secretariat with five years service as Senior Stenographer:

Provided that Service rendered as Stenographer Gr. I or Gr. II prior to designating the post as Senior Stenographer will be taken into account in Computing the period of 5 years as Senior Stenographer.

(2) **Pay :—**

During the tenure of appointment as Private Secretary the Officer will be entitled to receive such pay which would be admissible to him on the post held by him prior to his being appointed as Private Secretary. A special pay will also be admissible in accordance with rules regulating pay of Government servants in force from time to time.

(3) **Tenure of appointments as Private Secretary :**

A Government servant covered by sub-paragraph (A) (1), above on his being appointed as Private Secretary will hold the post during the pleasure of the Minister/Minister of State/Dpeuty Minister concerned; provided that, if he was holding a Gazetted post in an officiating capacity of temporary capacity prior

to his appointment as Private Secretary the period for which he may hold the post will be restricted to the period during which he would have actually officiating on the gazetted post or held the temporary gazetted post as the case may be.

(4) Appointment to the post of Private Secretary will not confer on the incumbent any right of seniority over others in the cadre to which he substantively belong.

(B) *Eligibility of Government servants to be appointed as Personal Assistant.*

(i) Government holding post of Stenographer or Senior Stenographer in the Secretariat shall only be appointed as a Personal Assistant.

(1) Provided that if a Minister so desires, he can have an Assistant of the Secretariat posted in his office in place of one of his Personal Assistant.

(2) Provided further that the Government pay as a Special case appoint an Upper Division Clerk or a Lower Division Clerk of the Secretariat as a presonal assistant to Minister/Minister of State/Dy. Minister.

(ii) Appointment to the post of Personal Assistant will not confer, on

Page No 157

the incumbent of the post, any right of seniority over others in the cadre to which he substantively belongs.

(iii) The Government servant covereed by sub-para B (i) above, on being appointed as Personal Assistant, shall be entitled to received pay would have been admissible to him as Stenographer/Senior Stenographer/Assistant. Special pay will also be admissible in accordance with rules regulating pay of Government servants in force from time to time.

II. Appointment as Private Secretary or Personal Assistant of a person not in service of the Government of Rajasthan.

A Minister/Minister of State/Deputy Minister may select a person not in service of Government of Rajasthan, at his discretion, for appointment as his Private Secretary or Personal Assistant on a contact basis and on such pay as may be determined by him but not exceeding Rs. 500/- per month in the case of private Secretary and not exceeding Rs. 385/- per month in the case of Personal Assistant with facilities for Dearness Allowance, House Rent Allowance and City Compensation Allowance as my be admissible to Government servants on such pay from time to time. Provided that a person retired from service of

Government of Rajasthan, other State Governments or Government of India. If appointed as Private Secretary or Personal Assistant shall be permitted to draw separately any pension and Death Cum Retirement Gratuity sanctioned to him and to retain any other form of retirement benefit for which he is eligible e. g. Government Contribution and Special Contributions to a Contributory Provident Fund, Gratuity, Commuted value of Pension etc. provided that the total amount of pay plus gross amount of pension and/or pension equivalent of other forms of retirement benefit does not exceed Rs. 500 in the case of Private Secretary and Rs. 385 in the case of Personal Assistant.

The appointment shall be subject to the following further conditions:—

(1) **Nationality:**— A candidate for appointment to the post of Private Secretary or Personal Assistant must be:—

(a) a citizen of India; or

(b) a Subject of Sikkim, or

(c) a Subject of the State of Pondicherry; or

(d) a person of India origin who has migrated from Pakistan with the intention of permanently settling in India; or

(e) a Subject of Nepal or a Tibatan who came over to India before 1st Jan., 1962 with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (c), (d) or (e) above must be person, in whose favour a certificate of eligibility had been given by the Government of India, and if he belongs to category (d) or (e) the certificate of eligibility will be valid only for a period of one year from the date of his appointment beyond which he can be retained in service only if he has become a citizen of India.

(2) A candidate to be appointed on contract basis must be in good mental and bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties as a Private Secretary or a Personal Assistant, as the case may be, and must produce a certificate to that effect from a Medical Authority notified by the Government for the purpose.

(3) The Appointing Authority shall issue orders for appointment of such candidates only when it is satisfied that after such enquiry, as may be considered necessary that such a candidate is suitable in all other respects for appointment to the post concerned.

The Candidate so appointed will continue to hold post as long as the Minister/Minister for State/Dy. Minister desires to utilies his service. The actual period of his appointment shall be incorporated in the contact along with a provision for giving one month's notice or in lieu thereof emoluments for the period falling short of one month's notice on the side of the candidate and issue of one month's notice or pay in lieu thereof on the side of the appointing authority, if it is desired

Page No 160

to terminate his services. In case of misconduct, inefficiency/neglect or failure of duty, service shall be terminable without any notice, after giving him an opportunity to represent in the matter. He shall have no right or claim for absorption in Government service. On termination of his appointment he shall not be entitled to any terminal benefits e. g. Provident Fund, Gratuity, Pension etc. In case of his death while in service, his family will not be entitled to Family Pension Benefits.

(4) The term of service of a pension appointed as Private Seeretary/Personal Assistant on contact basis shall be for 3 year in the first instance or till the Minister/Minister of State/Dy. Minister holds office, whichever is earlier. It can be extended for a further period of 2 years, if considered necessary.

(5) A preson appointed as Private Secretary or Personal Assistant shall have to taken an oath of Secrecy and oath of alligiance to the Indian Republic.

(6) A person appointed as Private Secretary or Personal Assistant, on contract basis, shall also be subject to the following Rajasthan Rules:—

(a) The Rajasthan T. A. Rules,

(b) The Rajasthan Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958.

(c) Rules regarding the Allotment of Government accommodation and Recovery or Rent.

(d) The Medical attendance Rules.

(e) The Rajasthan Service Rules V. I. & V. II. Chapters relating to leave admissible to these in contract service and Model agreement form to be executed by such persons as amended from time to time.

(7) A person appointed as Private Secretary/ Personal Assistant, on a contract basis shall not be eligible for any of the following concessions as are admissible to Government servants in regular employment:—

(a) Free education of children of Government employees drawing pay below Rs. 400/-

(b) Advance for purchase of conveyance or construction of house.

(c) Life Insurance with the State Insurance Department.

III. It shall not be necessary for the Rajasthan Public Service Commission to be consulted for filling up the post of Private Secretary/Personal Assistant to a Minister/Minister of State/ Deputy Minister.

IV. The Chief Minister may take decision in individual cases on merits in relaxation of these instructions.

V. **Removal of doubts:**—If any doubt arises relating to the application and scope of these instructions, it shall be referred to Government in the Appointment Department whose decision thereon shall be final.

By order of the Governor

Sd/- P. K. B. Kurup
(In hindi)
Special Secretary to Government.

Page No 162

राजस्थान महिला विद्यालय के लेखों की जांच

704. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा उपनिदेशक, उदयपुर के लेखा जांच दल ने राजस्थान महिला विद्यालय के लेखों की जांच की ?

(2) क्या यह सही है कि उस जांच के अनुसार उक्त विद्यालय के शुल्क के हिसाब में भारी मात्रा में गबन व गंभीर अनियमितताएं पाई गई थीं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या राज्य सरकार को यह जानकारी है कि राजस्थान महिला विद्यालय को केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 25,000 रुपया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1,54000/-रुपया जमा करने का कानूनी नोटिस दिया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जांच में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही विभाग के विचाराधीन हैं।

(3) अभी इस मामले पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ? जांच के पश्चात् ही कोई कार्यवाही संभव हो सकेगी।

राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर के आचार्य द्वारा व्याख्याता के साथ दुर्व्यवहार

705. श्री जैसाराम (सिवाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर के हिन्दी एवं वनस्पति शास्त्र के व्याख्याता, जो कि अनुसूचित जाति के हैं, के साथ महाविद्यालय के आचार्य द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो आचार्य को किस प्रकार दंडित किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, 1955 के अनुसार ऐसे मामलों में तुरन्त कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार बाध्य है ?

(श्री जैसाराम)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त व्याख्याताओं के द्वारा मुख्य मंत्री, शिक्षा आयुक्त एवं शिक्षा निदेशक आदि को बार-बार लिखे जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति, नई दिल्ली द्वारा इस विषय में दिनांक 10 व 11 जनवरी, 1972 को जांच की जा चुकी है और आचार्य के खिलाफ उचित कार्यवाही करने हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है ? यदि हां, तो दो माह से अधिक समय के बाद राज्य सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

(स्थगित किया गया)

श्रीराम कुटीर ट्रस्ट को आवंटित प्लॉट

706. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, जयपुर ने एक भू-खण्ड शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर पर श्रीराम कुटीर को सार्वजनिक व धार्मिक प्रयोजनार्थ आवंटित किया है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री राधेश्याम सक्सेना, एडवोकेट, सेक्रेट्री राम कुटीर गोपाल संघ कीर्तन मण्डल बनीपार्क, शिव मार्ग, जयपुर ने जनता द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-6-69 को सचिव, नगर विकास प्रन्यास, जयपुर को श्री सीताराम पटवारी द्वारा मन्दिर की जमीन पर नाजायज मकान बनाने व अवैध कब्जा हटाने की मांग की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि सचिव, नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा न्यायालय में श्री सीताराम पटवारी द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाने हेतु चालान प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो कब तथा उस पर क्या निर्णय हुआ ?

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 19-2-71 व 17-11-71 को सचिव, राम-कुटीर ट्रस्ट द्वारा नगर विकास न्यास जयपुर को इस सम्बन्ध में पुन: प्रार्थना-पत्र प्रेषित किये गये थे ? यदि हां तो उस पर क्या क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

Page No 164

(स्वायत्तशासन मंत्री)

(2) दिनांक 28-6-69 का पत्र प्राप्त होना पाया जाता है। इस पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(3) जी नहीं

(4) दिनांक 19-2-71 का पत्र प्राप्त होना पाया जाता है। इस पर की गई कार्यवाही के संबंध मे जानकारी प्राप्त की जा रही है। दिनांक 17-11-71 का पत्र प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है।

ऊंडू नल कूप से गिड़ा-कुंपलिया ग्रामीण जलदाय योजना

707. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में ऊंडू-नल कूप से गिड़ा-कुंपलिया तक की ग्रामीण जलदाय योजना कब स्वीकृत हुई थी ?

(2) अब यह नल योजना किस स्तर पर चल रही है ?

(3) क्या इसके सम्पूर्ण होने में अत्यधिक समय नहीं लग रहा ?

(4) क्या राज्य सरकार इस नल योजना को इसी मई-जून में सम्पूर्ण कराने का प्रयास युद्ध स्तर पर करेगी ?

उत्तर

(1) दिनांक 4-7-70 को 36.00 लाख रुपयों की धनराशि की स्वीकृति की गई।

(2) योजना का समस्त कार्य केवल पाइप लाइन को छोड़ कर पूर्ण किया जा चुका है।

(3) जी नहीं।

(4) योजना को पूर्ण करने के लिए हरसम्भव प्रयत्न किया जा रहा है, माह जून तक कुछ गांवों को पानी देना शुरू कर दिया जावेगा। ग्राम केसूला, उन्डू हीरा की ढ़ाणी तक पाइप लाइन टेस्टिग की जा चुकी है।

विदेश यात्रा पर गये अधिकारी

708. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1962 से लेकर अब तक की अवधि में राज्य सरकार ने कई उच्च अधिकारियों को विदेशों में भेजा था ? यदि हां तो अधिकारियों के नाम, पद, विदेश यात्रा पर हुआ खर्च तथा यात्रा का प्रयोजन एवं समय आदि दर्शाते हुए सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाये।

(2) क्या यह सही है कि इन अधिकारियों में से अधिकांश अधिकारियों का ऐसे विभागों से जिनके कि सम्बन्ध में ये यात्राएं की गई थीं यात्रा से लौटने पर अन्य विभागों में स्थानान्तरण-कर दिया गया ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों का और कब-कब ?

(3) विदेश यात्रा से कौन-कौन अधिकारी निर्धारित प्रशिक्षण एवं कार्य समाप्त होने से पूर्व ही स्वदेश क्यों लौट आये ?

(4) क्या विदेश गये अधिकारियों में से कइयों की योग्यता, व्यवहार आदि के विषय में संबंधित विदेशों से राज्य सरकार को कोई जानकारी दी गई है ? यदि हां तो क्या-क्या और किन-किन के सम्बन्ध में ?

(स्थगित किया गया)

भीमड़ा-बायतू जलप्रदाय योजना

709. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जन-स्वास्थ्य विभाग ने भू–जल मण्डल द्वारा भीमड़ा–बायतू जलप्रदाय योजना के लिये दो ट्यूब वैल खुदवाये थे जिनमें से एक ट्यूब वैल को अभी तक कमीशन नहीं किया गया ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(2) क्या जन–स्वास्थ्य विभाग उक्त ट्यूब वैल को कमीशन करना आवश्यक समझता है ? यदि हां, तो उसके द्वारा कमीशन कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(3) कब तक उक्त ट्यूब वैल को कमीशन करा दिया जायगा निश्चित तिथि से अवगत करने की कृपा करें।

(जनस्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) दोनों ही नल कूप चालू किये जा चुके हैं।

(2) नल कूप चालू किया जा चुका है।

(3) उक्त नलकूप दिनांक 4-5-1972 से चालू किया जा चुका है।

राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा गोदामों के लिये सर्वे

710. **श्री चेतराम (टोडाभीम)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम केन्द्रों एवं उप-केन्द्रों पर गोदाम स्थापित करने से पूर्व वहां पर मिलने वाले व्यापार आदि के बारे में व्यापक सर्वेक्षण एवं जांच नहीं करता है ? यदि करता है, तो निगम को हानि होने के क्या-क्या कारण हैं ?

(2) क्या खाद्य निगम एवं राज्य सरकार के सुझाव पर स्थापित होने वाले गोदामों के बारे में वहां होने वाली हानि की पूर्ति की गारन्टी ले ली जाती है ? यदि नहीं, तो इसकी क्या व्यवस्था है ?

(3) गोदामों पर माल की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है और पिछले पांच सालों में (वर्ष-वार) कितनी-कितनी हानि (चोरियों से) हुई है और विभागीय जांच में कितने कर्मचारी दोषी पाये गये अथवा उनके विरुद्ध जांच जारी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं आवश्यक सर्वेक्षण के पश्चात् ही निगम के केन्द्र या उप-केन्द्र स्थापित किये जाते हैं। राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम लाभ में चल रहा है।

(2) जी हां।

(3) गोदामों पर माल की सुरक्षा के लिए चौकीदार की व्यवस्था है तथा माल चोरी नकबजनी के लिये बीमा कराया जाता है। पांच वर्षों में वर्षवार निगम को चोरियों से निम्न प्रकार हानि हुई:—

वर्ष 1968-69 में 1739.75 की हानि हुई।
वर्ष 1971-72 में रु० 338.00 की हानि हुई।

(सहकारिता मंत्री)

पिछले पांच वर्ष की चोरी की घटनाओं में विभागीय जांच करने पर वर्ष 1968–69 में चोरी से हुई हानि के लिए तीन कर्मचारी जिम्मेदार पाये गये जिन्हें निगम की सेवाओं से मुक्त किया जा चुका है ।

सांचोर एवं मंडार के ए. सी. टी. ओ. को एसेस्मेन्ट एवं सीज करने को पॉवर्स

711. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या वित्त एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में सांचौर एवं जिला सिरोही में मण्डार में ए. सी टी. ओ. (कर विभाग उड़न दस्ता) की पोस्ट हैं ? अगर हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि इन दोनों स्थानों के ए. सी. टी. ओ. को पहिले एसैसमेंट एवं सीज करने की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा दी हुई थीं परन्तु अब ये शक्तियां नहीं दी हुई हैं ? अगर हां, तो कब से ये शक्तियां नहीं दी हुई हैं और क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि ऐसे स्थानों पर उड़न दस्तों के ए. सी. टी. ओ, को ऐसी शक्तियां देना राज्य की आमदनी ज्यादा करने की दृष्टि से जरूरी है ?

उत्तर

(1) जी हां। ये उड़न-दस्ते दिनांक 14-12-62 के आदेश से स्थापित किये गये थे।

(2) जी नहीं। इनको बिक्री-कर अधिनियम की धारा 22 के प्रयोजनार्थ आयुक्त वाणिज्यिक करने दिनांक 23-1-71 को अधिकृत किया था जिसके अधीन उनको entry inspection and seigure के अधिकार प्राप्त हैं ।

(3) जी नहीं। जिन शक्तियों की आवश्यकता थी वे बिक्री कर अधिनियम की धारा 22 के अधीन दे दी गई।

नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा किये गये विकास कार्य

712. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर विकास न्यास, बीकानेर ने सन् 1969-70, 1970-71 एवं 1971-72 में किस-किस मोहल्ले में सड़कें, नालियां एवं अन्य विकास कार्य कितनी कितनी लागत से सम्पन्न कराये तथा प्रत्येक निर्माण कार्य के कौन-कौन ठेकेदार थे ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त विकास कार्य केवल पुराने बसे हुए क्षेत्रों में ही कराये गये जब कि नगर विकास न्यास का मुख्य काम नई आबादियों को विकसित करना होता है ?

(3) क्या सरकार इन सम्पन्न हुए निर्माण कार्यों की क्वालिटी की जांच के लिए कोई जांच समिति बनायेगी जिसमें टेक्नीकल, अकाउन्ट्स एवं प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित हों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विकास कार्य पुराने बसे क्षेत्रों व नई योजनाओं को विकसित करने हेतु कराए गये हैं।

(3) सम्पन्न हुये निर्माण कार्य की क्वालिटी की जांच के लिए कोई जांच समिति बनाने का प्रश्न फिलहाल राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

WORKS IN SCHEME AREA

S. No.	Year of work	Name of work	Amount	Name of Contractor
1.	1969-70	Construction of road in Sadulganj Scheme	30282.06	M/s Rameshwar Dass Narsinghdass, Bikaner.
2.	-do-	Construction of road in Sector No. 4 and 6 in Jai Narain Vyas Nagar	17127.82	Shri Bheron Dan, Contractor, Bikaner.
3.	-do-	Construction of link road from Sadulganj Scheme to join Shivbari Road	5090.19	M/s Gyan Chand Moda Ram, Bikaner
4.	1970-71	Construction of 20 MM. pre coated chips carpet work over W. B. M. Servace road in Jainarain Vyas Nagar	36352.33	M/s Mahakarni Shramik Theka Sahkari Samiti Ltd.
5.	-do-	Providing tree guards for empty Tar Drums in Jainarain Vyas Nagar	1215.50	-do-
6.	-do-	Construction of Southern Boundary road in Sadulganj Scheme	3387.00	-do-
7.	-do-	Construction of 10 cm. thick brick mesonary tree guards in Jai Narain Vyas Nagar	5109.07	M/s Bikaner Nirman Shramik Theka Sahkari Samiti, Bikaner.

8.	-do-	20 mm. thick carpet over existing metal road in Mukta Pershad Nagar Scheme	24979.50	M/s Kana Ram Sewa Ram, Bikaner.
9.	-do-	Construction of Circle in Jai Narain Vyas Scheme	19041,69	M/s Mahakarni Shramik Sahkari Samiti
10.	-do-	Construction of Metal road in Sector No. III in Jai Narain Vyas Nagar Scheme	15163.15	M/s Navnirman Shramik Sahkari Samiti
11.	-do-	Construction of Metalled road in Jai Narain Vyas Nagar Scheme (Sector I)	22477.30	-do-
12.	-do	Construction of metalled road in Sector No. V Jainarain Vyas Nagar Road No. 2	14754.54	M/s Prabhat Jalpath Bhawan Shramik Sahakari Samiti
13.	1971-72	Construction of oguthern boundary road in Sadulganj Scheme	15634,88	M/s Mahakarni Shramik Theka Samiti.
14.	-do-	Construction of Metal road in Jai-Narain Vyas Nagar Scheme Sector No. 2	14831.02	-do-
15.	-do-	Construction of metal road in Sector No. 5, Road No. 7, J. N. Vyas Nagar Scheme	11476.59	M/s Navnirman Shramik Samiti.
16.	-do-	Widening of Central road in Jai Narain Vyas Nagar Scheme	6649.73	M/s Mahakarni Shramik Theka Samiti.

WORKS IN NON-SCHEME AREA

S. No.	Year of work	Name of work	Amount	Name of Contractor
1	2	3	4	5
1.	1969-70	Construction of road in UIT Office	2060.04	M/s Moda Ram Contractor, Bikaner.
2.	-do-	Construction of Restaurant & Cycle Stand in UIT Office	37442 11	M/s Gyan Chand Moda Ram, Bikaner.
3.	-do-	Construction of link road from Green Hotel to Jail Well	7449.20	M/s Mahakarni Shramik Samiti.
4.	-do-	Construction of Water Hut and Tea Stall at Bus Stop	2764.35	M/s Ujjwal Shramik Samiti.
5.	-do-	Providing and fixing RCC Roads, Name Signs on various sites of roads in Bikaner City	3869.20	M/s Mohd. Bux Contractor, Bikaner.

6.	1969–70	Development of Site at Bus Station	54073.39	M/s Laxman Ram Contractor, Bikaner.
7.	-do-	Kankar Consolidation of Link road from Gajner road to Bhutton-ka-bas	13756.00	M/s raPbhat Jal Path Bhawan Nirman Shramik Theka Sahakari Samiti, Bikaner.
8.	-do-	Construction of road from Hanuman Hatta, Fort High School to Municipal Office Building, Bikaner	8040.00	-do
9.	-do-	Drain in Mohalla Koriyan-ki-basti	4068.00	-do-
10.	-do-	Construction of Godowns on Allakh Sagar Well Saran	43330.19	M/s Madan Lal Contractor.
1.	1970–71	Reconditioning and 30 MM Thick Carpet on road from Shri Alla Beli Floor Mill to Railway Line. Phad Bazar, Bikaner	7047.19	M/s Bheron Dan Contractor, Bikaner.

1	2	3	4	5
2.	1970–71	Reconditioning and 20 MM Thick Carpet on existing metal road in Gurunanak Market at Bikaner	3387.00	M/s Ujjwal Shramik Theka Samiti, Bikaner.
3.	-do-	Construction of drain in Mohalla Panwarsar, Bikaner	5172.73	M/s Parabhat Jal Path Bhawan Nirman Samiti, Bikaner.
4.	-do-	Construction of Partial open drains in Mohalla Jussulai near Karbala Chungran, Bikaner	19263.15	M/s Ujjwal Theka Samiti, Bikaner.
5.	-do-	Electrification work in Godown building on Allakh Sagar Saran Well, Bikaner	1125.00	M/s Laxmi Elec. Works, Bikaner.
6.	-do-	Electrification work in Bus Stop Area Opp. railway station, Bikaner	5051.00	-do-
7.	-do=	Contruction of compound wall in Bus Stop Area	5752.86	M/s Khemchand Khatri.
8.	-do-	Construction of roads from Anand Ashram to Industrial Area	18897.56	-do-

9.	1970–71	Construction of drains in various parts of city	33947.74	M/s Kana Ram Sewa Ram, Bikaner.
10.	-do-	Devlopment of Site Rawan-ka Chabutra	14973.17	M/s Ujjwal Shramik Theka Samiti.
11.	-do-	Construction of drains in undeveloped area	31058.92	M/s Pura Ram Budha Ram, Contractor.
12.	-do-	Construction of metal road from Beniwal House to Culvert near Amarsar Well	9306.33	-do-
13.	-do-	Construction of Tar road from Ayurvedic College outside Goga Gate to Industrial Area	19709.00	-do-
14.	-do-	Construction of drain from Ayurvedic College outside Goga Gate to Industrial Area, railway line	46732.01	M/s Moda Ram Contractor.
15.	-do-	Construction of drain from Hanuman Temple to Gajner Road	22248.91	M/s Prabhat Jal Path Bhawan Samiti.

1	2	3	4	5
1.	1971-72	Construction of road near Krishna Well, Bikaner	21351.67	M/s Ujjwal Samiti., Bikaner.
2.	-do-	Construction of Fountain near Padam-niwas, Bikaner	7950.83	M/s LaxmanRam Contractor, Bikaner.
3.	-do-	Construction of road in Ranisar-ka-bas, Bikaner	8446.48	M/s Maha Karni Shramik Samiti, Bikaner
4.	-do-	Construction of Backside of Anathalaya	16455.62	-do-
5.	-do-	Construction of drains in various parts of city	57215.60	M/s Mahalaxmi Sharmik, Samiti, Bikaner.
6.	-do-	Installation of Dr. Ambedkar Statue and development of Circle near Hospital	23,551.54	M/s Mahakarani Shramik Samiti, Bikaner.
7.	-do-	Construction of drains in Mohalla Hanuman Hatta	3081.43	-do-

8.	1971–72	Construction of drains in Mohalla Bhutton-ka-bas	2414.22	-do-
9.	-do-	Construction of Culvert outside Nathusar Gate in Harijan Basti	1136.77	M/s Budha Ram Contractor, Bikaner.
10.	-do-	Construction of Gravel Road in Industrial area near Panch-Mukha-Hanuman Temple	11265.00	M/s Nav Nirman Samiti, Bikaner.
11.	-do-	Widening of K.F.M. Road (Final bill not recd. by inquiry)	113198.06	M/s.Bansi Lal Jhalan, Bikaner.

व्यापारिक संस्थानों से एडवान्स में बिक्री-कर की वसूली

713. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि राज्य में प्राय: सभी स्थानों पर व्यापारिक संस्थाओं से बिक्री-कर की धनराशि एडवांस के रूप में वसूल की जाती है ?

(ख) यदि हां तो क्या यह वसूली कानूनन उचित है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार एडवान्स वसूली पर रोक लगावेगी ?

(घ) यदि नहीं तो क्यों ?

(ङ) क्या यह सही है कि दूसरे प्रांतों से राज्य में गुड़ आने पर राज्य की सीमा पर ही बिक्री-कर का रुपया वसूल कर लिया जाता है जबकि टैक्स बिक्री पर है ?

उत्तर

(क) जी नहीं, कुछेक संस्थानों से बिक्री-कर की धनराशि एडवांस रूप में ली गई है।

(ख) राजस्थान बिक्री-कर अधिनियम की धारा 7 व केन्द्रीय बिक्री-कर (राजस्थान) के नियम 4 के तहत रिटर्न के साथ कर जमा होता है। माह मार्च में खत्म होने वाली तिमाही रिटर्न अप्रैल में आता है। कुछ व्यापारियों द्वारा अप्रैल के स्थान पर मार्च में ~~कर~~ दिया गया है।

(ग) व (घ) राज्य सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है कि एडवान्स रूप में बिक्री-कर की राशि लेना क्रमिक रूप से बन्द किया जावे।

(ङ) जी नहीं। राजस्थान बिक्री-कर अधिनियम की धारा 22 ए (4) के प्रावधानों के उल्लंघन पर सीमा चौकियों पर अनुमानित कर के बराबर राशि जमा कराली जाती है।

प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये निरीक्षक

714. श्री सुखलाल सेंणचा (जैतारण) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या विभाग द्वारा कोई नीति प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिये बनाई हुई है ? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा कनिष्ठ निरीक्षकों को विभिन्न संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति

पर लगाया हुआ है जबकि वरिष्ठ निरीक्षकगण विभाग में ही कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है ?

उत्तर

जी हां, परन्तु नीति में वरिष्ठता का आधार नहीं है । जो हां, जो सम्बन्धित संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति के योग्य हों अथवा संस्थाओं द्वारा मांग की गई हो को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है ।

इस नीति पर उसे परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से, पुनर्विचार किया जावेगा ।

नीमला की ढ़ाणी एवं चूण्डा के लिये पेय जल की योजना

715. श्रीमती समुद्र कंवर (आहोर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

तहसील आहोर में गांव निमला की ढ़ाणी एवं चूण्डा के लिये पेय जल की योजना चालू करने का सरकार का कोई विचार है ? यदि नहीं, तो वहां की जनता द्वारा बारम्बार मांग करने पर योजना क्यों नहीं बनाई जा रही है ?

उत्तर

ग्राम चूण्डा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना साखवाली में सम्मिलित है यह योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

ग्राम नीमला एवं नीमला की ढ़ाणी को क्षेत्रीय योजना गोइन्दला भाद्राजून में सम्मिलित किया जा रहा है, यह योजना अभी बनाई जा रही है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये सुरक्षित स्थान

716. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्य यह सत्य है कि आर. ए. सी. में 60 प्रतिशत स्थान भूतपूर्व सैनिकों लिये सुरक्षित रखे गए हैं ?

(2) यदि हां, तो राज्य में जितनी भी आर. ए. सी. की बटालियन हैं उनमें कुल कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियां दी गई ? कृपया सूची सदन को मेज पर रखें ?

(3) यदि 60 प्रतिशत से कम स्थान भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राजस्थान की आर. ए. सी. बटालियन्स में निम्नलिखित संख्या में भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियां दी गई हैं:—

प्रथम बटालियन 115, द्वितीय बटालियन में कोई नहीं, तृतीय बटालियन 2, चतुर्थ बटालियन 13, पंचम बटालियन की सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी, षष्ठम बटालियन 8, सप्तम बटालियन 1998, अष्टम बटालियन 4, नवम् बटालियन 11 एवं दसवीं बटालियन में 10।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

गोटा किनारी पर बिक्री कर

717. श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में गोटा किनारी पर बिक्री-कर प्राप्त करने का क्या तरीका है ?

(2) क्या यह सही है कि गोटा किनारी, जयपुर का एक प्रमुख कुटीर उद्योग है और बहुत से गरीब लोग इससे रोजी प्राप्त करते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि असली गोटे, चान्दी, सोने के बने हुए गोटे किनारी पर 5 रु. सेल टैक्स लिया जाता है और जब उसी गोटे किनारी को कपड़ों पर चढ़ाया तथा सिलाया जाता है तो उस पर टैक्स की दर 10 रु. लिया जाता है ? यदि हां, तो यह टैक्स दुबारा क्यों लिया जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि तैयार हुआ माल की मजदूरी कीमत पर 10 रु. सेल टैक्स लिया जाता है जिसमें कपड़ा मजदूरी तथा गोटा जिस पर टैक्स दिया जा चुका है फिर दुबारा टैक्स लिया जाता है ?

(5) क्या यह सही है कि चांदी पर बने हुए जेवरों पर सेल टैक्स 2 रु. सैंकड़ा लिया जाता है और उसी प्रकार चांदी के बने हुए सलमा सितारा गोटा पर सेल टैक्स 5 रु. सैंकड़ा लिया जाता है ? दोनों दरों में फर्क का आधार क्या है ?

उत्तर

(1) राजस्थान बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत गोटा किनारी बिक्री की प्रथम बिन्दु पर कर देय है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। पोशाकों को तैयार करने के लिये गोटा किनारी धारा 5 सी के अन्तर्गत कच्चे माल (रॉमेटेरियल) के रूप में 5% के बजाय 1% की दर से राजस्थान बिक्री-कर देकर खरीदा जा सकता है।

(4) तैयार हुए माल की बिक्री की कीमत पर विक्रय-कर लिया जाता है।

(5) जी हां। वस्तुओं की खपत, उपभोक्ताओं के संवर्ग की आकृति जो इसे काम में लेता है, इस श्रोत से आय; सीमावर्ती राज्यों में बिक्री की दर आदि. कई तथ्यों पर दर की नीति निर्धारण करते समय विचार किया जाता है। सभी का निर्णय संभव नहीं है।

इन्दिरा गांधी नगर कोटा में विना इजाजत वने मकान

718. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (दीगोद): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इन्दिरा गांधी नगर कोटा में झुग्गी झोंपड़ियां किसकी भूमि पर बसी हुई है?

(2) उक्त भूमि पर सीधा अधिकार किस संस्थान अथवा निगम का है?

(3) क्या उक्त भूमि पर विना इजाजत कुछ मकानों का निर्माण हुआ है? यदि हां, तो कुल कितने पक्के मकान बने हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि इस तरह पक्के मकान बनाकर बेच दिये गये हैं? यदि हां, तो किसने किसको कब बेचा है?

उत्तर

(1) औद्योगिक क्षेत्र हेतु सुरक्षित भूमि में बसे ये हैं।

(2) इस भूमि का अधिकार क्षेत्र का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी हां

(4) यह सूचना प्राप्त की जा रही है।

ताल छापर का नमक क्षेत्र

719. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने ताल छापर जिला चूरू में नमक क्षेत्र (सेलाईन एरिया) डिक्लेअर (घोषित) किया है ? यदि हां, तो कब कितनी भूमि का ?

(2) नमक क्षेत्र (सेलाइन एरिया) घोषित हो जाने के बाद उक्त भूमि पर राजस्व न्यायालयों का क्षेत्राधिकार कहां तक रहता है ?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में भूमि के किसी विवाद या स्वामित्व का मामला सरकार के ध्यान में आया ? यदि हां, तो कब-कब कौन-कौन सा और उनका निपटारा किस प्रकार से किया गया तथा कोई मामले शेष हैं तो उनको किस प्रकार से निपटाया जायेगा ?

(4) क्या उक्त भूमि पर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट और राजस्थान टैनेन्सी एक्ट भी लागू होते हैं ? यदि हां, तो कहां तक ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 29-5-63 को राज्य सरकार की विज्ञप्ति द्वारा खसरा नं० 104 को जिसका क्षेत्रफल 9290 बीघा 10 बिस्वा है।

(2) तालछापर (जिला चुरू) लवण क्षेत्र घोषित किया गया था।

(3) नमक क्षेत्र घोषित हो जाने के पश्चात् जब भूमि उद्योग विभाग को विधिवत् स्थानान्तरित हो जाती है तो उस क्षेत्र के बारे में राजस्व न्यायालय का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है। क्योंकि यह क्षेत्र फिर भूमि की परिभाषा में नहीं आता है। वरन लवण क्षेत्र रहता है। जी हां। मामलों की सूची निपटारे सबधी सूचना सहित संलग्न है।

(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम एवं राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान नमक क्षेत्र के बारे में लागू नहीं होते हैं, अगर वह क्षेत्र भूमि की परिभाषा से निकालकर नियमानुसार नमक क्षेत्र बन चुका है।

विवादग्रस्त मामलों की सूची

मामले जो सरकार के ध्यान में आये	कब ध्यान में आये	निपटारा किस प्रकार किया गया	विवरण
1. ठाकुर हनुवन्तसिंह, गोपालपुरा बनाम राज्य	अप्रेल, 66 में	पार्टी ने स्वामित्व का दावा उप-खंड अधिकारी के न्यायालय में दायर किया है। राज्य सरकार ने इसका विरोध किया है	मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है। और न्यायालय में ही इसका निपटारा होगा।
2. लिखमाराम पुत्र हेमाराम, गोपालपुरा बनाम श्री महावीरप्रसाद पारीख व रामनारायण नवाल	26-4-72	पार्टी ने आवंटितियों पर कार्य न करने देने के लिये निषेध आज्ञा के लिये प्रार्थना-पत्र उप-खंड अधिकारी, रतनगढ़ के न्यायालय में दायर किया है	अन्तरिम निषेध आज्ञा 16-3-72 को जारी की गई और इसकी पुष्टि 18-4-72 को की गई।
3. श्रीमती उदी धर्मपत्नी शंकर ढोली बनाम 1. श्री रामनारायण नवाल 2. महावीरप्रसाद	26-4-72	"	अन्तरिम निषेधाज्ञा 6-4-72 को जारी की गई।
4. रेखाराम पुत्र सुरजाराम प्रजापत बनाम 1. लालचन्द सोमानी व 2. तेजाराम जाट	26-4-72	"	"

नोट:—उपरोक्त क्रम संख्या 2, 3 व 4 में राज्य सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया है। इस मामले के ध्यान में आने पर विधि विभाग व जिलाधीश से संपर्क

सुपर बाजार, अजमेर

720. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर में चल रहे "सुपर बाजार" के किस वर्ष तक के अन्तिम खाते तैयार कर लिये गये हैं ?

(2) उसका स्टाक वेरीफिकेशन किस वर्ष तक का सहकारी विभाग द्वारा किया गया है ? क्या आडिट द्वारा किन्हीं अनियमितताओं का हवाला दिया गया है । पिछले तीन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के क्या नाम हैं ? इसका चुनाव कब हुआ था तथा चुनाव कब ड्यू था ? आज तक चुनाव क्यों नहीं कराये गये ?

(4) क्या यह सही है कि इसका चुनाव गठन के बाद से आज तक केवल एक बार ही हुआ है ?

(5) सुपर बाजार मुनाफे में चल रहा है अथवा हानि में ? मुनाफा कब-कब सदस्यों में वितरित किया गया ?

(स्थगित किया गया)

बानसूर तहसील में खार से जमीन को बचाने के उपाय

721. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के बानसूर तहसील में कुछ भागों की काश्त की जमीन में खार हो जाने के कारण बहुत सी कीमती जमीन काश्त के योग्य नहीं रही और आसपास की जमीन में यह खार बढ़ता जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि बानसूर कस्बे के आसपास की जमीन गूना व शाहपुर गांवों की चाही और बारानी जमीन में खार बढ़ता जा रहा है ?

स्थापित कर निषेधाज्ञा निरस्त करवाने की कार्यवाही की जा रही है। जिलाधीश से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही राजस्व विभाग लवण क्षेत्र घोषित करता है। अतः इसकी पूरी जांच करने हेतु उद्योग विभाग के उच्च अधिकारी को घूरू भेजा जा रहा है जो इस विषय में जिलाधीश महोदय से वार्ता कर विधि विभाग की राय से अगली कार्यवाही करेंगे।

Page No 184

(3) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि इस इलाके में पानी का स्तर (वाटर लेवल) ऊंचा हो जाने के कारण इस इलाके की जमीन में खार पैदा हो गया है ?

(4) क्या सरकार इसकी जांच करावेगी और इस इलाके की जमीन को खार से बचाने का उपाय करेगी ?

उत्तर

(1) अलवर जिले की बानसूर तहसील के कुछ गांवों में खार के कारण भूमि कृषि योग्य नहीं रही है और आसपास की जमीन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) यह मामला विचाराधीन है।

जन अभियोग निराकरण विभाग

722. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार द्वारा जन अभियोग निराकरण विभाग की स्थापना कब की गई ?

(2) इस विभाग में कितने-कितने अधिकारी व कर्मचारी किस-किस श्रेणी के कहां-कहां पर कार्य करते हैं तथा एक वर्ष में उन पर कुल वेतन की कितनी रकम व्यय की जाती है ?

(3) उक्त विभाग में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनमें से कितनों का निपटारा किया जा चुका है ?

(4) कितने व कौन-कौन से अधिकारियों पर लापरवाही करने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है और उससे क्या परिणाम निकला है।

उत्तर

(1) जन अभियोग निराकरण विभाग की स्थापना दिनांक 23 जुलाई, 1971 को की गयी।

(2) इस विभाग में निम्नांकित अधिकारी व कर्मचारी शासन सचिवालय में कार्य करते हैं :-

1.	आयुक्त	1
2.	उपायुक्त	2
3.	सहायक आयुक्त	1
4.	अनुभागाधिकारी	4
5.	शीघ्रलिपिक	4
6.	वरिष्ठलिपिक	4
7.	कनिष्ठलिपिक	6
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9

वर्ष 1971-72 में इन पर कुल वेतन की राशि रुपया 96546.95 पैसे व्यय हुई।

(3) इस विभाग में 30 अप्रैल, 1972 तक कुल 5564 शिकायतें प्राप्त हुईं तथा इनमें से 3175 शिकायतों का निपटारा हो चुका है।

(4) विलम्ब एवं असावधानी के लिये अब तक निम्नलिखित कर्मचारियों के विरुद्ध सम्बन्धित विभागों को अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ करने के लिये सिफारिश की गई है।

परिणाम की प्रतीक्षा है: —

1.	सहायक लेखाधिकारी	1
2.	लेखाकार	1
3.	आशुलिपिक	1
4.	लिपिक	2
5.	पटवारी	3
6.	वैद्य	2
7.	सहायक अध्यापिका	1
8.	सब-इन्सपेक्टर, पुलिस	1
9.	हैड कान्स्टेबिल	1

बांगड़ कॉलेज, डीडवाना के लिये फर्नीचर की खरीद

723. श्री भोमाराम (डीडवाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत दो वर्षों में बांगड़ कॉलेज डिडवाना के प्रिन्सिपल ने फर्नीचर व अन्य सामान कब-कब व किस फर्म से कितने-कितने रुपयों का आज तक खरीदा एवं वह फर्नीचर व सामान कब-कब कॉलेज में प्राप्त हुआ तथा उसका पेमेन्ट किस-सकि तारीख को कितना-कितना कर दिया गया ?

(2) गत दो वर्षों में बांगड़ कॉलेज, डिडवाना के प्रिन्सिपल ने फर्नीचर व अन्य सामान की जो-जो खरीद की उसमें किस-किस फर्म ने टेण्डर दिये एवं किस-किस रेट के टेण्डर अस्वीकार व स्वीकार किये गये ?

(3) क्या बांगड़ कॉलेज, डीडवाना की कुचामन सिटी व डिडवाना के बीच विद्यार्थियों को लाने-लेजाने वाली बस बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

(स्थगित किया गया]

हिण्डोन के नाले का कार्य

724. श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हिण्डोन खारी नाले का काम अधूरा पड़ा हुआ है और नला पक्का न होने के कारण गरीबों के घरों में पानी आ जाने के कारण घर बरबाद हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नले के अधूरे कार्य को इसी वर्ष वर्षा से पूर्व पूरा कराने का कोई इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या नगरपालिका ने इस नाले को पक्का बनवाने के लिये सरकार से कोई एड मांगी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे देने को तैयार है ?

उत्तर

(1) जी हां मामला विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

विश्वकर्मा औद्योगिक केन्द्र

725. **सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** (आमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर के समीप कौन-कौन से नये औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने की योजना है ?

(2) विश्वकर्मा औद्योगिक केन्द्र में अब तक कितने उद्योगों की स्थापना की जा चुकी है तथा उनसे क्या-क्या वस्तुयें उत्पादित होती हैं ? इन उद्योगों के सम्बन्ध में निम्नांकित जानकारी सदन की मेज पर रखें:—

(1) उद्योग का नाम, (2) उद्योग नियोजित पूंजी तथा स्वीकृत ऋण,
(3) उत्पादित वस्तु का नाम (4) उत्पादन शुरू होने की तिथि।

(3) क्या झोटवाड़ा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में और नये उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो किन उद्योगों की ? कृपया योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या झोटवाड़ा एवं विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए श्रमिक बस्तियों का निर्माण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार द्वारा इन बस्तियों में श्रमिकों के कल्याण के लिए क्या-क्या गतिविधियां चलाई जा रही हैं ?

उत्तर

(1) विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के अलावा मालवीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना है।

(2) विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में 12 उद्योगों की स्थापना हो चुकी है। वांछित सूचना की सूची संलग्न है।

(3) कोई योजना नहीं है।

(4) वर्त्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

S. No.	Name of the Unit	Capital Investment in Lakh Rs.	Loans Advanced under SFC. Rules As on 31-3-72	Loans Advanced under Agency Rules	Items of Manufacture	Date of starting production
1	2	3.	4	5	6	7
1.	M/s. Rajasthan Transformers and Switch gears (P) Ltd.	12.5	3,37,C0)/-	—	Power distribution	Feb., 1972
2.	„ J.T. Precision Castings (P) Ltd.	2.75	—	75,000/-	Allumunium Alloy Automobile parts	May, 1971
3.	„ Raj. Synthetic Industries Ltd.	12.00	6,00,000/-	—	H. D. P. Woven Bags	April, 1972
4.	„ Ram Pratap Suraj Bux	10.00	1,23,000/-	—	Tin containers	April, 1972
5.	„ Jai Shri Udyog	2.32	—	31,000/-	Rice Milling	15-11-1971
6.	„ Metal Pressing Factory	4.10	2,30,00C/- 2,71,00?/-	—	M. S. Wire and Tin containers	Aug, 1971

1	2	3	4	5	6	7
7.	M/s. Rajasthan Chemicals and Glass	1.40	—	22,000/- 30,000/-	Sodium Silicate & Glass	Sept., 1971
8.	,, Steel Alled Products	2.49	45,000/-	75,000/-	Hook Iron	Feb., 1971
9.	,, Concrete Spun Pipe Factory	1.00	—	—	R. C. Spun Pipe	Aug., 1971
10.	,, Speeder Tyre & Tube Manfg. Co., (P.)	3.50	—	1,20,000/-	Tyre and Tube (Cycle)	May, 1971
11.	,, Mahamaya Mining Industries	30.00	7,95,000/-	—	Plastic Articles	April, 1971
12.	,, Rajasthan Steel Products	1.85	—	—	Bright Shafts	April, 1971

पुस्तकालयों पर व्यय

726. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के किन-किन जिलों में जिला पुस्तकालय हैं और उन पर किन-किन मदों पर कितना वार्षिक खर्चा होता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन पुस्तकालयों की देख-रेख और निरीक्षण की क्या व्यवस्था है ?

(3) इन पुस्तकालयों में पुस्तकें और पत्रिकायें किस आधार पर किस अधिकारी के आदेशों से रखी जाती हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान के सभी जिलों में जिला पुस्तकालय हैं, जिसकी सूची संलग्न है। मदों में वार्षिक खर्च की सूची संलग्न है।

(2) पुस्तकालयों की देख-रेख विद्यालय निरीक्षकों द्वारा होती है। इसका निरीक्षण उप-निदेशक (समाज शिक्षा), उप-निदेशक (कनिष्ठ), विद्यालय निरीक्षक तथा राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

(3) पुस्तकालय में पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकायें खरीदने के लिये पुस्तकालय समिति होती है। इस समिति की सिफारिश पर वित्तीय नियमों के अनुसार पुस्तकें क्रय की जाती हैं।

LIST OF PUBLIC LIBRARIES

1. Maharaja Public Library, Jaipur.
2. Sumer Public Library, Jodhpur.
3. Sarswati Bhawan Library, Udaipur.
4. Divisional Library, Bikaner.
5. Divisional Library, Kota.
6. District Library, Alwar.
7. District Library, Bharatpur.
8. District Library, Kishangarh (Ajmer).
9. District Library, Sikar.

(शिक्षा मन्त्री)

10. District Library, Jhunjhunu.
11. District Library, Sawaimadhopur.
12. District Library, Tonk.
13. District Library, Pali.
14. District Library, Bilara (Jodhpur).
15. District Library, Nagaur.
16. District Library, Sirohi.
17. District Library, Barmer.
18. District Library, Jaisalmer.
19. District Library, Jalore.
20. District Library. Churu.
21. District Library, Ganganagar.
22. District Library, Nokha.
23. District Library, Bhilwara.
24. District Library, Banswara.
25. District Library, Nathdwara (Udaipur).
26. District Library, Bundi.
27. District Library, Dungarpur.
28. District Library, Chittorgarh.
29. District Library, Jhalawar.
30. Harish Chandra Library, Jhalawar.
31. Tehsil Library, Deeg (Bharatpur).
32. Tehsil Library, Dholpur (Bharatpur).
33. Tehsil Library, Khetri (Jhunjhunu).
34. Tehsil Library, Behror (Alwar).
35. Tehsil Library, Bali (Pali).
36. Tehsil Library, Shivganj (Sirohi).
37. Tehsil Library, Baran (Kota).
38. Tehsil Library, Pratapgarh (Chittorgarh).

		1971-72
1.	Pay of Establishment	3,35,700.00
2.	Dearness Allowance	2,63,377.00
3.	Travelling Allowance	6,778.00
4.	House Rent Allowance	23,940.00
5.	Medical Charges	20,820.00
6.	Adhoc Relief	5,000.00
7.	Other Allowances	5,938.00
8.	Service Postage	6,360.00
9.	Light & Water Charges	22,120.00
10.	Liveries	7,000.00
11.	Library Grant	68,480.00
12.	Books Toyl-s & Periodicals	59,370.00
13.	Repairs & Renewal of Furniture	6 220.00
14.	Maintenance of Vehicles	18,319.00
15.	Rent for Accommodation	16,584.00
16.	Other Petty Items	15,020.00

गम्भीरी नदी पर पर्यटन विकास की योजना

727. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चित्तौड़गढ़ में गम्भीरी नदी पर पर्यटन विकास की कोई योजना है ?

(2) यदि हां, तो उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ किया जावेगा ?

उत्तर

(1) गम्भीरी नदी पर पर्यटन विभाग के विचाराधीन कोई योजना नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No 193

सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, सीकर

728. श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, सीकर का गठन कब हुआ ? क्या सहकारी भूमि विकास बैंक के संचालक मण्डल को भंग कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त बैंक में कितने समय से प्रशासक नियुक्त है तथा प्रशासक की नियुक्ति क्या राज्य सरकार या विभाग द्वारा की गई है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस बैंक के संचालक मण्डल का चुनाव करवाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या राज्य सरकार ने काफी संख्या में वसूली के स्थगन आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

उत्तर

(1) सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, सीकर का गठन 15-9-1960 को हुआ था। उक्त बैंक के संचालक मण्डल को भंग कर दिया गया है, क्योंकि 9 संचालकों में से 6 संचालक अयोग्य घोषित हो जाने के कारण 3 सदस्यों से कोरम की पूर्ति नहीं हो सकती थी।

(2) उक्त बैंक में दिनांक 15-7-69 से प्रशासक कार्य कर रहा है। प्रशासक की नियुक्ति विभाग द्वारा की गई है।

(3) जी हां, बैंक द्वारा दिनांक 4-7-72 को चुनाव कराने की तिथि प्रस्तावित की गई है।

(4) केवल 16 मामलों में स्थगन आदेश प्राप्त हुए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

———

सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, सीकर

मामलों का विवरण जिनमें निषेधाज्ञा जारी होने के कारण वसूली की कार्यवाही स्थगित की गई:—

क्रमांक	नाम सदस्य मय पिता के	ग्राम	अधिकारी जिसने स्टे दिया	दिनांक स्थगन आदेश
1	2	3	4	5
1.	श्री कल्याणसिंह आ० श्री नारायणसिंह	रानोली	रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, राज०, जयपुर	3-9-71
2.	,, तुलछाराम आ० श्री भूराराम	नागदा	,,	15-1-72
3.	,, नानूराम आ० श्री परमाराम	त्रिलोकपुरा	मुंसिफ मजिस्ट्रेट, सीकर	10-9-71
4.	,, हिम्मतसिंह आ० श्री मंगेजसिंह	हुकिया	राज्य सरकार (राज्य मन्त्री महोदय)	12-4-72 15-4-72
5.	,, हुक्माराम आ० श्री ईसरराम	मलिकपुर	,,	22-12-71
6.	,, सुवालाल आ० श्री रामकुमार	बाडलवास	,,	22-4-72

1	2	3	4	5
7.	श्री भोपालसिंह आ० श्री कालूसिंह	दुजोद	राज्य सरकार (राज्य मन्त्री महोदय)	14-4-72
8.	,, दूदाराम आ० श्री दीपाराम	मैलासी	,,	22-4-72
9.	,, हनुमानसिंह आ० श्री हरिसिंह	दुजोद	,,	14-4-72
10.	,, सुखसिंह आ० श्री मेघसिंह	,,	,,	,,
11.	,, दामोदर आ० श्री नारायण	,,	,,	,,
12.	,, पोखरराम आ० श्री आशाराम	मैलासी	,,	22-4-72
13.	,, लादूराम आ० श्री बिड़दाराम	दूसिंहपुरा	,,	12-4-72
14.	,, धोकलसिंह आ० श्री जवाहरसिंह	मैलासी	,,	22-4-72
15.	,, भंवरसिंह आ० बेरीसालसिंह	पलोरा	,,	22-3-72
16.	,, भगवाना आ० श्री हनुमान	दुजोद	,,	14-4-72

कोटपूतली में चोरी के मामले

729. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) कोटपूतली तहसील में 1971-72 में कितने चोरी के मुकदमे दर्ज हुए ?

(2) उपरोक्त चोरी के मुकदमों में कितने मुकदमों में चोरी का माल बरामद किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त चोरी के मुकदमों के अलावा कुछ चोरी के मुकदमें दर्ज नहीं किये गए ?

(4) क्या यह सही है कि जो चोरी के मुकदमें दर्ज किये गये उनमें से एक भी मामले में चोरी का माल आज तक बरामद नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) तहसील कोटपूतली में वर्ष 1971-72 में कुल 104 चोरी के अपराध दर्ज हुए हैं।

(2) 32 अपराधों में चोरीशुदा माल बरामद हुआ है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट–3

(ता० प्र० सं० 698 की सूची)

नाम	जनसंख्या 1961 की जनगणना के अनुसार
भुंदेड़ा	1174
भुंदड़ावाली	291
लिखमनसर	733
योग…	2203

अनुमानित लागत 3,12,600 रु० है।

Page No 198

परिशिष्ट -4

(अ. ता. प्र. सं. 271 की सूची)

फिक्स्ड दर में वेची गई भूमियों को सूची

क्रम संख्या	नाम खरीददार	भूमि का क्षेत्र	कुल राशि	निर्णय की तिथि	रजिस्ट्रेशन की तिथि
1.	श्री हीरालाल कुम्पावत	$189\frac{1}{10}$ वर्ग-गज	1890.62	25-1-72	25-3-72
2.	श्री श्यामलाल कुम्पावत	102 „	1020.00	14-9-71	25-3-72
3.	श्री रामगोपाल शर्मा	$59\frac{1}{2}$ „	237.00	18-12-71	11-4-72
4.	श्री अब्दुलरहमान जुलाहा	$32\frac{1}{3}$ „	195.00	18-3-72	4-4-72
5.	श्री मुस्ताक अली	$23\frac{3}{4}$ „	35.63	18-12-71	रजिस्ट्री नहीं हुई है।
6.	श्री भालचन्द लखोटिया	$18\frac{3}{4}$ „	187.75	14-9-71	„
7.	श्री तेजाराम साद	$357\frac{1}{2}$ „	536.25	21-4-72	10-5-72
8.	श्री सूर्यप्रकाश शास्त्री	$66\frac{7}{32}$ „	397.31	18-12-71	10-5-72
9.	श्री चांदमल नागोरी	$6\frac{3}{4}$ „	101.00	14-3-71	10-5-72
10.	श्री बालाराम कात्रा	$22\frac{39}{50}$ „	136.69	18-3-72	रजिस्ट्री नहीं हुई है।
11.	श्री रतनलाल पितल	20 „	120.00	18-3-72	„
12.	श्रीमती बिन्नीबाई	$6\frac{3}{4}$ „	27.00	18-12-71	„
13.	श्री अनन्तराय पुजारी	$6\frac{1}{4}$ „	101.25	18-3-72	„
14.	श्री भागीरथ माली	60 „	600.00	18-3-72	„

निलामो से बेची गई भूमियों को सूची

क्रम संख्या	नाम खरीददार	भूमि का क्षेत्रफल	कुल राशि	निर्णय की तिथि	रजिस्ट्रेशन की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री दुर्जाराम पुत्र पन्नाराम	364 वर्ग-गज	2700 00	3-11-71	11-2-71
2.	श्री शिवदराय कुमावत	1350 ,,	4150.00	25-3-72	रजिस्ट्री नहीं हुई है।
3.	,, ,,	2350 ,,	4150.00	,,	,,
4.	,, ,,	1650 ,,	4150.00	,,	,,
5.	,, ,,	1800 ,,	2900.00	,,	,,
6.	,, ,,	1044 ,,	2151.00	,,	,,

परिशिष्ट-5

(प्र० ज्ञा० प्र० सं० 275 की सूची)

Government of Rajasthan

FINANCE DEPARTMENT (Rules)

MI MO

Jaipur, April 28, 196 '.

Sub:—Removal, under Rule 32 of Rajasthan Service Rules, of anomalies arising on account of fixation of pay of Government servants.

No. F. 1 (8) FD (Exp-Rules)/67.—Consequent upon introduction of Rule 26-A of the Rajasthan Service Rules, Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, as amended from time to time and New Pay Scale Rules, 1969 occasions have arisen where Government Servant's pay was fixed at a lower stage than the pay of a Government servant junior to him, by application of any of the rules mentioned above. In order to remove anomalies arising as a result of fixation of pay of senior/junior Government servant it has been decided that the pay of the senior Government servant may be stepped up to a figure equal to the pay as fixed for the junior Government servant. The stepping up should be done by the authority competent to make substantive appointment on the post held by the senior officer, with effect from the date the junior official started getting more pay subject to the following conditions:—

(i) The anomaly should be directly as a result of introduction of the aforesaid rules and

stepping up of pay should be done only in cases where the appointment/promotion of the junior officer is regular and in accordance with provisions of relevant service rules issued under proviso to article 309 of the Constitution of India or on ad-hoc basis.

(ii) The senior and junior Government servants should belong to the same cadre/class of posts and serving in the same department/service and drawing pay in the same scale before their respective promotions.

(iii) Both the Government servants should be under the Administrative Control of one and the same Head of Department/Administrative Department.

(iv) The benefit under this decision will be allowed only when it is certified that there is no dispute about the interse seniority of senior/junior Government servants and the seniority is not provisional.

(v) Where the pay of the senior Government servant is stepped up under these orders on account of junior Government servant being promoted on ad-hoc basis, it may be done with this condition that if the junior Government seravnt's ad-hoc promotion is not converted into a regular promotion according to rules and he is reverted, then from the date of reversion of the junior Government servant the pay of the senior officer would be re-fixed at the stage at which he would have drawn had his pay not been stepped up.

2. The provisions contained in this decision shall not be invoked to step-up pay of the senior Government servant in the following cases:—

(a) Where the junior Government servant is holding the higher post during leave vacancy or a short-term vacancy caused due to the holder of the higher post proceeding for training for a period not exceeding 120 days, or in any other situation where the higher post is held for a period of 120 days only.

(b) Where junior Government servant already draws higher rate of pay than the senior by virtue of grant of advance increment or grant of higher initial pay for possessing higher qualifications or passing prescribed eaxminations or for any other reason not attributable to fixation of pay under rule 26 or 26–A of Rajasthan Service Rules or under Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961, as amended from time to time or New Pay Scale Rules, 1969.

(c) Where the junior Government servant holds a post in a different cadre and is appointed to another cadre/class of posts other than the cadre class of posts to which senior Government servant is already appointed. For example if 'A' (Senior) L. D. C. was promoted to the post of U. D. C. and subsequently appointed as Accountant on or before the date on which the 'B' (junior) was promoted as U. D. C., then there will be comparison between the pay of the senior as Accountant and junior as U. D. C.

(d) Where tho junior Government servant is allowed one advance increment in view of his prospective retirement within 10 years under rule 12 of the Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules, 1969.

3. The orders re-fixing the pay of the senior officer in accordance with this decision shall be issued under Rule 32 of the Rajasthan Service Rules. The next inerement of the senior Government servant will be drawn on completion of the full requisite qualifying service counting under Rule 31 ibid with effect from the date of re-fixation of pay.

(M. Mukerji)
Financial Commissioner &
Secretary to Government.

परिशिष्ट–6

(अ. ता. प्र. सं. 279 की सूची)

सूची मुकदमात गबन जो सहकारी विभाग द्वारा जिला जालौर में सन् 1970 से 30-4-72 तक पुलिस ने दर्ज कराये। विधान सभा प्र० सं० 162 मु० मं० द्वारा गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य राज्य विधान सभा।

नं० शु०	प्रथम सूचना नं० व तारीख	धारा	थाना	नाम मुस्तगीस	नाम मुल्जिम	नतीजा मुकदमा	रकम जो गबन की गई	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	9/5-2-71	408/420 ता. हि.	भीनमाल	श्री शंकरलाल सहा. रजिस्ट्रार, सह. स., जालोर	आसुखां ग्राम सुजाणी	एफ. आर. अदम वजू 25-3-71	40.55	
2.	11/4-2-71	408 ता. हि.	जालोर	,,	कालूचंद, दी सैन्ट्रल कॉप. बैंक लि., जालोर	एफ. आर. अदम सिबूत 20-7-71	600.00	
3.	18/27-3-71	408/420 ता. हि.	सांचोर	,,	हरलाल, मंत्री, सह. समिति, करकडी	एफ. आर. अदम वजू 30-9-71	1276.55	
4.	19/27-3-71	,,	,,	,,	धीमाराम-प्रध्यक्ष, छोगाराम-कोषाध्यक्ष	एफ. आर. अदम वजू 16-11-71	1550.100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	20/27-3-71	408/420 ता. हि.	सांचोर	श्री शंकरलाल, स. रजिस्ट्रार, स. स, जालौर	भीखाराम पुत्र कालूराम खजांची	चालान 28-2-72	7225.62	
6.	21/27-3-71	,,	,,	,,	कानाराम, खंगारराम, लालूराम	एफ. आर. अदम वज़ू 31-10-71	3654.67	
7.	4/7-2-71	478/479/420/ 467 ता. हि.	सरवाना	,,	भीखाराम	एफ. आर. अदम वज़ू 31-12-71	8789.25	
8.	10/7-4-71	408 ता. हि.	,,	,,	भारताराम	एफ. आर. अदम वज़ू 27-11-71	383.26	
9.	4/21-1-72	408/420 ता. हि.	जालौर	ईश्वरदास, सहायक रजिस्ट्रार, सह. स., जालौर	हरिचन्द्र जवरसिंह	पैन्डिंग तफ. गवाह फासाराम, ढेठमल व मुल. से तफतीश करना है	13197.07	

नोट:— सन् 1970 में कोई मुकदमा सहकारी विभाग ने दर्ज नहीं कराया।
सन् 1971 में 8 मुकदमे सहकारी विभाग ने दर्ज कराये।
सन् 1972 में यानी 1-1-71 से 30-4-72 तक 1 मुकदमा सहकारी विभाग ने दर्ज कराया।

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 280 की सूची)

जायल तहसील

1. राजकीय प्राथमिकशाला, सुणसरा क्रमोन्नत तिथि 15-7-71
2. राजकीय प्राथमिकशाला, घोड़वा क्रमोन्नत तिथि 15-7-71

नागौर तहसील

1. राजकीय प्राथमिकशाला, फीड़ोद क्रमोन्नत तिथि 15-7-71
2. राजकीय प्राथमिकशाला, उमरावरी क्रमोन्नत तिथि 15-7-71
3. राजकीय प्राथमिकशाला, कुमारी क्रमोन्नत तिथि 15-7-71

जायल तहसील

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुणथरा के प्रधानाध्यापक श्री प्रतापसिंह दिनांक 1-8-71 से लगाये गये।
2. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, घोड़वा के प्रधानाध्यापक श्री देवराम दिनांक 1-8-71 से लगाये गये।

नागौर तहसील

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बिगोद में प्रधानाध्यापक श्री मिरदाराम दिनांक 1-8-71 से लगाये गये तत्पश्चात् दिनांक 1-9-71 से श्री परमानन्द प्रधानाध्यापक के पद पर लगाये गये।
2. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लखावरी के प्रधानाध्यापक श्री गोमसिंह दिनांक 1-8-71 से लगाये गये तत्पश्चात् श्री सम्पतराम प्रधानाध्यापक के पद पर दिनांक 17-4-72 से लगाये गये।
3. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुमारी में प्रधानाध्यापक श्री मोहम्मद इब्राहीम दिनांक 1-8-71 से लगाये गये।

Page No 207

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 283 की सूची)

राजकीय संस्कृत कॉलेज, दौसा की कक्षायें व सैक्शन की सूची

क. सं.	नाम कक्षा	वर्ग यदि हो	छात्र संख्या
1.	शास्त्री द्वितीय वर्ष	—	6
2.	शास्त्री प्रथम वर्ष	—	14
3.	उपाध्याय	—	46
4.	कक्षा—10	ए	33
		बी	32
		सी	28
5.	कक्षा—9	ए	37
		बी	33
6.	कक्षा—8	ए	43
		बी	43
		सी	29
7.	कक्षा—7	ए	33
		बी	42
		सी	35
8.	कक्षा—6	ए	43
		बी	46
		सी	44
9.	कक्षा—5	—	15

शुद्धि-पत्र

क्रम सं०	स्कम्भ सं०	अशुद्धि	शुद्धि
1.	7	ईहा	हाई
2.	10	श्री हाजी नजा	श्री हाजी जानमोहम्मद
3.	28	श्री चन्दनमल वैद	श्री चन्दनमल वैद
4.	41	कोतटपूली	कोटपूतली
5.	125	श्री बरकतुल्ला खां	श्री बरकतुल्ला खां
6.	226	ill	Bill
7.	247	प्राक्कलन मिसति	प्राक्कलन समिति